हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा

2015-16

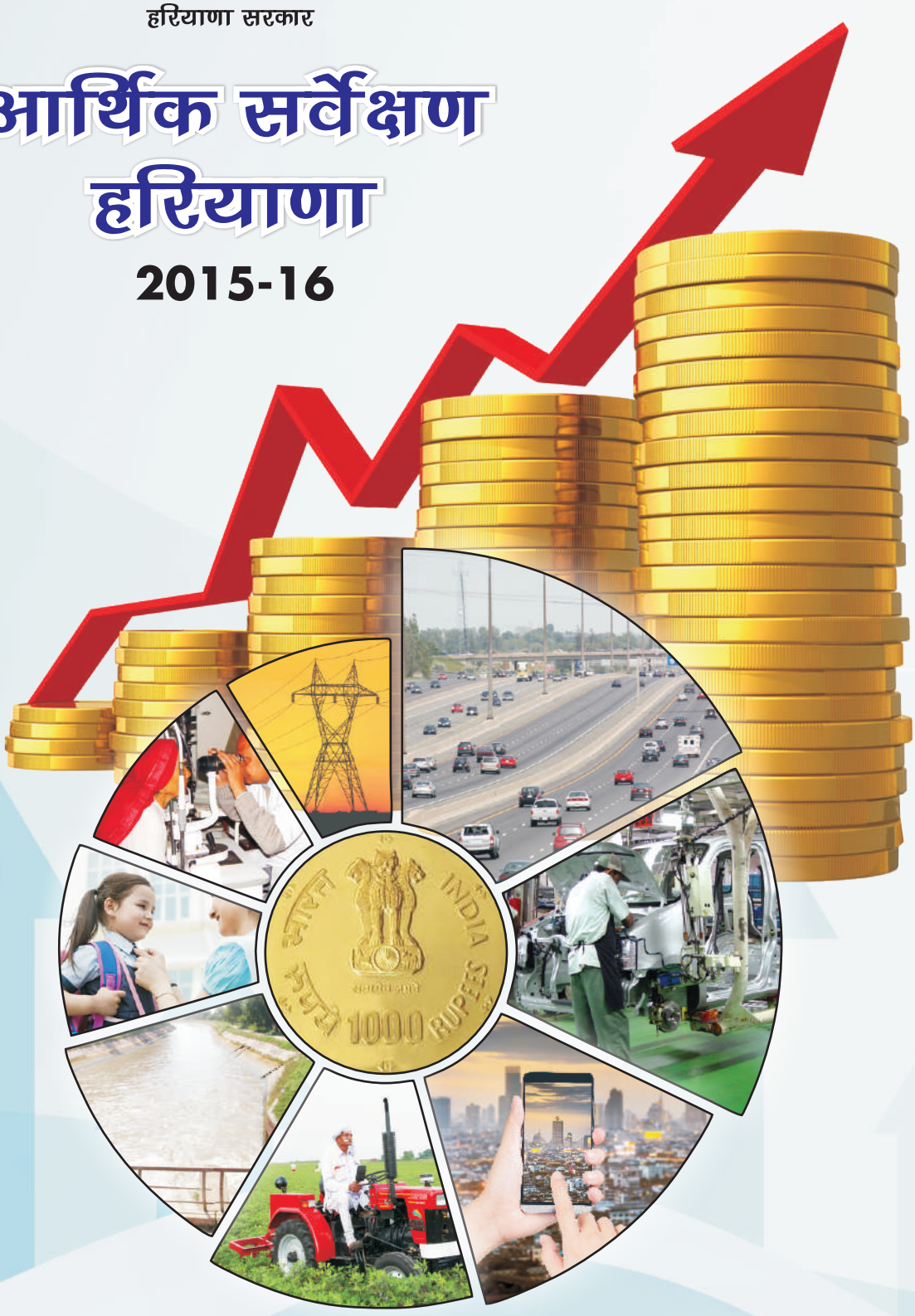

अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

2016

प्रकाशन संख्या – 1126
विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध

हरियाणा सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा 2015–16

जारीकर्ता:
अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा
योजना भवन, सैक्टर–4, पंचकुला
2016

विषयसूची

हरियाणा एक दृष्टि में (i-ii)

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1.	हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य	1–4
2.	लोक वित्त, बैंकिंग तथा ऋण	5–21
3.	कीमतें तथा खाद्य एवं आपूर्ति	22–29
4.	कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र	30–58
5.	उद्योग क्षेत्र	59–68
6.	सेवा क्षेत्र	69–70
7.	विद्युत, सड़कें, परिवहन एवं भण्डारण	71–88
8.	शिक्षा एवं आई टी	89–109
9.	स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास	110–127
10.	पंचायती राज तथा ग्रामीण एवं शहरी विकास	128–141
11.	सामाजिक क्षेत्र	142–165
12.	योजना नीति एवं समीक्षा	166–170
	अनुलग्नक	171–177

***

हरियाणा एक दृष्टि में

क्र.सं.	मदें	अवधि/वर्ष	इकाई	स्थिति
1	**भौगोलिक क्षेत्र**		वर्ग कि.मी.	44,212
2	**प्रशासनिक ढांचा**	मार्च, 2015	संख्या	
	(क) मण्डल			4
	(ख) जिले			21
	(ग) उप–मण्डल			62
	(घ) तहसीलें			83
	(ड़) उप–तहसीलें			47
	(च) खण्ड			126
	(छ) कस्बे	जनगणना 2011		154
	(ज) गांव (गैर आबाद सहित)	जनगणना 2011		6,841
3	**जनसंख्या**	जनगणना 2011	संख्या	
	(क) कुल			2,53,51,462
	(ख) पुरूष			1,34,94,734
	(ग) स्त्रियाँ			1,18,56,728
	(घ) ग्रामीण ग्रामीण जनसंख्या (प्रतिशत)			1,65,09,359 65.12
	(ड़) शहरी			88,42,103
	(च) जनसंख्या घनत्व		प्रति वर्ग कि.मी.	573
	(छ)साक्षरता दर पुरूष . स्त्री . कुल .		प्रतिशत	84.06 65.94 75.55
	(ज) लिंग अनुपात		हजार पुरूषों पर स्त्रियां	879
4	**स्वास्थ्य आंकड़े**	2013	प्रति हजार	
	(क) जन्म दर			
	(i) इक्टठी			21.3
	(ii) ग्रामीण			22.4
	(iii) शहरी			19.0
	(ख) मृत्यु दर			
	(i) इक्टठी			6.3
	(ii) ग्रामीण			6.7
	(iii) शहरी			5.3
	(ग) बाल मृत्यु दर		प्रति हजार	
	(i) इक्टठे			41
	(ii) ग्रामीण			44
	(iii) शहरी			32
	(घ) मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.)	2007–09	1 लाख जीवित जन्म के ऊपर मृत्यु	153

क्र.सं.	मदें	अवधि / वर्ष	इकाई	स्थिति
5	**भूमि उपयोग**			
	(क) वनों के अधीन क्षेत्र	2014–15	प्रतिशत	4.00
	(ख) निवल बोया गया क्षेत्र	2013–14	हजार हैक्टेयर	3,497
	(ग) एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र			2,974
	(घ) कुल बोया गया क्षेत्र			6,471
	(ड़) कुल भौगोलिक क्षेत्र का निवल बोया गया क्षेत्र		प्रतिशत	79.09
	(च) निवल बोया गया क्षेत्र का एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र			85.04
6	**चालू जोतें**	2010–11 कृषि गणना		
	(क) चालू जोतों की संख्या		संख्या	16,17,311
	(ख) चालू जोतों के अधीन क्षेत्र		हजार हैक्टेयर	3,646
	(ग) जोतों का औसत आकार		हैक्टेयर	2.25
7	**विद्युत**	2014–15		
	(क) लगाई गई कुल उत्पादन क्षमता		मेगावाट	11,102
	(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध विद्युत		लाख किलोवाट	4,38,956
	(ग) बेची गई विद्युत		लाख किलोवाट	3,19,972
	(घ) बिजली उपभोक्ता		संख्या	55,62,019
8	**राज्य आय (चालू कीमतों पर)**	2014–15 (द्रुत अनुमान)	करोड़ रूपये	
	(क) सकल राज्य घरेलू उत्पाद			4,41,864
	(ख) कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद			79,902
	(ग) उद्योग क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद			1,22,639
	(घ) सेवा क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद			2,01,445
9	(ड़) राज्य की प्रति व्यक्ति आय		रूपये	1,50,260
	योजना परिव्यय		करोड़ रूपये	
	12वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय (प्रस्तावित)	2012–17		*1,76,760
	वार्षिक योजनाएं :-			
	वार्षिक योजना परिव्यय	2015–16		24,870.87

* पी.एस.यू. एवं स्थानीय निकायों का परिव्यय शामिल है

***

1

हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य

हरियाणा ने अपने गठन के समय से ही कुछ अवधि को छोड़कर अदभुत आर्थिक विकास किया है। यद्यपि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा सा राज्य है, परन्तु 2014–15 के द्रुत अनुमानों के अनुसार राज्य ने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर (2011–12) कीमतों पर 3.5 प्रतिशत का योगदान दर्ज किया है।

राज्य सकल घरेलू उत्पाद

1.2 अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करता है। वर्ष 2015–16 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, चालू कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4,92,656.90 करोड रूपये दर्ज किया गया जोकि पिछले साल की तुलना में 11.5 प्रतिशत की वृद्वि को दर्शाता है। वर्ष 2015–16 में वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2011–12) पर 8.2 प्रतिशत की वृद्वि से 3,96,642.67 करोड रूपये पहुंचने की उम्मीद है। वर्ष 2013–14 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनन्तिम अनुमान चालू कीमतों पर 3,95,747.73 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2014–15 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के द्रुत अनुमान चालू कीमतों पर 4,41,864.24 करोड़ रूपये अनुमानित किए गए जोकि 11.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2013–14 में स्थिर (2011–12) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनन्तिम अनुमान 3,39,491.35 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2014–15 में द्रुत सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान 3,66,584.10 करोड़ रूपये अनुमानित किए गए, जोकि 8.0 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद चालू तथा स्थिर (2011–12) कीमतों पर **तालिका 1.1** में जबकि इसमें वास्तविक वृद्धि **तालिका 1.2** में दर्शायी गई है।

तालिकाः 1.1– हरियाणा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद

(करोड़ रूपयें)

वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	
	चालू भावों पर	स्थिर भावों (2011–12) पर
2011–12 (अ:)	300755.57	300755.57
2012–13 (अ:)	350406.61	321620.78
2013–14 (अ:)	395747.73	339491.35
2014–15 (द्रु:)	441864.26	366584.10
2015–16 (अग्रिम)	492656.90	396642.67

अ.: अन्तिम अनुमान, द्रु.अ.: द्रुत अनुमान, अग्रः अग्रिम अनुमान
स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

1.3 वर्ष 2012–13 के दौरान वास्तविक सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि 7.0 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2013–14 के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धन गिरकर 5.5 प्रतिशत हुआ जिसका मुख्य कारक उद्योग क्षेत्र की धीमी वृद्धि दर (2.8 प्रतिशत) माना गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान कृषि तथा कृषि सहबद्ध क्षेत्र में 0.7 प्रतिशत की ऋणात्मक व उद्योग क्षेत्र में कम वृद्धि (5.9 प्रतिशत) होने के बावजूद सकल राज्य मूल्य वर्धन में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जोकि सेवा क्षेत्र में अधिक (11.5 प्रतिशत) वृद्धि के कारण सम्भव हुई। वर्ष 2015–16 के दौरान कृषि एवं कृषि सहबद्ध क्षेत्र में 1.4 प्रतिशत की धीमी वृद्धि के बावजूद सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत दर्ज की गई जिसका मुख्य कारण 9.6 प्रतिशत व 8.2 प्रतिशत ऊंची वृद्धि क्रमशः सेवा क्षेत्र व उद्योग क्षेत्र के कारण प्राप्त हुई (**तालिका 1.2 तथा आकृति 1.1**)।

तालिका 1.2–सकल राज्य मूल्य वर्धन में वृद्धि दर स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

(प्रतिशत)

क्षेत्र	**2012–13 (अ.)**	**2013–14(अ.)**	**2014–15(द्रु.)**	**2015–16 (अग्र.)**
फसलें और पशुपालन	**-2.0**	**3.6**	**-0.7**	**1.5**
वानिकी तथा लोगिंग	-3.2	-2.5	-2.7	-2.7
मत्स्य	5.2	-5.3	5.3	14.1
कृषि तथा कृषि सहबद्ध क्षेत्र	**-2.0**	**3.1**	**-0.7**	**1.4**
खनन एवं उत्खनन	**-23.4**	29.3	-20.2	153.9
विनिर्माण	19.2	2.7	6.3	9.5
बिजली, गैस एवं जल आपूर्ति व अन्य सेवाएं	-1.9	1.7	13.5	13.8
निर्माण	-7.2	3.1	4.1	3.7
उद्योग क्षेत्र	**9.4**	**2.8**	**5.9**	**8.2**
व्यापार, परिवहन, संचार भंडारण	7.9	6.9	8.1	7.2
वित्त, भू–सम्पदा एवं व्यवसायिक सेवाएं	13.0	11.8	12.4	12.0
सार्वजनिक प्रशासन	4.7	0.2	16.5	8.1
अन्य सेवाएं	9.4	5.7	19.2	9.4
सामुदायिक एवं निजी सेवाएं	7.7	3.7	18.3	9.0
सेवा क्षेत्र	**10.0**	**8.5**	**11.5**	**9.6**
कुल सकल मूल्य संवर्धन	**7.0**	**5.5**	**7.2**	**7.6**
कुल सकल घरेलू उत्पाद	**6.9**	**5.6**	**8.0**	**8.2**

अः अन्तिम अनुमान द्रु.: द्रुत अनुमान, अग्र.: अग्रिम अनुमान,
स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

आकृति 1.1– हरियाणा के सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर (2011-12) भावों पर वृद्धि

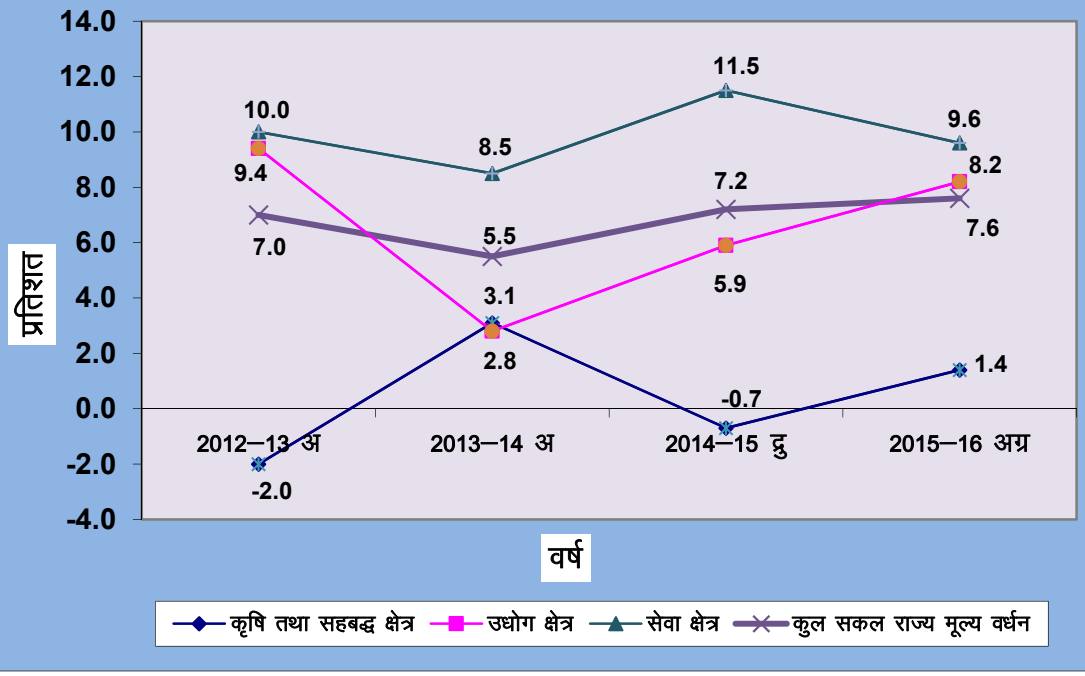

आकृति 1.2– हरियाणा के सकल राज्य मूल्य वर्धन की क्षेत्रानुसार संरचना में परिवर्तन

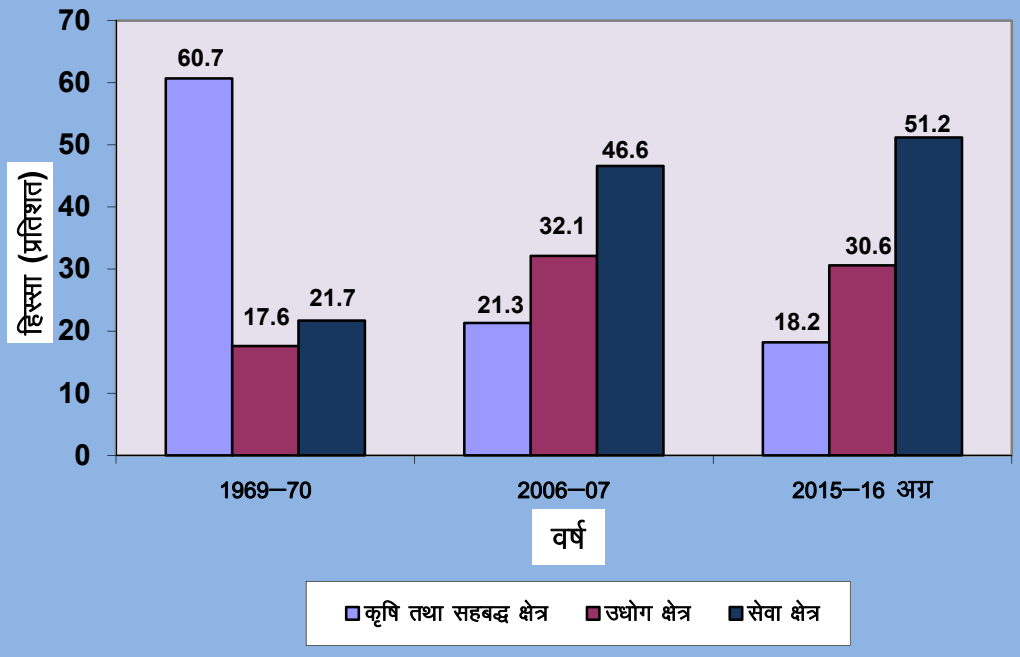

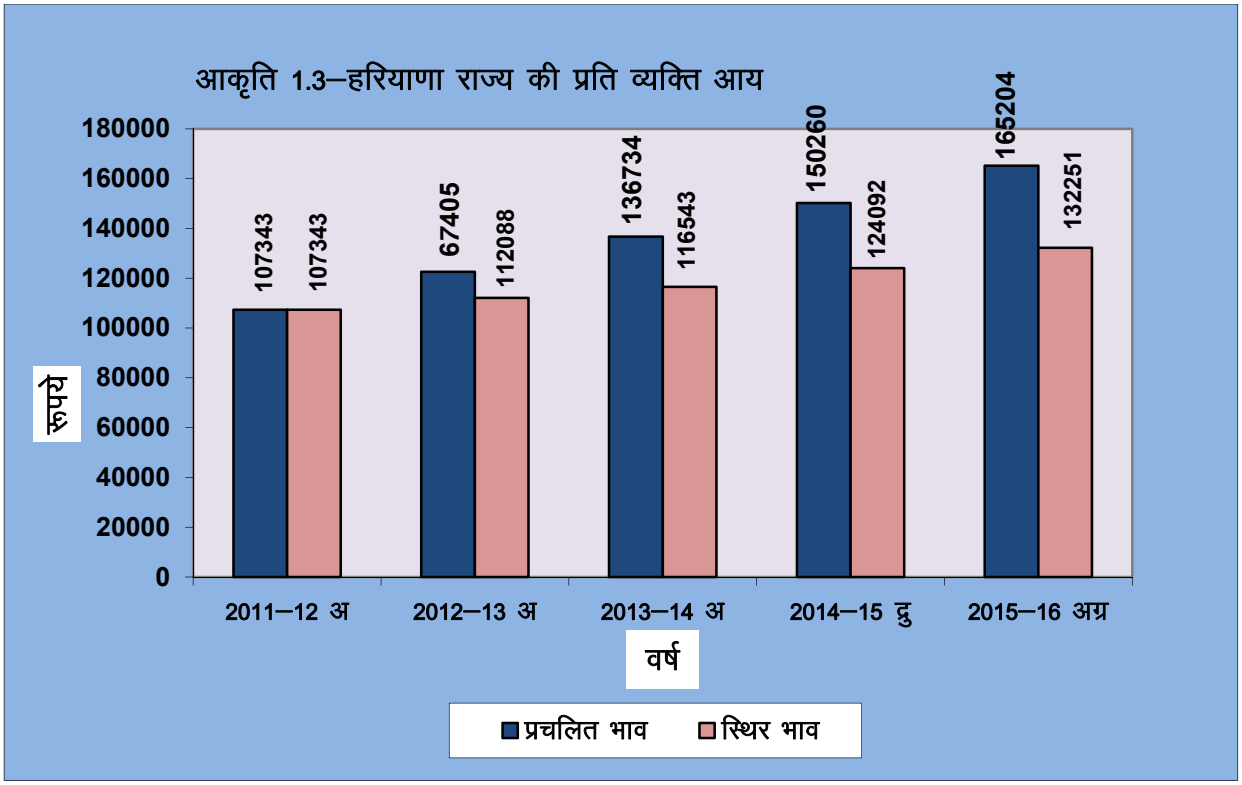
आकृति 1.3–हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
रूपये
107343
107343
67405
112088
136734
116543
150260
124092
165204
132251
2011–12 अ
2012–13 अ
2013–14 अ
2014–15 द्रु
2015–16 अग्र
वर्ष
प्रचलित भाव
स्थिर भाव

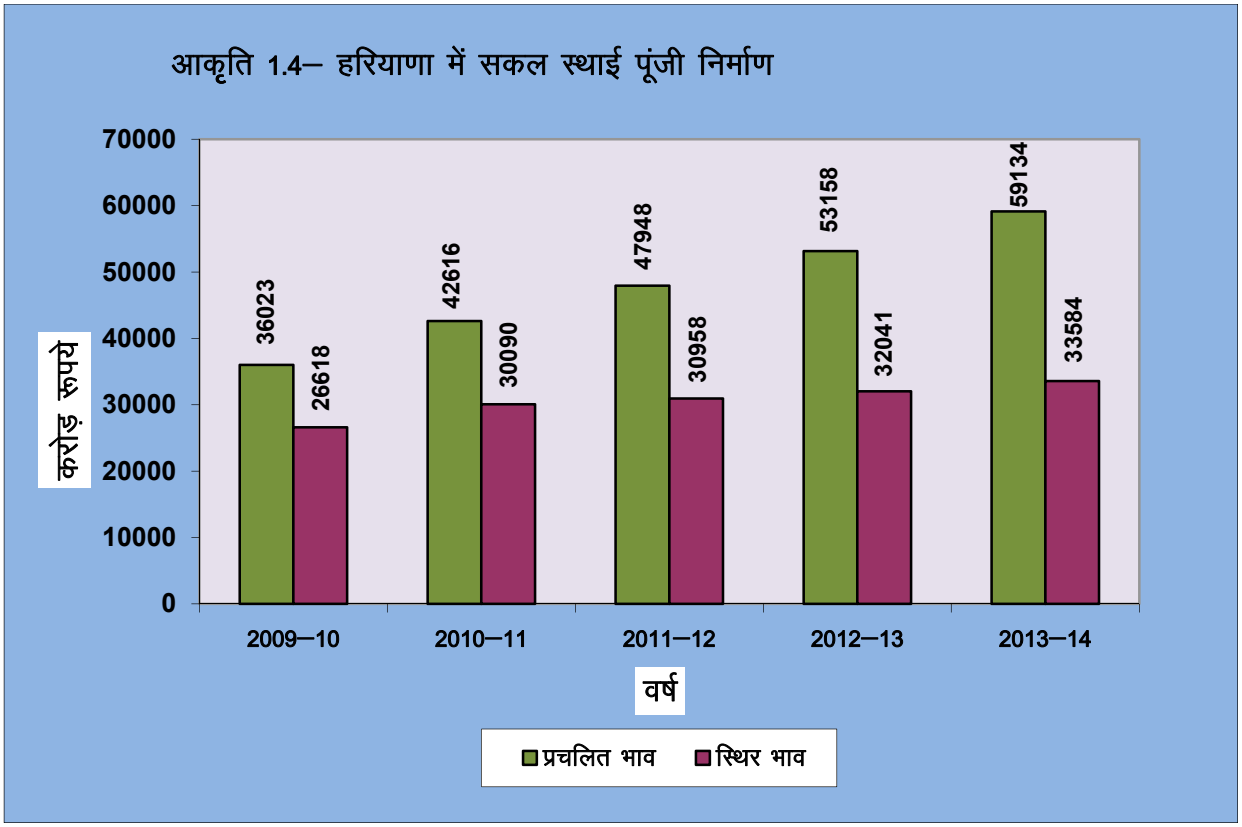
आकृति 1.4– हरियाणा में सकल स्थाई पूंजी निर्माण
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
करोड़ रूपये
36023
26618
42616
30090
47948
30958
53158
32041
59134
33584
2009–10
2010–11
2011–12
2012–13
2013–14
वर्ष
प्रचलित भाव
स्थिर भाव

राज्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन

1.4 हरियाणा राज्य के गठन के समय, राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरूआती वर्ष (1969–70) में स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और सहबद्ध क्षेत्र (कृषि, वन एवं मत्स्य पालन) का सबसे अधिक योगदान (60.7 प्रतिशत) इसके बाद सेवा (21.7 प्रतिशत) तथा उद्योग (17.6 प्रतिशत) क्षेत्र का योगदान रहा है। उस समय, कृषि क्षेत्र की प्रधानता अर्थव्यवस्था की विकास दर की अस्थिरता का मुख्य कारण थी जो कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव के कारण हुई। इसके बाद, राज्य अर्थव्यवस्था का विविधिकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में झुकाव शुरू हुआ और जो बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में सफलतापूर्वक जारी रहा।

1.5 चौथी और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य के 37 वर्षों (1969–70 से 2006–07) की अवधि के दौरान उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों ने कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की वृद्वि दर की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की जिसके कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अंश में वृद्धि हुई तथा कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश कम हुआ। कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश 1969–70 में 60.7 प्रतिशत से घटकर 2006–07 में 21.3 प्रतिशत रह गया जबकि उद्योग क्षेत्र का अंश 1969–70 में 17.6 प्रतिशत से बढ़कर 2006–07 में 32.1 प्रतिशत हो गया और सेवा क्षेत्र का अंश इसी अवधि के दौरान 21.7 प्रतिशत से बढ़कर 46.6 प्रतिशत हो गया।

1.6 11वीं पंचवर्षीय योजना व उसके बाद की अवधि के दौरान, राज्य अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन की गति ज्यों की त्यों जारी रही। इस अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र के मजबूत विकास के परिणामस्वरूप वर्ष 2015–16 में राज्य के सकल मूल्य वर्धन में इसका अंश बढकर 51.3 प्रतिशत हो गया जबकि कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों का अंश घटकर 18.2 प्रतिशत रह गया (**आकृति 1.2**)। इस प्रकार, राज्य के सकल घरेलू उत्पादन की रचना में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का अंश लगातार घट रहा हैं तथा सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ रहा हैं।

राज्य की प्रति व्यक्ति आय

1.7 प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद) आर्थिक विकास के साथ–साथ लोगों के जीवन स्तर के आंकलन करने का एक दूसरा महत्वपूर्ण सूचक है। वर्ष 1966–67 के दौरान, चालू कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल 608 रूपये थी। तब से, राज्य की प्रति व्यक्ति आय में कई गुणा वृद्धि हुई है। वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक प्रचलित और स्थिर (2011–12) कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय को **तालिका 1.3** और **आकृति 1.3** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिकाः 1.3–हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय

वर्ष	प्रति व्यक्ति आय (रूपये)	
	चालू भावों पर	स्थिर भावों (2011–12) पर
2011–12 (अः)	107343	107343
2012–13 (अः)	122571	112088
2013–14 (अः)	136734	116543
2014–15 (द्रुः)	150260	124092
2015–16 (अग्रिम)	165204	132251

अ.: अन्तिम अनुमान, द्रु.अ.: द्रुत अनुमान, अग्रः अग्रिम अनुमान
स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

1.8 अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर भावों (2011–12) पर 2014–15 में 1,24,092 रूपये से बढ़कर 2015–16 में 1,32,251 रूपये पंहुचनें की उम्मीद है जोकि वर्ष 2015–16 में 6.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाती है। चालू कीमतों पर, राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014–15 में 1,50,260 रूपये से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 1,65,204 होने की संभावना है जो कि 2015–16 में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।

राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

1.9 अर्थ एवं सांख्यिकीय विशलेषण विभाग, हरियाणा प्रचलित एवं स्थिर (2004–05) भावों पर राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करता है जो **आकृति 1.4** में प्रस्तुत किए गए हैं। चालू कीमतों पर, राज्य के सकल स्थाई पूंजी निर्माण वर्ष 2013–14 के अनुसार 59,134 करोड़ रूपये आंका गया, जबकि वर्ष 2012–13 में यह आंकलन 53,158 करोड़ रूपये था जो 11.2 प्रतिशत की बढ़ौतरी को दर्शाता है। इसी प्रकार, स्थिर (2004–05) कीमतों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण वर्ष 2012–13 के 32,041 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2013–14 में 33,584 करोड़ रूपये का आंकलन किया गया जिसमें 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

***

2

लोक वित्त, बैंकिंग तथा ऋण

भारत वर्ष में हरियाणा एक बहुत ही प्रगतिशील राज्य है। हरियाणा राज्य राजकोषीय सुधार करने और अपना राजकोषीय प्रबन्धन करने के हिसाब से देशभर में प्रथम स्थान पर है। लोक वित्त का सम्बन्ध सरकार द्वारा उन लोगों से कर संग्रहण करना है जो सार्वजनिक माल के उपयोग का लाभ लेते हैं और उस संग्रह किए गए कर का सार्वजनिक माल के निर्माण व वितरण की दिशा में उपयोग करने से है। संसाधन निर्माण, संसाधन वितरण एवं व्यय प्रबन्धन (संसाधन उपयोग) लोक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के आवश्यक घटक हैं। लोक वित्त के दायरे में नामतः तीन घटक सम्मिलित है; संसाधनों का कुशल वितरण, आय का वितरण तथा समष्टि अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण।

2.2 14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक की तय अवधि के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.25 प्रतिशत रखा था। वर्ष 2015–16 के बजट अनुमानों के अनुसार 16,423.58 करोड़ रूपये राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.14 प्रतिशत बनता है तथा इस निर्धारित सीमा के अन्तर्गत आता है। इसी प्रकार, पूर्व निर्धारित सीमा 19.28 प्रतिशत के विरूद्ध वर्ष 2015–16 के बजट अनुमानों अनुसार ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 18.91 प्रतिशत होने का अनुमान है। कुल राजस्व प्राप्तियां सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों अनुसार 10.05 प्रतिशत व वर्ष 2015–16 के बजट अनुमानों अनुसार 10.01 प्रतिशत के लगभग उसी स्तर पर है। इसी प्रकार राज्य के अपने कर राजस्व की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमानों अनुसार 6.5 प्रतिशत व वर्ष 2015–16 के बजट अनुमानों अनुसार 6.4 प्रतिशत के नजदीक स्थिर है।

राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय

2.3 वर्ष 2012–13 से 2015–16 (ब.अ.) तक राज्य की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय को **आकृति 2.1** व **अनुलग्नक 2.1 से 2.3** तक में दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वंय के कर व गैर कर राजस्व के रूप में, केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी व केन्द्रीय सरकार के अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। वर्ष 2015–16 के दौरान, हरियाणा सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 52,312.10 करोड़ रूपये एवं व्यय 61,869.62 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है, जोकि 9,557.52 करोड़ रूपये के घाटे को दर्शाता है। वर्ष 2012–13 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 33,633.53 करोड़ रूपये थी जबकि इसी अवधि में

व्यय 38,071.72 करोड़ रूपये था तथा इस अवधि में 4,438.19 करोड़ रूपये का घाटा हुआ। राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2013–14, में 38,012.08 करोड़ रूपये रही जबकि इसी अवधि में राजस्व व्यय 41,887.10 करोड़ रूपये था जो कि 3,875.02 करोड़ रूपये का घाटा दर्शाता है।

राज्य के स्वयं के स्त्रोत (कर राजस्व एवं गैर–कर राजस्व)

2.4 राज्य के अपने साधनों के मुख्य दो घटक हैं, (1) राज्य की स्वंय कर राजस्व व (2) राज्य की स्वंय गैर–कर राजस्व। राज्य के स्वंय साधनों से राजस्व वर्ष 2012–13 में 28,232.15 करोड़ रूपये से बढ़कर 2015–16 (ब.अ.) में 40,134.79 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। राज्य के स्वंय कर राजस्व वर्ष 2012–13 में 23,559 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में 33,249.40 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जबकि इसी अवधि में गैर–कर राजस्व 4,673.15 करोड़ रूपये से बढ़कर 6,885.39 करोड़ रूपये होने का अनुमान है।

कर

2.5 कुल कर मुख्यतया दो घटकों पर निर्भर है, नामतः i) राज्य का स्वयं कर (ओ.टी.आर.) तथा ii) केन्द्रीय करों में भागीदारी (एस.सी.टी.)। राज्य का कुल कर वर्ष 2012–13 में 26,621.13 करोड़ रूपये (23,559 करोड़ रूपये ओ.टी.आर. + 3,062.13 करोड़ रूपये एस.सी.टी.) से बढ़कर वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में 38,929.40 करोड़ रूपये (33,249.40 करोड़ रूपये ओ.टी.आर. + 5,680 करोड़ रूपये एस.सी.टी.) रहने का अनुमान है। वर्ष 2012–13 से 2015–16 (ब.अ.) तक करों की स्थिति **तालिका 2.1** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.1– राज्य की कर स्थिति

(करोड़ रूपये)

वर्ष	राज्य का स्वयं कर राजस्व	केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	कुल कर
2012–13	23559.00	3062.13	26621.13
2013–14	25566.60	3343.24	28909.84
2014–15 (स.अ.)	29602.75	3800.00	33402.75
2015–16 (ब.अ.)	33249.40	5680.00	38929.40

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान
प्राप्ति स्थानः– स्टेट बजट डाक्यूमेंट

कर राजस्व

2.6 कर राजस्व के विवरण से पता चलता है कि बिक्री कर, कर राजस्व का प्रमुख स्त्रोत है तथा वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में यह 22,821.40 करोड़ रूपये होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2014–15 (स.अ.) में यह 19,930 करोड़ रूपये था। वर्ष 2014–15 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में बिक्री कर में 14.51 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में राज्य उत्पाद

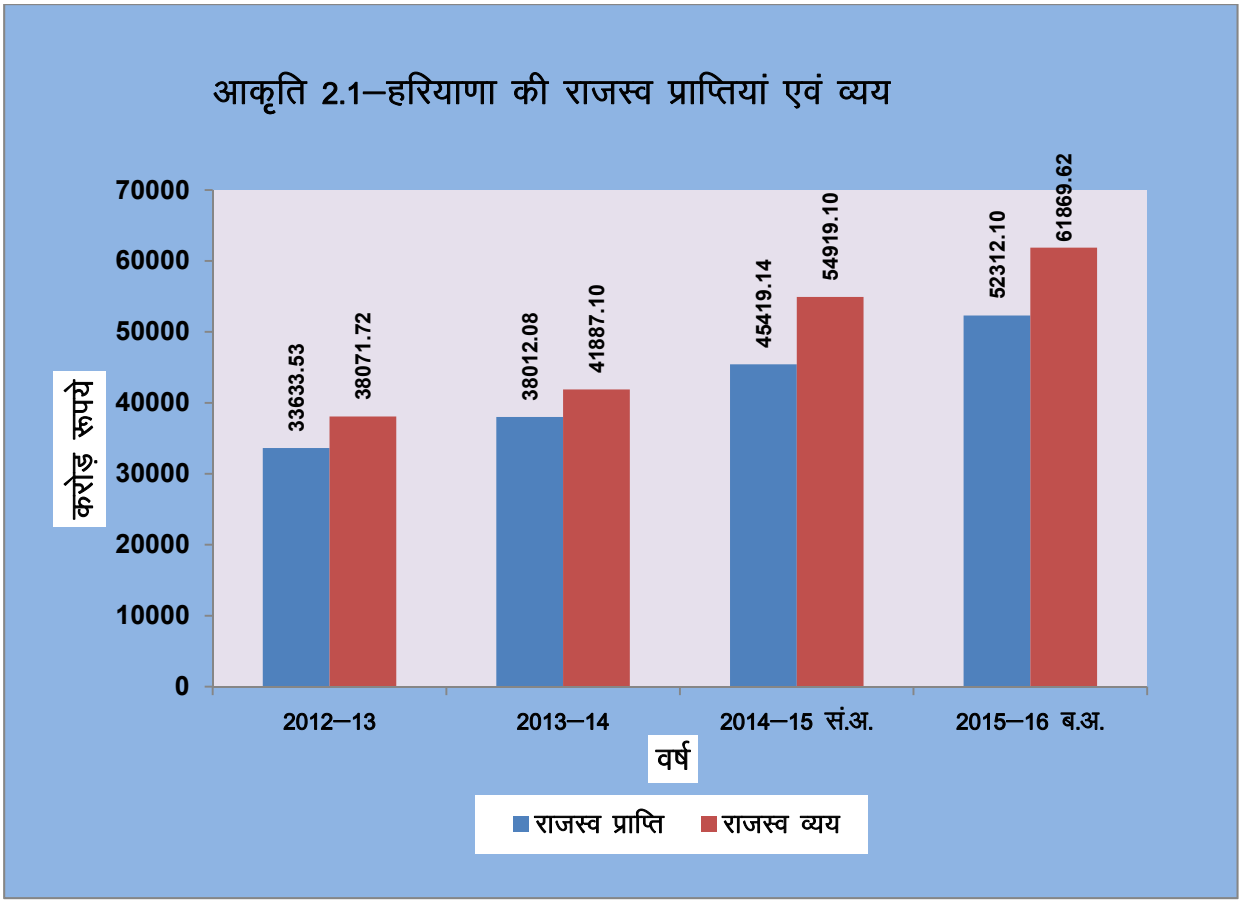
आकृति 2.1–हरियाणा की राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
करोड़ रूपये
33633.53
38071.72
38012.08
41887.10
45419.14
54919.10
52312.10
61869.62
2012–13
2013–14
2014–15 सं.अ.
2015–16 ब.अ.
वर्ष
राजस्व प्राप्ति
राजस्व व्यय

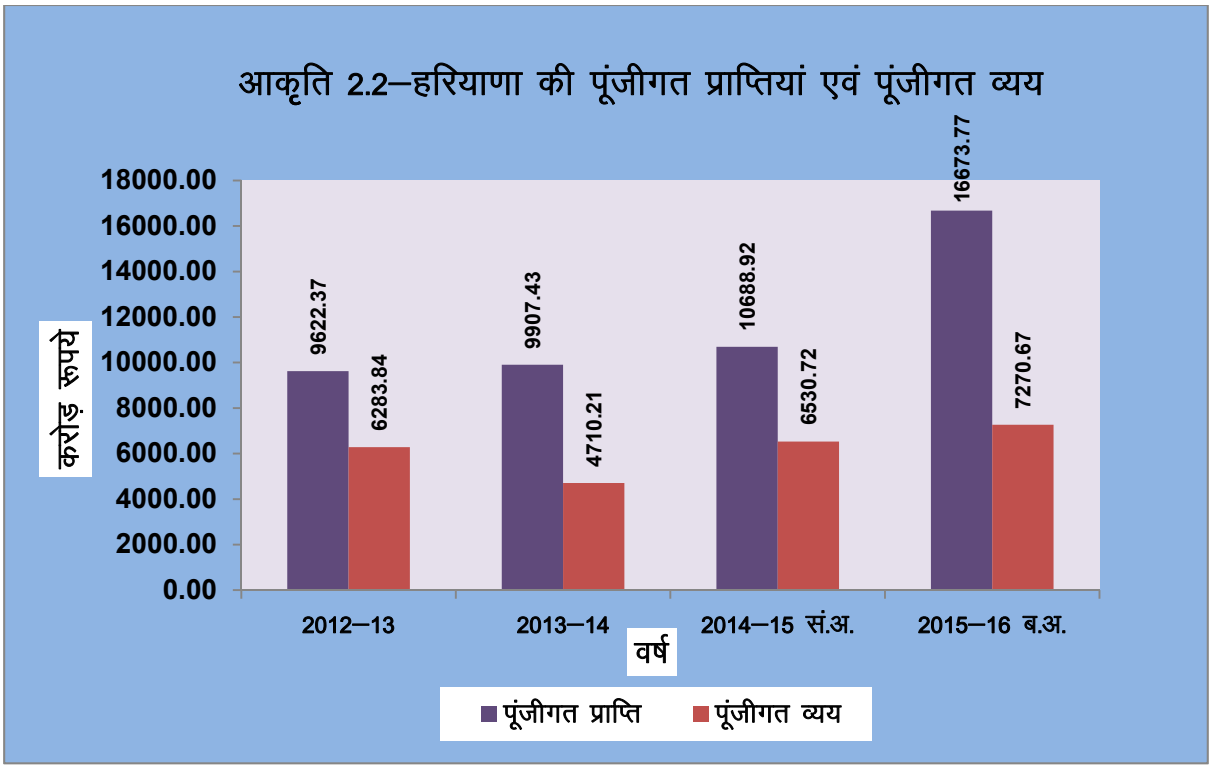
आकृति 2.2–हरियाणा की पूंजीगत प्राप्तियां एवं पूंजीगत व्यय
18000.00
16000.00
14000.00
12000.00
10000.00
8000.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
करोड़ रूपये
9622.37
6283.84
9907.43
4710.21
10688.92
6530.72
16673.77
7270.67
2012–13
2013–14
2014–15 सं.अ.
2015–16 ब.अ.
वर्ष
पूंजीगत प्राप्ति
पूंजीगत व्यय

शुल्क से कर राजस्व में 4,567.50 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2014–15 (स.अ.) में 4,350 करोड़ रूपये थी, जो कि वर्ष 2014–15 (स.अ.) से वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है। कर राजस्व में स्टाम्प व पंजीकरण से वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में 3,600 करोड़ रूपये प्राप्ति का अनुमान है जबकि वर्ष 2014–15 (स.अ.) में इस मद से 3,300 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी **(अनुलग्नक 2.1)**।

केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी

2.7 केन्द्र से हस्तान्तरण मुख्यतया केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, योजना स्कीमों में अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग के पुरस्कार के तहत अनुदान व अन्य गैर–योजना अनुदान के रूप में होती है। राज्य में वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी से कुल सम्भावित प्राप्तियां 5,680 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि यह वर्ष 2014–15 (स.अ.) में 3,800 करोड़ रूपये था जो कि यह दर्शाता है कि केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में वर्ष 2014–15 (स..अ.) की तुलना में 49.47 प्रतिशत की वृद्वि अनुमानित है।

केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान

2.8 राज्य में सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है। केन्द्रीय करों से प्राप्त सराहनीय राशि के अतिरिक्त वित्त आयोग ने राज्यों को विशेष प्रयोजन हेतू सहायता अनुदान की भी सिफारिश की है। राज्य को वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में 6,497.31 करोड़ रूपये सहायता अनुदान के रूप में प्राप्ति का अनुमान है जबकि इसी मद में वर्ष 2014–15 (स.अ.) में यह राशि 6,338.94 करोड़ रूपये थी। इस प्रकार वर्ष 2014–15 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में सहायता अनुदान राशि 2.50 प्रतिशत बढ़ने की सम्भावना है।

तालिका 2.2–राज्य को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(करोड़ रूपये)

वर्ष	प्राप्त राशि
2012–13	2339.25
2013–14	4127.18
2014–15 (स.अ.)	6338.94
2015–16 (ब.अ.)	6497.31

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान
प्राप्ति स्थानः– स्टेट बजट डाक्यूमेंट

पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं पूंजीगत व्यय

पूंजीगत प्राप्तियाँ

2.9 वर्ष 2012–13 से 2015–16 (ब.अ.) तक राज्य की पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय को **आकृति 2..2** तथा **अनुलग्नक 2.1 व 2.2** में दर्शाया गया है। पूंजी प्राप्तियों को तीन भागों में बांटा जाता

है नामतः (1) ऋणों की वसूली (2) विविध पूंजी प्राप्तियाँ एवं (3) लोक ऋण (शुद्ध)। लोकऋण का पूंजी प्राप्तियों में एक प्रमुख योगदान है। पूंजी प्राप्तियाँ वर्ष 2012–13 में 9,622.37 करोड़ रूपये, वर्ष 2013–14 में 9,907.43 करोड़ रूपये, वर्ष 2014–15 (स.अ.) में 10,688.92 करोड़ रूपये हो गई तथा वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में 16,673.77 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है।

पूंजीगत व्यय

2.10 पूंजीगत व्यय में पूंजी परिव्यय एवं उधार ऋण (ऋण और अग्रिम के संवितरण) सम्मिलित होते हैं तथा पूंजीगत व्यय का सम्बन्ध राज्य सरकार की सम्पति निर्माण से है। राज्य का पूंजी व्यय वर्ष 2013–14 में 4,710.21 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2014–15 (स.अ.) में 6,530.72 करोड़ रूपये हो गया तथा वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में 7,270.67 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जैसा कि **अनुलग्नक 2.2** में दर्शाया गया है।

2.11 विकासात्मक कुल व्यय जिसमें सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं जन–स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति एवं सफाई, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, श्रम व रोजगार इत्यादि व आर्थिक सेवाएं जैसे कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, बिजली, उद्योग, परिवहन, ग्रामीण विकास पर खर्च सम्मिलित हैं। वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में विकासात्मक व्यय 48,247.92 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। जबकि वर्ष 2014–15 (स.अ.) में यह 42,545.86 करोड़ रूपये था। इसमें वर्ष 2014–15 (स.अ.) से वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में 13.40 प्रतिशत की वृद्धि की सम्भावना है।

2.12 कुल गैर–विकासात्मक व्यय जिसमें प्रशासनिक सेवाएं, सरकार के अंग, वित्तीय सेवाएं, ब्याज भुगतान, पैंशन व विविध सामान्य सेवाएं सम्मिलित है, पर वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में व्यय का अनुमान 20,679.22 करोड़ रूपये है, जोकि वर्ष 2014–15 (स.अ.) में 18,657.38 करोड़ रूपये था। कुल गैर–विकासात्मक व्यय में वर्ष 2014–15 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में 10.84 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

वित्तीय स्थिति

2.13 वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में होने वाला शुद्ध लेन–देन 19.78 करोड़ रूपये का घाटा दर्शाता है जबकि वर्ष 2013–14 में 817.28 करोड़ रूपये का घाटा था। राजस्व खाते में वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में 9,557.52 करोड़ रूपये के घाटे का अनुमान है। वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में लघु बचतें, भविष्य निधि आदि की निवल जमा 662 करोड़ रूपये का अधिशेष अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2014–15 (स.अ.) में 655 करोड़ रूपये था **(अनुलग्नक 2.3)**।

आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार राज्य सरकार का बजट व्यय

2.14 सरकार के बजट में सामान्यतः व्यय का ब्यौरा विभागावार दिया जाता है ताकि उस पर वैधानिक नियन्त्रण रखा जा सके, प्रशासकीय जवाबदेय हो तथा किसी भी प्रकार के खर्च का

लेखा–परीक्षण हो सके। सरकारी बजटीय लेन–देन तभी अभिप्रायपूर्ण होता है जब उसे अर्थपूर्ण आर्थिक श्रेणी जैसे उपभोग व्यय, पूंजीनिर्माण आदि में वर्गीकृत किया जाये, इसीलिये इसे पुनः चुनने, वर्गीकृत करने तथा श्रेणियों में बांटने का कार्य किया जाता है। मोटे तौर पर बजट को प्रशासनिक विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में बांटा जाता है। प्रशासकीय विभाग सरकारी एजैन्सी हैं जो सरकार की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों को लागू करती हैं जबकि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम अन–इनकारपोरेटिड उद्यम है जिन पर सरकार का स्वामित्व तथा नियन्त्रण होता है तथा यह सीधे तौर पर सरकार द्वारा चलाये जाते हैं।

2.15 बजट का आर्थिक वर्गीकरण जो बजटीय लेन–देन को अर्थ–पूर्ण आर्थिक श्रेणी में बांटता है, के अनुसार 2015–16 (ब.अ.) में कुल व्यय 69,385.02 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2014–15 (स.अ.) में 60,553.81 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में वर्ष 2014–15 (स.अ.) से 14.58 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है **(अनुलग्नक 2.4)**।

2.16 सरकार का उपभोग व्यय वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में 26,305.08 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2014–15 (स.अ.) में 22,171.26 करोड़ रूपये था। उपभोग व्यय में 2015–16 (ब.अ.) में वर्ष 2014–15 (स.अ.) से 18.64 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

2.17 राज्य सरकार की सकल पूंजी निर्माण यानि भवन, सड़कें तथा अन्य निर्माण, वाहन तथा मशीनरी तथा उपकरण की खरीद पर प्रशासकीय विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निवेश वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में 5,565.80 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि वर्ष 2014–15 (स.अ.) में 5,004.82 करोड़ रूपये था, जो कि वर्ष 2015–16 (ब.अ.) में वर्ष 2014–15 (स.अ.) से 11.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सकल पूंजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य सरकार अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में पूंजीगत हस्तान्तरण, अग्रिम कर्जे तथा वित्तीय परिसम्पतियों की खरीद के द्वारा भी पूंजी निर्माण करती हैं जिसे **अनुलग्नक 2.4** में दर्शाया गया है।

संस्थागत वित्त

2.18 संस्थागत वित्त किसी भी प्रकार के विकास कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है। हरियाणा में राज्य सरकार की भूमिका बैंकिग संस्थाओं को कृषि एंव सहबद्ध क्षेत्र, विशेषतया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को अधिक महत्व देने के लिए राजी करना है। वाणिज्यक बैंकों, सहकारी बैंकों और अवधि ऋण संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत वित्त उपलब्ध करवाकर राज्य के बजटीय संसाधनों के भार को कम करना है।

2.19 राज्य में सितम्बर, 2015 को वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 4,348 थी जबकि गत वर्ष 2014 में यह संख्या 4,025 थी। वाणिज्यक बैंकों और ग्रामीण बैंकों की कुल जमा राशि सितम्बर, 2015 में बढकर 2,28,497 करोड़ रूपये हो गई इसी प्रकार राज्य में

कुल अग्रिम ऋणों की राशि सितम्बर, 2015 में बढ़कर 1,83,911 करोड़ रूपये हो गई। राज्य में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिये ऋण जमा अनुपात ऋण प्रवाह का एक महत्वपूर्ण सूचक है। सितम्बर, 2015 में हरियाणा का ऋण–जमा अनुपात मामूली सा घटकर 80 प्रतिशत हो गया जबकि पिछले वर्ष इसी समय यह अनुपात 81 प्रतिशत था।

राज्य वार्षिक ऋण योजना

2.20 राज्य की वार्षिक ऋण योजना वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 88,073.94 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान करने की परिकल्पना की गई। वर्ष 2015–16 के लिए गत वर्ष 2014–15 की तुलना में यह लक्ष्य 14.14 प्रतिशत अधिक है। राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2015–16 के अन्तर्गत सितम्बर, 2015 तक कुल उपलब्धि 40,290 करोड़ रूपये रही जो कि 88,073.94 करोड रूपये के वार्षिक लक्ष्य का 46 प्रतिशत थी **तालिका–2.3** ।

तालिकाः 2.3– वार्षिक ऋण योजना 2015–16

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां (सितम्बर 2015 तक)**	**प्रतिशत उपलब्धियां**
कृषि एवं सहबद्व	58863.59	24995.00	43
कुटीर एवं लघु उद्योग	14934.17	10447.00	70
अन्य प्राथमिक	14276.18	4848.00	34
कुल	**88073.94**	**40290.00**	**46**

स्त्रोतः– संस्थागत वित्त एवं ऋण नियत्रंण विभाग, हरियाणा।

2.21 बैंकों की कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों के लिए ऋण उधार उपलब्धि संतोषजनक है। वार्षिक लक्ष्य 58,863.94 करोड़ रूपये के विरूद्ध इनकी उपलब्धि सितम्बर, 2015 तक 24,995 करोड़ रूपये थी जो वार्षिक लक्ष्य का 43 प्रतिशत है। कुटीर एवं लघु उद्योग क्षेत्र में उपलब्धि काफी संतोषजनक रही। बैंक ने कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए 14,934.17 करेाड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 10,447 करोड़ रूपये जारी किए जो वार्षिक लक्ष्य का 70 प्रतिशत है। अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 14,276.19 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 4,848 करोड़ रूपये जारी किए जो वार्षिक लक्ष्य का 34 प्रतिशत है।

बैंकवार उपलब्धि

वाणिज्यक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2.22 वार्षिक ऋण योजना 2015–16 के अन्तर्गत वाणिज्यक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सितम्बर, 2015 तक 36,449.84 करेाड़ रूपये के त्रैमासिक लक्ष्यों के विरूद्ध 34,201.76 करोड़ रूपये के ऋण दिये गए। वर्ष 2015–16 (सितम्बर, 2015 तक) में वाणिज्यक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण **तालिका 2.4** में दिए गए हैं।

तालिका 2.4– वर्ष 2015–16 में वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां (सितम्बर, 2015 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	22567.19	19719.06	87
कुटीर एवं लघु उद्योग	7337.11	10238.42	140
अन्य प्राथमिक	6545.54	4244.28	65
कुल	**36449.84**	**34201.76**	**94**

स्त्रोतः– संस्थागत वित्त एवं ऋण नियत्रंण विभाग, हरियाणा।

2.23 वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सबसे अधिक 19,719.06 करोड़ रूपये के ऋण कृषि क्षेत्र को उसके बाद 10,238.42 करोड़ रूपये के ऋण कुटीर एवं लघु क्षेत्र को और 4244.28 करोड़ रूपये के ऋण अन्य प्राथमिक क्षेत्र को प्रदान किये गये। फिर भी, लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धियों की प्रतिशतता सबसे अधिक 140 प्रतिशत कुटीर एवं लघु उद्योग क्षेत्र की उसके बाद 87 प्रतिशत कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र तथा 65 प्रतिशत अन्य प्राथमिक क्षेत्र की रही।

सहकारी बैंक

2.24 सितम्बर, 2015 तक हरियाणा राज्य सहकारी बैंकों ने 6,565.23 करोड़ रूपये के त्रैमासिक लक्ष्यों के विरूद्ध 5,893.07 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 90 प्रतिशत है क्षेत्रवार ब्यौरा **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5– वर्ष 2015–16 में सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां (सितम्बर 2015 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	5952.46	5193.51	87
कुटीर एवं लघु उद्योग	214.99	100.17	47
अन्य प्राथमिक	397.78	599.39	151
कुल	**6565.23**	**5893.07**	**90**

स्त्रोतः– संस्थागत वित्त एवं ऋण नियत्रंण विभाग, हरियाणा।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

2.25 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने 245.71 करोड़ रूपये के त्रैमासिक लक्ष्यों के विरूद्ध 89.94 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 37 प्रतिशत है। वर्ष 2015–16 में एचएससीएआरडीबी की क्षेत्रवार उपलब्धि **तालिका 2.6** में दी गई है।

तालिका 2.6– वर्ष 2015–16 में एच.एस.सी.ए.आर.डी. बी. के द्वारा दिए गए क्षेत्रवार अग्रिम ऋण

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां (सितम्बर 2015 तक)	प्रतिशत
कृषि एवं सहबद्व	205.04	82.66	40
कुटीर एवं लघु उद्योग	12.47	3.67	29
अन्य प्राथमिक	28.20	3.61	13
कुल	**245.71**	**89.94**	**37**

स्त्रोतः– संस्थागत वित्त एवं ऋण नियत्रंण विभाग, हरियाणा।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

2.26 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सितम्बर, 2015 तक 140 करोड़ रूपये के त्रैमासिक लक्ष्यों के विरूद्ध 105.07 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 75 प्रतिशत है। क्षेत्रवार ब्यौरा **तालिका 2.7** में दिया गया है।

तालिका 2.7– वर्ष 2015–16 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा दिये गये अग्रिम ऋण

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां (सितम्बर 2016 तक)	प्रतिशत
कृषि एवं सहबद्व	–	–	–
कुटीर एवं लघु उद्योग	140.00	105.07	75
अन्य प्राथमिक	–	–	–
कुल	**140.00**	**105.07**	**75**

स्त्रोतः– संस्थागत वित्त एवं ऋण नियत्रंण विभाग, हरियाणा।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक

2.27 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना 1 नवम्बर, 1966 को हुई थी। बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे, अब इनकी संख्या बढकर 76 हो गई है इन प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको को 19 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको में वर्ष 2008 में समामेलित कर दिया गया और तहसील व उप–तहसील स्तर पर कार्यरत सभी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इन जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको की शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं।

2.28 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड ने 1–4–2015 से 31–1–2016 तक 156.07 करोड़ रूपए के अग्रिम ऋण दिए गये, जबकि वार्षिक लक्ष्य 250 करोड़ रूपए था; यह राशि वार्षिक लक्ष्य का 62.43 प्रतिशत है। वर्ष 2015–16 में हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के क्षेत्रवार दिये गये ऋण उपलब्धियों का विवरण **तालिका 2.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8– हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0 की क्षेत्रवार उपलब्धियां

(करोड रूपये)

क्रं0स0	क्षेत्र/स्कीम	अनुमानित लक्ष्य वर्ष 2015–16	ऋण उपलब्धियाँ 1–4–2015 से 31–1–2016 तक
1	लघु सिंचाई	56.25	62.10
2	कृषि मशीनीकरण	15.62	6.21
3	भूमि विकास	25.00	22.62
4	डेयरी विकास पशुगृह सहित	15.62	10.39
5	बागवानी एवं कृषि वानिकी	15.63	17.33
6	ग्रामीण आवास योजना	21.88	7.56
7	गैर कृषि क्षेत्र	25.00	20.88
8	भूमि खरीदने हेतु	15.63	3.20
9	ग्रामीण भण्डारण	3.12	0.06
10	अन्य	56.25	5.72
कुल		**250.00**	**156.07**

स्त्रोतः– हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।

2.29 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0 द्वारा निम्नलिखित योजनाएं आरम्भ की गई हैः–

1. ग्रामीण आवास योजना;
2. कृषि भूमि की खरीद;
3. कम्मबाईन हारवैस्टर;
4. स्ट्रा–रीपर;
5. स्ट्राबैरी की खेती;
6. स्वयं रोजगार हेतु वाणिज्यिक डेयरी;
7. कृषि स्नातको के लिए कृषि–क्लीनिक व कृषि–व्यापार केन्द्र स्थापित करने हेतू;
8. किसानों को दो पहिया वाहन हेतु ऋण देना;
9. पशुगृह स्कीम;
10. औषधिय एवं सुगन्धित पौधो के लिए ऋण;
11. सामुदायिक भवननिर्माण हेतु ऋण;
12. ग्रामीण भण्डारण योजना;
13. ग्रामीण शिक्षा के लिए ढांचागत संरचना विकास;
14. विवाह सामारोह स्थल, सभी प्रकार की सूचना एवमं प्रौधोगिकी सम्बन्धित कियाएं व अन्य सेवाएं।
15. बैंक ने बेकार बन्द टयूबवैलो की जगह नए समर्सिबल टयूबवैल लगवाने हेतु नई स्कीम चालू की गई है।
16. जैविक खाद तैयार करने हेतु ऋण।

2.30 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवमं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किसानों के व्यापक हित के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

1. कृषि हेतु जमीन खरीदने के लिए ऋण की राशि 1.00 लाख रू0 से बढाकर 10.00 लाख रू0 कर दी गई है;
2. धरोवर राशि के लिए खेती की जमीन का मूल्य नवीनतम विक्रय आंकड़ों के आधार पर प्रर्याप्त मात्रा में बढ़ा दिया गया है;
3. किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए, ट्रैक्टर की कीमत के ढेड़ गुणा राशि की भूमि को रहन किया जाता है;
4. दो लाख रू0 तक के ऋण के लिए तृतीय पार्टी भुगतान खत्म कर दिया गया है;
5. गैर कृषि क्षेत्र ऋण हेतु तृतीय पार्टी की कृषि भूमि व वाणिज्यिक सम्पति को भी रहन रखने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई;
6. राज्य सरकार ने 15 अक्तूबर, 2003 से कृषि से सम्बन्धित कार्यो के लिए सहकारी ऋण लेने पर भूमि रहन करने के लिए स्टाम्प शुल्क समाप्त कर दिया है;
7. राज्य सरकार द्वारा हरियाणा सहकारी सोसायाटिज अधिनियम, 1984 के अर्न्तगत प्रावधान 104 को समाप्त कर दिया गया है और तब से एक भी किसान को बैंक द्वारा गिरफ्तार नही किया गया है।

ब्याज दर

2.31 बैंक ने 21–1–2016 से सभी परम उधारकर्ताओं से वसूल किये जाने वाले ब्याज की वार्षिक दर 13 प्रतिशत पुनः स्थापित कर दी है। इससे पहले, यह ब्याज दर 14 से 15 प्रतिशत वार्षिक थी। जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का मुनाफा 2.5 प्रतिशत वार्षिक जबकि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने अपना मुनाफा 1.50 प्रतिशत वार्षिक रखा है।

समय पर ऋण अदा करने पर ब्याज माफी प्रोत्साहन योजना

2.32 राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में समय पर ऋण अदा करने पर ब्याज माफी प्रोत्साहन योजना का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

- वर्ष 2009 में राज्य सरकार द्वारा समय पर ऋण वापस करने वाले ऋणियों के लिये ब्याज राहत योजना के अन्तर्गत 3 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ 31–12–2009 तक 17,951 किसानों को 5.66 करोड़ रूपये की ब्याज में राहत प्रदान की गई।
- इस योजना को 5 प्रतिशत ब्याज राहत के साथ आगे 31–3–2018 तक बढ़ा दिया गया है जिसमें 1,24,671 ऋणी किसानों को 82.38 करोड़ रूपये की राशि ब्याज राहत के रूप 1–1–2010 से 24–8–2014 तक प्रदान की जा चुकी है।
- इस योजना में 25–8–2014 से ब्याज की दर सहमति से ब्याज में दिये जाने वाले फायदे को बढाकर 5 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक कर दिया था। इस योजना के तहत 25–8–2014 से 31–12–2015 तक 28,477 ऋणी किसानों को 26.48 करोड़ रूपये का लाभ प्रदान किया गया है।

वसूली सम्बन्धित प्रोत्साहन योजना (एक मुश्त योजना) – 2013

2.33 यह योजना जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के उन चूककर्ता ऋणियों के लिये लागू की गई है जो अपने मूलधन की किस्तों एवं ब्याज का भुगतान निश्चित कारणों से 30–6–2013 तक नही कर सके। इस योजना के नियमानुसार, कोई भी चूककर्ता ऋणी 30–6–2013

तक के कुल ब्याज दायित्व बकाया ब्याज राशि सहित 50 प्रतिशत छूट का अधिकारी होगा जिसका भुगतान हरियाणा सरकार द्वारा किया जायेगा। 2 प्रतिशत वार्षिक दर से लगाया गया दंडस्वरूप ब्याज 50:50 के अनुपात में जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक व हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। यह योजना भूमि खरीदने पर लिये गए ऋण को छोड़कर बाकि सभी उद्देश्य के ऋणों पर लागू होती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या दिनांक 10–11–2013 से 15–1–2016 तक 34,247 है और लाभान्वित राशि 93.53 करोड़ रूपये अनुमानित रही। दंडस्वरूप ब्याज 24.61 करोड़ रूपए माफ किया गया। 30–1–2016 से यह स्कीम बंद हो चुकी है।

हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड

2.34 हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड राज्य की अर्थ–व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है व राज्य के किसानों, ग्रामीण दस्तकारों, कृषि मजदूरों, उद्मियों इत्यादि को ऋण प्रदान करता है तथा पिछले 49 वर्षों से अपने जमाकर्ताओं के लिए सेवारत है। लघु अवधि के लिए सहकारिता ऋण ढांचा तीन स्तर पर कार्यरत है जिसमें राज्य स्तर पर हरको बैंक, जिसकी चण्डीगढ़ व पंचकूला में 13 शाखाएं हैं व 2 विस्तार काउंटर हैं तथा जिला मुख्यालयों पर 19 केन्द्रीय सहकारी बैंक अपनी 594 शाखाओं व, 697 प्राथमिक कृषि ऋण समितियॉ के साथ 31.26 लाख सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती हैं जिनमें से अधिकतम हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं।

2.35 हरियाणा राज्य सहकारी बैंक ने नवम्बर, 1966 में छोटे बैंक के रूप में कार्य आरम्भ किया था जोकि अब एक बकाया ऋण पात्रों की मजबूत वित्तीय संस्था के रूप में विकसित हो चुका है। हरियाणा राज्य सहकारी बैंक की कार्य क्षमता देश के सहकारिता बैंक में सबसे अच्छी मानी गई है। 31–12–2015 तक इस बैंक की कार्यशील पूंजी 7,741.49 करोड़ रूपये **तालिका 2.9** है ।

तालिका – 2.9 हरको बैंक की वित्तीय स्थिति

(करोड रूपये)

क्र0सं0	**विवरण**	**2010–11**	**2011–12**	**2012–13**	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16 (दि0, 2015 तक)**
1.	हिस्सा पूंजी	79.18	101.74	114.31	119.10	132.61	134.16
2.	निजि कोष	456.28	494.64	524.29	538.12	566.45	567.94
3.	अमानतें	2025.21	2130.90	2375.82	2057.34	2179.55	2770.65
4.	उधार राशि	2528.91	3404.41	3655.23	3941.97	4425.04	3987.43
5.	ऋण दिये	3764.48	4676.69	4909.01	5627.14	6748.60	5324.64
6.	बकाया ऋण	3738.89	4515.33	4962.42	5184.58	5904.08	6175.24
7.	लाभ	5.01	18.69	30.21	21.98	16.23	.
8.	वसूली (%)	99.94	99.95	99.96	99.95	99.95	.
9.	अतिदेय व ऋण अनुपात (%)	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	.
10.	एन.पी.ए. (%)	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	.
11.	कार्यशील पूंजी	5051.04	6070.63	6620.72	6604.68	7245.08	7741.49

स्त्रोतः– हरको बैंक।

2.36 केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम ऋणों की (फसलवार) तुलनात्मक स्थिति **तालिका 2.10** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.10– केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा फसलवार अग्रिम ऋण

(i) खरीफ फसल:- **(करोड रूपये)**

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2014	3880.00	195.00	4075.00	3782.23	137.83	3920.06
2015	4194.00	201.00	4395.00	4376.96	211.16	4588.12

(ii) रबी फसलः–

(करोड रूपये)

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2014–15	4175.00	305.00	4480.00	4310.25	250.59	4560.84
2015–16	4483.00	305.00	4788.00	3389.95	352.19	3742.14 (15–1–2016 तक)

स्त्रोतः– हरको बैंक।

2.37 राज्य में अपैक्स बैंक 19 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 10 सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्वीकृत सीमा एवं उसकी उपयोगिता की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

(करोड रूपये)

वर्ष	स्वीकृत सीमा	अपैक्स बैंक से सी.सी.बी. द्वारा उपयोगिता सीमा	सी.सी.बी. से चीनी मिल की उपयोगिता सीमा (अधिकतम अन्य स्त्रोत वर्ष के दौरान)
2013–14	597.80	120.00	503.88
2014–15	822.00	214.00	548.24

स्त्रोतः– हरको बैंक।

रिवोल्विंग कैश क्रेडिट एवं डिपोजिट गारंटी स्कीम

2.38 किसानों के हितों के लिए दिसम्बर, 2015 तक 13.20 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं। किसानों की सभी प्रकार की गैर–कृषि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिवोल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत 6 लाख रूपये तक की सीमा निर्धारित की गई है। ग्रामीण निवासियों के हित के लिए 1 नवम्बर, 2005 से पैक्स के लिए जमा राशि गारन्टी योजना आरम्भ की गई। सदस्यों के 50 हजार रूपये तक जमा होने पर, इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा उनकी गारन्टी दी जाती है।

अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना हेतु पुनरूद्धार पैकेज का कार्यान्वयन

2.39 अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के पुनरूद्धार हेतु राज्य सरकार ने वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों को मानते हुये भारत सरकार व नाबार्ड के साथ दिनांक 20–2–2007 को एक आश्य पत्र हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत पैक्स का विशेष लेखा परीक्षा की गई। पैक्स के लिए पुनरूद्धार पैकेज़ 701.72 करोड़ रूपये (633.80 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार का हिस्सा + 29 करोड़ रूपये राज्य सरकार का हिस्सा + 38.92 करोड़ रूपये पैक्स का हिस्सा) आंका गया और 19 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 566 समायोजित पैक्स ने अब तक 499.50 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्राप्त कर ली है। शेष राशि 163.30 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार द्वारा दी जानी अपेक्षित है।

भारत सरकार व राज्य सरकार की समय पर ऋण की अदायगी करने वाले प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों हेतु ब्याज राहत योजना

भारत सरकार की ब्याज राहत योजना वर्ष 2014–15

2.40 भारत सरकार द्वारा जिन किसानों ने वर्ष 2014–15 में फसली ऋण लिया और जिन्होंने उसका देय तिथि या उससे पूर्व भुगतान किया उन्हें 3 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज में राहत प्रदान की गई। इस प्रकार समय पर फसली ऋणों का भुगतान करने वाले किसानों के लिए 1–4–2009 से प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में समय पर अदायगी करने वाले 90,480 किसानों को 92.11 करोड़ रूपये की ब्याज में राहत प्रदान की गई।

राज्य ब्याज राहत योजना–2014

2.41 हरियाणा सरकार की राज्य ब्याज राहत योजना–2014 के अंतर्गत रबी 2014–15 के लिए राज्य के सहकारी बैंक समय पर भुगतान करने वाले किसानों को शुन्य प्रतिशत पर फसली ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। रबी वसूली सीज़न 2015 के दौरान 4.80 लाख किसानों को 55.29 करोड़ रूपये ब्याज में राहत प्रदान की गई। राज्य सरकार ने खरीफ 2015 व रबी 2015–16 के लिए उक्त स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान फसली ऋणों का समय पर भुगतान करने वाले किसानों को भी 4 प्रतिशत की दर से ब्याज में राहत प्रदान की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत खरीफ 2015 में लिये गये फसली ऋण की समय पर अदायगी करने पर लगभग 65 करोड़ रूपये व रबी 2015–16 में 80 करोड़ रूपये की ब्याज राहत देने का अनुमान है। वर्ष 2015–16 (1-9-2015 से 29–2–2016 रबी फसल) के दौरान लिए जाने वाले फसली ऋण की समय पर अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत की दर से ब्याज में राहत दी जाएगी। इस प्रकार समय पर अदायगी करने वाले किसानों लिए फसली ऋण पर प्रभावी ब्याज दर 0 प्रतिशत होगी।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के ग्रामीण दस्तकारों व छोटे दुकानदारों की अधिकतम ऋण सीमा में बढ़ौत्तरी

2.42 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के ग्रामीण दस्तकारों व छोटे दुकानदार सदस्यों हेतु अधिकतम ऋण सीमा 25,000 रूपये से बढ़ाकर 35,000 हजार रूपये कर दी गई है।

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

2.43 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 'व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना' वर्ष 2009 से लागू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों का मात्र 4.58 रूपये के अंशदान पर 50 हजार रूपये तक का बीमा किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड धारक को मात्र 1.58 रूपये का अंशदान देना है तथा शेष 3 रूपये का अंशदान केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वहन किया जायेगा।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों हेतु वसूली से जुड़ी प्रोत्साहन योजना –2013

2.44 प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों हेतु वसूली से जुड़ी प्रोत्साहन (ओ.टी.एस.) योजना– 2013–राज्य के उन प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए जो अनियत्रिंत कारणवश अपने देय ऋण का समय पर भुगतान नहीं कर सके तथा 31–3–2013 को समिति के डिफाल्टर हो गये, उनको ब्याज में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई। यह योजना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई। इस स्कीम के अंतर्गत फसली ऋण पर किसानों को 31–3–2013 तक 8 प्रतिशत की दर से ब्याज राहत दी गई। मध्यावधि कृषि व गैर कृषि ऋणों पर भी जो 31–3–2013 को अतिदेय थे उन पर भी 50 प्रतिशत की ब्याज राहत प्रदान की गई। योजना की संचालन अवधि 10 नवम्बर, 2013 से 30 जून, 2014 तक थी इस स्कीम के अंतर्गत 34,661 सदस्यों को 17.76 करोड़ रूपये की दावों के विरूद्ध 17.76 करोड़ रूपये की ब्याज में राहत प्रदान की गई है।

सामाजिक सुरक्षा पैंशन/भत्ते योजना/राज्य में निजी चीनी मिलों को ऋण

2.45 सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हरियाणा द्वारा राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पेंशन/भत्ते वितरित करने का कार्य सौंपा गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत इन बैंकों की शाखाओं द्वारा अब तक 3,38,399 पैंशनधारको के बैंक खाते खोले जा चुके हैं और इन खातों के माध्यम से पेंशन वितरित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत मास दिसम्बर, 2015 तक 173.21 करोड़ रूपये वितरित किये जा चुके हैं, जिसके विरूद्ध 1.50 प्रतिशत की दर से 2.60 करोड़ रूपये का कमीशन राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों को अभी तक दिया जाना शेष है। हरियाणा राज्य में हरको बैंक द्वारा गन्ना पिराई सीज़न 2014–15 में गन्ना उत्पादकों के बकाया भुगतान करने के लिए ऋण देने हेतु योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर को 100 करोड़ रूपये व पिकाडली एग्रो इंडस्ट्री भादसों करनाल को 30.82 करोड़ रूपये दिये जा चुके हैं तथा नारायणगढ़ शुगर मिल

लिमिटेड को 45 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त 10 सहकारी शुगर मिलों को पात्रता के आधार पर राज्य के सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2014–15 के पिराई सीज़न में गन्ना उत्पादकों के बकाया भुगतान हेतु 76.58 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किये गये हैं।

कोर बैंकिंग प्रणाली

2.46 अपैक्स बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग प्रणाली लागू कर दी गई है व ऑनलाइन कार्य कर रही है और अपने ग्राहकों को आरटीजीएस/एनईएफटी सेवाएं प्रदान कर रही है। अगले चरण में, एटीएम सुविधा इंटरनेट/मोबाइल बैंकिग इत्यादि सुरक्षित विशेषताओं के साथ प्रदान की जाएगी। अपैक्स बैंक के ग्राहकों को कोर बैंकिंग प्रणाली सॉफ्टवेयर के द्वारा चैक ट्रंकेशन सिस्टम व आंतरिक शाखा लेन–देन सेवाएं प्रदान की जा रही है। ये बैंक रूपये डेबिट और रूपये किसान कार्ड जारी करने की सक्रिय प्रक्रिया में हैं।

2.47 एसएमएस एलर्ट सेवाएं सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही है। सहकारी बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को डीबीटी/एनपीसीआई के माध्यम से सीधे लाभ स्थानांतरण सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

2.48 नकद उधार ऋण की सीमा 50,000 रूपये कार्य आबंटन के विरूद्ध व 1,00,000 रूपये लम्बित बिलों के विरूद्ध श्रम व निर्माण समितियों को और 1,50,000 रूपये वेतनभोगी सहकारी समिति के सदस्यों को प्रदान की जा रही है।

2.49 सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अम्बाला केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम रूपये डैबिट कार्ड व किसान कार्ड सुविधा प्रदान कर रहा है। इस बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को 1,900 एटीएम 'रूपये डैबिट कार्ड' और 100 रूपये किसान कार्ड जारी किये जा चुके हैं।

ऋण पर ब्याज की दरें

2.50 ऋण पर ब्याज की दरें निम्न प्रकार दर्शाई हैं:–

क्रम संख्या	ऋण का विवरण	ब्याज की दर (प्रतिशत)			
		नाबार्ड से राज्य सहकारी बैंक	अपैक्स बैंक से केन्द्रीय सहकारी बैंकों को	केन्द्रीय सहकारी बैंकों से पैक्स को	पैक्स से सदस्यों को
1	2	3	4	5	6
1	फसली ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड लोन	4.50	5.00	5.50	7.00
2	व्यवसायिक व अन्य गतिविधियों हेतु	.	9.00		
3	ग्रामीण दस्तकारों को (निजि कोष)	.	9.00		
5	रिवोल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम	.	10.00		
	लधु अवधि फर्टिलाईजर ऋण		9.00		

6	नोन फार्म फाईनैंस स्कीम	**नाबार्ड से राज्य सहकारी बैंक**	**अपैक्स बैंक से केन्द्रीय सहकारी बैंकों को**
क.	लघु सिंचाईएएस0जी0एस0वाई, एस0जी0जीज0,अनु0जाति अनु0जनजाति कार्य योजना सूखी जमीन की जोत	10.00	10.50
ख	ग्रामीण गोदाम	10.00	10.50
ग	नोन फार्म फाईनैंस; (ए0आर0एफ0)	10.00	10.50

2.51 हरको बैंक की मुख्य ऋण एवं अग्रिम ऋण योजनाएं निम्न प्रकार हैः–

1. फसली ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड) ;
2. सहायक कार्यों के लिए ऋण;
3. रिवोल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम;
4. ग्रामीण दस्तकारों के लिए ऋण;
5. उपभोग ऋण;
6. मध्यावधि प्रायोजित ऋण योजना;
7. फुटकर दुकानदारों के लिए ऋण इत्यादि।

2.52 हरको बैंक द्वारा वित्तपोषित विभिन्न स्वयं रोजगार योजनाएं निम्न प्रकार से हैः–

1. उद्यम ऋण योजना;
2. छोटी सड़क व जल परिवहन ऑपरेटरों के लिए सहायता (एसआरडब्ल्यूटीओ) ;
3. कृषि आधारित परियोजनाओं के लिए परियोजना वित्त;
4. मार्जिन मनी के लिए सुलभ ऋण सहायता स्कीम;
5. अन्य प्रकार की समितियों के लिए ऋण।

भविष्य की योजनाएं

2.53 हरको बैंक की भविष्य की योजनाएं निम्न प्रकार से दी गई हैः–

1. रबी 2015–16 के दौरान 4,788 करोड़ रूपये के फसली ऋण जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
2. वर्ष 2015–16 के दौरान सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा राज्य में एटीएम सुविधा प्रदान की जाएगी।
3. अगले पिराई सीज़न के दौरान राज्य में शुगर मिलों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 814 करोड़ रूपये उपलब्ध करवाए जाएगें।
4. सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को सामाजिक सुरक्षा पैशन लाभ योजना के अन्तर्गत पैंशन वितरित करने के लिए केन्द्रीय बैंक के व्यावसायिक फेसिलिटेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी है।

खजाना तथा लेखा

2.54 इस समय राज्य में 21 जिला खजाने तथा 85 उप–खजाने हैं जो खजाने राज्य के संचय निधि, लोक लेखों से सम्बन्धित सभी आवती तथा अदायगियों के लेखे तैयार कर और उन्हें प्रत्येक माह में दो बार महालेखाकार हरियाणा को भेजते हैं। ये खजाने व उप खजाने गैर डाक टिकटों, अफीम तथा अन्य करोड़ों रूपये की मूल्यवान वस्तुओं के सुरक्षित रख–रखाव के लिए भी जिम्मेवार हैं। इस विभाग

द्वारा राज्य सरकार के लिए समेकित वित्त एवं मानव संसाधन सूचना प्रबन्धन प्रणाली (आई.एफ. एवं एच. आर.एम.आई.एस.) को विकसित करने की पहल की है। इस प्रोजैक्ट से बजट नियंत्रण अधिक प्रभावी हुआ है, नकद प्रवाह प्रबन्धन में सुधार हुआ है, दिनवार लेखों का मिलान, परिशुद्धता के साथ लेखों का समय पर तैयार करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता व दक्षता, बेहतर वित्तीय प्रबन्धन के साथ–साथ राज्य में शासन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ट्रेजरीज में एच.आर.एम.आई.एस. प्रणाली के आने और इसका आई.एफ.एम.एस. के साथ एकीकरण होने से वेतन के बिलों को तैयार करने और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, पैंशन प्रबन्धन, कर्मचारियों के ऋणों एवं प्रतिपूर्ति आदि कार्य पूर्ण रूप से एकीकृत और न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ सम्भव हुआ है।

***

3

कीमतें तथा खाद्य एवं आपूर्ति

वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण निर्धारक है। मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक (डब्लयू.पी.आई.) के साथ-साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) से मापते हैं। थोक मूल्य सूचकांक थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर आधारित होते हैं अथवा ऐसी कीमतों पर जहां थोक लेन देन होते है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उन कीमतों पर आधारित है जिसमें उपभोक्ता स्थानीय बाजार में वस्तुओं को खरीदता है अथवा ऐसी कीमतों पर जहां खुदरा लेन देन होते हैं। खाद्य वस्तुओं में निरंतर वृद्धि, विशेषतयाः गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जबकि मुद्रास्फीति में तीन से चार अंक तक की बढ़ौतरी इस बात की सूचक है कि यह विकास के रूप में उत्पादन को प्रोत्साहित करती है और उपभोग को हतोउत्साहित नहीं करती है। राज्य में कीमतों की स्थिति का आंकलन करने के लिए अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से साप्ताहिक/मासिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं के थोक व खुदरा भाव एकत्रित करता है और थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) व श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करता है।

थोक मूल्य सूचकांक

3.2 राज्य की 20 चयनित कृषि वस्तुओं (आधार वर्ष कृषि 1980–81=100) का थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक **तालिका 3.1** में दिखाया गया है। जो वर्ष 2010–11 में 979.7 से बढकर वर्ष 2014–15 में 1,279.7 हो गया एवं वर्ष 2014–15 तक की अवधि में 30.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इस सूचकांक में वर्ष 2012–13 और वर्ष 2013–14 में पिछले वर्ष की तुलना से क्रमशः 7.3 एवं 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

तालिका 3.1– वर्ष–वार बीस चयनित कृषि वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक

वर्ष	सूचकांक आधार वर्ष (1980–81=100)
2010–11	979.7
2011–12	1065.7
2012–13	1143.1
2013–14	1220.9
2014–15	1279.7

स्त्रोतः–अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

3.3 वर्ष के दौरान राज्य के थोक मूल्य सूचकांक के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए, माहवार थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 2014 से दिसम्बर, 2015 तक को **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है। यह दिसम्बर, 2014 में 1,276.1 से बढ़कर दिसम्बर, 2015 में 1,316.3 अंक हो गया जोकि 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्यतः अनाजों, दालों, तेल बीजों एवं कपास की कीमतों में बढ़ौत्तरी के कारण हुई है जो कि क्रमशः 1.6, 30, 21.1 तथा 5.0 प्रतिशत है।

तालिका 3.2– बीस चयनित कृषि वस्तुओं का मासिक थोक मूल्य सूचकांक

मास	सूचकांक आधार वर्ष (1980–81=100)
दिसम्बर, 2014	1276.1
जनवरी, 2015	1278.1
फरवरी, 2015	1275.9
मार्च, 2015	1279.4
अप्रैल, 2015	1283.8
मई, 2015	1290.4
जून, 2015	1296.6
जुलाई, 2015	1302.1
अगस्त, 2015	1305.5
सितम्बर, 2015	1309.6
अक्तूबर, 2015	1315.7
नवम्बर, 2015	1317.4
दिसम्बर, 2015	1316.3

स्त्रोतः– अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण)

3.4 ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को मापता है। यह मजदूरी, वेतन तथा पैंशन के वास्तविक मूल्य पर होने वाले मुद्रास्फीति के असर को समायोजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सूचकांक की गणना का मुख्य उद्देश्य सामान्य स्तर पर उन परिवर्तनों की गति को मापना है जो कि राज्य में एक औसत ग्रामीण परिवार के द्वारा खुदरा कीमतों पर चयनित आवश्यक वस्तुओं के उपभोग पर खर्च की जाती हैं। राज्य के विभिन्न 24 गांवों से पाक्षिक कीमतें एकत्रित की जाती है जहां अधिकतर जनसंख्या कृषि और कृषि आधारित व्यवसायों में कार्यरत है।

3.5 खाद्य ग्रुप व सामान्य ग्रुप का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि के दौरान वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 की तुलना में तीव्र गति से बढ़ा है। वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक सामान्य ग्रुप के सूचकांक में 31.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि खाद्य ग्रुप

में 31.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक को **तालिका 3.3** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.3– वर्ष–वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण)

(आधार वर्ष 1988–89=100)

वर्ष	खाद्य सूचकांक	सामान्य सूचकांक
2010–11	537	496
2011–12	586	537
2012–13	638	580
2013–14	682	620
2014–15	708	654

स्त्रोतः– अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

3.6 राज्य में दिसम्बर, 2014 से दिसम्बर, 2015 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) में हुए परिवर्तन का माहवार विवरण **तालिका 3.4** में प्रस्तुत किया गया है यह सूचकांक दिसम्बर, 2014 में 647 अंक था जो 6.3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्ज करते हुए दिसम्बर, 2015 में बढ़कर 688 अंक हो गया।

तालिका 3.4– मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण)

मास	सूचकांक (आधार वर्ष 1988–89=100)
दिसम्बर, 2014	647
जनवरी, 2015	651
फरवरी, 2015	651
मार्च, 2015	655
अप्रैल, 2015	661
मई, 2015	667
जून, 2015	674
जुलाई, 2015	679
अगस्त, 2015	682
सितम्बर, 2015	686
अक्तूबर, 2015	692
नवम्बर, 2015	693
दिसम्बर, 2015	688

स्त्रोतः– अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

3.7 श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक निश्चित समय में निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों पर एक औसत श्रमिक वर्ग के परिवार द्वारा आधार वर्ष के संदर्भ में उपभोग की गई सापेक्षिक कीमतों के परिवर्तनों को मापता है। यह छः केन्द्रों नामतः सूरजपूर पिन्जौर, पानीपत,

सोनीपत, भिवानी, हिसार और बहादुरगढ़ के मासिक भारित औसत सूचकांको को ध्यान में रखकर संकलित किया जाता है। राज्य के श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2011 से 2015 तक को **आकृति 3.1** में दर्शाया गया है। श्रमिक वर्ग के लिये वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हरियाणा (आधार वर्ष 1982=100) में वर्ष 2014 में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2015 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2015 में केन्द्रवार वृद्धि अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा (6.1 प्रतिशत) सूरजपूर–पिन्जौर में हुई जबकि सोनीपत में सबसे कम (5.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राज्य में माहवार श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का परिवर्तन दिसम्बर, 2014 से दिसम्बर, 2015 तक को **आकृति 3.2** में दर्शाया गया है। दिसम्बर, 2014 में श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100) 974 अंक था जो कि दिसम्बर, 2015 में बढ़कर 1,046 अंक हो गया, जिसमें 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

खाद्य एवं आपूर्ति

3.8 राज्य में 31–12–2015 को 42,77,599 राशन कार्ड धारक थे। गैस कनैक्शनों की संख्या 57,00,792 थी। राज्य में 2011–12 से 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक) राशन कार्डों व गैस कनैक्शनों की संख्या **तालिका 3.5** में दी गई है।

तालिका 3.5– राज्य में राशन कार्ड व गैस कनैक्शनों की संख्या

वर्ष	राशन कार्डों की संख्या				गैस कनैक्शनों की संख्या		
	ए.पी.एल	बी.पी.एल	ए.ए.वाई	कुल	एस.बी.सी.	डी.बी.सी.	कुल
2011–12	4428687	949794	269194	5647675	1664442	2474469	4135611
2012–13	3467189	869068	259500	4595757	1798955	2665861	4464816
2013–14	3467189	869068	259500	4595757	2020133	2941803	4961936
2014–15	3231483	862865	257495	4351843	2111577	3189098	5300675
2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक)	3171151	850466	255982	4277599	2325560	3375232	5700792

स्त्रोतः–खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

3.9 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन अन्तोद्या अन्न योजना परिवारों को सम्मिलित करते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को विशेष महत्व देना खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। राज्य में 2,55,982 ए0ए0वाई0+ बेघर, 4,53,634 सी.बी.पी.एल., 3,96,832, एस.बी.पी.एल. व 18,33,268 ओ.पी.एच. लाभार्थी है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू होने से जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2015 तक 7,95,000 टन गेहूं 2 रू0 किलो की रियायती दरों पर लाभार्थियो को पहले ही वितरित किया जा चुका है। यह अधिनियम पात्र परिवारों को दो श्रेणियों में विभाजित करता है अर्थात् अन्तोद्या अन्न योजना परिवार तथा अन्य प्राथमिक

परिवार। अन्तोद्या अन्न योजना के लाभार्थियों को पहले की भांति 35 किलोग्राम खाद्यान्न हर महीने 2 रूपये प्रति किलो उच्च रियायती दर पर जारी रहेगा तथा प्राथमिक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं इसी दर पर प्राप्त होगा। पर्याप्त ढंग से जीर्ण कुपोषण को कम करते हुए गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की साहसिक पहल है। दाल रोटी स्कीम के तहत राज्य सरकार अन्तोद्या अन्न योजना व बी0पी0एल0 परिवारों को पोषक तत्व तथा प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2.5 किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रतिमाह 20 रूपये प्रति किलो की रियायती दर पर उपलब्ध करवा रही है।

खरीद

3.10 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा खाद्यान्न/मोटे अनाजों की खरीद करता है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके तथा उपज को कम भाव पर बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। खरीद देश की खाद्यान्न सुरक्षा भी मजबूत करती है। वर्ष 2005–06 से 2015–16 तक राज्य में गेहूँ, धान और बाजरा की खरीद व न्यूनतम समर्थन मूल्य ब्यौरा **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका 3.6–राज्य में सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य

वर्ष	गेहूं खरीद (लाख टन)	गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू0 प्रति क्विटंल)	धान खरीद (लाख टन)	धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू0 प्रति क्विटंल)		बाजरा खरीद (लाख टन)	बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू0 प्रति क्विटंल)
				सामान्य	ए–श्रेणी		
2005–06	45.29	640/–	23.56	570/–	600/–	0.05	525/–
2006–07	22.30	650/- +50 बोनस	20.47	580/- +40 बोनस	610/- +40 बोनस	-	540/-
2007–08	33.50	750/- +100 बोनस	17.85	645/- +100 बोनस	675/- +100 बोनस	1.23	600/-
2008–09	52.37	1000/-	18.22	850/- +50 बोनस	880/- +50 बोनस	3.10	840/-
2009–10	69.24	1080/-	26.36	950/- +50 बोनस	980/- +50 बोनस	0.77	840/-
2010–11	63.47	1100/-	24.82	1000/-	1030/-	0.74	880/-
2011–12	69.28	1120/- +50 बोनस	29.66	1080/-	1110/-	0.18	980/-
2012–13	87.16	1285/-	38.53	1250/-	1280/-	-	1175/-
2013–14	58.56	1350/-	35.87	1310/-	1345/-	-	1250/-
2014–15	65.08	1400/-	30.07	1360/-	1400/-	-	1250/-
2015–16	67.70	1450/-	42.59	1410/-	1450/-	0.05	1275/-

स्त्रोतः–खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा।

आकृति 3.1– हरियाणा के श्रमिक वर्ग का वर्ष–वार तथा केन्द्र–वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1982=100)

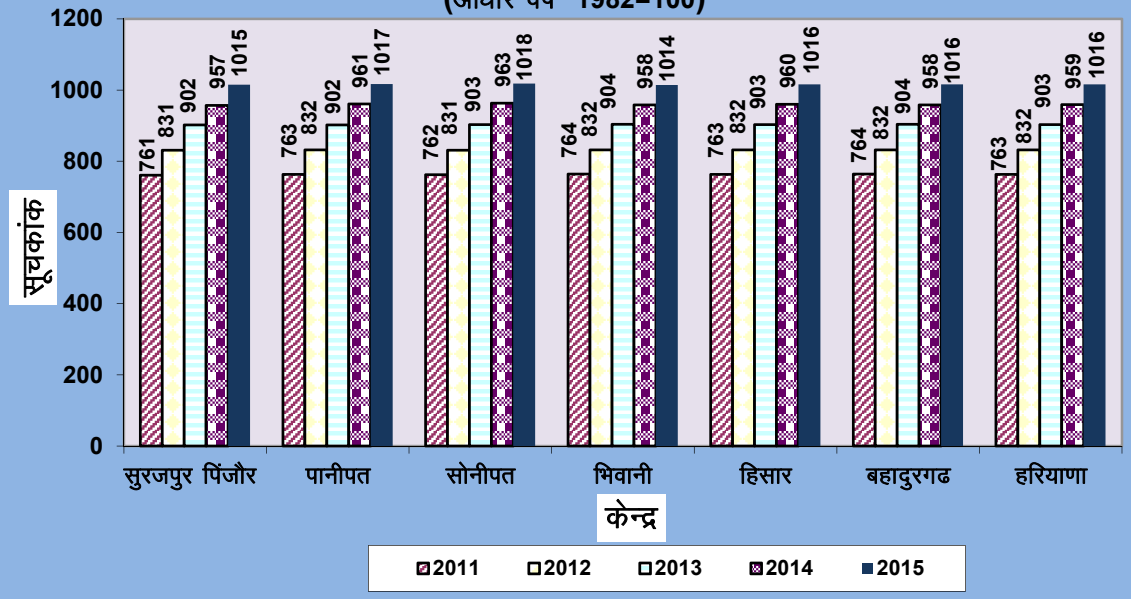

आकृति 3.2–हरियाणा के श्रमिक वर्ग का माहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1982=100)

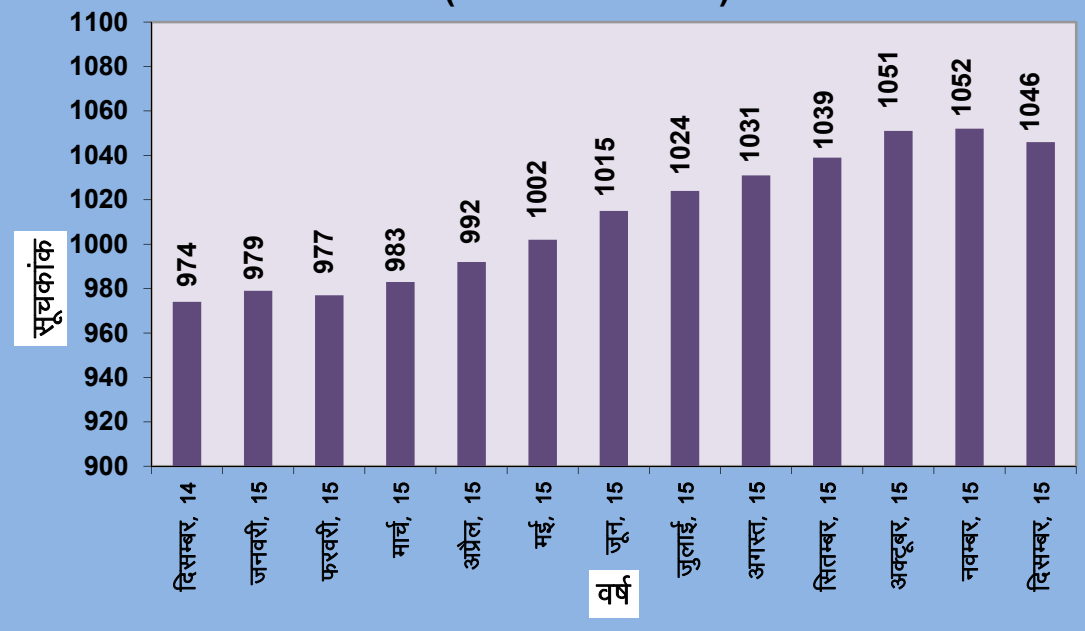

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

3.11 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करना और उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना विभाग की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां है। राज्य के सभी 21 जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम स्थापित किए हुए है।

उपभोक्ता हैल्पलाइन की स्थापना

3.12 राज्य में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशालय में उपभोक्ता हैल्पलाइन की स्थापना की जा चुकी है तथा इसका टोल फ्री नम्बरः 1800–180–2087 है। राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन दिनांक 12–8–2013 से कार्यरत है। हैल्पलाईन राज्य के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की शिकायतों के निवारण हेतू मार्गदर्शन करने में कार्यरत है। इसकी स्थापना के समय (दिनांक 12–8–2013) से 31–12–2015 तक लगभग 10,091 शिकायतें प्राप्त हो चुकी है।

विधिक माप

3.13 केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओ के हित में सही माप–तोल सुनिश्चित करने हेतू विधिक माप अधिनियम, 2009 लागू किया गया है ताकि बाट एवं माप के मानक नियमित, प्रदत किए जा सके तथा अन्य ऐसे मामलें जिनका विक्रय अथवा वितरण माप, तोल और संख्या में किया जाता है ताकि व्यापार अथवा वाणिज्य को विनिमित किया जा सके। वर्ष 2015–16 के दौरान 13 करोड़ रूपये का लक्ष्य रखा गया था जिसमें राजस्व प्राप्ति के रूप में 11.43 करोड़ रूपये 31–12–2015 तक विधिक माप खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा एकत्रित किए गए है।

ईट–भटटे

3.14 राज्य में पूर्वी पंजाब ईट आपूर्ति नियंत्रण अधिनियम, 1949 की धारा 3 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत हरियाणा ईट आपूर्ति नियंत्रण आदेश, 1972 बनाया गया। 31–12–2015 तक राज्य में आम जन एवं सरकारी विकास कार्य के लिए ईटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 3,003 ईट–भट्टा लाईसेन्सी कार्यरत हैं और राज्य से बाहर ईंटों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। राज्य सरकार द्वारा इस प्रतिबन्ध को जिसमें ईंटों की कीमतों को निर्धारित करना, ईंटों के लिये परमिट जारी करना, उत्पादन स्तर बनाये रखना, ईंटों की बिक्री और सम्बन्धित मासिक विवरण इत्यादि को सरकार द्वारा पुनः अधिसूचित कर पूर्ण रूप से लचीला बना दिया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंत से अंतिम तक कम्पूयटीकरण

3.15 विभाग ने नवंबर, 2014 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन के कम्पूयटीकरण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 50:50 के सहभाजन पर ''लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली'' संचालन के अंत से अंतिम तक कम्पयूटीकरण की योजना को लागू कर दिया गया है। 29,40,870 परिवारों (ए.ए.वाई., केन्द्रीय बी.पी.एल., राज्य बी.पी.एल. तथा अन्य प्राथमिक परिवार) का अंकरुपण तथा सत्यापन किया गया है। 22,37,466 (76.1प्रतिशत) राशन कार्ड में कम से कम एक

सदस्य और 86,46,676 (66.5 प्रतिशत) लाभार्थियों को आधार वरीयता दी गई है। डी–डिपुलीकेशन की प्रक्रिया प्रगति पर है और जनवरी, 2016 तक पूर्ण हो जाऐगा। 9,355 उचित मूल्य की दुकानों और 441 गोदामों का मास्टर डाटा प्रविष्टि किया गया है। विभाग की पारदर्शिता (http://haryanafood.gov.in) पोर्टल कार्यात्मक है और नियमित रुप से अपडेट किया जा रहा है। विभाग खाद्य एवं आवश्यक वस्तु आश्वासन और सुरक्षा सॉफटवेयर और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को ऑनलाईन एलोकेशन के लिए लागू कर रहा हैं। विभागीय कर्मचारियों को ई–पी.डी.एस. और खाद्य एवं आवश्यक वस्तु आश्वासन और सुरक्षा सॉफटवेयर के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जनवरी, 2016 से पूरे राज्य के लिए ऑन लाईन एलोकेशन शुरु हो गया है और अप्रैल, 2016 से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को कार्यान्वित किए जाने की संभावना है। टोलफ्री पी.डी.एस. हेल्प लाईन नं0 1967 कार्य कर रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शिकायतों के लिए विशेष रुप से विकसित निवारण प्रणाली ऑनलाईन शिकायतों का परीक्षण किया जा रहा है और अनुकूलन के बाद जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाऐगा।

3.16 राज्य द्वारा उचित मूल्य दुकान के स्वचालन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर (निजी एजैंसी) मॉडल को अंतिम रुप दिया गया है। मास अक्तूबर, 2015 से 20 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों को वस्तुओं का वितरण Aadhar आधारित बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण पायलट आधार पर किया जा रहा है। उचित मूल्य की दुकान के स्वचालन के कार्यान्वयन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर की नियुक्ति की प्रक्रिया 31 मार्च, 2016 से पूर्व कर ली जाएगी और उचित मूल्य दुकानों के स्वचालन को पूरे राज्य में सितम्बर, 2016 तक लागू कर दिया जाएगा।

3.17 वर्ष 2015–16 के दौरान (दिसम्बर, 2015 तक) 1 थोक और 121 परचून मिटटी तेल के दोषी डिपो धारकों के लाइसेंस रदद किये गये और 3 थोक और 400 परचून डिपों धारकों के लाइसेंस निलम्बित किये गये। मिटटी तेल के 3 थोक और 5 परचून डिपों धारकों के विरूद्ध प्राथमिक जांच रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक के मिटटी तेल के डिपो, और एल.पी.जी. डीलरों के निरीक्षण का ब्यौरा **तालिका 3.7** में दिया गया है।

तालिका 3.7- मिटटी तेल के डिपो, और एल.पी.जी. डीलरों के निरीक्षण का ब्यौरा

वर्ष	तेल डीलरों की संख्या		की गई कारवाई						एल.पी.जी. डीलरों की संख्या	डिफाल्टर डीलरों की संख्या	की गई कारवाई	
			लाइसेंस रद्ध		प्राथमिक जांच रिपार्ट दर्ज		निलबिंत लाइसेंस				आपूर्ति निलबिंत	प्राथमिक जांच रिपार्ट दर्ज
	थोक विक्रेता	खुदरा विक्रेता	थोक विक्रेता	खुदरा विक्रेता	थोक विक्रेता	खुदरा विक्रेता	थोक विक्रेता	खुदरा विक्रेता				
2011–12	152	8202	0	158	0	12	0	312	305	4	0	3
2012–13	142	12167	1	97	0	9	0	186	348	7	0	5
2013–14	139	11903	0	132	0	3	0	241	383	3	2	1
2014–15	136	10390	1	165	0	10	0	567	387	0	0	0
2015–16 (दि0, 2015 तक)	138	9350	1	121	3	5	3	400	407	0	0	0

स्त्रोतः–खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा।

नागरिक केन्द्रित सेवा

क्र0	विभाग का नाम	सेवा का नाम	निर्धारित समय सीमा (कार्य दिवस)	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	डी–1 फार्म प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड जारी करना जैसे कि ए0पी0एल0 वर्ग के लिए।	22 दिन	निरीक्षक प्रभारी / ए0एफ0एस0 ओ0	जिला खादय एवं पूर्ति नियन्त्रक	उपायुक्त
2		परित्याग प्रमाण पत्र ए0पी0एल0 / बी0पी0एल / ए0 ए0वाई0 प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड जारी करना।	15 दिन	–सम–	–सम–	–सम–
3		दूसरा राशन कार्ड जारी करना ए0पी0एल0 / बी0पी0एल / ए0ए0वाई0	15 दिन	–सम–	–सम–	–सम–
4		परिवार के सदस्य का समावेस / विलोप (ए0पी0एल0 / बी0पी0एल / ए0ए0 वाई0)	15 दिन	–सम–	–सम–	–सम–
5		उसी श्रेत्राधिकार में पता बदलना (सभी वर्गो के राशन कार्ड)	15 दिन	–सम–	–सम–	–सम–
6		पता बदलने के अतंगर्त एफ0पी0एस0 बदलना (सभी वर्गो के राशन कार्ड)	15 दिन	–सम–	–सम–	–सम–
7		परित्याग प्रमाण पत्र जारी करना (सभी वर्गो के राशन कार्ड)	7 दिन	–सम–	–सम–	–सम–

3.18 मास अगस्त, 2011 से जनसाधारण को शीघ्र सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतू राशन कार्ड से सम्बंधित सात सेवाओं जैसेकि नया राशन कार्ड, डुप्लीकेट राशन कार्ड, परित्याग प्रमाण–पत्र, नया सदस्य शामिल / काटने बारे, पता बदलने तथा उचित मूल्य की दुकान बदलने इत्यादि को समयबद्ध सीमा (जैसा नीचे दर्शाया गया है) में निपटाने हेतू आदेश जारी किये गये हैं। आवेदन पत्रों को नए सिरे से बनाकर उपरोक्त सेवाओं की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 7–5–2015 के अनुसार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए सेवा के अधिकार अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं की समय सीमा अधिसूचित की है।

3.19 उपरोक्त सेवाओं से सम्बंधित नए सरलीकृत आवेदन पत्र सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं पी.आर. केन्द्रों पर उपलब्ध है। दिसम्बर, 2015 तक विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में इन सेवाओं से सम्बंधित 10.39 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनका निर्धारित समय सीमा अवधि में निपटान किया जा चुका है।

***

4

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

कृषि राज्य अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है और जनसंख्या के अधिकांश लोग सीधे या परोक्ष रूप से कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं। राज्य के गठन 1 नवम्बर, 1966 से ही कृषि क्षेत्रों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। राज्य में मजबूत बुनियादि सुविधाए जैसे पक्की सडके, ग्रामीण विद्धयुतीकरण, नहरों का जाल, मंडियों का विकास इत्यादि के बनने से कृषि के विकास में आवश्यक तरक्की हुई है। इन सुविधाओं के निर्माण के साथ कृषि अनुसंधान के समर्थन और कृषि अभ्यास से सम्बन्धित सूचनाओं को किसानों के पास पहुंचाने वाले उच्च स्तरीय नेटवर्क के कारण अच्छे परिणाम मिले हैं। भोजन की कमी वाला राज्य खाद्य अधिशेष राज्य में परिवर्तित हो गया। अनाज खाद्यान्न के योगदान में राज्य ने केंन्द्रीय पूल में दूसरा सर्वोतम स्थान पाया है और राज्य का क्षेत्र देश के क्षेत्र का 1.4 प्रतिशत होने के बावजूद, केन्द्रीय पूल में अनाज खाद्यान्न का योगदान 15.6 प्रतिशत किया है।

4.2 कृषि क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्य अर्थव्यवस्था में तेजी से हुए संरचनात्मक परिवर्तन के कारण वर्ष 2015–16 के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों का योगदान स्थिर कीमतों (2011–12) पर कम होकर मात्र 18.2 प्रतिशत रह गया है। राज्य का आर्थिक विकास पिछले कुछ वर्षो में उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों की विकास दर के प्रति ज्यादा संवेदनशील बन गया है परन्तु हाल के अनुभवों से ज्ञात होता है कि कृषि क्षेत्र के लगातार व तेज विकास के बिना सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर में वृद्धि राज्य में मुद्रा स्फीति का कारण बन सकती है जो लम्बी विकास प्रक्रिया को खतरे में डाल देगी। इसलिए कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों का निरन्तर विकास राज्य अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होगा।

कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों का विकास

4.3 कृषि और सहबद्ध क्षेत्र, कृषि, वानिकि एवं लोगिंग और मत्स्य पालन उप–क्षेत्रों से बना है। कृषि क्षेत्र जिसमें पशुपालन और फसलों की खेती शामिल है, कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन में 93 प्रतिशत योगदान के साथ मुख्य घटक है। कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन में वानिकी और मत्स्य पालन उप–क्षेत्रों का योगदान मात्र क्रमशः 5 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत है जिससे इन दो उप–क्षेत्रों का कृषि और सहबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

4.4 राज्य अर्थव्यवस्था में सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर मूल्यों (2011–12) पर कृषि और सम्बन्धित क्षेत्र में दर्ज की गई विकास दर **तालिका 4.1** में दर्शायी गई है। वर्ष 2012–13 के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार कृषि एवं कृषि सहबद्ध क्षेत्र की राज्य अर्थव्यवस्था में 2.0 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2013–14 के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार कृषि एवं कृषि सहबद्ध क्षेत्र की विकास दर 3.1 प्रतिशत आंकी गई। वर्ष 2014–15 के द्रुत अनुमानों के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन कृषि एवं कृषि सहबद्ध क्षेत्र में 64,773.88 करोड़ रूपये जबकि वर्ष 2013–14 के अनन्तिम अनुमानों के विरूद्ध 0.7 प्रतिशत नकारात्मक वृद्धि के साथ 65,247.19 करोड़ रूपये दर्ज की गई। वर्ष 2015–16 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन कृषि क्षेत्र में 1.4 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 65,685.65 करोड़ रूपये दर्ज की गई। सकल राज्य मूल्य वर्धन कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में 1.5 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 61,178.36 करोड़ रूपये दर्ज की गई जबकि वर्ष 2015–16 में सकल राज्य मूल्य वर्धन वानिकि तथा लोगिंग क्षेत्रों में -2.7 व 14.1 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 3,479.51 व 1,027.78 करोड़ रूपये दर्ज की गई।

तालिका 4.1– कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) भावों पर

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	2011–12 (अ:)	2012–13 (अ:)	2013–14 (अ:)	2014–15 (द्रु:)	2015–16 (अग्र.)
फसलें व पशुपालन	59814.56	58621.12 (-2.0)	60714.47 (3.6)	60295.57 (-0.7)	61178.36 (1.5)
वानिकी तथा लोगिंग	3894.90	3772.20 (-3.2)	3677.61 (-2.5)	3577.66 (-2.7)	3479.51 (-2.7)
मत्स्य	858.43	902.89 (5.2)	855.11 (-5.3)	900.64 (5.3)	1027.78 (14.1)
कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र	**64567.89**	**63296.21** (-2.0)	**65247.19** (3.1)	**64773.88** (-0.7)	**65685.65** (1.4)

अ: अनन्तिम अनुमान, द्रु: द्रुत अनुमान, अग्र: अग्रिम अनुमान
कोष्ठक में लिखी गई फिगर पिछले साल से वृद्धि दर्शाता है।
स्रोत: अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

मौसम और वर्षा

4.5 हरियाणा, उत्तरी भारत भूमि से घिरा हुआ है। यह 27°39′ से 30°35′ अक्षांश व 74°28′ से 77°36′ देशांतर के बीच स्थित है। हरियाणा की ऊँचाई समुद्र तल से ऊपर 700–3600 फुट के बीच होती है। हरियाणा गर्मियों में अत्यंत गर्म (45°C/113°F के आसपास) व सर्दियों में अत्यन्त सर्द रहता है। मई व जून सबसे गर्म तथा दिसंबर व जनवरी सबसे ठंडे महीने होते है। गेहूँ, चना, जौ व रबी दाले आदि रबी फसले होती हैं व धान, ज्वार मक्का, ग्वार एवं बाजरा खरीफ फसलों मे आती है। राज्य में सूरजमुखी और चरी (जायद खरीफ) फसलें भी होती हैं। राज्य में माहवार हुई वर्षा व सामान्य वर्षा का विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है।

तालिका 4.2– राज्य में जुलाई, 2014 से जून, 2015 के दौरान हुई वर्षा व सामान्य वर्षा

(मि.मि.)

जिला	जुलाई, 2014		अगस्त		सितम्बर		अक्तुबर		नवम्बर		दिसम्बर	
	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.
हिसार	23.3	121.8	12.5	114.2	35.2	68.9	9.5	0.6	0	4.1	4.5	4.4
रोहतक	18.0	195.7	20.0	164.6	41.0	97.4	0.0	1.0	0	5.1	0.0	5.9
गुड़गांव	103.5	176.4	15.2	47.3	41.3	100.8	4.3	0.8	0	2.6	2.5	4.0
फतेहाबाद	23.5	107.5	3.5	97.5	51.5	60.9	24.5	0.4	0	3.0	19.5	5.1
झज्जर	107.4	133.5	92.0	105.7	131.0	66.4	3.8	0.5	0	3.5	0	3.7
करनाल	53.0	206.4	62.5	171.4	165.0	103.4	58.5	1.1	0	5.2	4.0	10.6
पानीपत	20.0	184.6	54.0	194.1	189.0	92.0	12.0	0.9	0	3.9	4.0	6.1
यमुनानगर	364.5	305.9	103.5	325.9	104.0	161.1	46.0	34.8	0	6.3	32.5	17.3
अम्बाला	363.0	294.2	245.0	177.8	116.5	160.5	41.0	24.1	0	6.6	92.0	18.2
जींद	71.0	154.5	38.0	144.6	103.7	93.8	15.0	10.6	0	4.9	5.5	5.3
महेन्द्रगढ़	85.0	148.6	63.7	161.1	64.0	66.3	41.0	17.5	0	3.0	2.0	5.0
रेवाड़ी	79.5	144.5	51.0	103.3	69.85	79.8	4.0	13.0	0	2.7	9.8	3.7
पंचकूला	136.0	327.6	68.0	332.6	71.0	154.9	2.0	20.6	0	13.2	76.0	18.2
सोनीपत	35.5	200.0	14.5	183.9	51.0	94.4	1.0	18.7	0	5.2	0	6.2
भिवानी	58.0	133.6	29.0	132.4	38.4	58.6	17.6	11.3	0	4.1	2.8	2.9
कुरूक्षेत्र	60.5	207.0	6.0	192.5	105.0	107.7	13.0	18.9	0	4.8	16.0	9.3
कैथल	36.0	142.5	9.0	168.4	91.6	100.1	29.0	13.3	0.7	4.3	7.3	5.8
सिरसा	37.5	96.5	4.0	86.3	77.5	51.3	2.5	9.5	0	4.5	0.0	2.7
फरीदाबाद	189.0	192.7	44.0	17.1	49.0	98.0	0.0	23.7	0	2.4	10.5	6.0
मेवात	83.5	174.2	50.8	146.0	105.2	97.6	0.0	0.7	0	3.1	3.5	4.6
पलवल	72.0	176.8	37.8	8.6	51.0	105.8	4.5	20.1	0	2.7	2.8	2.4

राज्य में जुलाई, 2014 से जून, 2015 के दौरान हुई वर्षा व सामान्य वर्षा

(मि.मि.)

जिला	जनवरी, 2015		फरवरी		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.
हिसार	4.3	14.3	1.5	1.8	16.0	10.9	17.5	8.9	60.5	32.7	34.0	121.8
रोहतक	7.5	20.9	0.0	3.0	29.0	15.5	16.0	6.8	35.5	41.5	93.5	195.7
गुड़गांव	8.8	11.9	0.0	39.8	36.0	7.9	10.3	5.4	19.4	34.1	155.8	176.4
फतेहाबाद	3.5	17.7	15.8	4.5	21.0	11.4	7.5	6.4	25.0	28.0	60.5	107.5
झज्जर	14.8	9.9	3.7	29.6	74.4	7.3	17.0	5.4	57.2	28.9	136.6	133.5
करनाल	12.5	27.7	18.0	27.0	54.5	18.6	26.5	8.3	105.0	54.5	259.5	206.4
पानीपत	5.0	21.6	13.0	36.0	48.0	13.2	15.0	9.3	73.0	47.9	185.0	184.6
यमुनानगर	24.0	46.9	7.5	33.7	71.0	29.0	14.0	11.3	37.5	104.3	229.5	305.9
अम्बाला	30.0	38.2	36.5	37.1	85.5	23.7	27.0	6.9	59.0	87.5	398.5	294.2
जींद	9.0	18.0	12.3	21.0	39.0	13.6	17.0	4.4	61.0	37.3	134.5	154.5
महेन्द्रगढ़	14.0	9.7	0.0	11.5	26.3	8.6	19.0	5.1	74.0	41.0	128.0	148.6
रेवाड़ी	13.5	10.1	17.0	10.3	55.3	7.0	23.5	3.7	78.8	34.7	112.3	144.5
पंचकूला	43.0	46.2	42.0	36.7	42.0	30.6	8.0	8.3	30.0	95.6	231.0	327.6
सोनीपत	9.0	19.4	1.0	15.1	51.5	14.0	36.5	8.9	87.0	41.4	224.0	200.0
भिवानी	8.6	17.0	1.4	9.8	21.6	8.5	23.6	5.2	50.2	26.3	68.2	133.6
कुरूक्षेत्र	7.0	31.7	10.5	21.1	32.0	21.1	19.5	10.4	44.0	62.2	156.0	207.0
कैथल	7.3	25.3	20.0	16.5	30.3	13.6	10.3	7.4	23.6	50.9	121.7	142.5
सिरसा	15.0	12.4	15.0	11.1	47.5	10.6	9.5	4.6	24.0	18.7	107.5	96.5
फरीदाबाद	24.0	20.5	0.0	17.1	62.5	12.9	26.5	3.8	54.0	52.8	265.0	192.7
मेवात	35.3	12.4	0.0	13.5	45.3	8.3	33.8	5.4	48.3	38.0	226.9	174.2
पलवल	26.3	10.3	0.0	8.6	25.8	6.8	23.5	3.8	17.5	30.2	193.3	176.8

वाः वास्तविक, साः सामान्य

स्त्रोतः– भू–लेखा विभाग, हरियाणा।

4.6 यहॉ यह वर्णन करना जरूरी हो जाता है कि मार्च–अप्रैल, 2015 में राज्य के कुछ जिलों में भारी वर्षा व ओलावृष्टि हुई जिससे कृषि उत्पादन व कृषि उत्पादन की गुणवत्ता दोनों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

4.7 राज्य में मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र **तालिका 4.3 व आकृति 4.1** में दर्शाया गया है। राज्य में 1966–67 में सकल बोया गया क्षेत्र 45.99 लाख हैक्टेयर था। यद्यपि वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य में सकल बोया गया क्षेत्र 64.71 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 2014–15 में राज्य में गेहूं तथा चावल की फसलों के अधीन क्षेत्र की कुल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत्ता 60.08 प्रतिशत थी। वर्ष 2014–15 में गेहूं के अधीन क्षेत्र 26.01 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 2014–15 के दौरान चावल के अधीन 12.87 लाख हैक्टेयर क्षेत्र था। व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, कपास तथा तिलहन के अधीन क्षेत्र में प्रतिवर्ष उतार चढ़ाव रहा है।

तालिका 4.3 –मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

(000 हैक्टेयर)

वर्ष	गेहूं	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास	तिलहन	कुल बोया गया क्षेत्र
1966-67	743	192	3520	150	183	212	4599
1970-71	1129	269	3868	156	193	143	4957
1980-81	1479	484	3963	113	316	311	5462
1990-91	1850	661	4079	148	491	489	5919
2000-01	2355	1054	4340	143	555	414	6115
2005-06	2303	1047	4311	129	584	736	6509
2010-11	2504	1243	4700	85	493	515	6499
2011-12	2531	1234	4581	95	602	546	6489
2012-13	2497	1206	4302	101	593	568	6376
2013-14	2499	1245	4362	101	568	549	6471
2014–15 (अ)	2601	1287	4445	97	648	510	6471

अः अनन्तिम

स्त्रोतः– भू–लेखा विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों का उत्पादन

4.8 राज्य में मुख्य फसलों का उत्पादन क्षेत्र **तालिका 4.4 व आकृति 4.2** में दर्शाया गया है। राज्य का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1966–67 के दौरान 25.92 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 183.70 लाख टन के प्रभावशाली स्तर को छू चुका है जोकि सात गुणा से भी अधिक वृद्धि को दर्शाता है। कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाने में गेहूं और धान ने प्रमुख भूमिका निभाई है। वर्ष 2014–15 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 152.36 लाख टन था। चावल का उत्पादन वर्ष 2014–15 में 40.06 लाख टन होने का अनुमान था। इस प्रकार वर्ष 2014–15 में गेहूं का उत्पादन 103.54 लाख टन होने का अनुमान था। वर्ष 2014–15 में तिलहन तथा गन्ना का उत्पादन क्रमांक 7.43 लाख टन तथा 71.69 लाख टन होने का अनुमान था। वर्ष 2014–15 में कपास का उत्पादन 19.43 लाख गाठें होने का

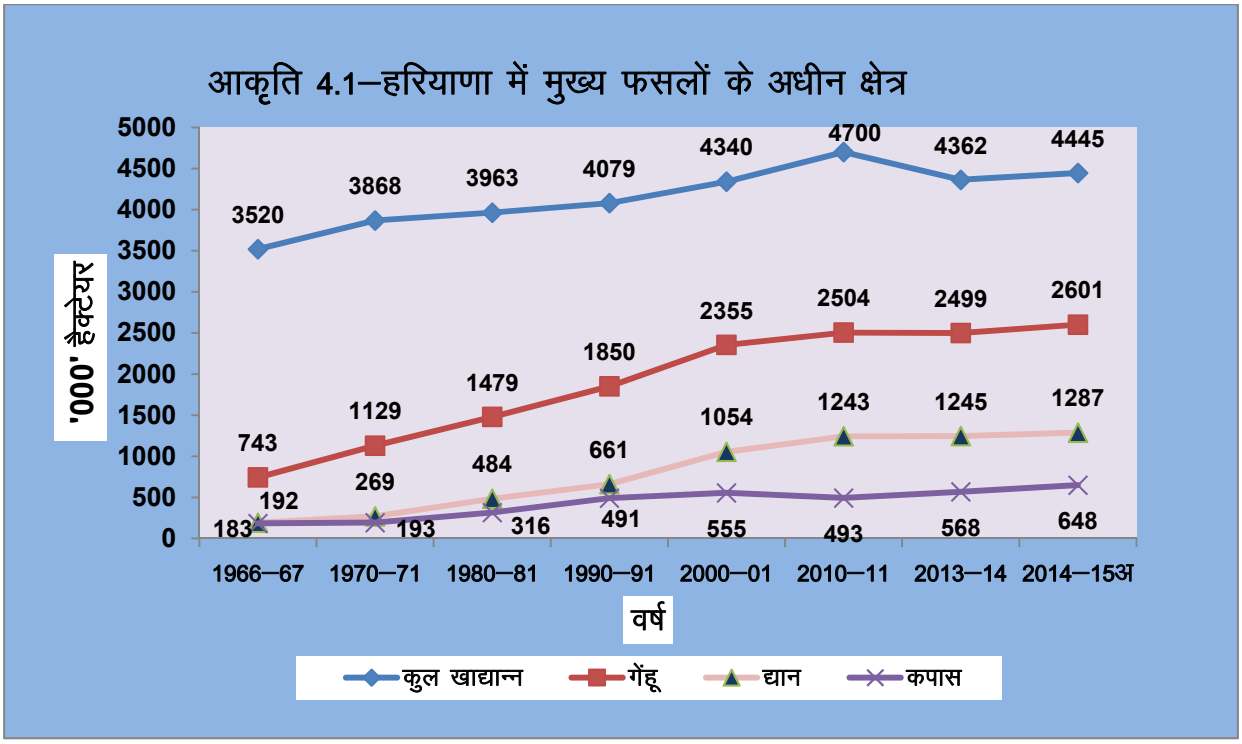
आकृति 4.1–हरियाणा में मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र
'000' हैक्टेयर
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
3520
3868
3963
4079
4340
4700
4362
4445
743
1129
1479
1850
2355
2504
2499
2601
192
269
484
661
1054
1243
1245
1287
183
193
316
491
555
493
568
648
1966–67
1970–71
1980–81
1990–91
2000–01
2010–11
2013–14
2014–15अ
वर्ष
कुल खाद्यान्न
गेंहू
धान
कपास

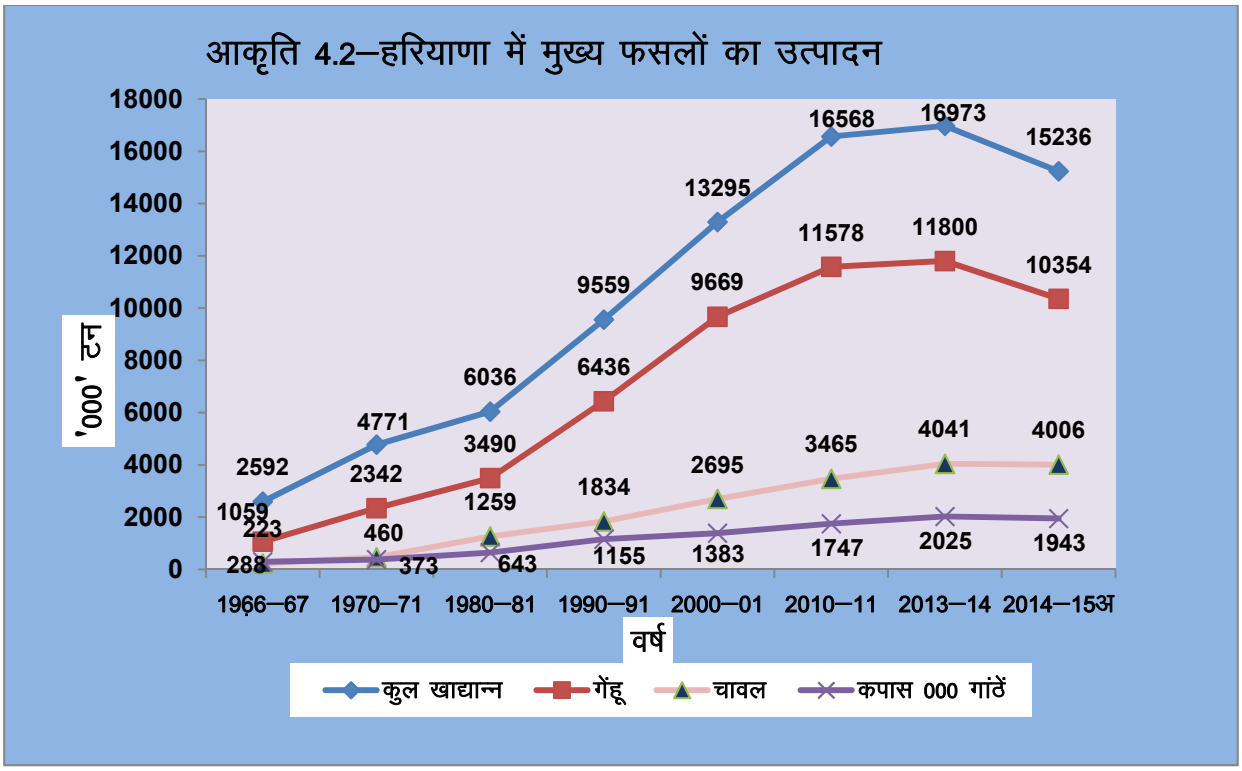
आकृति 4.2–हरियाणा में मुख्य फसलों का उत्पादन
'000' टन
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2592
4771
6036
9559
13295
16568
16973
15236
1059
2342
3490
6436
9669
11578
11800
10354
223
460
1259
1834
2695
3465
4041
4006
288
373
643
1155
1383
1747
2025
1943
1966–67
1970–71
1980–81
1990–91
2000–01
2010–11
2013–14
2014–15अ
वर्ष
कुल खाद्यान्न
गेंहू
चावल
कपास 000 गांठें

अनुमान है। हरियाणा केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार में मुख्य भागीदार है। बासमती चावल का 60 प्रतिशत से अधिक निर्यात अकेले हरियाणा से होता है।

तालिका 4.4–मुख्य फसलों का उत्पादन

(000 टन)

वर्ष	गेहूं	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास (000 गांठे)	तिलहन
1966–67	1059	223	2592	5100	288	92
1970–71	2342	460	4771	7070	373	99
1980–81	3490	1259	6036	4600	643	188
1990–91	6436	1834	9559	7800	1155	638
2000–01	9669	2695	13295	8170	1383	563
2005–06	8853	3194	13006	8310	1502	830
2010–11	11578	3465	16568	6042	1747	965
2011–12	13119	3757	18370	6953	2616	758
2012–13	11117	3941	16150	7500	2378	968
2013–14	11800	4041	16973	7427	2025	900
2014–15(अ)	10354	4006	15236	7169	1943	743

अः अनन्तिम

स्त्रोतः– भू–लेखा विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों की पैदावार

4.9 वर्ष 2013–14 के दौरान हरियाणा में गेहूं तथा चावल की औसत उपज क्रमशः 4,722 व 3,248 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर थी। राज्य में वर्ष 2014–15 में गेंहू तथा चावल का औसत उपज क्रमशः 3,981 तथा 3,113 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर होने का अनुमान है **(तालिका 4.5)**।

तालिका 4.5– हरियाणा तथा समस्त भारत में गेहूं तथा चावल की मुख्य फसलों की औसत उपज

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	हरियाणा		भारत	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
2000–01	4106	2557	2708	1901
2005–06	3844	3051	2619	2102
2010–11	4624	2788	2988	2239
2011–12	5183	3044	3177	2393
2012–13	4452	3268	3117	2462
2013–14	4722	3248	3075	2424
2014–15 (अ)	3981	3113	–	–

अः अनन्तिम स्त्रोतः–कृषि विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों का लक्षित क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज

4.10 राज्य में वर्ष 2015–16 में मुख्य फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज के लक्ष्य **तालिका 4.6** में दर्शाये गए हैं।

तालिकाः 4.6– मुख्य फसलों का लक्षित क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज

फसल	क्षेत्र ('000' हैक्टेयर)	उत्पादन ('000' टन)	औसत उपज (कि0ग्रा0 प्रति हैक्टेयर)
चावल	1200	4140	3450
ज्वार	70	42	600
मक्की	20	56	2800
बाजरा	510	944	1850
खरीफ दालें	51	51	1000
कुल खरीफ खाद्यान्न	**1851**	**5233**	**2827**
गेंहूं	2520	11814	4700
चना	105	105	1000
जौ	42	150	3580
रबी दालें	10	12	1200
कुल रबी खाद्याान्न	**2677**	**12111**	**4524**
व्यावसायिक फसलें			
गन्ना	120	9120	76000
कपास (गांठें)*	650	2676	700
तेल बीज	625	1146	1834

* कपास का उत्पादन गांठों में प्रत्येक 170 कि0ग्र0।
स्त्रोतः–कृषि विभाग, हरियाणा।

उर्वरक की खपत

तालिका 4.7–राज्य में उर्वरकों की खपत

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	उर्वरकों की खपत
2000–01	152
2005–06	173
2010–11	209
2011–12	224
2012–13	209
2013–14	212
2014–15	204

स्त्रोतः–कृषि विभाग, हरियाणा।

4.11 उर्वरक पोषक तत्वों की खपत वर्ष 2000–01 में 152 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 212 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हो गई। वर्ष 2013–14 में 212 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर के विपरीत वर्ष 2014–15 में कुल पोषक तत्वों की खपत 204 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर रही। उर्वरक खपत का ब्यौरा **तालिका 4.7** में दिया गया है।

फसल विविधीकरण

4.12 फसल विविधीकरण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप–योजना है और टिकाऊ कृषि के लिए तकनीकीय नवाचार को बढावा देने तथा उत्पादकता व आय में वृद्धि के वैकल्पिक चयन के लिए किसानो को सक्षम करती है। यह योजना/कार्यक्रम भू–जल की कमी की समस्या का सामना करने के लिए ही नहीं, बल्कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रणाली को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। इस कार्यक्रम के तहत वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का, दलहन, खरीफ मूँग/समर मूँग, ढैंचा आदि को बढावा दिया जा रहा है। कृषि वानिकी के साथ अतरासस्यन उपलब्ध कराने, किसानो के बीच अंडर ग्राऊंड पाइप लाइन से पानी के नुकसान से बचने के द्वारा कृषि औजार व साइट विशिष्ट गतिविधियों को प्रदान करके, कृषि मशीनीकरण व मूल्य संवर्धन को बढावा देना है। राज्य स्तरीय किसान मेला, जिला स्तरीय किसान मेला और ब्लाक स्तर गोष्ठी की तरह जागरूकता प्रशिक्षण शिविर भी अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए अन्य वैकल्पिक फसलों, मिटटी की उर्वरकता कृषि प्रसंस्करण, फसल का मूल्य संवर्धन की बहाली के लिए, धान के विविधीकरण के लिए, जागरूक करने के लिए आयोजित किए जा रहे है। वर्ष 2015–16 के लिए 99.50 करोड रूपये की राशि निर्धारित की गई है।

फसल बीमा योजना

4.13 भारत सरकार द्वारा 13–1–2016 को ''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'' शुरू की गई है जिसमें किसानों को ऋृण के माध्यम से प्रीमियम दरों का भुगतान किया जाना है। यह योजना आगामी खरीफ फसल 2016 से लागू हो जायेगी।

मृदा स्वास्थय प्रबंधन

4.14 अब तक, 21.50 लाख मृदा स्वास्थय कार्ड किसानों को मुफ्त वितरित किए गए है। उपरोक्त में से, वर्ष 2014–15 के दौरान 2.40 लाख मृदा स्वास्थय कार्ड एक विशेष फसल के लिए उर्वरक की विशिष्ट सिफारिश के साथ किसानों को प्रदान किए गए है। हाल ही में भारत सरकार ने एक प्रतिष्ठित केंद्र प्रायोजित योजना नामांकित ''मृदा स्वास्थय कार्ड योजना'' शुरू की है। इस योजना की शुरूआत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 19–2–2015 को सूरतगढ (राजस्थान) से की गई। यह योजना मृदा परीक्षण सेवाओं को बढ़ाने, मृदा स्वास्थय कार्ड जारी करने व पोषक तत्व प्रबंधन तरीकों के विकास के लिए पूरे राज्य में लागू की जाएगी। योजना का मुख्य उद्देशय 3 वर्ष की अवधि में राज्य के सभी कृषक परिवारों को मृदा स्वास्थय कार्ड प्रदान करना है। वर्ष 2015–16 में 2.50 लाख मिटटी के नमूने

संग्रह करने का लक्ष्य रखा है और इन मिटटी के नमूनों के आधार पर लगभग 5.25 लाख किसानों को मृदा स्वास्थय कार्ड उपलब्ध कराए जाएगें।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

4.15 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक 60:40 के अनुपात में (केंन्द्रीयःराज्य) योजना है। यह योजना वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य में शुरू की गई थी। योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को प्राप्त करके 11वीं योजना के दौरान कृषि व कृषि सहबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देशय राज्यों को कृषि और सम्बंधित क्षेत्रो में अधिक निवेश करने के लिए प्रोतसहित करना तथा राज्य को परियोजना की स्वीकृति के लिए उचित लचीलापन प्रदान करना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

4.16 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन रबी 2007–08 से राज्य में लागू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य के पहचान किए गए जिलों मे स्थायी तरीके से क्षेत्र विस्तार व उत्पादकता वृद्धि करके उत्पादन बढाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की प्रगति तालिका **4.8 (क)** एवं **(ख)** मे दिखाई गई है।

तालिका 4.8 (क)– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की प्रगति दलहन

अंतः क्षेप	ईकाई	लक्ष्य		उपलब्धियां			
		भौतिक	वित्तिय (लाख रूपये)	भौतिक		वित्तिय (लाख रूपये)	
		2015–16	2015–16	2014–15	2015–16 (दि. 2015 तक)	2014–15	2015–16 (दि. 2015 तक)
1. उन्न्त प्रोद्योगिक का प्रदर्शन	है0	2850	213.75	1250	2850	63.40	213.75
2. फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शन	है0	600	75.00	400	600	15.00	75.00
3. प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विं0	6216	155.40	320.82	6216	8.02	155.40
4. समेकित पोषण प्रबन्धन	है0	11500	72.25	7200	11500	38.61	72.25
5. एकीकृत कीट प्रबन्धन	है0	8860	44.30	2037.40	8860	20.00	44.30
6. संसाधन संरक्षण प्राद्योगिकी/ उपकरण	नं0	1750	60.80	573	1750	52.80	60.80
7. कुशल जल आवेदन उपकरण							
(i) छिड़काव सैट	नं0	500	50.00	700	500	46.27	50.00
(ii) पानी ले जाने के लिए पाइप	मी0	-	-	10000	-	2.50	-
8. फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण	नं0	55	7.70	30	55	3.04	7.70
9. विविध	जिले सं0	10	137.00	-	-	18.67	100.00
10.क्लस्टर प्रदर्शन (ग्रीष्मकालीन मूंग)	है0	8330	400.00	6246.25	8330	253.11	400.00
वित्तिय योग (1 से 10)			1216.20			521.42	1179.20

स्त्रोतः–कृषि विभाग, हरियाणा।

तालिका 4.8 (ख)–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की प्रगति–मोटे अनाज व वाणिज्यक फसलें

अंतः क्षेप	ईकाई	लक्ष्य		उपलब्धियां			
		भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये)	भौतिक		वित्तीय (लाख रूपये)	
		2015–16	2015–16	2014–15	2015–16 (दि. 2015 तक)	2014–15	2015–16 (दि.2015 तक)
1. मोटे अनाज							
(i) सुधार पैकेज पर प्रदर्शन	है0	7784	389.20	8200	7784	209.15	389.20
(ii) प्रमाणित बीजों का वितरण	क्विं0	5520	166.80	891.81	5520	12.86	166.80
2. वाणिज्यक फसलें							
(1) कपासः प्रदर्शन/प्रयोग	है0	856	65.61	90	856	6.22	65.61
(i) गन्ना: (अ) प्रदर्शन (ब) टिशु कल्चर पौधों की आपूर्ति	 है0 नं0	 303 301714	 24.24 10.56	 88 113290	 303 301714	 4.94 -	 24.24 10.56
वित्तीय योग			**656.41**			**314.17**	**656.41**

स्त्रोतः–कृषि विभाग, हरियाणा।

चावल की सीधी बिजाई

4.17 विभाग द्वारा पिछले कुछ वर्षो से चावल की सीधी बिजाई प्रणाली को बढावा दिया जा रहा है। इस प्रणाली से लगभग 25 प्रतिशत पानी की बचत होती है व पैदावार भी बराबर बनी रहती है। वर्ष 2014–15 मे 22,156 हैक्टेयर व वर्ष 2015–16 में लगभग 32,000 हैक्टेयर क्षेत्र इस प्रणाली के अन्तर्गत लाया जा चुका है। यह एक अच्छी व्यवस्था है और आने वाले वर्षो में यह अधिक विकसित होगी।

जल प्रबंधन

4.18 जल प्रबंधन न केवल राज्य के कृषि विभाग के लिए जरूरी है बल्कि राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण जरूरत है। विभाग द्वारा पानी के मितव्ययी उपयोग के लिए, विभिन्न जल बचत तकनीकों का प्रोत्साहन समग्र रूप से किया जा रहा है। जल बचत प्रोद्योगिकी को बढावा देने के लिए ''खेत–जल प्रबंधन'' कार्यक्रम पर पूरा जोर दिया गया है। विभाग किसानों को भूमिगत पाईप लाइन, फव्वारा सिंचाई प्रणाली और कपास व गन्ने की फसलों मे ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने पर सहायता प्रदान कर रहा है। ये पानी की बचत प्रणालियां, कृषि जलवायु परिस्थितियों के काफी अनुकूल पाई गई है जिसमें फव्वारा सिंचाई प्रणाली रेतीली मिटटी के लिए अनुकूल है। जबकि भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली राज्य के मध्य समतल क्षेत्र में सबसे उपयोगी होती है। वर्ष 2007–08 से इन कार्यक्रमों पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। यद्यपि, कपास व गन्ने की फसलो मे ड्रिप सिंचाई प्रणाली को पायलट आधार पर पहली बार वर्ष 2010–11 में अपनाया गया। जल प्रबंधन की प्रगति **तालिका 4.9** में दर्शाई गई है।

तालिका 4.9– छिड़काव सिंचाई प्रणाली, भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का ब्यौरा।

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां		किसानों को दी गई सब्सिडी (लाख रूपये)
	भौतिक (नं0)	वित्तीय (लाख रूपये)	भौतिक (नं0)	वित्तीय (लाख रूपये)	
छिड़काव सिंचाई प्रणाली					
2014–15	25875	1759.34	7020	1029.93	1029.93
2015–16 (31–12–2015 तक)	55500	4440 .00	5790	530.12	530.12
भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली					
2014–15	50000	8400.00	38199	5960.45	5960.45
2015–16 (31–12–2015 तक)	50000	8520.00	4560	860.00	860.00
ड्रिप सिंचाई प्रणाली					
2014–15	2041	1224.60	724	455.43	455.43
2015–16 (31–12–2015 तक)	2380	1473.71	176.98	103.07	103.07

स्त्रोतः–कृषि विभाग, हरियाणा।

छिड़काव सिंचाई प्रणाली

4.19 राज्य के विशेष तौर पर दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्र में छिडकाव सिंचाई प्रणाली की भारी मांग है। अब तक, राज्य में 1,54,814 छिडकाव सैट स्थापित किए जा चुके हैं जिनपर 227.48 करोड रूपये अनुदान के रूप में खर्च किए गए है। वर्ष 2014–15 के दौरान उपरोक्त अनुदान राशि में से 1,029.93 लाख रूपये अनुदान राशि से 13,458 हैक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया है। वर्ष 2015–16 में 55,500 हैक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाने के लिए कुल 4,440 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रस्तावित है। छोटे व सीमांत किसानो के लिए दिये जा रहे अनुदान की दर 60 प्रतिशत व अन्य के लिए 50 प्रतिशत है।

भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली

4.20 भूमिगत पाइप लाईन परियोजना विभाग की फ्लैगशिप परियोजना में से एक है जोकि आर0 के0 वी0 वाई के तहत आती है और इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से पूरे राज्य में किसानों द्वारा स्वीकार किया गया है। भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली से कम से कम पानी घाटा होता हैं, ऊर्जा बचती है, अतिरिक्त क्षेत्र खेती के अधीन आता है, परिचालन लागत कम होती है और कीट/कीट की घटना से होने वाले बीमारियों में कमी आती है। अब तक, 225.96 करोड रूपये अनुदान का उपयोग करके 1,70,907 हेक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अधीन लाया जा चुका है। उपरोक्त में से 5,960.45 लाख रूपये का कुल अनुदान देकर वर्ष 2014–15 में 38,199 हेक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अधीन लाया

गया है। वर्ष 2015–16 में 50,000 हैक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाने के लिए कुल 8,520 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रस्तावित है। भूमिगत पाईप लाईन प्रणाली की लागत 25,000 रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 50 प्रतिशत सहायतार्थ पैटर्न पर सीमित है जो प्रति लाभार्थी अधिकतम 60,000 रूपये हो सकती है।

ड्रिप सिंचाई प्रणाली

4.21 ड्रिप सिंचाई प्रणाली कपास व गन्ने की फसलो मे प्रोत्साहित की जा रही है। अब तक, राज्य में 34.20 करोड़ रूपये अनुदान का उपयोग करके 3,611 हेक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अधीन लाया जा चुका है। उपरोक्त में से 455.43 लाख रूपये का कुल अनुदान देकर वर्ष 2014–15 में 724 हेक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अधीन लाया गया है। वर्ष 2015–16 में 2,380 हैक्टेयर क्षेत्र को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुल 1,473.71 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रस्तावित है। सहायतार्थ राशि इस प्रणाली की कुल लागत का 70 प्रतिशत छोटे व सीमांत किसानो के लिए व 60 प्रतिशत दूसरो के लिए स्वीकार्य है।

लेजर भूमि लेवलर

4.22 यह उपकरण भूमि को समतल करने के लिए उपयोगी है जहॉ सिंचाई के पानी को 20 प्रतिशत तक बचाया जा सकता है। यह उपकरण भूमि की परिशुद्धता लेवलिंग के लिए भी उपयोगी है, जिसके द्वारा कृषि इनपुटस के प्रभावी उपयोग में सुविधा होती है।

कृषि यंत्र

4.23 कृषि विभाग द्वारा किसानो को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र अनुदान पर दिये गये हैं। इनका ब्यौरा **तालिका 4.10** में दिया गया है।

तालिका 4.10– वर्ष 2014–15 में किसानों को सब्सिडी पर दिए गए कृषि यंत्र

क्रम सं0	कृषि यंत्रों के नाम	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये)
1	जीरो टिल बीज सह उर्वरक ड्रिल	1941	259.23
2	रोटावेटर्स	6262	1340.5
3	बैड प्लान्टर्स (बहु फसल)	113	15.6
4	पावर वीडर/स्प्रेयर/रिपर	151	78.43
5	स्ट्रा–रिपर	860	486.16
6	रिपर बाईन्डर	118	137.45
7	कपास के बीज ड्रिल	629	84.21
8	ट्रैक्टर पर लगे स्प्रेयर	1027	87
9	लेजर लेवलर	1289	789.6
10	सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल	149	19.5
11	डी एस आर	55	7.38
12	व्हील हाथ कुदाल	377	2.072

13	कल्टीवेटर	119	5.5
14	हैप्पी सीडर	12	7.17
15	मल्चर	9	5.02
16	स्ट्रा बेलर	1	0.63
17	बैल नंगी इम्प्लीमेन्टस	104	0.181
18	मैन्युल स्प्रेयर	207	1.128
लाभार्थियों की संख्या/कुल व्यय		**13423**	**3326.761**

स्त्रोतः–कृषि विभाग, हरियाणा।

कृषि सूचकांक

4.24 फसलों के अधीन क्षेत्र, कृषि उत्पादन व उपज के सूचकांक वर्ष 2007–08 से 2014–15 तक (आधार त्रैवर्षान्त 2007–08=100) आकृति 4.1 व अनुलग्नक 4.2 में दर्शाये गये हैं। फसलों के अधीन क्षेत्र का सूचकांक 2013–14 में 104.99 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 109.74 हो जाएगा। कृषि उत्पादन सूचकांक 2013–14 में 115.58 से मामूली सा घटकर वर्ष 2014–15 में 112.46 होने का अनुमान है। इस अवधि में कृषि उपज का सूचकांक भी वर्ष 2013–14 में 110.09 से घटकर वर्ष 2014–15 में 102.47 हो जाएगा। अनाज खाद्यान्नों का उत्पादन सूचकांक वर्ष 2013–14 में 118.21 से घटकर वर्ष 2014–15 में 108.53 हो जाएगा जबकि अखाद्यान्नों का सूचकांक वर्ष 2013–14 में 109.94 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 120.87 होने का अनुमान है। इसी प्रकार सभी फसलों का उत्पादन सूचकांक वर्ष 2013–14 में 115.58 से घटकर वर्ष 2014–15 में 112.46 हो जाएगा।

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

प्राकृतिक आपदा एवं राहत कार्य

4.25 सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के फलस्वरूप दिनांक 1–3–2015 से बाढ़, खडे पानी, आग, बिजली स्पार्किगं, भारी वर्षा, ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी इत्यादि के कारण खराब हुई फसलों के निम्नानुसार राहत नियमों में वृद्धि की गई है जो **तालिका 4.11** में दर्शाई गई है।

तालिका 4.11–प्राकृतिक आपदा एवं राहत उपाय

क्र0 सं0	खड़ी फसलों को हुई क्षति का विवरण	पूर्व राहत मुआवजा		वर्तमान राहत मुआवजा 1–3–2015 से लागू	
		फसल का नाम	राशि प्रति क्षतिग्रस्त फसल/एकड़ (रूपयें)	फसल का नाम	राशि प्रति क्षतिग्रस्त फसल/एकड़ (रूपयें)
1	क्षति ≥ 25 % से <33 % तक	...	...	1. गेहूं, धान, कपास, गन्ना 2. सरसों व अन्य फसलें	7,000 5,500
2	क्षति 26 % से 50 % तक	1. गेहूँ, धान, कपास 2. अन्य फसलें	5,000 4,000	1. गेहूं, धान, कपास, गन्ना 2. सरसों व अन्य फसलें	7,000 5,500
3	क्षति 51 % से 75 % तक	1. गेहूँ, धान, कपास 2. अन्य फसलें	7,500 5,000	1. गेहूं, धान, कपास, गन्ना 2. सरसों व अन्य फसलें	9,500 7,000
4	क्षति 76 % से 100 % तक	1. गेहूँ, धान, कपास 2. अन्य फसलें	10,000 7,500	1. गेहूं, धान, कपास, गन्ना 2. सरसों व अन्य फसलें	12,000 10,000

सूखे से हुऐ फसलों के नुकसान के नियमः

क्रमांक सं0	खड़ी फसलों को हुई क्षति का विवरण	फसल का नाम	पूर्व राहत मुआवजा प्रति क्षतिग्रस्त एकड़	वर्तमान में राहत मुआवजा प्रति क्षतिग्रस्त एकड़ 1–1–2014 से लागू
1	क्षति 51 % व अधिक	1. गेहूँ, धान, कपास 2. अन्य फसले	2,700 2,100	4,000 3,500

स्त्रोतः राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, हरियाणा।

4.26 राज्य सरकार ने फरवरी/मार्च 2015 में हुई बेमौसमी वर्षा व ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों के लिये 1,092.20 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, करनाल, सिरसा, पानीपत, रेवाडी और कुरूक्षेत्र जिलों से क्रमशः 63,21,500, 27,72,000, 55,40,000, 13,63,920 और 44,37,000 रूपये की अतिरिक्त राशि की मांग को भी स्वीकृत किया जा चुका है। इस स्कीम के तहत निम्न राहत राशि को जारी किया जा चुका हैः–

- वर्तमान सरकार द्वारा फसल के नुकसान पर प्रत्येक हिस्सेदार को कम से कम 500 रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएगें।
- अक्तुबर, 2013 मे भारी वर्षा से नष्ट हुई फसलों के लिये 21.96 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई ।
- फरवरी/मार्च 2014 मे हुई ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलो के लिये 97.29 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई ।
- वर्ष 2014 मे सूखे से नष्ट हुई किसानो की फसलों के लिये 123.21 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है।
- दिनांक 14–9–2015 को राज्य सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को सफेद मक्खी से खराब हुई खरीफ फसलों का आंकलन करने के लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं।
- सरकार ने मार्च/अप्रैल, 2015 में जिला भिवानी में सूखे से खराब हुई रबी की फसलों के लिए किसानों को तुरन्त राहत प्रदान करने के लिए 17,85,87,500 रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई।
- सरकार द्वारा जिला भिवानी में वर्ष 2014 में सूखे से नष्ट हुई फसलो की 1.08 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है।
- सरकार द्वारा जिला हिसार में वर्ष 2013–14 में सफेद मक्खी के प्रकोप से नष्ट हुई फसलों के लिये राहत पहुचाने हेतू 9,02,54,645 रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है।

बीज प्रमाणीकरण

4.27 हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना बीज अधिनियम 1966 की धारा–8 के अर्न्तगत राष्ट्रीय बीज परियोजना में दी गई शर्तों और रजिस्ट्रेशन आफ सोसाईटिज एक्ट–1860 के अधीन इसका पंजीकरण हुआ जो 6–4–1976 से एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य कर रही है। इस संस्था का मुख्य कार्य बीज अधिनियम–1966 की धारा–5 के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई फसलों के बीजों/जातियों को निर्धारित मानको के अनुसार प्रमाणित करना है। प्रमाणीकरण का कार्यक्रम विभिन्न बीज उत्पादन करने वाली संस्थाओं जैसे हरियाणा बीज विकास निगम, कृषि विभाग,

उद्यान विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम, ईफको, कृभको एवं अन्य व्यक्तिगत बीज उत्पादकों द्वारा आफर किया जाता है। फसलवार निर्धारित मानको का विवरण, केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानको में दिया हुआ है। वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निरीक्षण किये गए क्षेत्र और प्रमाणित किये गए बीजों की मात्रा का ब्यौरा **तालिका 4.12** में दिया गया है।

तालिका 4.12– राज्य में निरीक्षण किया गया क्षेत्र व प्रमाणित किये गए बीजों की मात्रा

वर्ष	निरीक्षण किया गया क्षेत्र (000 हैक्टयेर)	प्रमाणित की गई मात्रा (000 क्विंटल)
2011–12	72.20	1928.59
2012–13	63.54	1652.49
2013–14	73.34	2069.84
2014–15	89.75	2275.00
2015–16 (लक्ष्य)	90.00	2290.00

स्त्रोतः–बीज प्रमाणीकरण संस्था, हरियाणा।

4.28 वर्तमान में, राज्य में सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्र में 191 प्रसंस्करण संयंत्र कार्य कर रहे हैं जिनमें विभिन्न फसलों की जातियों के बीजों का प्रसंस्करण का कार्य प्रमाणीकरण के उद्देश्य से होता है। बीजों के प्रसंस्करण के उपरान्त, प्रत्येक लोट से बीज का एक नमुना लेकर और उसे राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला करनाल व सिरसा (कृषि विभाग के अधीन नियन्त्रित) व बीज प्रमाणीकरण प्रयोगशाला पंचकुला व रोहतक में आवश्यक जांच के लिए भेजा जाता है, तथा वहां से परिणाम प्राप्त होने के बाद अगर वह लोट प्रमाणीकरण के सभी निर्धारित मानकों को पूरा करती है तब लोट को प्रमाणित कर दिया जाता है।

प्रमाणित बीजों का उत्पादन तथा वितरण

4.29 किसानों को समय पर प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा बीज विकास निगम का हरियाणा राज्य में 75 बीज बिक्री केन्द्रों का अपना एक नेटवर्क है, इसके अतिरिक्त सभी विभिन्न सरकारी/सहकारी संस्थाओं जैसे मिनी बैंकों, हैफेड, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम आदि के माध्यम से भी किसानों को बीज उपलब्ध करवाता है। निगम द्वारा जरूरत के अनुसार अस्थाई बीज बिक्री केन्द्र भी खोले जाते हैं। अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त करवाने के लिए हरियाणा बीज विकास निगम किसानों को प्रमाणित बीजों के अतिरिक्त खरपतवार नाशक, कीट नाशक एवं फफुंदीनाशक दवाईयां भी बीज बिक्री केन्द्रों से उपलब्ध करवा रहा है। हरियाणा बीज विकास निगम अपने माल की बिक्री अपने ब्रान्ड नाम 'हरियाणा बीज' से कर रहा है, जो कि

किसानों में बहुत ही लोकप्रिय है। हरियाणा बीज विकास निगम राज्य से बाहर अन्य राज्य बीज निगमों, कृषि विभागों एवं बहुतायत बीज खरीददारों और वितरकों को भी प्रमाणित बीजों की पूर्ति करता है।

4.30 वर्ष 2014–15 के दौरान निगम द्वारा 7,992 क्विटंल खरीफ फसल प्रमाणित बीज व 2,06,225 क्विटंल रबी फसल प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया। वर्ष 2015–16 के दौरान निगम द्वारा 29,968 क्विटंल खरीफ बीज तथा 2,89,261 क्विंटल प्रमाणित बीजों की बिक्री की गई जिनमें फसलों धान, दलहन, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, दलहन, तिलहन, बरसीम, एवं जई इत्यादि बेचा गया। निगम द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रमाणित बीजों का उत्पादन व वितरण **तालिका 4.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.13– प्रमाणित बीजों का उत्पादन व वितरण

(क्विटंल में)

फसलों के नाम	**खरीफ 2014**	**खरीफ 2015**	**फसलों के नाम**	**रबी 2014–15**	**रबी 2015–16 (31–12–2015 तक)**
	उत्पादन	**बिक्री**		**उत्पादन**	**बिक्री**
धान	6140	6525	गेहूँ	197798	281152
ज्वार	––	2921	जौ	4424	2300
बाजरा	13	1049	दालें	2182	1072
दालें	1655	1499	तिलहन	1821	2840
ग्वार	184	626	बरसीम	––	1781
ढैंचॉ	––	17374	जई	––	116
अन्य/सब्जियां	––	1	अन्य/सब्जियां	––	––
कुल	**7992**	**29968**		**206225**	**289261**

स्त्रोतः– हरियाणा बीज विकास निगम।

हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटिड

4.31 हरियाणा भूमि सुधार एवम् विकास निगम लिमिटेड (एच.एल.आर.डी.सी.लि0) की स्थापना वर्ष 1974 में की गई। निगम का मुख्य कार्यक्रम कल्लर भूमि का सुधार, कृषि उत्पादों की बिक्री एवं गुणवत्तापूर्वक बीज तैयार करना है। भूमि सुधार स्कीम (डब्लू.एस.टी) व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम (आर.के.वी.वाई) के अर्न्तगत किसानों को जिप्सम 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय मिशन आयॅल सीड एण्ड आयॅलपाम तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन व तिलहन के तहत 60 प्रतिशत अनुदान पर जिप्सम राज्य के किसानों को उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2015–2016 में (दिसम्बर, 2015 तक) निगम द्वारा 46,051 टन जिप्सम पाउडर राज्य के किसानों को उपलब्ध करवाई गई है। राज्य के कुल 4,05,499 हैक्टेयर कल्लर भूमि में से निगम ने 3,58,694 हैक्टेयर भूमि का सुधार दिसम्बर, 2015 तक कर दिया है। भारत सरकार के नवीनतम सर्वे के अनुसार जो वर्ष 2010 में किया गया है, राज्य में बाकि बची 1,84,000 हैक्टेयर कल्लर भूमि का सुधार आगामी 10 से 15 वर्षो में पूरा कर लिया जायेगा। वर्ष 2015–2016 में (दिसम्बर, 2015 तक) निगम द्वारा 6,408 टन यूरिया, 1,847 टन जिंक सल्फेट, 110 टन फैरस सल्फेट, 491 टन सिंगल सुपर फासफेट,

1,65,205 लीटर/किलोग्राम/यूनीट कीटनाशक/खरपतवार/फफूंदीनाशक दवाईया, 1,78,720 बैग ओरगैनिक खाद, 1,74,496 बायोपैस्टीसाईड़ तथा 14,164 क्विंटल प्रमाणित बीजों की बिक्री राज्य के किसानों को की जा चुकी है तथा खरीफ 2015 में निगम द्वारा हिसार व अन्य फार्मो में 7,784 क्विंटल (अनुमानित) प्रमाणित बीज तैयार कर राज्य के किसानों को वितरित करने के लिये हरियाणा बीज विकास निगम/राष्ट्रीय बीज विकास निगम को उपलब्ध करवाया गया।

बागवानी

4.32 भारत वर्ष में हरियाणा बागवानी के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। भारतवर्ष में, हरियाणा मौसमी बटन मशरूम का सबसे अधिक उत्पादन करता है। जलवायु एवं मृदा के अनुसार उद्यान विभाग फल उत्पादन के विकास के लिए सामूहिक पहुँच को प्रोत्साहित कर रहा है।

बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र व उत्पादन

4.33 हरियाणा राज्य में 4.50 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी फसलों के अधीन है जो कि कुल फसल क्षेत्र का 6.89 प्रतिशत है। हरियाणा राज्य में वर्ष 2014–15 में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 61.44 लाख टन है और 40.39 लाख टन दिसम्बर, 2015 तक हो गया है। राज्य में बागवानी फसलों का क्षेत्र व उत्पादन **तालिका 4.14 (क) से 4.14 (ड़)** में दर्शाया गया है।

फल की खेती

4.34 राज्य में नीबूं वर्गीय, आम, अमरूद, चीकू और आंवला प्रमुख फलीय फसलें हैं, इनमें नीबूं वर्गीय फसल मुख्य हैं। वर्ष 2014–15 में फलीय फसलों का क्षेत्र व उत्पादन क्रमशः 60,450 हैक्टेयर व 7,03,675 टन था। चालू वर्ष 2015–16 में 11,800 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र के साथ कुल फल उत्पादन 7,17,404 टन का लक्ष्य रखा गया जिसमें 1,843 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल के साथ 3,84,064 टन फल का उत्पादन दिसम्बर, 2015 तक हो गया है।

तालिका 4.14 (क)– फलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

फलों के नाम	उपलब्धियां 2014–15		लक्ष्य 2015–16		उपलब्धियां 2015–16(दिसम्बर,2015 तक)	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)
1) नींबू वर्गीय फसलें	19499	302065	20318	267858	20119	109734
2) आम	9222	88724	9390	118202	9348	82019
3) अमरूद	10843	136730	11354	154286	11407	93514
4) चीकू	1603	13917	1669	14331	1664	7687
5) आंवला	2229	11015	2304	11813	2229	5944
6) अन्य	17054	151224	18021	150914	8332	85166
योग	**60450**	**703675**	**63056**	**717404**	**53099**	**384064**

स्त्रोतः– बागवानी विभाग, हरियाणा।

सब्जी की खेती

4.35 वर्ष 2014–15 में सब्जीय फसलों का क्षेत्र व उत्पादन क्रमशः 3,59,395 हैक्टेयर व 52,85,590 टन था। चालू वर्ष 2015–16 में 3,95,300 हैक्टेयर क्षेत्र के साथ कुल सब्जी उत्पादन 65,22,400 टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसमें 3,12,819 हैक्टेयर क्षेत्र के साथ 35,47,171 टन कुल सब्जी उत्पादन दिसम्बर, 2015 तक हो गया है।

तालिका 4.14 (ख)– सब्जीय फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

सब्जियों के नाम	उपलब्धियां 2014–15		लक्ष्य 2015–16		उपलब्धियां 2015–16 (दिसम्बर,2015 तक)	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)
1) आलू	30134	722584	33000	759000	33704	239340
2) टमाटर	27245	666564	28000	761500	17699	340847
3) प्याज	28688	640215	31800	865300	16005	399585
4) बेल वाली सब्जी	47887	524749	56000	1038700	37248	531155
5) फूल गोभी	30228	575666	33800	577500	32423	383939
6)पत्ते वाली सब्जी	30455	350038	30000	344500	27203	231044
7) मटर	14703	104300	15000	104400	13941	41815
8) बैंगन	18522	355995	18000	30000	13917	239677
9) अन्य	131533	1445479	149700	2041500	120679	1139769
योग	**359395**	**5285590**	**395300**	**6522400**	**312819**	**3547171**

स्त्रोतः– बागवानी विभाग, हरियाणा।

मसाले

तालिका 4.14 (ग)– मसालों का क्षेत्र एवं उत्पादन

मसालों के नाम	उपलब्धियां 2014–15		लक्ष्य 2015–16		उपलब्धियां 2015–16 (दिसम्बर,2015 तक)	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)
1) अदरक	285	4160	400	5800	430	990
2) लहसुन	3342	32575	3700	41000	3282	34933
3) मैथी	3569	8968	3800	6000	1951	5441
4) अन्य	5414	35487	5950	36190	3314	21081
योग	**12610**	**81190**	**13850**	**88990**	**8977**	**62445**

स्त्रोतः– बागवानी विभाग, हरियाणा।

4.36 वर्ष 2014–15 में मसालों की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़कर 12,610 हैक्टेयर हो चुका है। चालू वर्ष 2015–16 के लिए 13,850 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा माह दिसम्बर, 2015 तक मसालों की खेती के अधीन 8,978 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है।

औषधीय एवं सुगन्धित पौधे

4.37 वर्ष 2014–15 के दौरान 1,040 हैक्टेयर क्षेत्र औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती के अधीन लाया जा चुका है। वर्ष 2015–16 के लिए 1,194 (एनःएमःएमःपी) हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया तथा माह दिसम्बर, 2015 तक 1,200 हैक्टेयर क्षेत्र औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती के अधीन लाया जा चुका है।

तालिका 4.14 (घ)– मसालों का क्षेत्र एवं उत्पादन

औषधीय एवं सुगंधित पौधों के नाम	उपलब्धियां 2014–15		लक्ष्य 2015–16		उपलब्धियां 2015–16 (दिसम्बर,2015 तक)	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)
1) एलोवेरा	55	21	30	150	26	106
2) स्टीविया	24	1	16	0	7	1
3) अन्य	961	596	1148	577	1167	963
योग	**1040**	**618**	**1194**	**727**	**1200**	**1070**

स्त्रोतः– बागवानी विभाग, हरियाणा।

फूलों की खेती

4.38 राज्य के किसानों में फूलों की खेती के प्रति जागरूकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वर्ष 2014–15 में फूलों की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़कर 6,110 हैक्टेयर हो चुका है। चालू वर्ष 2015–16 के लिए 6,680 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया तथा माह दिसम्बर, 2015 तक फूलों के अधीन 4,816 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है।

तालिका 4.14 (ड़)– मसालों का क्षेत्र एवं उत्पादन

फूलों के नाम	उपलब्धियां 2014–15			लक्ष्य 2015–16			उपलब्धियां 2015–16 (दिसम्बर,2015 तक)		
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	उत्पादन (लाख)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	उत्पादन (लाख)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी)	उत्पादन (लाख)
ग्लोयोलियस	214	0	192	368	0	500	114	–	44.91
गेंदा	5381	62337	0	5887	68308	0	4458	37890	–
गूलाब	246	476	223	169	638	246	95	847	28.78
अन्य	269	52	312	256	194	434	149	131	121.42
योग	**6110**	**62865**	**727**	**6680**	**69140**	**1180**	**4816**	**38868**	**195.11**

स्त्रोतः– बागवानी विभाग, हरियाणा।

मशरूम

4.39 वर्ष 2014–15 में खुम्ब का उत्पादन 10,390 टन हुआ। चालू वर्ष 2015–16 के लिए 10,788 टन खुम्ब के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया तथा माह दिसम्बर, 2015 तक 5,363 टन खुम्ब का उत्पादन हो चुका है।

संरक्षित खेती

4.40 रोग मुक्त पौधे, गैर मौसमी सब्जियों व कीटनाशक रहित सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए, हरित गृह तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। वर्ष 2014–15 में 80.57 हैक्टेयर क्षेत्र पर ग्रीन हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। इन्डो–इजराइल परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन तथा प्रदर्शन के कारण, बहुत से किसान इस तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। वर्ष 2015–16 के लिए 102.41 हैक्टेयर क्षेत्र पर ग्रीन हाउस बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा माह दिसम्बर, 2015 तक 65.29 हैक्टेयर क्षेत्र पर ग्रीन हाउस स्थापित किए जा चुके है।

कम्यूनिटी टैंक

4.41 पानी के प्रभावी संग्रहण एवं प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को तालाब बनाने के लिए 100 प्रतिशत सहायता दी गई है। जल स्त्रोत प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 150 सामुदायिक टैंक/जल खेत तालाब बनाने के लिए 4.90 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई तथा माह दिसम्बर, 2015 तक 107 जल खेत तालाबों का निर्माण किसानों द्वारा अपने खेतों पर किया जा चुका है।

सूक्ष्म सिंचाई

4.42 राष्ट्रीय मिशन के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2014–15 की समाप्ति तक 39,734 हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अधीन लाया जा चुका है तथा वर्ष 2014–15 के दौरान 3,400 हैक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया। वर्ष 2015–16 में बागवानी फसलों के लिए 10,140 हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अधीन लाने का लक्ष्य रखा गया है तथा माह दिसम्बर, 2015 तक बागवानी फसलों के लिए 1,484 हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अधीन लाया जा चुका है।

4.43 राज्य में बागवानी के विकास के लिए कुछ परियोजनाएं निम्न प्रकार से हैं:–

i घरौण्डा (करनाल) में सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र इण्डो–इजराईल परियोजना के अंतर्गत स्थापित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत 600 लाख रूपये थी। इस केन्द्र का उद्घाटन 17 जनवरी, 2011 को किया गया।

ii मांगियान (सिरसा) में फल उत्कृष्टता केन्द्र इण्डो–इजराईल परियोजना के अंतर्गत स्थापित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत 970 लाख रूपये थी। इस केन्द्र का उद्घाटन 21 मई, 2013 को किया गया।

iii लाडवा, कुरूक्षेत्र में सब–ट्रॉपिकल फल केन्द्र, सरकारी बाग व नर्सरी में स्थापित किया जायेगा जिसकी घोषणा 2013–14 में की गई थी। इस परियोजना का कुल क्षेत्र 12 हैक्टेयर (30 एकड) तथा कुल लागत 910.35 लाख रूपये होगी।

iv रामनगर (कुरूक्षेत्र) में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केन्द्र,सरकारी बाग व नर्सरी में स्थापित की जानी है जिसकी घोषणा वर्ष 2013–14 में की गई थी। इस परियोजना का कुल क्षेत्र 10 हैक्टेयर (25 एकड) तथा कुल लागत 1,050 लाख रूपये होगी।

v घरौण्डा (करनाल) और खरिंडवा फार्म में पुष्प उत्कृष्टता केन्द की स्थापना के लिए 15 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं।

नई पहल

4.44 राज्य में बागवानी के विकास के लिए कुछ नई पहल निम्न प्रकार से हैः–

1. राज्य में एक बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में स्थापित किया जा रहा है। यह फल, सब्जियां, मसाले, औषधीयां और फूलों के उत्पादन के लिए अनुसंधान और विकास में बहुत उछाल लाएगा।
2. कृषि उत्पादन की मार्केटिंग एवं ब्राडिंग के लिए ''हरियाणा ताज़गी'' ब्रांड चालू किया गया है।
3. किसानों को बागवानी के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप व किसान उत्पादन संगठन का गठन किया गया है। माह अप्रैल, 2015 तक 6,305 किसानों को सम्मिलित करते हुए 306 व 13 का पंजीकरण किया जा चुका है।
4. राज्य में 13 किसान उत्पादन संगठन के प्रबन्धन के लिए, लघु किसान कृषि–व्यवसाय संघ, हरियाणा, उद्यान विभाग व नाबार्ड के मध्य एक Mou साईन किया गया है। नाबार्ड द्वारा इस उद्देश्य के लिए 4.2 करोड़ रूपये की राशि दी गई है।
5. समेकित बागवानी विकास मिशनः– बागवानी के समन्वित विकास के लिए वर्ष 2014–15 में बजट आउटले 15,250.00 लाख रू0 से संशोधित आउटले 8,596.95 लाख रू0 था जिसमें कुल खर्च 7,984.32 लाख रू0 (92.87%) था। वर्ष 2015–16 में बजट आउटले 1,43,000 लाख रू0 इस स्कीम के अंतर्गत रखा गया।
6. राष्ट्रीय कृषि की कार्ययोजना के लिए स्थायी मिशनः– वर्ष 2014–15 के दौरान इस योजना के अंतर्गत एक्शन प्लान राशि 5,412 लाख रू0 था जिसमें बजट प्रावधान 4,910.23 लाख रू0 था जिसमें से कुल 2,854.04 लाख रू0 (58.12%) खर्च किए गए। वर्ष 2015–16 के लिए इस स्कीम के अंतर्गत 6,380 लाख रू0 का बजट आउटले रखा गया।
7. प्रशिक्षण कार्यक्रमः–वर्ष 2014–15 के दौरान ए. एच. आर. डी. स्कीम के अंतर्गत, 3,065 किसानों को एच. टी. आई. उचानी, करनाल व फूड प्रोसेसिंग केन्द्र जीन्द, हिसार व कुरूक्षेत्र में प्रशिक्षण दिया गया।

सिंचाई

4.45 जल जीवन का अमृत है जो जीवन और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। तथापि, पानी की उपलब्धता मुख्य समस्या बनती जा रही है और विभिन्न कारण इस अनमोल व महत्वपूर्ण स्त्रोत की समस्या को और जटिल बना रहे हैं। जल संसाधनों की उपलब्धता पानी के अन्य इस्तेमाल जैसे कि पीने के लिए, पशुओं के लिए, उद्योगों के लिए, बिजली उत्पादन व पर्यावरण आदि में बढने के कारण भविष्य में कृषि प्रयोजनों के लिए कम होने की संभावना है। इसके विपरीत, जनसंख्या में हो रही बढ़ौतरी के कारण भोजन व रेशम के उत्पादन की बढ़ी हुई मांग की पूर्ति करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हरियाणा, स्तही जल के किसी भी बारहमासी

स्त्रोत के बिना और उसका पानी में हिस्सा विभिन्न अंतर्राज्यीय समझौते पर निर्भर होने के बावजूद स्तही पानी का प्रबंधन इतने अच्छे तरीके से कर रहा है कि राष्ट्रीय खाद्यान्न भण्डारण में हरियाणा राज्य मुख्य योगदानकर्ता में से एक बन गया है। सिंचाई विभाग की उपलब्धियां **तालिका 4.15** से **4.17** में दर्शाई गई हैं

4.46 हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग राज्य में नहर व जल निकासी तंत्र के संचालन और रखरखाव के साथ सिंचाई के लिए पानी, पीने का पानी, तालाबों को भरने और औधोगिक एवं अन्य व्यावसायिक उदेश्यों के लिए पानी की आपूर्ति करने की प्राथमिक जिम्मेवारी है। हरियाणा द्वारा 14,085 कि0मी0 लम्बाई के 1,461 नालों के व्यापक नहर तंत्र का विकास किया गया है। भाखडा प्रणाली में कुल 5,961 कि.मी. की लम्बाई में कुल 552 नहरें हैं, यमुना प्रणाली में 4,422 कि0मी0 की लम्बाई में कुल 446 नहरें हैं व उठान प्रणाली में 3,702 कि0मी0 की लम्बाई में 493 नहरें हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य में 5,150 कि0मी0 लम्बाई में लगभग 800 ड्रेनों की विशाल निकास प्रणाली है। राज्य में नहरी तंत्र बहुत पुराना है और इसके लगातार प्रयोग से चैनलों की जल वाहक क्षमता काफी कम हो चुकी है। इसलिए, नहरी तंत्र का पुनर्वास करना बहुत ही जरूरी हो गया है। सरकार वाहक प्रणाली की क्षमता में वृद्धि से मौजूदा नहर प्रणाली के जीर्णोद्वार की योजना बना रही है ताकि मानसून अवधि के दौरान फालतू पानी को राज्य में सिंचाई के साथ–साथ संरक्षण के काम में लाया जा सके। जे0एल0एन0 नहर प्रणाली के पुर्नवास की एक मुख्य परियोजना 143 करोड़ रू0 की लागत से स्वीकृत की जा चुकी है। इस कार्य को चरणबद्ध तरीके से लेते हुए 2 वर्षों में पूरा कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिला सिरसा में वर्षा मौसम के दौरान घग्गर नदी में उपलब्ध पानी को सिंचाई एवं भूजल पुनर्भरण के उपयोग के लिए नाईवाला खरीफ चैनल जो आर0डी0 22,000 घग्गर–बाणी–सदेवा लिंक चैनल से निकलेगा का 57 करोड़ रूपये की लागत से निर्माण किया जाएगा। इस चैनल का निर्माण कार्य जून, 2016 तक पूरा होने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष के दौरान विभाग द्वारा नहर तंत्र के जीर्णोद्धार पर 100 करोड़ रू0 खर्च किए गए हैं।

तालिका 4.15–वर्ष 2014–15 के दौरान सिंचाई व जल निकासी की कमीशनंड की गई परियोजनाएं

परियोजनाओं के प्रकार	मुख्य परियोजना			मध्यम परियोजना			लघु परियोजना		
	संख्या	लम्बाई (फिट)	परियोजना की लागत (लाख रूपये)	संख्या	लम्बाई (फिटं)	परियोजना की लागत (लाख रूपये))	संख्या	लम्बाई (फिटं)	परियोजना की लागत (लाख रूपये))
सिचाई									
वाई डब्लयू एस (एन)	0	0	0	5	88600	504.9	2	33765	634.77
वाई डब्लयू एस (एस)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बी डब्लयू एस	5	369700	17603	1	18353	484.18	13	18968	425.47
एल सी यू	7	128495	2447.56	6	108185	4636.73	4	5400	477.390
निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**12**	**498195**	**20050.56**	**12**	**215138**	**5625.81**	**19**	**58133**	**1537.63**
जल निकासी									

वाई डब्लयू एस (एन)	0	0	0	3	28200	536.4	5	4550	361.64
वाई डब्लयू एस (एस)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बी डब्लयू एस	3	63256	3109	1	200	26.64	9	6620	93.77
एल सी यू	4	17320	379.66	2	3400	164.22	5	5200	117.36
निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**7**	**80576**	**3488.66**	**6**	**31800**	**727.26**	**19**	**16370**	**572.77**

स्त्रोतः– सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा

तालिका 4.16–वर्ष 2014–15 के दौरान सिंचाई व जल निकासी की सुविधा की मरम्मत/रखरखाव पर खर्च

परियोजनाओं के प्रकार	मुख्य परियोजना			मध्यम परियोजना			लघु परियोजना		
	संख्या	लम्बाई (फिटं)	परियोजना की लागत (लाख रूपये)	संख्या	लम्बाई (फिट)	परियोजना की लागत (लाख रूपये)	संख्या	लम्बाई (फिटं)	परियोजना की लागत (लाख रूपये)
सिचाई									
वाई डब्लयू एस (एन)	0	0	0	4	88600	504.9	1	17697	86.32
वाई डब्लयू एस (एस)	0	0	0	0	0	0	1	12725	65.00
बी डब्लयू एस	2	207400.0	3000.93	11	228941	1927.58	89	1632	194.50
एल सी यू	10	289796.6	3817.26	4	100519	242.11	3	5400	48.39
निर्माण	0	0	0	1	58500	496.00	0	0	0
कुल	**12**	**497196.6**	**6818.19**	**20**	**476560**	**3170.59**	**94**	**37454**	**394.21**
जल निकासी									
वाई डब्लयू एस (एन)	0	0	0	3	55300	166.86	3	18300	154.43
वाई डब्लयू एस (एस)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बी डब्लयू एस	0	0	0	1	69250	165.29	47	863	83.77
एल सी यू	12	37600	1504.96	9	46745	808.3	15	11200	303.27
निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**12**	**37600**	**1504.96**	**13**	**171295**	**1140.45**	**65**	**30363**	**541.47**

स्त्रोतः– सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा

तालिका 4.17– वर्ष 2014–15 के दौरान निर्माण और जल चैनल की मरम्मत पर खर्च

कार्य के प्रकार	लक्ष्य		उपलब्धियां	
	भौतिक (फीट)	वित्तिय (लाख रूपये)	भौतिक (फीट)	वित्तिय (लाख रूपये)
पानी के नये चैनलों का निर्माण				
वाई डब्लयू एस (एन)	0	0	0	0
वाई डब्लयू एस (एस)	0	0	0	0
बी डब्लयू एस	0	0	0	0
एल सी यू	0	0	0	0
निर्माण	0	0	0	0
कुल	**0**	**0**	**0**	**0**
मौजूदा जल चैनलों की मरम्मत				
वाई डब्लयू एस (एन)	412758	1309.84	292872	890.8

वाई डब्लयू एस (एस)	77900	285.45	77900	284.56
बी डब्लयू एस	726966	3705.24	1160153	4097.31
एल सी यू	629726	3209.62	835153	4256.65
निर्माण	45477	146.30	44734	140.49
कुल	**1892827**	**8656.45**	**2410812**	**9669.81**
कोई अन्य कार्य				
वाई डब्लयू एस (एन)	7	909.11	7	912.12
वाई डब्लयू एस (एस)	0	0	0	0
बी डब्लयू एस	0	0	0	0
एल सी यू	0	0	0	0
निर्माण	0	0	0	0
कुल	**7**	**909.11**	**7**	**912.12**

स्त्रोतः– सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा

4.47 कुल 15,404 जलमार्गों में से लगभग 9,600 जलमार्गों की लाईनिंग विभिन्न परियोजनाओं के तहत दोनों सिंचाई विभाग एवं कमांड क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा की गई है। इनमें से अधिकतर जलमार्गों की लाईनिंग 30 साल पहले की गई थी, ज्यादातर क्षतिग्रस्त हैं और जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। विभाग द्वारा 7,500 जलमार्गों की पहचान भारी मुरम्मत एवं पुनर्रोद्धार के लिए गई है। जलमार्गों के पुनर्रोद्धार और पुनर्वास का कार्य भी चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के दौरान 60 करोड़ रूपये इस उद्देश्य के लिए खर्च किए गए हैं। 36 करोड़ रूपये की लागत से 84 जलमार्गों के पुनर्रोद्धार का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान 200 जलमार्गों के पुनर्रोद्धार की योजना विभाग के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में नाबार्ड से 300 करोड़ रूपये की लागत से 565 जलमार्गों के पुनर्रोद्धार परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

4.48 उपलब्ध स्तही पानी के अधिकतम् उपयोग के लिए लघु सिंचाई को बढावा देने के लिए विभाग द्वारा कमांड क्षेत्र प्राधिकरण के सहयोग से 25 करोड़ रू0 की लागत से 13 जिलों में स्प्रींकलर व ड्रिप सिंचाई के प्रदर्शन की पायलेट परियोजना की प्रकिया शुरू की है। इस परियोजना को इस वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंत तक अमल में लाने का उद्देश्य है। इसकी सफलता को अन्य जिलों में भी दोहराया जाएगा।

4.49 हर साल माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न बाढ़ नियंत्रण एवं निकासी की योजनाएं स्वीकृत की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 मानसून के आगमन से पहले बाढ़ नियंत्रण कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक 13–1–2016 को 47वीं मीटिंग के दौरान 124.77 करोड़ रूपये की लागत से 105 नई योजनाएं व 256.80 करोड़ रूपये की 140 चालू योजनाएं बाढ़ नियंत्रण एवं निकासी के लिए स्वीकृत की गई। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 102 करोड़ रूपये की लागत से 94 योजनाओं का कार्य पूरा किया जा चुका है व 48 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

4.50 सरकार द्वारा भूजल पुनर्भरण के लिए 6.41 करोड़ रूपये की लागत से 390 इंजैक्शन कुओं के निर्माण की एक प्रायोगिक परियोजना को स्वीकृती दी गई है। इसका कार्य जल्द ही आरंभ कर दिया जाएगा।

वन

4.51 हरियाणा 81 प्रतिशत कृषि अधीन क्षेत्र के साथ मुख्यतः एक कृषि प्रधान राज्य है वन एवं वृक्ष आच्छांदित क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6.65 प्रतिशत भाग पर विद्यमान है। वन विभाग सामुदायिक भागीदारी के द्वारा पर्यावरण में सुधार तथा वनों एवं वन्य प्राणीयों के लिए जंगलों के जैव–विविधता संरक्षण हेतू राज्य में वन एवं वृक्ष आच्छान्दित क्षेत्र बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है। इस उददेश्य को प्राप्त करने के लिए, हर घर में पौधारोपण हेतू "हर घर हरियाली" तथा कृषि भूमि, पंचायती भूमि, संस्थागत भूमि पर पौधारोपण हेतू कृषि वानिकी जैसी योजनाएं चलाई गई हैं। नीम, शीशम, बड़, पीपल, बकैन, जण्ड एवं रोहेड़ा इत्यादि देशी प्रजातियों के पौधारोपण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के दौरान 20,264 हैक्टेयर क्षेत्र में 150.63 लाख पौधे लगाकर पौधारोपण किया गया है।

4.52 प्रकृति शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा कलेसर में शुरू किया गया है जिसमें स्थानीय लोगों खासकर युवाओं, महिलाओं और स्कूल के शिक्षकों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और रक्षा के लिए संवेदनशील बनाया जाता है। लोगों को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के करीब लाने के लिए हर जिले में हर्बल पार्क स्थापित किये गये हैं। अब तक 58 हर्बल पार्क स्थापित किये जा चुके हैं। इससे लोग अपने जीवन में पर्यावरण के अनुकूल मैत्री व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे तथा वे भविष्य के ग्रीन स्वयंसेवकों के रूप में कार्य करेगें।

4.53 हरियाणा में गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की सफलतापूर्वक शुरूआत की गई है। इस कार्यक्रम को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (भारतीय एनजीओ), पक्षियों के संरक्षण के लिए रॉयल सोसाइटी, लंदन (इंटरनेशनल एनजीओ) के सहयोग से वन विभाग हरियाणा द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा इस केन्द्र पर बंदी नस्ल गिद्धों की सुलभ रिहाई की शुरूआत माह नवंबर, 2015 में की गई– जो पूरे एशिया में पहला कदम है। इस कार्यक्रम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है।

4.54 शिवालिक क्षेत्र में मिट्टी और नमी संरक्षण पर भी जोर दिया गया है। शिवालिक में सभी मौजूदा जल संचयन संरचनाओं को चिन्हित किया जा चुका है। कलेसर से कालका तक जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए सभी संभव स्थलों की पहचान कर ली गई है और 2016–17 के दौरान इन स्थलों पर जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कर दिया जाएगा।

4.55 प्रबंधन सूचना प्रणाली और भौगोलिक सूचना प्रणाली वैज्ञानिक नियोजन एवं प्रबंधन के महत्वपूर्ण उपकरण हैं और इनको लेखों, प्रशासन, वन एवं वन्य जीव प्रबंधन और कार्मिक प्रबंधन में दक्षता बढ़ाने के लिए विकसित किया जा रहा है।

4.56 गुड़गांव में परित्यक्त मेड़ों के कायाकल्प एवं नवीनीकरण पर पीपीपी मोड के तहत एक पायलट परियोजना शुरू की गई है जिसमें सीएसआर कोष में निधिकरण के लिए कॉर्पोरेट घरानों तथा गैर–सरकारी संगठनों को सम्मिलित किया गया है। इससे हरे–भरे शहरी स्थान विकसित होगें जिससे नागरिकों में अपनेपन की भावना पैदा होगी।

4.57 वानिकी और वन्य जीवों के सुधार के लिए, वन विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक, 946 गांवों में 2,195 स्वयं सहायता समूह गठित किये गये हैं। आय सृजन गतिविधियों को अपनाते हुए स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार साबित हुए हैं। इनके सदस्य वनरोपण, वर्मी–खाद, जैविक खेती, बालिकाओं के बचाव आदि गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है। इससे आम जनता में जागरूकता बढी है और इससे हरियाणा को हरा–भरा एवं साफ सुथरा बनाने में मदद मिलेगी।

4.58 शिवालिक और अरावली में वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को वन्य जीवन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के मानचित्रीकरण हेतू सक्रिय रूप से शामिल किया गया। हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र की अवधारणा को लागू करके एक प्रशंसनीय कदम उठाया है जिसके कारण 'मांगड़ बनी' जैसे सुंदर जंगलों को बचा लिया गया है।

पशुपालन एवं डेयरी

4.59 राज्य में गौहत्या पर पूर्ण एवं प्रभावी प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार द्वारा ''हरियाणा गौवंश संरक्षण व गौसंर्वद्वन अधिनियम, 2015'' दिनांक 19–11–2015 से लागू किया जा चुका है। इस अधिनियम के अंतर्गत, गौहत्या और उनकी अवैध तस्करी को रोकने के लिए कठोर प्रावधान बनाये गये हैं। गौहत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक का कारावास व एक लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है और गौहत्या के उददेश्य से गायों की अवैध तस्करी करने वाले व्यक्ति को सात वर्ष तक की कैद एवं उस अवैध तस्करी में प्रयोग किये जाने वाले वाहन को जब्त करने के अतिरिक्त 70 हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक साल तक की अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया गया है।

4.60 ''राष्ट्रीय गौजातीय प्रजनन व डेरी विकास कार्यक्रम'' के अंतर्गत राज्य में स्वदेशी नस्लों की गाय जैसे हरयाना व साहीवाल का संवर्धन, उन्नयन व एकीकृत विकास किया जाता है।

4.61 देसी नस्ल की पांच दुधारू गायों से डेरी ईकाईयॉ स्थापित करने वाले को सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। चालू वित वर्ष के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत 1,512 डेयरी ईकाईयॉ स्थापित हो चुकी हैं और वर्ष 2016–17 के लिये 1,700 डेयरी ईकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

4.62 हरयाना नस्ल और साहीवाल नस्ल की अधिक दूध देने वाली गुणवत्तायुक्त देशी गायों को रखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये प्रदर्शन रिकार्डिग की एक योजना शुरू की गई है और अधिक दुग्ध उत्पादन के आधार पर उनके मालिकों को 10 हजार रूपये से लेकर 20 हजार रूपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस वर्ष के दौरान, अब तक 2,242 हरयाना नस्ल व 269 साहीवाल नस्ल की गायों की रिकार्डिंग कर ली गई है।

4.63 सरकार ने राज्य के रणनीतिक स्थानों पर बेसहारा गायों के प्रभावी पुनर्वास व रख–रखाव हेतू गौ–अभ्यारण स्थापित करने का निर्णय लिया है। यमुनानगर, हिसार, पानीपत व भिवानी जिलों में उपयुक्त स्थानों पर गौ–अभ्यारण स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

4.64 ''राष्ट्रीय पशुधन मिशन'' के तहत छोटे पशुओं, घोड़ों, सुअरों के सघन विकास और चारा सुधार के लिए विभाग ने विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया है। इस मिशन के अन्तर्गत सभी प्रकार के घरेलू पशुओं के बीमे का भी प्रावधान किया गया है।

4.65 पशुपालन राज्य के ग्रामीण लोगों की आय में सुधार लाने का मुख्य साधन है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुओं के अनुवांशिक सुधार के साथ–साथ इनको रोग मुक्त रखते हुए अधिकतम उत्पादन करने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। पशुधन गणना वर्ष 2012 के अनुसार राज्य के पशुओं की संख्या 89.98 लाख है जिसमें 18.08 लाख गाय और 60.85 लाख भैंस हैं। पूरे राज्य में पशुधन को पशु चिकित्सा और प्रजनन सेवाएं देने के लिए 2,799 पशु चिकित्सा संस्थान हैं जो कि औसतन प्रत्येक 3 गांवो में एक पशु चिकित्सा संस्थान हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त पशुओं को प्रजनन सेवाएं प्रदान करने के लिए 1,145 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र पीपीपी मोड़ के तहत स्थापित किये गये हैं और इनमें से 1,000 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित रहेंगे।

4.66 राज्य के कृषि सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र का लगभग 35 प्रतिशत योगदान है। पशुपालन क्षेत्र को सरकार के सुसंगत और स्थायी सहयोग से वर्ष 2014–15 में दुग्ध का कुल वार्षिक उत्पादन 79.01 लाख टन तक पहुंच गया है। राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध की उपलब्धता बढ़कर 805 ग्राम हो गई है जो कि देश में दूसरे उच्चतम स्थान पर है। राज्य में वर्ष 2014–15 के दौरान, अण्ड़ों के उत्पादन की संख्या 45,790 लाख और ऊन का उत्पादन 14.28 लाख किलोग्राम तक पहुंच चुका है।

4.67 पशुओं में अनुवंशिक सुधार लाने के लिए, भैंसों की मुर्राह नस्ल और गायों की हरयाना व साहीवाल नस्लों के संरक्षण, वंश वृद्धि और स्वदेशी जर्मप्लाज्म के सुधार के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भविष्य में अद्वितीय नस्ल के पशुओं के प्रजनन हेतू 'जीन पूल' स्थापित करने के उददेश्य से बेहतर जर्मप्लाज्म वाले पशुओं की पहचान की जा रही है। कम से कम समय में हरेक दुधारू पशु की दुग्ध उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए नई तकनीक लागू करने के अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान स्कीम के अन्तर्गत श्रेणी 19–22 किलोग्राम, श्रेणी > 22–25

किलोग्राम व श्रेणी 25 किलोग्राम से अधिक में दूध दर्ज करवाने वाले मुर्राह भैंसों के मालिकों को क्रमशः 15,000, 20,000 तथा 30,000 रूपये नकद प्रोत्साहन के रूप में दिये जा रहे हैं। इस उददेश्य के लिए अब तक 4,008 मुर्राह भैंसों की पहचान की जा चुकी है।

4.68 इन पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशुओं को आवश्यक चिकित्सा दवाइयॉ तथा जीवन रक्षक दवाइयॉ उपलब्ध करवाई जा रही है। विशेष प्रकार की पशु चिकित्सा सेवायें प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा रणनीतिक स्थानों पर पशु चिकित्सा पोलिक्लिनिक्स स्थापित किए है। अब तक सिरसा, भिवानी, सोनीपत व रोहतक में चार पोलिक्लिनिक्स स्थापित किये जा चुकें हैं। पालतु पशुओं के निदान व उपचार के लिए पंचकूला में एक आधुनिक चिकित्सा अस्पताल–सह–प्रशिक्षण केन्द्र, की स्थापना की चुकी हैं। जींद और रेवाडी में पोलिक्लिनिक के निर्माण का कार्य सम्पूर्ण होने के नजदीक है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016–2017 में 40 नये राजकीय पशुचिकित्सालय और राजकीय पशुऔषधालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

4.69 डेयरी विकास को स्वरोजगार का उपक्रम बनाने के दृष्टिकोण से वर्ष 2015–16 में 1,952 बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2016–17 में 1,600 डेयरी ईकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। उत्पादन बढ़ाने और इष्टतम दूग्ध उत्पादन हेतू अच्छी गुणवतायुक्त वाले पशु आहार व चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयत्न जारी रहेंगे।

4.70 सभी चल रही पशुधन स्कीमों को एक नई स्कीम में समामेलित किया जा चुका है जिसमें अनुसूचित जाति के स्वामित्व वाले पशुओं का बीमा मुफ्त में किया जा रहा है और ए.पी.एल. व बी.पी. एल. श्रेणियों से संबंधित पशुओं के मालिकों को केवल क्रमशः 7 प्रतिशत व 5 प्रतिशत बीमा प्रीमियम का भुगतान करवाया जा रहा है, शेष राशि का भुगतान भारत सरकार व हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा वहन किया जा रहा है। घरेलू जानवरों की सभी प्रजातियों जिनमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर व भारवाही पशुओं इत्यादि का बीमा उच्च रियायती दरों पर करवाया जा रहा है।

4.71 अनुसूचित जाति उप–योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति परिवारों के स्वामित्व वाले पशुओं के मुफत बीमा करने के साथ–साथ तीन दुधारू पशुओं की डेयरी, सूअर पालन और भेड़ व बकरी इकाईयों की स्थापना करते हुए उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2016–17 में कुल योजना आबंटन 21,440 लाख रूपये में से 1,500 लाख रूपये अनुसूचित जाति परिवारों के उत्थान के लिए चिन्हित किये गये हैं अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा डेयरी, सुअर पालन व भेड़ और बकरी की ईकाइयों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

4.72 गायों तथा अन्य दुधारू पशुओं के आधुनिक एवं श्रेष्ठ तकनीकी के आधार पर समग्र विकास के लिए हिसार में 1,498 करोड़ रूपये की लागत से एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने के लिए इज़राईल सरकार के साथ दिनांक 15–4–2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इससे राज्य में दूध उत्पादन क्षेत्र में नई क्रांति का संचार होगा और इस केन्द्र को स्थापित करने की प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है।

4.73 गाय व भैंसों की विभिन्न नस्लों में कृत्रिम गर्भाधान हेतू गुणात्मक जर्मप्लाज्म प्रदान करने के लिए राज्य में फ्रोजन सीमन बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रिय डेरी विकास बोर्ड से डेरी विकास योजना–1 के अन्तर्गत 20.08 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं। यह कार्यक्रम वर्ष 2016–17 में भी जारी रहेगा।

मत्स्य

4.74 हरित एवं श्वेत क्रांति के बाद हरियाणा राज्य अब नीली क्रांति की दहलीज पर है। राज्य के मत्स्य पालकों में मत्स्य पालन सहायक धंधे के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। राज्य सरकार मत्स्य पालकों को मत्स्य किसान विकास एजैन्सियों के माध्यम से तकनीकि एवं वित्तीय सहायता को बढ़ावा दे रही है। सजावटी मछलियों की मांग को पूरा करने के लिए राजकीय मत्स्य बीज फार्म, सैदपुरा (करनाल) में मछली बीज और सजावटी मछली उत्पादन हेतु हैचरी का निर्माण किया गया है। वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 17,016.49 हैक्टेयर क्षेत्र को मत्स्य पालन के अधीन ला कर 6,042.06 लाख मछली बीज संचय करते हुए 1,11,203.10 टन मत्स्य उत्पादन किया गया। इसी प्रकार से वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2015 तक 18,000 हैक्टेयर क्षेत्र के आवंटित लक्ष्यों के विरूद 14,480.66 हैक्टेयर क्षेत्र मत्स्य पालन के अधीन ला कर, 6,400 लाख मत्स्य बीज संचय के आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध 5,267.10 लाख मत्स्य बीज संचय करते हुए 1,26,900 टन के आवंटित लक्ष्यों के विरूद 88,130.90 टन0 मत्स्य उत्पादन किया गया। वर्ष 2014–15 में हरियाणा राज्य में पहली बार अनुपयोगी लवणीय व जलमग्न क्षेत्र को उपयोग में लाने हेतु नयी परियोजना का सृजन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सफेद झींगा पालन एवम मत्स्य पालन के लिए अनुपयोग लवणीय क्षेत्र जिला झज्जर, रोहतक, हिसार और जलमग्न क्षेत्र जिला मेवात व पलवल में शुरू किया गया। वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत 28 हैक्टेयर लवणीय क्षेत्र को सफेद झींगा के अधीन ला कर 100 लाख सफेद झींगा बीज संचय करते हुए औसतन 6.7 टन व अधिकतम 12.6 टन प्रति हैक्टेयर की दर से झींगा उत्पादन किया गया जो कि काफी सराहनीय रहा। इसी प्रकार वर्ष 2015–16 में 40 हैक्टेयर अतिरिक्त लवणीय भुमि में सफेद झींगा पालन व 27 हैक्टेयर जलमग्न क्षेत्र में मत्स्य पालन के अधीन लाया जायेगा। वर्ष 2016–17 के दौरान प्लान स्कीम फार दी ओरनामैन्टल फिशरीज के अन्तर्गत जिला झज्जर में ओरनामैन्टल फिश हैचरी एवम ट्रेनिंग सैंटर की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है। जिला झज्जर में इन्डो–वियतनाम सैन्टर ऑफ एक्सीलैंस फॉर शिम्प कल्चर की स्थापना हेतु प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजा गया है जिससे राज्य के मत्स्य पालकों को तकनीकी तरीके एवंम उच्च तकनीकी प्रोद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया जा सके। वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत 19,000 हैक्टेयर जल क्षेत्र को मत्स्यपालन के अधीन लाकर 7,600 लाख बीज संचय करते हुए 1,42,800 टन मत्स्य उत्पादन किया जायेगा। वर्ष 2016–17 के दौरान मत्स्य उत्पादकता 6,800 कि0ग्रा0/प्रति हैक्टेयर/प्रतिवर्ष से बढ़कर 7,200 कि0ग्रा0/प्रति हैक्टेयर/प्रतिवर्ष हो जाएगी।

***

5

उद्योग क्षेत्र

औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका अदा करता है। यह राज्य की आर्थिक विकास की गति को तीव्र करता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है। जिससे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ता है।

5.2 विभिन्न वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के उप–क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन तथा इसकी विकास दर स्थिर (2011–12) मूल्यों पर **तालिका 5.1** में दर्शाई गई है। वर्ष 2013–14 के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर 2.8 प्रतिशत रही। वर्ष 2013–14 में 94,546.61 करोड़ रूपये के सकल राज्य मूल्य वर्धन के मुकाबले वर्ष 2014–15 के तीव्र अनुमानों के अनुसार राज्य का सकल मूल्य वर्धन 1,02,249.13 करोड़ रूपये आंका गया तथा इसकी वृद्धि दर 2014–15 में 5.9 प्रतिशत रही। वर्ष 2015–16 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन 1,10,592.31 करोड़ रूपये आंका गया तथा इसकी वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत दर्ज की गई।

तालिकाः 5.1– औद्योगिक क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	**2011–12(अः)**	**2012–13 (अः)**	**2013–14 (अः)**	**2014–15 (द्रुः)**	**2015–16 (अग्रिम)**
खनन व उत्खनन	118.82	90.97 (-23.4)	117.63 (29.3)	93.87 (-20.2)	238.32 (153.9)
विर्निमाण	53286.09	63518.60 (19.2)	65234.20 (2.7)	69366.08 (6.3)	75955.86 (9.5)
बिजली, गैस, जलापूर्ति व अन्य सेवाएं	3446.04	3379.34 (-1.9)	3437.98 (1.7)	3902.05 (13.5)	4442.17 (13.8)
निर्माण	29008.49	26913.74 (-7.2)	27756.80 (3.1)	28887.13 (4.1)	29955.96 (3.7)
उद्योग क्षेत्र	**85859.44**	**93902.64 (9.4)**	**96546.61 (2.8)**	**102249.13 (5.9)**	**110592.31 (8.2)**

अः अनन्तिम अनुमान, द्रुः द्रुत अनुमान, अग्रः अग्रिम अनुमान
कोष्ठक में लिखी गई फिगर पिछले साल से वृद्धि दर्शाता है।
स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

औधोगिक उत्पादन सूचकांक

5.3 एक चयन किए गए आधार वर्ष पर एक समय अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की प्रवृति के अध्ययन के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में से

एक हैं। इस समय राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, अर्थ और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया जा रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की मुख्य क्षेत्रों में वृद्धि व उपयोग आधारित श्रेणियां वर्ष 2013–14 से 2014–15 तक **तालिका 5.2** में दी गई है।

तालिकाः 5.2–हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(आधार वर्ष 2004–05=100)

औद्योगिक समूह	**सूचकांक**	
	2013-14	**2014-15 (अ)**
विनिर्माण	177.8 (2.4)	187.6 (5.5)
विद्युत	252.7 (3.8)	275.4 (9.0)
आधारभूत पदार्थ	214.5 (1.1)	226.4 (5.5)
पूंजीगत पदार्थ	204.8 (7.8)	239.1 (16.7)
मध्यवर्ती पदार्थ	156.7 (-9.8)	171.4 (9.4)
उपभोक्ता पदार्थ	170.4 (9.2)	164.3 (-3.6)
(क) उपभोक्ता टिकाउ पदार्थ	187.1 (4.5)	187.2 (0.1)
(ख) उपभोक्ता गैर– टिकाउ पदार्थ	158.9 (13.5)	148.5 (-6.5)
सामान्य सूचकांक	**184.0** **(2.6)**	**194.8** **(5.9)**

अः अनन्तिम

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

5.4 आधार वर्ष 2004–05 के अनुसार सामान्य औधोगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2013–14 में 184.0 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 194.8 हो गया जिसमें 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। विनिर्माण क्षेत्र का सूचकांक वर्ष 2013–14 के 177.8 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 187.6 हो गया जो गतवर्ष की तुलना में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता हैं। विद्युत क्षेत्र का सूचकांक गत वर्ष की तुलना में 9.0 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता हैं, क्योंकि यह वर्ष 2013–14 के 252.7 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 275.4 हो गया।

5.5 आधारभूत पदार्थो के उद्योगों जैसें रद्धी माल, लोहा, स्टील, कोल्ड रोल्ड सीट, पाईप और टयूब, स्टेनलैसस्टील, हाई कार्बन स्टील स्टेनलैसस्टील और छड़, चादर, प्लेट आदि का सूचकांक वर्ष 2013–14 में 214.5 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 226.4 हो गया, जिसमें 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

5.6 पूंजीगत पदार्थो के उद्योगों जैसे चीनी मशीनरी, सी.के.डी./एस.टी.डी. टेलीफोनी अंग, एयर कम्प्रैशर, सूक्ष्मदर्शी और सभी प्रकार की तारें आदि का सूचकांक वर्ष 2013–14 में 204.8 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 239.1 हो गया जिसमें 16.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

5.7 मध्यवर्ती पदार्थो के उद्योगों जैसे मिश्रित धागे, पाईप, प्लास्टिक/पी.वी.सी., ईटें और टाईल(गैर–सिरेमिक), सूती पोलिस्टर, यार्न पोलिस्टर ब्लडिंड इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2013–14 में 156.7 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 171.4 हो गया, जोकि 9.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता हैं।

5.8 उपभोक्ता पदार्थ उद्योगों का सूचकांक वर्ष 2013–14 में 170.4 से घटकर वर्ष 2014–15 में 164.3 हो गया जिसमें 3.6 प्रतिशत की कमी दर्शाता हैं। उपभोक्ता टिकाउ पदार्थ उद्योग जैसे पोल और ककंरीट के खम्भें, हैल्मेट, सेफ्टी, कैब/कार के टायर तथा छत पंखे इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2013–14 में 187.1 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 187.2 हो गया जिसमें गतवर्ष की तुलना में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं।

5.9 उपभोक्ता गैर–टिकाउ वस्तु उद्योगों जैसे एच.आई.वी. जॉच कीट, पोलीथिन बैग, खाद्य तेल, सभी प्रकार का दूध, पाउडर दूध, होजरी वस्तुऍ, अन्य सूती और माल्ट बरले इत्यादि का सूचकांक वर्ष 2013–14 में 158.9 से घटकर वर्ष 2014–15 में 148.5 हो गया जिसमें 6.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई हैं। वर्ष 2014–15 में विभिन्न औद्योगिक समूहो वर्गो के दौरान दो अंकों के स्तर पर हुई वृद्धि **अनुलग्नक 5.1 व 5.2** में दी गई हैं।

औद्योगिक विकास

5.10 राज्य में विकास को गति प्रदान करने के लिए राज्य एक विलक्षण "उधम संवर्धन नीति–2015" (इपीपी) बनाने में सफल हुआ है। इस नीति का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद को 8 प्रतिशत से अधिक बढ़ाना, एक लाख करोड़ रूपये का पूंजी निवेश, 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न करना तथा हरियाणा को निवेश हेतू श्रेष्ठ प्रदेश बनाना है। उद्यमों की उन्नयन नीति के मुख्य आधार स्तम्भ–उद्यम का सुगमीकरण, उद्यम लागत को कम करके औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, उद्योगों को भौगोलिक आधार पर व्यवस्थित करके संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, एम.एस.एम.ई. क्षेत्र पर ध्यान व समर्थन, जांच को सुनिश्चित् करने के लिए तंत्र को लागू करना तथा उत्थान, असीमितता, कष्ट निवारण व उद्योगों की सतत् भागीदारी के साथ इस नीति को लागू करना है।

5.11 भारत सरकार द्वारा आरम्भ किये गये 'मेक इन इंडिया' अभियान के उद्देश्यों को राज्य सरकार के 'मेक इन हरियाणा' कार्यक्रम में सम्मिलित करना है। उद्योग विभाग ने 'उद्यम लगाने में आसानी हेतू' सुधार करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास जैसे प्रतीक्षा अवधि को न्यूनतम करने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना, व्यवसायिक पर्यावरण में सुधार लाना तथा सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करना आरम्भ किये हैं ताकि कार्य सम्पादन करना अधिक प्रभावशाली बन सके तथा हरियाणा की छवि को निवेश मैत्री राज्य के रूप में सुदृढ़ किया जा सके।

5.12 उद्यमियों को एक छत के नीचे विभिन्न औद्योगिक सम्बन्धि स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए एक एकल खिड़की तन्त्र बनाया जा रहा है। 10 करोड़ रूपये से अधिक पूंजी निवेश वाली परियोजनाओं के लिए तथा एक एकड़ से अधिक भूमि के सी.एल.यू मामले में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त क्रियान्वयन समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी तथा 10 करोड़ रूपये तक की पूंजी निवेश वाली परियोजनायें अनुरूप जोनों में तथा एक एकड़ तक के सी.एल.यू. मामले पर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। निदेशक, उद्योग तथा हरियाणा

राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम की 32 उद्योग सम्बन्धि सेवाओं को सेवा अधिकार के अधिनियम के अर्न्तगत अधिसूचित किया गया।

5.13 उद्योग एंव वाणिज्य विभाग, हरियाणा ने दिनांक 18–12–2014 को विभाग की वैबसाइट www.haryanaindustries.gov.in आरम्भ की है। उद्योग विभाग, हरियाणा ने बायलर के निरीक्षण एंव पंजीकरण के लिए बायलर एक्ट, 1923 के अर्न्तगत बायलरों स्वंय प्रमाणीकरण की प्रक्रिया आरम्भ की है। हरियाणा पंजीकरण एंव विनियमन सोसायटी अधिनियम, 2012 के अर्न्तगत सोसायटियों का आनलाईन पंजीकरण आरम्भ हो गया है।

5.14 राज्य सरकार एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में सहायता देने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव को अपनाने के लिए प्रयासरत है। यह स्वीकार करते हुये कि एम.एस.एम.ई. बड़ी मात्रा में रोजगार देने वाले निर्माण क्षेत्र का महत्वपूर्ण आधार है, सरकार ने एम.एस.एम.ई. को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार अवसरों को उत्पन्न करने के लिए कलस्टर विकास योजना के अर्न्तगत सार्वजनिक–निजी–भागीदारी में सार्वजनिक सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए नीति बनाई है।

5.15 एम.एस.एम.ई. निर्माण क्षेत्र एंव कुशलता विकास को बढ़ावा देने के लिए दो टूल रूम/प्रौद्योगिकी केन्द्रों आई.एम.टी. रोहतक (19.8 एकड़) तथा औद्योगिक विकास केन्द्र साहा (10 एकड़) की दोनों परियोजनायें, प्रत्येक में 100 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश के साथ स्थापित की जा रही हैं। एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने अपने योगदान के रूप में इन परियोजनाओं के लिए भूमि प्रदान की है। एक प्रौद्योगिक केन्द्र द्वारा विभिन्न दीर्घकालीन एंव लघुकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 10,000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देना संभावित है।

5.16 हरियाणा की युवा शिक्षित जनता में उद्यमशीलता की भावना को बढ़ाने के लिए स्पेशल कम्पेनियन ऑन स्टार्ट–अप आरम्भ किया जा चुका है। यह प्रत्येक विश्वविद्यालय में इन्कुबेटर केन्द्र स्थापित करने तथा स्टार्ट अप्स नीति की घोषणा को आगे बढ़ायेगा।

5.17 नये और होनहार उद्यमियों की सहायता हेतू राज्य में इन्क्यूबेशन की एक उत्प्रेरक के तौर पर एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लिये आवश्यकता महशुस की गई। कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, 2014 में एच.एस.आई.आई.डी.सी. के पानीपत औद्योगिक स्टेट में पोशााक निर्माण हेतू इन्कुबेशन केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया जिसकी लागत जमीन की कीमत को छोड़ कर 13.45 करोड़ रूपये है। इस परियोजना के लिए भूमि निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। इन्कुबेशन केन्द्र में पोशाक उद्यम लगाने वाले इन्कुबेटर की पहचान/चयन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

5.18 दिल्ली से मुम्बई डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर के साथ–साथ निवेश का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार औद्योगिक नीति एवं प्रमोशन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 3 प्रमुख परियोजनाओं (i) दक्षिण हरियाणा के पूरे एन.सी.आर. क्षेत्र के लिए इन्टीग्रेटिड मल्टीमोडल लोजिस्टिक हब, (ii) गुड़गांव जिले में ग्लोबल सीटी, तथा (iii) मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम जो गुड़गांव–मानेसर–बावल को

जोड़ेगा, की योजना बना रही है। मानेसर बावल निवेश क्षेत्र जो शुरू में 402 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विकसित किया जाना है, की ड्राफट विकास योजना के लिये अधिसूचना जारी की जा चुकी है। कुंडली, मानेसर, बावल एक्सप्रैस–वे जो कि 5 वर्षो के अधिक समय से लम्बित था, को अब समयबद्ध चरण में पूरा किया जायेगा। मानेसर–पलवल भाग मार्च, 2016 तक पूर्ण किया जाना तथा कुंडली–मानेसर भाग अगस्त, 2018 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है।

5.19 निगम का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की मेगा फूड पार्क योजना के अर्न्तगत औद्योगिक सम्पदा बारही में लगभग 75 एकड़ भूमि पर मेगा फूड पार्क परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है। परियोजना स्थल का निर्धारण हो चुका है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार 50 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान करेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 6 नवम्बर, 2015 के द्वारा एच.एस.आई.आई.डी.सी. की इस परियोजना को अन्तिम स्वीकृति दे दी है। आबंटियों/उद्यमियों द्वारा फूड प्रसंस्करण इकाईयॉ स्थापित करने के लिए मेगा फूड पार्क में लगभग 100 प्लाट/शैड काटे जाऐगें।

5.20 समकेतिक भुगतान सुविधा के अतिरिक्त एच.एस.आई.आई.डी.सी. की अन्य कई योजनाओं का वैबपोर्टल पर आनलाइन शुभारम्भ मुख्यमन्त्री द्वारा दिनांक 16–10–2015 को किया गया था तथा सेवा के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत 13 सेवाऍ पोर्टल पर डाली गई हैं। निगम ने विभिन्न सेवाओं को ओन–लाईन प्रदान करने के लिए अपना पोर्टल अर्थात ई–सेवा भी प्रारम्भ किया है।

5.21 निगम ने एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा विकसित औद्योगिक सम्पदाओं में औद्योगिक प्लाटों/शैडों के आबंटन के लिए एक संशोधित पारदर्शी तरीका अपनाया है तथा उसको भी निगम की वैबसाईट पर अपलोड किया गया है। यदि योग्य आवेदकों की संख्या, पेशकश किये गये प्लाटों की संख्या से कम है तो उनका आबंटन समिति द्वारा आबंटन मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा। यदि योग्य आवेदक पेशकश किए गये प्लाटों की संख्या से अधिक हैं तो आबंटन सूचिबद्ध आवेदकों में से ई–ऑक्शन के माध्यम से किया जायेगा।

5.22 औद्योगिक निवेश आकर्षित करने में योजनाबद्ध औद्योगिक संरचना की अहम भूमिका है। लगभग 15,582 प्लाट एच.एस.आई.आई.डी.सी. की विकसित औद्योगिक सम्पदाओं मे काटे गये हैं। जिनमें से 12,797 प्लाट औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए आबंटित किये जा चुके हैं तथा 1,816 प्लाट आबंटन के लिए उपलब्ध हैं। लगभग 2,922 प्लाट अविकसित औद्योगिक सम्पदाओं में काटे गये हैं जिनमें से 118 प्लाटों का आबंटन हो चुका है। लगभग 12,200 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास के लिए संरचना उत्पन्न करने के लिए अधिग्रहण के अर्न्तगत है।

5.23 एच.एस.आई.आई.डी.सी. का राज्य विद्युत निगमों के साथ मिलकर एक सोलर विद्युत पार्क की स्थापना एक पायलट परियोजना के रूप में करने का प्रस्ताव है। एच.एस.आई.आई.डी.सी. व हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से ऐसी परियोजना के लिए सौर उर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड

'अपने लघु नाम सन हरियाणा' बनायेगा। इसके लिए महेन्द्रगढ़, भिवानी तथा हिसार जिलों में स्थित कई पंचायत साईटस पर दौरे किये जा चुके हैं। राज्य सरकार ने नवम्बर, 2015 में परियोजना एस.पी.वी./जे.वी. कम्पनी–सौर उर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड का गठन करने के लिए स्वीकृति दे दी है जिसमें एच. एस.आई.आई.डी.सी. एवं हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा क्रमशः 51:49 के अनुपात में प्रस्तावित जे.वी./एस.पी.वी में निवेश/भागीदारी के साथ किया जायेगा।

5.24 वित्त मार्किटिंग तथा परिचालन इत्यादि क्षेत्रों में पेशेवर युवकों/सलाहकारों को पदस्थापित/नियुक्त करके उद्योग विशेषतया एम.एस.एम.ई. को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों को उद्यमी सहायता समूह के रूप में सुदृढ़ एवं पुनःस्थापित किया जायेगा।

5.25 हरियाणा में वर्तमान आबंटी/औद्योगिक इकाई के लम्बे लम्बित विवादों को सुलझाने के लिए नीति के मन्तव्य के अनुसार न्यायालय से बाहर विवाद निपटान समिति का गठन किया जायेगा। उद्योग विभाग के वैबसाईट पर विवाद के विवरण को ऑन–लाइन प्रस्तुत करने के लिए एक पोर्टल सृजित किया जायेगा। मुख्यमन्त्री के प्रद्यान सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के साथ लम्बित वर्तमान विवादों मुकदमों को सुलझाने/अन्य सुधारात्मक कार्यवाही पर विचार करने के लिए एक शक्तिप्रदत क्रियान्वयन समिति गठित की जायेगी।

5.26 शिकायत निवारण की 3 टायर प्रणाली की संरचना विचाराधीन है। औद्योगिक उन्नयन ब्यूरों, हरियाणा उद्यम उन्नयन बोर्ड, आर्थिक परामर्शी परिषद तथा शक्तिप्रदत कार्यकारिणी समिति नीति के उदेश्यों की प्राप्ति के लिए गठित करने हैं।

5.27 प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने गुडगांव में 7 एवं 8 मार्च को "हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्ज सम्मिट 2016" का सफल आयोजन किया है। इस सम्मिट के दौरान 5 लाख सम्भावित नौकरियों की क्षमता वाले 5.84 लाख करोड़ रूपये के 357 एम.ओ.यू. किए गए तथा इस प्रकार हरियाणा एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है।

हरियाणा खादी एंव ग्रामोद्योग बोर्ड

5.28 भारत सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नये ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की उद्घोषणा की। बोर्ड विभिन्न बैंकों के माध्यम से खादी व ग्रामोद्योग आयोग का प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रहा हैं। इस योजना के अर्न्तगत आर्थिक रूप से सक्ष्म परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाती है। बोर्ड का प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केवल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं हैं, बल्कि खादी ग्रामोद्योग सैक्टर के अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं का समन्वित रूप हैं। इस योजना के तहत अधिकतम 25 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सामान्य जाति हेतू प्रदान की जाती है। जहाँ तक कमजोर वर्ग के लाभग्राहियों जैसे अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा

वर्ग/महिला/निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक, अल्प संख्यक समुदाय के लाभग्राही इत्यादि का सम्बन्ध है, इन्हें अधिकतम 25 लाख रुपये की परियोजना के लिए 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान देने का प्रावधान हैं।

5.29 वर्ष 2014–15 में बोर्ड द्वारा 728 केसों के लिए 814.91 लाख रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बोर्ड ने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्व 372 केस, जिसमें 962.16 लाख रुपये मार्जिन मनी (सब्सिडी) निहित है। वर्ष 2015–16 में बोर्ड द्वारा 502 केसो के लिए 1,004.22 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बोर्ड ने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 31–1–2016 तक 221 केस जिसमें 623.38 लाख रुपये मार्जिन मनी (सब्सिडी) निहित हैं, वितरित कर दी गई हैं।

5.30 खादी रिबेट स्कीम के अन्तर्गत खादी उत्पाद जैसे सिल्क, खादी, ऊनी व पोली वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत रिबेट, जोकि गान्धी जयन्ती के अवसर पर 2 अक्तूबर से शुरू होती हैं, 108 दिनों के लिए लगातार 2013–14 से प्रदान की जाती रही हैं। वर्ष 2011–12 के लम्बित रिबेट जोकि वर्ष 2013–14 के दौरान बोर्ड द्वारा 317.53 लाख रूपये की राशि वितरित की गई। वर्ष 2014–15 व 2015–16 में दिनांक 30–6–2015 तक 922.74 लाख रूपये की राशि, जोकि वर्ष 2012–13 व 2013–14 के रिबेट क्लेम लम्बित थे, में वितरित की गई हैं।

खान एवं भूविज्ञान

5.31 खान एवम् भू–विज्ञान विभाग राज्य में खनिज संसाधनों के व्यवस्थित खनन विकास (गवेक्षण तथा दोहन) के लिये जिम्मेदार है। विभाग खनिज रियायत पर रायल्टी तथा ठेका राशि को एकत्रित करने के अतिरिक्त राज्य में स्टोन क्रेशर के संचालन को भी नियमित करता है। हरियाणा राज्य किसी बड़े खनिज के महत्वपूर्ण भण्डारों के लिये नहीं जाना जाता क्योकि बड़े खनिजों का ओद्यौगिक उपयोग ज्यादा नहीं था तथा इसकी ज्यादातर खनन गतिविधियों लघु खनिजों जैसा की पत्थर, रोड़ी, रेत इत्यादि तक ही सीमित है जोकि मुख्य तौर पर निर्माण उद्योग में प्रयोग किया जाता है।

खनिज गवेशण

5.32 खनिजों का गवेशण सम्बंधित कार्य तीन विभिन्न ऐजैन्सियों अर्थात स्वंय विभाग द्वारा सुझाए गये स्थानों पर केन्द्रीय भूवैज्ञानिक योजना के अनुसार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा और केन्द्रीय अधिनियम, 1957 की शर्तो के अर्न्तगत निजि ऐजैन्सियों को प्रोसपक्टिंग करने का लाईसैंस प्रदान करके किया जाता है।

लघु खनिज

5.33 राज्य मे खनन कार्य मुख्य तौर पर छोटे खनिजों जैसे कि पत्थर बोल्डर, ग्रैवल, रेत तथा स्लेट स्टोन इत्यादि जो निर्माण सामग्री के लिए प्रयुक्त किए जाते है। सरकार लम्बे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई अक्तुबर, 2013 के उपरान्त दिसम्बर, 2013 में लघु खनिजों को ठेके/पट्टो पर देने के लिए बोलियां करवा सकी। कुल 42 खनन इकाईयों के लिए 2,133.92 करोड़ रूपये की बोलियां प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त गांव खानक जिला भिवानी की पत्थर की एक खान का पट्टा एच.एस.आई.आई.डी.सी. को दिया गया। यह ज्ञात होने पर की उन्होंने बहुत ऊंची बोलिया दे दी है तथा बोली लाभदायक नहीं रहेंगी, कुछ

ठेकेदारों ने अपने ठेके रद्द करवा लिये। 42 इकाईयों में से 17 ठेके/पटटे् समाप्त किए गये। उपरोक्त अनुसार इस समय 42 इकाईयों के ठेके दिसम्बर, 2013 में नीलाम हुए थे, में से केवल 24 इकाईयां 26–2–2016 तक ही शेष बचे हैं। उपरोक्त 24 ठेके/पट्टों में से जिन्होंने सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त कर ली है, 6 पत्थर खानें (जिला भिवानी की 4 और महेन्द्रगढ़ की 2) तथा 11 रेत, पत्थर एवं बजरी की खनन इकाईयां/खण्ड (जिला सोनीपत की 5, पलवल की 2 व जिला अम्बाला, करनाल, पानीपत और महेन्द्रगढ़ में प्रत्येक की 1) में खनन कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

5.34 वर्तमान सरकार बनने के उपरान्त खनन के ठेकों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ी खनन इकाइयों/ब्लॉकों के ठेके देने की बजाय छोटी खनन इकाइयों/ब्लॉकों के रूप में ठेके पर दिये जाने का महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया है, जिससे खनन व्यवसाय में दिलचस्पी रखने वाले छोटे उद्यमी भी खनन के काम में प्रवेश कर सकें। इस नीति के परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्यिों का एकाधिकार भी समाप्त होगा। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय अनुसार जिला सोनीपत की 2 बड़ी खनन इकाईयों के ठेके रद्द होने के बाद 14 छोटे आकार के खनन खण्ड बनाए गए। विभिन्न निलामियों में से सभी 14 खनन खण्डों की बोली हो गई है। इसी प्रकार जिला यमुनानगर में 4 खनन ठेके रद्द होने के बाद 33 छोटे आकार के खण्ड बनाए गए। इन नीलामियों में केवल 27 खनन खण्डों की बोली प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से जिला पंचकूला में 3 बड़ी खनन इकाईयों के ठेके रद्द होने के बाद 19 छोटे आकार के खण्ड बनाये गये। इन नीलामियों में केवल 6 खनन खण्डों को बोली प्राप्त हुई। जिला महेन्द्रगढ़ और भिवानी की पत्थर खान पट्टो को रद्द किया गया इनमें से 18 छोटे आकार के खनन खण्ड बनाये गये। इन विभिन्न नीलामियों में 10 खण्ड़ (जिला महेन्द्रगढ़ के 6 खनन खण्ड तथा जिला भिवानी में 4) खनन खण्डों की बोली प्राप्त हुई।

5.35 वर्तमान सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अब लघु खनिज खानें खुली नीलामी कि बजाये ई–नीलामी के द्वारा दिये जाने लगे हैं। यह अधिक पारदर्शी है तथा देश के किसी भी हिस्से के लोगों को इसमें शामिल होने का अवसर प्रदान करती है। 42 खनन इकाईयों जिनकी नीलामी दिसम्बर, 2013 में की गई थी उनमें से 24 तथा 83 खनन खण्डों में से जिन 57 खनन खण्डों ने 2014–15 में हुई बोलियों में बोलियां आकर्षित की थी उनमें से 25 इकाईयों में पहले ही सक्षम प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14–9–2006 के अनुसार आवश्यक पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर ली है।

5.36 जिला फरीदाबाद, गुड़गांव तथा मेवात से सम्बन्धित खनन मामले तथा इनसे मिलते जुलते मामले माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष फैसले हेतु लंबित है। माननीय उच्चतम् न्यायालय ने 19–8–2011 को वन एवम् पर्यावरण न्यायालय कों राज्य एवं पट्टा धारकों द्वारा प्रस्तुत पुर्नवास और बहाली योजना की जांच करके रिर्पोट देने बारे निर्देश दिये। वन एवम् पर्यावरण मन्त्रालय ने भारतीय खान ब्यूरो से इन योजनाओं की जांच करवाई जिसकी रिर्पोट प्राप्त हो चुकी है। अब वन एवम् पर्यावरण मन्त्रालय ने भी भारतीय खान ब्यूरों की सिफारिशों का समर्थन करते हुए माननीय उच्चतम् न्यायालय में अपनी रिपोर्ट दायर

कर दी है। राज्य इन मामलों की वास्तविक सुनवाई के लिये गम्भीरता से प्रयासरत है ताकि इन पर अन्तिम निर्णय हो सके तथा उक्त जिलों में भी खनन कार्य पुनः प्रारम्भ हो सकें ।

5.37 राज्य में पिछले 5 वर्षो के दौरान अवैध खनन मामलों की स्थिति **तालिका 5.3 में** दी गई हैं।

तलिकाः 5.3– राज्य में अवैध खनन के मामले (2010–11 से 2015–16)

क्रम संख्या	वर्ष	वैध दस्तावेजो के बिना अवैध खनन में सम्मिलित परिवहन वाहनो की संख्या	जुर्माना रिलिज लाखों में	दायर एफ.आई. आर. की संख्या
1	2010-11	1270	146.78	107
2	2011-12	1588	263.33	117
3	2012-13	2564	163.31	122
4	2013-14	4518	991.59	148
5	2014-15	5333	1451.71	245
6	2015-2016 (दिसम्बर 2015 तक)	3234	710.67	69
कुल		**18507**	**3727.39**	**808**

स्त्रोतः खान एवम् भू–विज्ञान विभाग, हरियाणा।

5.38 राज्य में खान एवम् भू–विज्ञान से प्राप्त हुए राजस्व का विवरण वर्ष 2010–11 से दिसम्बर 2015 तक **तालिका 5.4** में दिया गया है।

तलिकाः 5.4– राज्य में खनन/खनिजों से राजस्व प्राप्ति

क्रम संख्या	वर्ष	करोड़ रूपये
1	2010–2011	78.37
2	2011–2012	87.39
3	2012–2013	70.83
4	2013–2014	81.52
5	2014–2015	43.89
6	2015–16 (दिसम्बर 2015 तक)	147.32

स्त्रोतः खान एवम् भू–विज्ञान विभाग, हरियाणा।

आबकारी एवं कराधान

5.39 आबकारी व कराधान विभाग राज्य का प्रमुख राजस्व सृजन विभाग है और विभिन्न अधिनियम जैसे कि वैट अधिनियम, आबकारी अधिनियम, सी.एस.टी. अधिनियम, पी.जी.टी. अधिनियम और लग्जरी अधिनियम के रूप में कर का संग्रह करता है। आबकारी व कराधान विभाग विभिन्न वाणिज्य करों व उत्पाद शुल्क के संग्रह को अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्व है। इस विभाग ने दिसम्बर, 2015 तक 21,571.79 करोड़ रूपये के विरूद्ध 17,729.94 करोड़ रूपये एकत्रित किये जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 21.67 प्रतिशत अधिक हैं।

वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा की गई नई पहल

5.40 विभाग ने सभी कर प्रक्रियाओं की कम्पयूटरराईजेशन के लिए मैसर्ज विपरो लि. को सिस्टम इन्टैगेरेटर के रुप में चुना है। मैसर्ज विपरो लि. सभी व्यापारियों के लिए एक वास्तविक समय के आधार पर 26 ई–मोडयूल बनायेगी जिसमें ई–पंजीकरण, ई–वापसी, ई–भुगतान, ई–रिकवरी तथा ई–फार्म इत्यादि आनलाईन सेवाएं होगीं। यह सुविधा विभाग एवं व्यापारियों के बीच में परेशानी मुक्त सुचनाओं का आदान–प्रदान करने में सहायक रहेगी और कर चोरी की घटनाएं भी कम होगी। इस वर्ष 2015–16 में

पारदर्शीता के लिए आबकारी ठेकों के आबंटन ई–निविदा के माध्यम से किया गया है। जून, 2015 से व्यापारियों को सी–फार्म आनलाईन देने शुरु किए गए हैं और ई–पंजीकरण, ई–भुगतान, रिर्टन की ई–फाइलिंग जुलाई, 2015 से शुरु किए गए हैं। पारदर्शीता के लिए आबकारी व्यापार के लिए एवं व्यापारियों को परेशानी मुक्त परमिट, पास प्रदान करने हेतु ई–परमिट, ई–पास दिसम्बर, 2015 से शुरु किए गए हैं। ई–वापसी, ई–आंकलन व ई–फार्म की सुविधा इस वित्तिय वर्ष 2015–16 मे पूरी कर ली जाएगी। आबकारी व कराधान विभाग माल सेवा कर अगले वर्ष 2016–17 से कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्व है। सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को माल सेवा करके कामकाज के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैव उर्वरकों को 1–4–2014 से वैट में छूट दी गई है। एल.ई.डी. रोशनी पर 1–4–2014 से वैट दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। पूर्व अभियांत्रिक, स्टील बिल्डिंग और स्टील पार्टस उसके पफ पैनल सहित उत्पादकों पर 1–4–2014 से वैट दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया हैं। सभी प्रकार की पाईप फिटिंग पर 1–4–2014 से वैट दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। डवैलपरों के लिए एकमुश्त निपटारा योजना शुरु की गई है। दिनांक 1–4–2014 से एकमुश्त कर का आंकलन पूरी कुल राशि जो कि समझौते में दर्शाई गई है अथवा स्टाम्प शुल्क के लिए दर्शाई गई निधि, दोनों में से जो अधिक हो का एक प्रतिशत संयुक्त दर पर किया जाएगा।

***

6

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र के महत्व का अंदाजा अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर इसके योगदान को देखकर लगाया जा सकता है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर वर्ष 2015–16 में स्थिर (2011–12) मूल्यों पर 51.3 प्रतिशत हो गया। सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है और यह अर्थव्यवस्था को एक विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियादि ढांचे के करीब ले जाता है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र में 12.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र की यह विकास दर इसी अवधि की कृषि और उद्योग क्षेत्र की संयुक्त औसत वार्षिक विकास दर से अपेक्षाकृत अधिक थी। सेवा क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर उसी समयावधि के दौरान समग्र सकल राज्य मूल्य वर्धन की विकास दर से लगातार अधिक थी। इस क्षेत्र का विकास अन्य दो क्षेत्रों के विकास की तुलना में कहीं अधिक स्थिर है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के प्रथम तीन वर्षों की अवधि के दौरान भी सेवा क्षेत्र में अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में तेज एवं तुलनात्मक रूप से स्थिर विकास का रूझान जारी रहा।

सेवा क्षेत्र का विकास

6.2 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र में अच्छी विकास दर के बाद वर्ष 2012–13 में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, परन्तु वर्ष 2013–14 के द्रुत अनुमानों के अनुसार स्थिर भावों पर सेवा क्षेत्र से राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गयी। वर्ष 2013–14 के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन 1,51,390.01 करोड़ रूपये था जो वर्ष 2014–15 में बढ़कर 11.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ सकल राज्य मूल्य वर्धन 1,68,740.26 करोड़ रूपये दर्ज की गई। वर्ष 2014–15 में 11.5 प्रतिशत की शानदार विकास दर वित्त, बीमा, अचल सम्पति तथा व्यापार सेवाएं (12.4 प्रतिशत) तथा सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं (18.3 प्रतिशत) की अधिक विकास दर के कारण हुई। अग्रिम अनुमान 2015–16 में इस सेवा क्षेत्र की विकास दर 9.6 प्रतिशत वृद्धि के साथ सकल राज्य मूल्य वर्धन 1,84,961.97 करोड़ रूपये होने की संभावना है। इस अधिक वृद्धि दर (12 प्रतिशत) दर्ज का मुख्य घटक वित्त, अचल सम्पति तथा व्यापार सेवा रहा है **(तालिका 6.1)**।

सेवा क्षेत्र के विभिन्न उपक्षेत्रों का विकास

व्यापार, परिवहन, भंडारण और संचार

6.3 वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान इस क्षेत्र ने 7.9 तथा 6.9 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की। वर्ष 2014–15 के द्रुत अनुमानों के अनुसार 8.1 प्रतिशत दर्ज की गई तथा अग्रिम अनुमान वर्ष 2015–16 में इस क्षेत्र की विकास दर 7.2 प्रतिशत होने की संभावना है।

तालिका 6.1 सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

(करोड़ रूपये)

क्षेत्र	2011–12 (अ.)	2012–13 (अ.)	2013–14 (अ.)	2014–15 (द्रु.)	2015–16 (अग्र.)
व्यापार, परिवहन, भंडारण और संचार	54326.35	58634.22 (7.9)	62703.02 (6.9)	67762.28 (8.1)	72637.80 (7.2)
वित्त, बीमा, अचल सम्पति एवं व्यवसायिक सेवाएं	52584.59	59401.77 (13.0)	66400.18 (11.8)	74621.42 (12.4)	83600.44 (12.0)
सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	19953.30	21483.23 (7.7)	22286.82 (3.7)	26356.56 (18.3)	28723.74 (9.0)
कुल सेवाएं क्षेत्र	**126864.24**	**139519.22 (10.0)**	**151390.01 (8.5)**	**168740.26 (11.5)**	**184961.97 (9.6)**

अः अनन्तिम अनुमान, द्रुः द्रुत अनुमान, अग्रः अग्रिम अनुमान
कोष्ठक में लिखी गई फिगर पिछले साल से वृद्धि दर्शाता है।
स्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

वित्त, बीमा, अचल सम्पति एवं व्यवसायिक सेवाएं

6.4 वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 इस उपक्षेत्र में क्रमशः 13 प्रतिशत, 11.8 प्रतिशत तथा 12.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2015–16 के अग्रिम अनुमान के अनुसार इस उपक्षेत्र की विकास दर 12 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है।

सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं

6.5 वर्ष 2012–13, 2013–14 तथा 2014–15 के दौरान इस उपक्षेत्र में क्रमशः 7.7 प्रतिशत, 3.7 प्रतिशत तथा 18.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2015–16 के अग्रिम अनुमान अनुसार इस उपक्षेत्र की विकास दर 9 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है।

***

7

विद्युत, सड़कें, परिवहन एवं भण्डारण

आर्थिक विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं का महत्व सर्वमान्य हैं। वास्तव में यह आर्थिक वृद्धि और विकास की एक मुख्य कुंजी हैं तथा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में सक्षम हैं। अपर्याप्त और अक्षम बुनियादी ढांचा दूसरे क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद अर्थव्यवस्था को तरक्की से रोक सकता हैं। विदेशी धन आकर्षित करने तथा विकास की गति को बढ़ाने के लिए भौतिक सुविधाएं एवं उनका रख–रखाव करना पूर्व शर्त हैं। भौतिक बुनियादी सुविधाएं जिनमें बिजली, परिवहन, संचार एवं भण्डारण शामिल हैं, आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के साथ–साथ जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर सीधा प्रभाव डालती हैं। बिजली सम्बन्धि समस्याएं, बिजली की कमी, भीड़–भाड़ वाली सड़कें इत्यादि बुनियादी सुविधाओं की मांग एवं पूर्ति में बढते अन्तर एवं अकुशलता संकेत हैं। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक वित्त की कमी के कारण राज्य सरकार पब्लिक व निजी भागेदारी कान्सैप्ट (पी.पी.पी) के माध्यम से निजी सहयोग प्रोत्साहित कर रही है। पी.पी.पी. की अवधारणा बुनियादी ढांचा विकास में तेजी से बढ़ रही हैं क्योंकि यह राज्य सरकार की मजबूती एवं निजी क्षेत्र की दक्षता हैं। बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिजली, सड़कों एवं परिवहन के बुनियादी ढांचे के सुधार और विस्तार की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

विद्युत

7.2 ऊर्जा निरंतर आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण कारक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त भूमिका के अलावा, इसका राजस्व प्राप्ति, रोजगार के अवसर बढाने और जीवन की गुणवत्ता बढाने में सीधा और महत्वपूर्ण योगदान हैं। इसलिए, वहन की जाने वाली कीमत पर बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति राज्य के प्रभावी विकास के लिए आवश्यक हैं। हरियाणा राज्य में ऊर्जा के प्राकृतिक स्त्रोतों की सीमित उपलब्धता हैं। राज्य में हाईड्रो जेनरेशन पोटेंशियल बहुत कम हैं। यहां तक कि कोयले की खाने भी राज्य से बहुत दूर स्थित हैं। यहां वन क्षेत्र बहुत सीमित हैं। विद्युत उत्पादन का लाभ उठाने के लिए राज्य में वायु वेग भी पर्याप्त नहीं हैं। हालांकि, सौर तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक हैं लेकिन भूमि की सिमितता बड़े पैमान पर इस संसाधन के दोहन के रूप में अच्छी तरह से प्रोत्साहित नहीं करता हैं। इसलिए, राज्य संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली परियोजनाओं से हाईड्रो पॉवर तथा राज्य के अन्दर सीमित थर्मल उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता हैं।

7.3 वर्तमान समय में राज्य की कुल उपलब्ध क्षमता 10,937 मेगावाट हैं। इसमें 2,782.7 मेगावाट राज्य के अपने केन्द्रों से, 829 मेगावाट संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं (बी.बी.एम.बी) से तथा शेष

केन्द्रीय परियोजनाओं व स्वतंत्र निजी बिजली परियोजनाओं में हिस्से से उपलब्ध हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान 4,38,956 लाख यूनिट थी। वर्ष 2014–15 के दौरान बेची गई बिजली 3,19,972 लाख किलोवाट थी। वर्षवार कुल स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता तथा बेची गई बिजली की संख्या **तालिका 7.1** में दी गई हैं।

तालिका 7.1– राज्य में बिजली की स्थापित उत्पादन क्षमता, बिजली की उपलब्धता, बेची गई बिजली

वर्ष	स्थापित उत्पादन क्षमता* (मैगावाट)	कुल स्थापित क्षमता (मैगावाट)	उपलब्ध बिजली (लाख किलोवाट)	बेची गई बिजली (लाख किलोवाट)
1967–68	29	343.00	6010	5010.00
1970–71	29	486.00	12460	9030.00
1980–81	1074	1174.00	41480	33910.00
1990–91	1757	2229.50	90250	66410.00
2000–01	1780	3124.50	166017	154231.00
2010–11	4106	5997.83	296623	240125.00
2011–12	4106	6740.93	326473	266129.66
2012–13	4106	9839.43	343177	262576.03
2013–14	4060	10683.61	402779	288608.72
2014–15	4060	11102.32	438956	319972.00

***** इसमें राज्य की अपनी परियोजनाओं तथा संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं के हिस्से को दर्शाता हैं, परन्तु केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं अर्थात एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी., मारूति, मैग्नम, एन.ए.पी.पी., आर.ए.पी.पी. एवं आई.पी.पी.(आई.जी.एस.टी. पी. एस., झज्जर, एम.जी.एस.टी.पी.एस., झज्जर तथा लघु हाईड्रों एवं सौर परियोजनाएं) आदि सम्मिलित नहीं हैं।
स्त्रोतः एच.वी.पी.एन.लिमिटेड़

7.4 राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या वर्ष 2001–02 में 35,44,380 से बढ़कर 2014–15 में 55,62,019 हो गई हैं। श्रेणी–वार बिजली उपभोक्ताओं की संख्या **तालिका 7.2** में दी गई हैं।

तालिका 7.2–बिजली उपभोक्ताओं की संख्या

वर्ष	घरेलू	गैर–घरेलू	औद्योगिक	नलकूप	अन्य	योग
2001–02	2759547	347437	66247	361932	9217	3544380
2005–06	3119788	387520	70181	411769	11402	4000660
2010–11	3684410	462520	85705	520391	34896	4787922
2011–12	3849779	479366	88821	540406	38593	4996965
2012–13	4020928	502912	91087	561381	41919	5218227
2013–14	4136499	522110	93839	582605	46076	5381129
2014–15	4266675	547395	96887	603797	47265	5562019

प्राप्ति स्थानः एच.वी.पी.एन.लिमिटेड़

7.5 वर्ष 2013–14, में प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत 1,377.81 यूनिट से बढ़कर वर्ष 2014–15, में 1,442.90 यूनिट हो गई है। वर्ष 2014–15, राज्य में बिजली की खपत 30,906.3 मिलियन यूनिट (एम.यू.) थी। बिजली

की खपत ज्यादातर औधोगिक क्षेत्र में 10,189.84 (एम.यू.) इसके बाद कृषि क्षेत्र में 9,278.34 (एम.यू.) है। वर्ष 2014–15 में राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में 5,234.63 करोड़ रूपये की मार्जिन मनी दी गई थी। क्षेत्र–वार बिजली की खपत **तालिका 7.3** में दी गई हैं।

तालिकाः 7.3– राज्य में क्षेत्रवार बिजली की खपत

(एम.यू.)

क्षेत्र	**2014–15**
औद्योगिक	10189.84
घरेलू	6659.45
कृषि	9278.34
वाणिज्यिक	3274.21
पब्लिक सर्विज (पब्लिक लाईटनिंग व पब्लिक वाटर वर्कस)	1188.22
रेलवेज	280.60
विविध	35.64
कुल	**30906.3**

स्त्रोतः एच.वी.पी.एन.लिमिटेड़

7.6 राज्य में लम्बित बिजली बिलों की संख्या वर्ष 2014–15 में 3,95,578.54 लाख रूपये से बढ़कर अक्तूबर, 2015 में 4,38,248.83 लाख रूपये हो गई है। घरेलू क्षेत्र में ज्यादातर लम्बित बिजली बिलों की संख्या अक्तूबर, 2015 में 3,15,206.56 लाख रूपये थी। क्षेत्र–वार लम्बित बिलों का विवरण **तालिका 7.4** में दिया गया है।

तालिकाः 7.4– राज्य में क्षेत्रवार लम्बित बिजली बिल

(लाख रूपये)

क्षेत्र	**2014–2015**	**2015–16 (अक्तूबर, 2015 तक)**
औद्योगिक	19181.86	28123.68
घरेलू	287354.01	315206.56
कृषि	8287.98	8717.33
वाणिज्यिक	29610.47	34436.54
सरकारी विभाग एवं सेवाएं	19854.03	19404.77
विविध	31290.19	32359.95
कुल	**395578.54**	**438248.83**

स्त्रोतः एच.वी.पी.एन.लिमिटेड़

7.7 भविष्य की बिजली परियोजनाएं :–

(i) राज्य में बिजली की उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपाय जैसे उत्पादन क्षमता में वृद्धि, परिचालन कार्य कुशलता में सुधार, वितरण नेटवर्क का विस्तार एवं पुनर्गठन आदि किए गए हैं।

(ii) केन्द्र सरकार ने कर्ज में डूबी हुई बिजली कम्पनियों के लिए एक स्थाई समाधान सुनिश्चित् करने व वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए उदय नामक योजना बनाई है जिससे उनकी दक्षता में सुधार हो सके। राज्य सरकार ने इस योजना को अपनाने का फैसला किया है। इससे राज्य विद्युत निगमों के संचालन और वित्त क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।

अक्षय ऊर्जा

7.8 राज्य में बड़े पैमाने पर स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 23 मैगावाट के 4 बिजली खरीद समझौते तथा 165 मैगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के 13 परियोजनाएं आबंटित करने के समझोते आई.आई.पी. के साथ किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 30 प्रतिशत वितीय सहायता से कुल 33.17 करोड़ की लागत से 16 मैगावाट के छत पर लगने वाले ऊर्जा संयंत्रों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी हैं। इस प्रकार के सभी संयंत्र नेट मिटरिंग सुविधा वाले होंगे जिसमें सौर ऊर्जा प्लांट द्वारा अतिरिक्त उत्पादित ऊर्जा ग्रीड को निर्यात की जा सकेगी जो कि एक वर्ष के भीतर उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जा सकेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकार की दिनांक 3–9–2014 की अधिसूचित अनिवार्य नीति/आदेशों के तहत विभिन्न श्रेणी में लगभग 4 मैगावाट के छत पर लगने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। उपभोक्ता को शीघ्रता से स्वीकृति तथा सब्सिीडी देने के लिए विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा हैं। राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए, पूर्व सौर ऊर्जा नीति को पुनः परिभाषित किया जा रहा हैं ताकि विभिन्न निवेशकों के अनुकूल प्रावधान एक ही जगह उपलब्ध कराया जा सकें।

7.9 किसानों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर जल पम्पिंग प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जा रहा हैं जिसके तहत इस वर्ष 30 प्रतिशत राज्य एवं केन्द्रीय वितीय सहायता से 500 सौर जल पम्पिंग प्रणाली लगाए जाएगें। वर्ष 2016–17 में कुल 39.60 करोड़ रूपये की लागत से 3,050 सौर जल पम्पिंग लगाए जाने का प्रावधान हैं। अल्प आय वाले समूह की ऊर्जा जरूरत की पूर्ति हेतू अगले तीन वर्ष में चरणबद्व तरीके से 180 करोड़ रूपये की लागत से एक प्रमुख कार्यक्रम के तहत 1 लाख सौर घरेलू प्रकाश प्रणाली, जिसमें तीन एल.ई.डी. बल्ब, एक छत का पंखा तथा मोबाईल चार्ज की व्यवस्था होगी, उपलब्ध करवाई जाएगी।

7.10 राज्य में उपलब्ध बायोमास ऊर्जा से 230.85 करोड़ रूपये की लागत से 47.85 मैगावाट क्षमता के 7 बायोमास संयंत्र उद्योगों में स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 10 करोड़ की लागत से 8,500 घन मीटर प्रतिदिन क्षमता के 4 बायो सी.एन.जी. बोटलिंग परियेाजनाएं, 425 घन मीटर क्षमता के 5 संस्थागत बायोगैस संयंत्र तथा सात 555 घन मीटर क्षमता के संस्थागत बायोगैस संयंत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।

वास्तुकला

7.11 वास्तुकला विभाग राज्य में विकास की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। यह विभाग सभी सरकारी विभागों व बोर्डों एवं निगमों तथा विश्वविद्यालयों को वास्तुक संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में यह विभाग आंशिक रूप से कम्प्यूटरीकृत है और निकट भविष्य में 100 प्रतिशत कम्प्यूटरीकृत हो जाएगा। विभाग का प्रस्ताव है कि भवन निर्माण में नवीनतम सामग्री का प्रयोग किया जाये। सौर, जल उष्मा एवं वर्षा जल संचयन आदि प्रणालियों का भवनों में विशेष प्रावधान किया जा रहा है। यह प्रबल रूप से सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक भवन–योजना में प्राकृतिक दृष्यों, आंतरिक सज्जा एवं नवीन/आधुनिक शैली और सामग्री को महत्व दिया जाये। विभाग अपने नये भवनों की योजना बनाते समय निःशक्तों को अवरोध–रहित वातावरण देने का विशेष ध्यान रख रहा है तथा अपने भवनों को बनाने के लिए ई.सी.बी.सी. के नियमों का पालन कर रहा है ताकि यह भवन उर्जा कुशल एवं उर्जा संचयन प्रणाली के अनुरुप बनें।

सड़कें

7.12 किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सड़कें संचार को और अधिक प्रभावी बनाने हेतू प्रमुख साधन है। भविष्य में सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण तथा यातायात की जरूरतों के अनुसार सड़क नेटवर्क में सुधार/दर्जा बढ़ाना, बाईपासों का निर्माण, पुलों तथा सड़क उपरी पुलों का निर्माण तथा उन सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करना, जिन पर पहले से काम चल रहा है। **तालिका 7.5** में राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत सड़कों का नेटवर्क निम्न प्रकार से हैः–

तलिकाः 7.5– में राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के अर्न्तगत सड़कों का नेटवर्क

क्रम सं0	सड़क का प्रकार	लम्बाई कि.मी. में (31–3–2015 तक)	लम्बाई कि.मी. में (31–12–2015 तक)
1	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	राज्य पी.डब्ल्यू.डी.– 841 एन.एच.ए.आई. – 1284	राज्य पी.डब्ल्यू.डी. – 1198 एन.एच.ए.आई. – 1284
2	राज्य उच्च मार्ग	2128	1801
3	मुख्य जिला सड़कें	1425	1395
4	अन्य जिला सड़कें	20324	20338
कुल		**26002**	**26016**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

7.13 वर्ष 2015–16 के दौरान सड़कों को चौड़ा, मजबूत, पुर्ननिर्माण, उंचा उठाने, सीमैंट कंक्रीट पेवमैंट/ब्लॉक प्रिमिक्स कारपेट तथा नालियां और पुलियां/रिटेनिंग वाल इत्यादि बनाने के अतिरिक्त, सड़कों की मरम्मत का कार्य हाथ में लिया है। दिसम्बर, 2015 तक की गई भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का विवरण **तालिका 7.6** में निम्न प्रकार से है।

तालिकाः 7.6– सड़कों की प्रगति व सुधारीकरण कार्यक्रम

(क) वित्तीय प्रगति

(करोड रूपये)

क्र0सं0	लेखा शीर्ष	बजट अलाटमैंट 2015–16	खर्चा दिसम्बर, 2015 तक
1	प्लान 5054 (सड़क और पुल) नाबार्ड ऋण और पी.एम.जी.एस.वाई. सहित)	1720.00	1050.24
2	नान प्लान 3054	585.59	369.46
3	केन्द्रीय सड़क कोष	75.00	31.42
4	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (प्लान)	74.44	79.77
5	राष्ट्रीय उच्च मार्ग (नान प्लान)	7.43	1.98
6	डिपोजिट कार्य (एच0 एस0 आर0 डी0सी0 की सड़कें तथा पुलों के कार्य सहित)	.	9.39
कुल		**2462.46**	**1542.26**

(ख) भौतिक प्रगति

क्र0सं0	मद	लम्बाई (कि0मी0 में) (दिसम्बर, 2015 तक)
1	नया निर्माण	14
2	प्रिमिक्स कारपेट(राज्य सड़कें)	1434
3	चौड़ा तथा मजबूत करना (राज्य सड़कें)	1091
4	सीमैंट कंकरीट ब्लाक/पेवमैंट	150
5	साईड ड्रेन/रिटेनिंग वाल	190
6	पुर्ननिर्माण तथा उठाना	259
7	(क) चौड़ा (ख) मजबूत — राष्ट्रीय उच्च मार्ग	80.06

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी.(बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

7.14 वर्ष 2015–16 के दौरान सड़क/पुल कार्य जो स्वीकृत हुये है, जो **तालिका 7.7** में दर्शाये गये हैः–

तलिकाः 7.7– स्वीकृत सड़क/पुल कार्य

(करोड रूपये)

क्र0सं0	लेखा शीर्ष	कार्यो की संख्या	राशि
1	प्लान–5054	486	875.61
2	नान प्लान–3054	1473	908.30
3	नाबार्ड– सड़कें – पुल	– 	–
4	केन्द्रीय सड़क कोष	11	280.91
5	प्रधान मंत्री ग्रमीण सड़क योजना/भारत निर्माण – सड़कें – पुल	– –	– –
6	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	5	8.94
7	उपरगामी पुल/भुमिगत पुल (प्लान–5054)	5	95.16
8	पुल – प्लान –5054 नान प्लान–3054	4 1	13.96 0.09
	कुल	1985	2182.97

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

भवन

7.15 भवनों के निर्माण, मरम्मत तथा रख–रखाव के लिये बजट आबंटन **तालिका 7.8 में** वर्णित है।

तलिकाः 7.8– भवनों के निर्माण, मरम्मत तथा रख–रखाव के लिए आबंटन

(करोड रूपये)

क्रं0 सं0	लेखा शीर्ष	बजट अलाटमैंट 2015–16	खर्चा दिसम्बर, 2015 तक
1	राजस्व भवन	137.61	115.54
2	कैपीटल भवन	732.76	377.10
3	डिपोजिट भवन	150.00	57.66
	कुल	**1020.37**	**550.30**

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

मुख्य पहल

7.16 विभाग द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिये तथा देरी को कम करने के लिये रेल ऊपरगामी पुल/भूमिगत पूल बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 14 रेल ऊपरगामी पुल/भूमिगत पूल निर्माणाधीन है। रेल ऊपरगामी पुल/भूमिगत पूल व पूलों के पूर्ण होने व प्रगति का ब्यौरा **तालिका 7.9** में निम्न प्रकार से है।

तालिका 7.9– रेल ऊपरगामी पुलों/भूमिगत पुलों का पूर्ण व प्रगति

क्र0सं0	विवरण	2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक)
1	ऊपरगामी/भूमिगत पुल (1) पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है। (2) निर्माणाधीन।	 12 14
2	पुल (1) पूर्ण तथा यातायात के लिये खोल दिये है। (2) निर्माणाधीन।	 4 21

स्त्रोतः पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर), हरियाणा।

7.17 रेलवे लाईनः–

क) रोहतक–रेवाड़ी–झज्जर नई रेलवे लाईन का कार्य 603 करोड़ रूपये की लागत से पुर्ण हुआ।

ख) सोनीपत–जींद रेलवे लाईन का कार्य 741 करोड़ रूपये की लागत से पूर्ण हो चुका है। सोनीपत–जींद रेलवे लाईन को परखने का कार्य प्रगति पर हैं।

ग) रोहतक–महम–हांसी रेलवे लाईन–भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर हैं। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 406 करोड़ रूपये हैं।

घ) रोहतक–पानीपत रेलवे लाईन के हिस्से का रोहतक नगर सीमा के बाहर स्थानांतरण करने का भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर हैं। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 181 करोड़ रूपये है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कार्य

7.18 एच.एस.आर.डी.सी. द्वारा अब तक 36 सड़क परियोजनाएं जिनकी लम्बाई 1,022 किलोमीटर है व लागत 2,983 करोड़ रुपये और 10 रेलवे उपरगामी पुल जिनकी लागत 233 करोड़ रुपये है, को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऋण योजना के अन्तर्गत तथा इसके साथ–साथ एक रेलवे उपरगामी पुल जिसकी लागत 35.93 करोड़ रुपये है, को स्टेट हैड के तहत पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एन.सी.आर.पी.बी. सहायता योजना के तहत सड़क व पुलों के कार्य पर 158.03 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके है। वर्ष 2015–16 में दो उपरगामी पुलों जिनकी लागत 68.70 करोड़ रुपये है व एक सड़क परियोजना जिसकी लागत 124.88 करोड़ रुपये है का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

7.19 वर्ष 2016–17 के लिए 1,979 करोड़ रुपये की दस परियोजनाएं एन.सी.आर.पी.बी. के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा रिवाड़ी, दादरी, भिवानी, नारनौल और सोनीपत के लिए 395 किलोमीटर की विभिन्न सड़कें जिनकी अनुमानित लागत 1,064 करोड़ रुपये है। वित्त विभाग द्वारा एन.सी.आर.पी.बी. के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया है।

नाबार्ड योजना

7.20 नाबार्ड योजना आर.आई.डी.एफ.–20 (सड़कें) के तहत वित्तीय सहायता के लिए नाबार्ड योजना के तहत 353.60 करोड़ रूपये कि लागत से 31 सड़कों जिनकी लम्बाई 246.09 कि.मी. है नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है। 31 कार्यों में से 13 कार्य आवंटित किए जा चुके हैं और दो कार्य स्थगित कर दिए हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान नाबार्ड योजना के तहत 104 किलोमीटर सड़कों का सुधार 154.77 करोड़ रुपये की लागत से किया जा चुका है।

सड़क परिवहन

7.21 सुनियोजित एवं कुशल बस सेवा का जाल विकासशील अर्थव्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। परिवहन विभाग, हरियाणा राज्य के लोगों को पर्याप्त, सुव्यवस्थित, सस्ती, सुरक्षित आरामदायक एवं कुशल यात्री परिवहन सेवायें प्रदान करने के लिये कृत संकल्प हैं। परिवहन विभाग, हरियाणा इस वर्ष में भी लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा। परिवहन विभाग हरियाणा के दो अंग नामतः नियामक अंग व वाणिज्यक अंग (हरि.रा.परि.) है।

वाणिज्यक अंग

7.22 हरियाणा राज्य परिवहन देश की अच्छी राज्य परिवहन सस्थाओं में से एक हैं। वर्तमान में हरियाणा राज्य परिवहन के पास 4,215 (31–1–2016 को) बसें हैं जो 24 डिपो व 13 उप डिपो से संचालित की जा रही हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की बसें प्रतिदिन औसतन 12.70 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं तथा इनमें औसतन 12.73 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की प्रगति विभिन्न मापदण्डों के आधार पर बहुत अच्छी हैं जैसेकि कर से पूर्व लाभ, बसों की औसत आयु, स्टाफ व व्हीकल उत्पादकता, परिचालन लागत प्रति कि.मी. (कर रहित), दुर्घटना दर व इंधन की खपत इत्यादि।

7.23 हरियाणा राज्य परिवहन लोक परिवहन में और सुधार के लिये कृत संकल्प है और बस सेवाओं व बस अड्डों पर जनता को दी जा रही सुविधाओं में और बढ़ौतरी के लिये कई कदम उठाये गये हैं। सरकार ने हरियाणा राज्य परिवहन की पुरानी बसों को समय पर बदलना सुनिश्चित् करने, आधुनिक रूप देने व अन्य ढांचे में सुधार के लिये योजना बजट वर्ष 2014–15 में 165.32 करोड़ रुपये से बढ़ाकार वर्ष 2015–16 में 194.05 करोड़ रुपये कर दिया गया हैं।

बस सेवाओं का आधुनिकरण

7.24 यात्रियों को आरामदायक परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा 39 वौल्वो/मरसडीज़ वातानुकुलित बसों का संचालन किया जा रहा हैं। इस बस सेवा को जनता द्वारा भी सराहा गया हैं। इस बस सेवा से रोहतक, जयपुर व हिसार को भी चण्डीगढ़ से जोड़ा गया हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा फरीदाबाद शहर, गुडगांव शहर, पंचकूला, अम्बाला, करूक्षेत्र, रोहतक व भिवानी शहरों में जनता को आरामदायक व अच्छी यात्रा सेवा प्रदान करने हेतू शहरी बस सेवा शुरु कर दी गई है।

7.25 वर्ष 2015–16 में 170 पुरानी बसों को बदलने तथा 825 नई बसें बस बेड़े में शामिल करने का कार्यक्रम हैं। 31–1–2016 तक 119 नई डिजाईन बसों में बदला गया।

7.26 हरियाणा राज्य परिवहन के बढे हुए बस बेडे का संचालन करने हेतू आधुनिक आउटसोर्सिंग नीति के तहत विभाग ने 725 चालकों को एक वर्ष या नियमित चालकों के आगमन तक, जो भी पहले हो, के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारभ्भ की गई। सभी उम्मीदवारों का चालक दक्षता टैस्ट लेने के उपरान्त 413 उम्मीदवारों का चयन किया जा चुका हैं। विभाग द्वारा हैल्पर तथा स्टोरमैन के रिक्त पदों को भरने के लिए भी भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई हैं।

बस अड्डों/कर्मशालाओं का निर्माण/नवीनीकरण

7.27 विभाग ने यातायात की दृष्टि से मुख्य स्थानों पर 100 बस स्टैण्डों का निर्माण किया हुआ हैं जहां पर यात्रियों के लिये सभी मूल सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। विभाग द्वारा एन.आई.टी. फरीदाबाद बस टर्मिनल का पी.पी.पी. मोड पर विकास करने के लिए पहले से ही नियुक्त सलाहकार द्वारा विभाग को संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हैं। करनाल, बावल, अम्बाला शहर, गुड़गांव और फरीदाबाद में भी अत्याधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए बस अड्डों का विकास पी.पी.पी. मोड पर किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त तौशाम (भिवानी), सांपला (रोहतक), बरवाला (पंचकूला), नलवा (हिसार), झज्जर, फिरोजपुर–झिरका, नूंह, पुन्हाना और तावडू जिला मेवात में नए बस स्टैण्ड निमार्णाधीन हैं। वार्षिक योजना 2015–16 के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं, जिसमें से 31–1–2016 तक 56.39 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

कर्मशालाओ का आधुनिकरण

7.28 बसों के अच्छे रख–रखाव के लिये हरियाणा राज्य परिवहन की कर्मशालाओं का भी नवीनतम मशीनें, कलपुर्जे आदि उपलब्ध करवा कर आधुनिकीकरण किया जा रहा हैं। वार्षिक योजना 2015–16 के

लिए 100 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया हैं, जिसमें से 31–1–2016 तक 16.10 लाख रुपए खर्च किये जा चुके हैं।

कम्पयूट्रीकरण

7.29 विभाग के भिन्न–भिन्न कार्यकलापों को एक चरणबद्ध समय में कम्पयूट्रीकृत किया जा रहा हैं। डिपू मैनेजमैंट प्रणाली के अतिरिक्त ऑन लाईन अग्रिम आरक्षण व टिकटिंग प्रणाली लागू की गई हैं।

सड़क सुरक्षा

7.30 हरियाणा राज्य परिवहन प्रशासनिक व तकनीकी उपायों द्वारा दुर्घटनाओं/ब्रेक डाउन को कम करने के लिए कदम उठा रही हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की दुर्घटनाओं की दर जो 1994–95 में 0.21 प्रति एक लाख किलोमीटर थी, घटाकर वर्ष 2014–15 में 0.05 रह गई हैं। हरियाणा राज्य परिवहन नये भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने व प्रशिक्षण उपरान्त प्रमाणित करने के़ लिये 18 विभागीय चालक प्रशिक्षण संस्थान चला रहा हैं। हल्के वाहन चालकों के लिए भी डी0टी0आई0, मुरथल, हिसार, गुडगांव व महेन्द्रगढ में प्रशिक्षण शुरु किया गया हैं तथा इस प्रशिक्षण को विभाग के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में भी शुरु किये जाने का प्रस्ताव हैं। अप्रैल–दिसम्बर, 2015 तक 12,289 उम्मीदवारों को अपनी कार्यकुशलता सुधारने के लिए व आवश्यक चालक लाईसैंस प्राप्त करने के लिए भारी वाहन चालकों का प्रशिक्षण दिया गया हैं।

मुफत/ रियायती यात्रा सुविधा

7.31 हरियाणा राज्य परिवहन समाज के कुछ पात्र लोगों के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक हैं। हरियाणा राज्य परिवहन समाज के पात्र वर्ग जैसेकि 100 प्रतिशत मूक व बधिर व्यक्तियों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता को मुफ्त यात्रा सुविधा, दिमागी तौर पर 100 प्रतिशत निःशक्त व्यक्ति को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा, रक्षा बंधन के दिन हरियाणा राज्य परिवहन में महिलाओं व बच्चों को मुफ्त यात्रा सुविधा, हरियाणा राज्य परिवहन के मृतक कर्मचारी की विधवा को को मुफ्त यात्रा सुविधा, लड़को को 10 एक तरफा मासिक किराये की यात्रा सुविधा, राष्ट्रीय केडिट कोर के कैडिटस को प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेने के लिये यात्रा के समय आम किराये में 50 प्रतिशत की छूट, हरियाणा की साठ वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ नागरिक महिलाओं व 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को बसों के किराये में 50 प्रतिशत की छूट, हरियाणा के नम्बरदारों को एक मास में दो दिन उनके निवास स्थान से ग्रह जिला मुख्यालय व दस दिन तहसील मुख्यालय तक मुफ्त यात्रा सुविधा, पैरालम्पिकस स्पोर्टस के खिलाड़ियों को ऐसी खेल प्रतियोगिताओं में जो शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिये करवाई गई हों, में भाग लेने के लिये मुफ्त यात्रा सुविधा, कैन्सर से पीड़ित मरीजों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में उनके घर से कैन्सर संस्था तक मुफ्त यात्रा सुविधा, छात्राओं को अपने घरों से प्रशिक्षण संस्थान तक मुफ़्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है व छात्राओं के लिए 44 मार्गों पर विशेष बस सेवा प्रारम्भ की हैं तथा आपातकाल के दौरान पीड़ित पति/पत्नी को परिवहन विभाग की साधारण बसों में मुफ़्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई हैं तथा वोल्वो बसों में पति/पत्नी को किराए में 75 प्रतिशत की छूट व विधवा/विदुर पीड़ित होने की अवस्था में एक सहायक सहित यात्रा सुविधा प्रदान की गई हैं।

तकनीकी का प्रयोग

7.32 विभाग द्वारा हरियाणा राज्य परिवहन की शहरी बस सेवा की बसों में तथा बड़े बस स्टैण्डों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में हाथ से संचालित इलैक्ट्रोनिक टिकटिंग मशीन (ई.टी.आई.एम.), आर.एफ.आई.डी. आधारित बस पास व स्थान बताने वाले एल.ई.डी. बेसड बोर्ड लागू करने की भी योजना हैं। विभाग द्वारा अर्न्तराजीय मार्गो के लिए ऑन–लाईन टिकट आरक्षित करने का कार्य पूर्ण कर लिया हैं।

रेगूलेटरी विंग

7.33 परिवहन विभाग के रेगूलेटरी विंग पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989, सड़क अधिनियम, 2007, सड़क नियम, 2011, हरियाणा मोटरयान नियमावली, 1993, हरियाणा मोटर वाहन कर अधिनियम, 2013 तथा मोटर वाहन कर नियम, 2014 को लागू करने की जिम्मेवारी है। वर्ष 2014–15 के दौरान 1,175 करोड़ रूपये की प्राप्तियों का अनुमानित लक्ष्य रखा गया था जिसके मुकाबले 1,191 करोड़ रूपये की राशि एकत्र की गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान 1,316 करोड़ रूपये का लक्ष्य रखा गया जिसको हासिल करने की संभावना हैं तथा इसमें से 31–12–2015 तक 1,042 करोड़ रूपये एकत्रित कर लिए गए हैं।

कर ढ़ाचे/परमिट फीस का युक्तिकरण

7.34 निजी/विशेष उद्देश्यो के इस्तेमाल हेतू वाहनों के कर ढ़ाचे में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 5.6.2015 में संशोधन किया गया हैं। परिवहन वाहनों (माल और यात्रियों) के करों की दरों को चार्ज करने के तरीके को संशोधित करने के प्रस्ताव को सरकार को प्रस्तुत किया गया हैं। परिवहन वाहनों के परमिट शुल्क को संशोधित करने के लिए हल्के वाहनों की फीस राशि 1,750 रूपये (5 वर्ष) से 10,000 रूपये, अन्य वाहनों की 2,625 रूपये से 25,000 रूपये 5 वर्ष के लिए करने के लिए मंत्री परिषद ने मंजूरी दे दी हैं जिसकी अधिसूचना शीघ्र प्रकाशित कर दी जाएगी।

नई परिवहन नीति

7.35 हरियाणा रोडवेज लगभग 4,200 बसों से राज्य में स्टेज कैरिज सेवाएं प्रदान कर रहा हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1993 में निजी ओपरेटरों को एक योजना के तहत लगभग 900 परमिट जारी किए गए। इसके उपरांत 2001, 2004, 2012 और 2013 में विभिन्न योजनाएं तैयार की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 की योजना का पुनः निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया जिस अनुसार नई स्टेज कैरिज स्कीम तैयार की गई तथा इसकी मंत्री परिषद से मंजूरी उपरान्त अधिसूचना जारी की गई।

चालक कौशल में सुधार

7.36 सड़क सुरक्षा बढ़ाने और ड्राईविंग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बहादुरगढ़, रोहतक और कैथल में ड्राईविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च अनुसंधान (आई.डी.टी.आर) के तीन संस्थान राज्य में स्थापित किए गए और 43,438 चालको को वर्ष 2014–15 के दौरान तथा 44,085 चालको को 1–4–2015 से 31–12–2015

तक प्रशिक्षण दिया गया हैं। ड्राईविंग प्रशिक्षण के लिए चौथा ड्राईविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च अनुसंधान (आई.डी. टी.आर) गावं कालूवास, भिवानी में स्थापित किया जा रहा हैं जिसके निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया हैं। जिला मेवात के गांव छपेड़ा में एक अन्य ड्राईविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च अनुसंधान (आई.डी.टी.आर) की स्थापना हेतू वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मामला भारत सरकार को भेजा जा चुका हैं। राज्य में हरियाणा रोडवेज द्वारा भी 18 चालक प्रशिक्षण स्कूल चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त निजी व्यक्तियों द्वारा भी 247 ड्राईवर ट्रेनिंग स्कूलों का संचालन किया जा रहा हैं।

मोटर वाहनों के सड़क पात्रता में सुधार

7.37 मोटर वाहनों में सड़क पात्रता की जांच के लिए 14.40 करोड़ रूपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ रोहतक में स्वचालित और कम्पयूट्रीकृत मशीनों से सुसज्जित एक निरीक्षण और परीक्षण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। यह केन्द्र 1,25,000–1,50,000 वाहनों की सड़क पात्रता की प्रति वर्ष जांच करने की क्षमता रखेगा। इस संस्थान के भवन का लगभग निर्माण कार्य पूरा हो चुका हैं और जून, 2016 के अंत तक चालू किया जा सकेगा। राज्य में 868 प्रदूषण जांच केन्द्रों को प्रदूषण कंट्रोल के अन्तर्गत प्राधिकृत किया गया हैं। प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी करने की फीस बढ़ाने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा गया हैं।

नागरिक सेवाओं में सुधार

7.38 निम्न नागरिक सेवाएं शुरू कर दी गई हैं:–

(i) रोड टैक्स का ई भुगतान : विभाग द्वारा परिवहन वाहनों के रोड टैक्स के भुगतान के लिए वैकल्पिक आधार पर भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ई–पेमैंट की सुविधा शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी रोड की ई–पेमैंट के लिए स्वीकृत किया गया हैं।
(ii) एस.एम.एस सुविधा : नागरिकों को पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में जमा किए गए रोड टैक्स की सूचना एस.एम.एस के माध्यम से दी जाती हैं।
(iii) डीलर प्वांईट रजिस्ट्रेशन : हरियाणा राज्य में 45 स्थानों पर डीलर प्वांईट रजिस्ट्रेशन आन लाईन सुविधा के माध्यम से शुरू किया जा चुका हैं तथा 16 अन्य स्थानों को आन लाईन डीलर प्वांईट रजिस्ट्रेशन सुविधा से शीघ्र जोड़ा जाना प्रस्तावित हैं। बाकि स्थानों पर भी यह सुविधा लागू किए जाने के प्रयास किए जा रहे है।
(iv) पंजीकरण संख्या का क्रम रहित आबंटन : राज्य भर में पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण संख्या का आंबटन कम्पूटरीकृत क्रम रहित आबंटन प्रणाली द्वारा शुरू किया जा चुका हैं जिससे कार्यालय के कार्य में पारदर्शिता आएगी।

कम्पयूटरीकरण

7.39 राज्य भर में सभी पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में (केवल कनीना को छोड़कर) वाहन एवं सारथी साफटवेयर को लागू किया जा चुका हैं। सभी पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में फीस व कर की प्राप्तियां कम्पयूटर से जारी की जाती हैं। विभाग में पहले ही 82 पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी में सारथी संस्करण 1 को लागू किया जा चुका हैं। अब सारथी संस्करण 4 को लागू किया जा रहा हैं जिसका डाटा बेस एक जगह पर एकत्रित होगा तथा कई अन्य नई सेवाएं प्रदान की जाएगी जोकि संस्करण 1 के अन्तर्गत पूर्ण नही हो रही हैं। पहले चरण में संस्करण

4 पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी पंचकूला, करनाल, अम्बाला, फरीदाबाद, गुडगावां पांच जिलों में लागू किया गया है। एन.आई.सी और परिवहन विभाग हरियाणा (रेगूलेटरी विंग) वाहन वेब संस्करण 4 को राज्य भर में चरणों में शुरू किया जाएगा।

सड़क सुरक्षा

7.40 निम्नलिखित सड़क सुरक्षा के उपाय अपनाएं गएः–

(i) माननीय परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का पुर्नगठन किया गया हैं जिसमें सड़क सुरक्षा, सड़क ईजीनियरिंग और सड़क सुरक्षा योजना बनाने बारे विशेषज्ञों को शामिल किया गया। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की अन्तिम बैठक 16–6–2015 को आयोजित की गई थी।

(ii) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा संचालन समिति, का गठन किया गया जोकि हरियाणा सड़क सुरक्षा योजना को लागू करने के लिए उस पर निगरानी रखेगा।

(iii) छात्रों और युवाओं के बीच सड़क सुरक्षा के बारे जागरूकता लाने के लिए राज्य के सभी सरकारी कालजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता क्लबों को स्थापित किया गया।

(iv) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्लयू.पी. 6907 वर्ष 2009 में जारी निर्देशों की पालना में सुरक्षित स्कूल वाहन नीति तैयार करके स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया। सड़क सुरक्षा नीति को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने हेतू सड़क सुरक्षा समितियों का राज्य, जिला व सब डिवीजन स्तर पर गठन किया गया। स्कूल बसों में आई.पी. कैमरा व जी.पी.एस. सिस्टम को लगाना अनिवार्य किया गया। इस प्रावधान में महिला अटैंडेंट/ट्रांसजेंडर की तैनाती भी अनिवार्य की गई। इन निर्देशों की पालना के लिए सभी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को हिदायते जारी की गई।

(v) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पालना में माननीय न्यायमूर्ति श्री के.एस राधेकृष्ण की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति का गठन सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए किया गया।

(vi) हरियाणा सड़क सुरक्षा कोष नियम, 2015 तैयार किए गए है जोकि राज्य सरकार के विचाराधीन है। जिसके अन्तर्गत मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों की चालानों की फीस का 50 प्रतिशत शुल्क सड़क सुरक्षा के मुद्दों पर प्रयोग किया जाएगा।

(vii) राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2015 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति की तर्ज पर तैयार की गई हैं जो राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

प्रवर्तन

7.41 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों के लिए 35,123 चालान किए गए जिसमें वर्ष 2014–15 के दौरान अनुमानित चालान फीस 53.94 करोड़ एकत्रित की गई तथा इसी प्रकार 1–4–2015 से 31–12–2015 तक 31,638 चालान किए गए और अनुमानित चालान फीस 55.64 करोड़ एकत्रित की गई।

पुराने डाटा का डिजिटलीकरण

7.42 पुराने डाटा के डिजिटलीकरण के अन्तर्गत पुराने डाटा को कम्पयूटर में दर्ज करने के लिए मै0 गुजरात इंफोटैक लिमिटेड को 3–11–2014 को अधिकृत किया गया है और उन द्वारा यह कार्य 18 महीने के अन्दर पूरा किया जाना हैं। 14 जिलों के सारथी व वाहन का पुराना डाटा की स्कैनिंग का काम पूरा हो चुका हैं और शेष कार्य अगले 6 महीने में पूरा हो जाएगा।

उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट

7.43 विभाग में केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 के प्रावधानों के अनुसार उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटो की योजना को शुरू किया गया और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटो को लगाने का कार्य शुरू किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत दिनांक 31–12–2015 तक 13,86,210 वाहनों पर एच.एस. आर.पी प्लेटे लगा दी गई है।

नागरिक विमानन

7.44 सिविल विमानन विभाग,हरियाणा के द्वारा पांच सिविल हवाई पट्टियां पिंजौर, करनाल, हिसार, भिवानी तथा नारनौल में हैं। हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के तीन विमानन केन्द्र हिसार, करनाल तथा पिजौंर में स्थित हैं जिनमें लडके तथा लडकियों को फ्लाईग तथा ग्लाईडिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। हरियाणा सिविल विमान्न संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्राईवेट पायलट लाईसेंस, कामर्शियल पायलट लाईसेंस तथा इंसट्रक्टर रेटिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

7.45 हरियाणा सिविल विमान्न संस्थान द्वारा वर्ष 2015–16 (31–12–2015) के दौरान स्टूडैंट पायलट लाईसेंस (एस.पी.एल.), प्राईवेट पायलट लाईसैंस (पी.पी.एल.), कामर्शियल पायलट लाईसैंस (सी.पी.एल.), असिसटैंट फ्लाईंग इंसट्रक्टर रेटिंग (ए.एफ.आई.आर.), फ्लाईट इंसट्रक्टर रेटिंग (एफ.आई.आर.) तथा इंस्टूमैंट रेटिंग (आई.आर.) लाईसैंस का विवरण **तालिका 7.10** में दिया गया है:–

तालिका 7.10 राज्यों में उड़ान प्रशिक्षण के लिए स्टूडेंट पायलट लाईसेंस (एस.पी.एल.) की स्थिति

क्रंम0 संख्या	प्रशिक्षणार्थी	प्राप्त किये गये लाईसैंस की संख्या	
1	42	एस.पी.एल.	29
2		पी.पी.एल.	01
3		सी.पी.एल.	13
4		सी.पी.एल.(सी)	07
5		ए.फ.आई.आर.	04
6		आई.आर.+आई.आर नवीकरण	20
7		एफ.आई.आर..(ए.)	01

स्त्रोतः सिविल विमानन विभाग, हरियाणा ।

कृषि विपणन

7.46 हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डी का गठन 1 अगस्त 1969 में इस उद्देश्य से किया गया है कि किसानों की आय बढें और उनकी विपणन की सुविधायें बढें। आज यह विभाग 108 मुख्य यार्ड, 174 सब यार्ड और 195 खरीद केन्द्रों के माध्यम से कार्य कर रहा हैं। यहां 33 कपास मण्डियों 30 फल एंव सब्जी मण्डियां, 25 चारा मण्डियों, 3 मछली मण्डियां, 2 किसान बाजार, एक लक्कड़ मण्डी, एक सेब मार्किट तथा एक ऊन मार्किट भी बनाई गई है। इसके अतिरिक्त अनाज के भण्डारण के लिये 4.50 लाख टन क्षमता के गोदाम भी बनाये गये हैं। बोर्ड तथा मार्किट कमेटियों की आय का साधन मार्किट फीस, प्लाटो की बिक्री तथा एच.आर.डी.एफ. का एकत्रिकरण हैं।

7.47 बोर्ड ने कम्यूटीकरण तथा आई टी के क्षेत्र में भी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। किसानों की उपज का भुगतान ई-भुगतान की सुविधा हैं। सरकार प्रताप सिंह कैरों स्कीम के नाम से किसानों की उपज के भुगतान की योजना बनाई गई हैं। बोर्ड का अपना निर्माण विभाग हैं।

नई सड़कों का निर्माण

7.48 दिनांक 1–4–2005 से 31–12–2015 की अवधि में 5,397 कि.मी. लम्बाई की 1933 नई सड़कों का निर्माण किया जिन पर 996 करोड़ रूपये खर्च किये। इस प्रकार बोर्ड द्वारा अब तक निर्मित सड़कों की कुल लम्बाई 13,563 कि.मी. हो गई इनमें से 1,815 कि.मी. लम्बाई की सड़कें दूसरे विभागों को ट्रांसफर कर दी गई और अब 11,748 कि.मी. लम्बाई की ग्रामीण सड़के बोर्ड के पास रख रखाव के लिये हैं।

सड़कों की मरम्मत

7.49 मार्च, 2005 से 31–12–2015 तक की अवधि में 10,585 कि.मी. लम्बाई की सड़कों की मुरम्मत कर दी गई है जिस पर 1,090 करोड़ रूपये खर्च आया है। इस खर्च में वार्षिक मुरम्मत पर खर्च किये गये 88.56 करोड़ रूपये भी शामिल हैं।

मण्डियों का निर्माण तथा उपलब्ध मण्डियों मे अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध कराना

7.50 दिनांक 1–4–2005 से 31–12–2015 की अवधि में नई मण्डियों के निर्माण तथा उपलब्ध मण्डियों में अतिरिक्त सुविधायें पर 793 करोड़ रूपये खर्च किये गये ।

नई मण्डियां

7.51 हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल 248 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 22 नई मण्डियों का निर्माण करने जा रहा है (आई.आई.एच.एम.गन्नौर फेस–1, एन.जी.एम.कैथल, एन.जी.एम नारनौल (फेस–II), एन.जी.एम छिछराना, एन.जी.एम. अम्बाला कैंट, एन.जी.एम. फतेहाबाद, एन.जी.एम. टोहाना, एन.जी. एम ठोल, एन.जी.एम नरवाना (फेस–II), अतिरिक्त एन.जी.एम. उचाना कलां, एन.जी.एम. सोनीपत, एन.वी.एम. सोनीपत, एन.जी.एम होड़ल, एन.वी.एम. हांसी, एन.जी.एम. बाबा लदाना, एन.वी.एम. छछरोली, एन.जी.एम. नारनोंद (फेस–III), एन.वी.एम. डबवाली, एन.जी.एम. रायपूर रानी (फेस–II), एन.जी.एम. सीवान, एन.जी.एम. /एन.वी.एम. नंगल चौधरी, एन.जी.एम. निसिंग में पुनः नियोजित क्षेत्र का विकास।

7.52 राष्ट्रीय बागबानी मिशन भारत सरकार की सहायता राशि से अनेक सब्जी मण्डीयों में आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 15 परियोजनाएं बनाई गई है। इनमें शीतलकरण, पकाने हेतू चैम्बर, ग्रेंडिग, छटाई तथा पैकिंग की सुविधाएं दी जानी हैं। किसानों को उनके उत्पादन का अतिरिक्त मूल्य दिलवाने के लिए ये सभी परियोजनाए शुरू की गई है। इन 15 में से 11 परियोजनाओं को लीज पर देकर चलाया जा रहा है बाकी की 4 को लीज पर देने की प्रकिया जारी हैं ।

भारतीय अर्न्तराष्ट्रीय बागवानी मार्किट गन्नौर (सोनीपत) का विकास

7.53 विपणन बोर्ड द्वारा पेरिस के नजदीक रूंगीस मार्किट की तर्ज पर गन्नौर में एक अन्तराष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं वाली पोस्ट हारवेस्ट स्पोर्ट सिस्टम पर आधारित मार्किट विकसित करने के लिए

537 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। इस बुनियादी ढांचे को पूरा करने के लिए इसका परिव्यय 1,500 करोड़ रूपये हो जाऐगा। यह मार्किट हरियाणा के अतिरिक्त पूरे उत्तर भारत से और देश के महानगरों से भी जुड़ी होगी। यह एक अति आधुनिक थोक मूल्य इसमें फल व सब्जियों के लिये सुविधायें होगी जैसे कि कूल चैम्बर, पकाने हेतू चैम्बर, ग्रेड़िंग, सोरटिंग तथा पैकेजिंग लाईनें आदि। यह मार्किट राज्य के लगभग 100 संग्रह केन्द्रों से जुड़ी होगीं। यह मार्किट एक स्वच्छ और साफ वातावरण में होगी जिसमें एक वर्ष में लगभग 7.5 मिलियन टन फल और सब्जियों को सम्भालने की क्षमता और 1 लाख टन अण्ड़ा, मीट, मछली तथा 0.5 मिलियन टन फूलों को सम्भालने की क्षमता होगी इसका प्रारिम्भक विकास कार्य शुरू कर दिया गया है तथा इसकी चार दिवारी, प्रवेश सड़क, होर्डिंगस, लैड़स्केपिंग, क्योस्क, शैड जिसमें पैक हाउस भी शामिल है, के निर्माण में अब तक 38 करोड़ रूपये खर्चा किया जा चुका हैं।

पंचकूला में सेब मार्किट

7.54 अभी तक जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश से दिल्ली जाने वाला, चण्डीगढ़ में री–हैन्डल किया जाता हैं जिससे चण्डीगढ़ की फल मण्डी में भारी जाम की स्थिति बन जाती हैं इससे निपटने तथा मार्किट कमेटी, पंचकूला को आय के साधन बढाने के उद्देश्य से पंचकूला में सैक्टर–20 स्थित मण्डी में सेब मार्किट बनाई गई हैं।

एग्रो मॉल/शॉपिंग परिसर का निर्माण

7.55 करनाल, पानीपत तथा रोहतक में एयर कन्डीशन एग्रो मॉल बिल्डिंग बना कर तैयार कर दी गई हैं जबकि पंचकूला में कार्य लगभग पूरा होने के स्तर पर हैं। इससे किसानों को एक स्थान पर सभी प्रकार की खरीद–बेच की सुविधा उपलब्ध होगी। इनके निर्माण पर अब तक 188 करोड़ रूपये खर्च हुए।

मोबाईल वैन

7.56 घर द्वार पर फल एंव सब्जियों उपलब्ध कराने की सुविधा योजना के अर्न्तगत मुख्य शहरों में ''मोबाईल वैन'' शुरू की गई हैं।

मार्किट फीस

7.57 कपास पर मार्किट फीस 2 प्रतिशत से घटाकर 0.8 प्रतिशत कर दी गई हैं। दिनांक 7–2–2014 तक फलों तथा सब्जियों पर 1 प्रतिशत मार्किट फीस लागू थी उसे समाप्त कर दिया गया हैं।

कृषक ज्ञान वृद्वि योजना

7.58 किसानों को अन्य मण्डियों के ज्ञान तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उददेश्य से कृषक ज्ञान वृद्वि योजना शुरू की गई हैं। इसमें अपनी उपज मण्डी में लाने वाले किसानों को टोकन दिये जाते हैं जिनके आधार पर किसानो को ट्रेनिंग के लिये चुना जाता हैं। वर्ष 2013–2014 में 333 किसान इस सुविधा/योजना से लाभांवित हुऐ हैं।

मुख्य मन्त्री कृषक एंव खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना

7.59 यह योजना जनवरी, 2014 में शुरू की गई और इसके अन्तर्गत कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके आश्रित पत्नी या बच्चों को 5 लाख तथा अंग भंग होने या निःशक्ता होने पर

35,000 हजार से 2.50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती हैं। अब तक इस योजना के अन्तर्गत 8,985 परिवारों को 30 करोड़ रूपये की सहायता राशि जारी की जा चुकी हैं।

भण्डारण

7.60 हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन तथा अन्य खरीद एजेन्सियों के पास राज्य में दिनांक 30–12–2015 तक 83.59 लाख टन (खाद्य विभाग 3.57, हैफेड 11.71, एच.एस.डब्ल्यू.सी. 14.71, एच.ए.आई.सी. 1.01, एफ.सी.आई. 7.58, सी.डब्ल्यू.सी. 4.96, एच.एस.ए.एम.बी. 4.03 पी.ई.जी. स्कीम 34.02 तथा 2 लाख टन सायलो) आवृत भण्डारण क्षमता है। राज्य सरकार भण्डारण में होने वाली हानि को कम करने के लिए आवृत भण्डारण क्षमता बढाने के लिए सचेत है। हैफेड द्वारा 1,02,861 टन, एच.एस.डब्ल्यू.सी. 47,070 टन. व एच.ए.आई.सी. 32,786 टन. की क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा तीन स्थानों भौरसेंदा (कुरूक्षेत्र), खरखौदा (सोनीपत) व तिगांव (फरीदाबाद) में कुल 89,678 टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया जा रहा है। सभी तीनों परियोजनाओ का 50–60 प्रतिशत निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा परियोजना पूर्ण होने का लक्ष्य दिनांक 31–3–2017 निश्चित किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए प्लान बजट में 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

हरियाणा स्टेट वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन

7.61 हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन एक वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना संसदीय अधिनियम के अर्न्तगत किसानों, सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक संस्थानों एवं व्यापारियों को कृषि उत्पादों की वैज्ञानिक भण्डारण सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्धेश्य से हुई है । दिसम्बर, 2015 तक निगम के राज्य में 117 वेयरहाउस है, जिनकी (दिनांक 31–12–2015 तक) भण्डारण क्षमता 15.16 लाख टन है जिसमें 14.71 लाख टन क्षमता के कवर्ड गोदाम एवं 0.45 लाख टन क्षमता के ओपन प्लिंथ सम्मिलित है।

वर्षवार औसत भण्डारण क्षमता **तालिका 7.11** में दर्शाई गई है।

तालिकाः 7.11– औसत भण्डारण क्षमता एवं औसत उपयोगिता

वर्ष	औसत भण्डारण क्षमता (टन)	औसत उपयोगिता (टन)	उपयोगिता प्रतिशत में	भण्डारगृहो की संख्या
2010–11	16,16,270	14,97,189	93	107
2011–12	16,72,188	16,45,066	98	107
2012–13	18,88,401	19,66,756	104	108
2013–14	17,91,037	16,03,636	90	109
2014–15	16,77,361	11,72,602	70	111
2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक)	17,44,328	13,17,396	76	117

स्त्रोतः हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन

7.62 1 नवम्बर, 1967 को निगम की स्थापना के समय इसके पास मात्र 7,000 टन क्षमता के गोदाम थे जो कि बढ़ कर 14,71,000 टन हो गये हैं। वर्ष 2015–16 में निगम द्वारा राज्य में 9 अलग

अलग स्थानों पर 66,580 टन क्षमता के गोदाम का निमार्ण करने की योजना हैं, जिनमे से 5 स्थानों पर कार्य शुरू है। वर्ष 2016–17 में निगम द्वारा राज्य में 17 अलग अलग स्थानों पर 1,23,692 टन क्षमता के गोदाम निमार्ण की योजना है।

इन्लैंन्ड कन्टेनर डिपो

7.63 निगम हरियाणा व इसके आस पास के क्षेत्र के आयातकों व निर्यातकों को आयात एवं निर्यात सुविधा प्रदान करने के लिये रेवाड़ी में एक इन्लैंड कन्टेनर डिपो चला रहा है। यद्यपि, इन्लैंन्ड कन्टेनर डिपो रेवाड़ी 1 नवम्बर, 2008 से इस संस्थान को कोनकोर निगम के साथ स्ट्रेटेजिक एलाऐंस पार्टनर के रूप में चला रहा है। इन्लैंन्ड कन्टेनर डिपो रेवाड़ी को इलक्ट्रोनिक डाटा इन्टरचेंज द्वारा 18–12–2009 को सफलतापूर्वक online कर दिया गया हैं। इन्लैंन्ड कन्टेनर डिपो की आय **तालिका 7.12** में दी गई हैं।

तलिकाः 7.12– आई.सी.डी़. की आय

अवधि	आय (रूपये)
2011 - 2012	1,47,35,308
2012 - 2013	1,79,10,267
2013 - 2014	2,22,36,498
2014 -2015	2,08,79,585
2015 - 2016 (अनुमानित) (दिसम्बर 2015 तक)	1,84,00,000

***

8

शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी

विकास योजना का मुख्य उद्धेश्य मानव विकास या सामाजिक कल्याण में वृद्धि और लोगों की भलाई करना है। विकासशील तथा उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सामाजिक क्षेत्र के मुख्य घटक है।

शिक्षा

8.2 21वीं शताब्दी ज्ञान की शताब्दी है। शिक्षा ज्ञान की कुंजी है इसलिए सरकार सभी को शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतू सतत् प्रयासरत है जिसके लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का विस्तार एवं आसानी से उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके परिणाम स्वरूप अब शैक्षणिक सुविधाएं प्राथमिक स्कूल 1 किलोमीटर व मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर के घेरे में उपलब्ध है।

बेटी का सलाम, राष्ट्र के नाम

8.3 बेटी बचाओ, बेटी पढाओं अभियान के अन्तर्गत सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए विभाग द्वारा नये–नये कदम उठाए गए है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस बेटी का सलाम, राष्ट्र के नाम अभियान के प्रकाश में मनाया गया। इस दिन सरकारी विद्यालयों में गांव की सबसे अधिक शिक्षित लड़की द्वारा झंडा फहराया गया। इसके अतिरिक्त जिन परिवारों में पिछले एक वर्ष में बेटी का जन्म हुआ था, उनके परिवारों को गणतंत्र दिवस समारोह में सबसे अगली पंक्ति में अति महत्वपूर्ण व्यक्ति की भांति बैठाया गया।

नई शिक्षा नीति, 2015

8.4 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्णयानुसार राज्य सरकार ने विभिन्न हितधारकों जैसे कि पंचायतों, प्रख्यात शिक्षाविदों, शहरी स्थानीय निकायों, विभाग अभिभावकों आदि से परामर्श के साथ नई शिक्षा नीति बनाने का कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लाक स्तर पर शिक्षा अधिकारियों को नई शिक्षा नीति, 2015 बनाने के लिए नोडल अधिकारी नामांकित किया है। नई शिक्षा नीति बनाने हेतू जिला परामर्श कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली और आर.आई.ई. अजमेर, राजस्थान के सहयोग

से कार्यशालाऐं आयोजित की गई थी। इन कार्यशालाओं में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करवाए गए 11 विषयों पर जिलों और खण्डों के नोडल अधिकारियों, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यो, सर्वशिक्षा अभियान/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के पदाधिकारियों, राज्य के पुरस्कृत शिक्षकों, शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संस्थानों और कुछ प्रख्यात शिक्षाविद्धों ने अपने विचार साझे किये। सरकार ने अगस्त, 2015 में 'नई शिक्षा नीति सुझाव दिवस' को राज्यव्यापी कार्यक्रम के रूप में मनाया। सरकार द्वारा शिक्षा नीति के संदर्भ में सुझाव भारत सरकार को भेज दिए है।

8.5 राज्य में स्कूलों की संख्या एवं छात्रों की संख्या का विवरण **तालिका 8.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 8.1– वर्ष 2014–15 में स्कूलों की संख्या तथा सम्मलित छात्रों की संख्या का विवरण

शैक्षणिक स्तर	स्कूलों की संख्या	कुल छात्र	केवल छात्राएं	अध्यापकों की संख्या	छात्र शिक्षक अनुपात
प्राथमिक शिक्षा (I से VIII)	11306	1958029	1002217	71340	24.4
मध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा (IX से XII)	3276	661296	333249	18017	37.0

स्त्रोतः शिक्षा विभाग, हरियाणा।

प्राथमिक शिक्षा

शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम

8.6 स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा गुणवत्ता युक्त शिक्षा कार्यक्रम की अवधारणा वर्ष 2013 में की गई तथा राज्य के सभी स्कूलों को 5 वर्ष में कक्षा 1 से 5 व 7 वर्षो में कक्षा 6 से 8 तक 80 प्रतिशत छात्रों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा का केन्द्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

स्वच्छ भारत अभियान

8.7 स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह सुनिश्चित् किया गया है कि सभी सरकारी विद्यालयों में लड़को व लड़कियों के लिए कम से कम एक अलग क्रियाशील शौचालय होना चाहिए।

मासिक परीक्षण की शुरूआत

8.8 विद्याार्थियों के शैक्षिणिक स्तर को बढ़ाने व शिक्षा के गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतू कक्षा 1 से 8 तक में मासिक परीक्षा की शुरूआत की गई। जनवरी, 2015 के उपरान्त मासिक परीक्षा सरकारी स्कूलों की एक नियमित विशेषता है, जिसकी शिक्षकों, माता–पिता तथा स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा सराहना की गई है। मासिक परीक्षा के सभी परिणाम शिक्षा विभाग के एम.टी.एम.एस. पोर्टल पर स्कूल द्वारा अपलोड किये जाते है। इन परीक्षाओं का विश्लेषण राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, गुडगांव व जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

8.9 वर्ष 2015–16 में सरकारी विद्यालयों पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, नये शैक्षणिक स्तर में प्राथमिक विद्यालयों में नई पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएगी जिसका मुख्य उद्देश्य गतिविधि आधारित शिक्षण पर होगा।

निःशुल्क लेखन सामग्री, स्कूल बैग, स्कूल वर्दी तथा आर.टी.ई. अधिनियम 2009 के अन्तर्गत स्कूल फीस एवं अन्य खर्चो की प्रतिपूर्ति

8.10 आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 तथा हरियाणा आर.टी.आई. नियम 2011 की अधिसूचना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए निःशुल्क लेखन सामग्री, स्कूल बैग, स्कूल वर्दी तथा स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति करने के लिए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों हेतू 98.78 करोड़ रूपये की राशि जिसे मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा वितरित किया गया।

मिडिल स्कूलों के लिए राजीव गांधी छात्रवृति योजना

8.11 वर्ष 2015–16 के लिए बजट में 120 लाख रूपये का प्रावधान किया गया तथा इस योजना से 13,257 छात्र लाभविन्त होगे।

कक्षा 1 से 8 तक के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए नकद पुरस्कार योजना

8.12 वर्ष 2015–16 के लिए बजट में 8,500 लाख रूपये का प्रावधान किया गया तथा इस योजना से 7,00,000 छात्र लाभविन्त होगे।

कक्षा 1 से 8 तक के सभी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मासिक छात्रवृति योजना

8.13 वर्ष 2015–16 के लिए बजट में 21,000 लाख रूपये का प्रावधान किया गया तथा इस योजना से 7,00,000 छात्र लाभविन्त होगे।

कक्षा 1 से 8 तक गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों के लिए मासिक छात्रवृति योजना

8.14 वर्ष 2015–16 के बजट में गरीब रेखा से नीचे छात्रों के लिए 2,500 लाख रूपये का प्रावधान किया गया तथा इस योजना से 1,00,000 छात्र लाभविन्त होगें।

कक्षा 1 से 8 तक पिछड़ा वर्ग ए के छात्रों के लिए मासिक छात्रवृति योजना

8.15 वर्ष 2015–16 के बजट में पिछड़ा वर्ग ए के छात्रों के लिए 8,500 लाख रूपये का प्रावधान किया गया तथा इस योजना से 5,00,000 छात्र लाभविन्त होगें।

अनुसूचित जाति के छात्रों (लड़के व लड़कियॉ) जो कक्षा 6 में पढ़ते है के लिए निःशुल्क साईकिल उपलब्ध करवाने की योजना

8.16 वर्ष 2015–16 के लिए बजट में 200 लाख रूपये का प्रावधान किया गया तथा इस योजना से 16,000 छात्र लाभावित्त होगें।

मिड–डे–मिल योजना

8.17 यह योजना 9,035 प्राथमिक तथा 5,735 मिडिल स्कूलों में लागू की गई। वर्ष 2015–16 में इस योजना हेतू 39,520 लाख रूपये का प्रावधान किया जिसमें केन्द्र का अंश 27,900 लाख रूपये तथा राज्य का अंश 11,620 लाख रूपये है।

8.18 वर्ष 2014–15 में प्राथमिक स्कूलों में योजना अनुसार लाभार्थियों की संख्या तथा किया गया खर्च का विवरण **तालिका 8.2** में दिया गया है।

तालिका 8.2– वर्ष 2014–15 में प्राथमिक स्कूलों में योजना अनुसार लाभार्थियों की संख्या तथा किया गया खर्च।

(लाख रूपयें)

योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या	किया गया खर्च
मिडिल स्कूलों के लिए राजीव गांधी छात्रवृति योजना	13257	8230
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए नकद पुरस्कार योजना	777088	8251
सभी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मासिक छात्रवृति योजना	777088	16851
बी.पी.एल. के छात्रों के लिए मासिक छात्रवृति योजना	109513	1191
बी.सी.–ए. के छात्रों के लिए मासिक छात्रवृति योजना	510078	6386
अनुसूचित जाति के छात्रों (लड़के व लड़कियां) के लिए मुफ्त साईकिल उपलब्ध करवाने की योजना	15123	393

स्त्रोतः प्राथमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।

सर्व शिक्षा अभियान/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

8.19 राज्य सरकार द्वारा दो प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों 'सर्व शिक्षा अभियान' और 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' को लागू किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय विभाजन अनुपात 60:40 है।

विद्यालय अनुदान

8.20 वर्ष 2015–16 के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान के तहत 8,895 प्राथमिक स्कूलों और 5,627 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 5,000 रूपये प्रति प्राथमिक विद्यालय और 7,000 रूपये प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय की दर से अनुदान प्रदान किया गया है, यह अनुदान स्कूलों के गैर कार्यात्मक मद के प्रतिस्थापन सहित स्कूल के उपकरणों के रखरखाव के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 3,241 माध्यमिक स्कूलों को 15,000 रूपये प्रति स्कूल की दर से 486.15 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।

अनुरक्षण अनुदान

8.21 स्कूल अनुरक्षण अनुदान 14,522 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों को 7,500 रूपये प्रति स्कूल की दर से जारी किया गया है। वर्ष 2015–16 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1,089.15 लाख रूपये की राशि इन स्कूलों को प्रदान की गई।

निःशुल्क वर्दी व पाठ्य पुस्तकें

8.22 सर्व शिक्षा अभियान के तहत, सभी लड़कियों और अनुसूचित जाति व गरीबी रेखा से नीचे लड़कों को निःशुल्क वर्दी प्रदान की गई। 5,768.47 लाख रूपये की राशि राज्य के 14,42,118 विद्यार्थियों को वर्दी देने के लिए स्कूल प्रबन्धन समिति को प्रदान की गई। वर्ष 2015–16 के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान के तहत 3,683.65 लाख रूपये की राशि 1 से 8 कक्षा के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की गई है।

समावेशी शिक्षा

8.23 वर्ष 2015–16 के दौरान, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भत्ता, ब्रेल पुस्तकों और बड़ी मुद्रित पुस्तकें, अनुरक्षण आदि उपलब्ध करवाने और चिकित्सा मूल्यांकन शिविरों का आयोजन करने के लिए 832.47 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

8.24 वर्ष 2015–16 के दौरान 1,182.03 लाख रूपये की राशि राज्य में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संचालन के लिए स्वीकृत की गई। सरकार द्वारा स्वीकृत 36 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में से 25 आवासीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं व 3 डे बोर्डिंगं के रूप में काम कर रहे हैं।

सामुदायिक प्रशिक्षण

8.25 राज्य में स्कूल प्रबंधन समिति के 87,366 सदस्यों के लिए एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 262.10 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया।

निर्माण कार्य

8.26 वर्ष 2015–16 के दौरान, 150.07 लाख रूपये की राशि 57 प्राथमिक स्कूलों के भवनों और 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों की मरम्मत के लिए और 50 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदान की गई है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 1,11,935.63 लाख रूपये की राशि 170 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 185 विज्ञान प्रयोगशाला, 384 कंप्यूटर कक्ष, 262 पुस्तकालय, 480 कला एवं शिल्प कक्ष, 10 शौचालय के निर्माण एवं 2 पीने के पानी की सुविधा के लिए प्रदान की गई है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम

8.27 जनवरी, 2015 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पानीपत में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम की शुरूआत की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा, जीवन–यापन, संरक्षण व कल्याण सुनिश्चित् करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न गतिविधियां की जा रही हैंः–

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सभी सरकारी स्कूलों में एक प्रमुख स्थान पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रतीक चिन्ह को चित्रित किया गया है।
- राज्य के 5,268 मिडिल और उच्च सरकारी विद्यालयों में लड़कियों को अपने मुद्दों और समस्याओं पर विचार–विमर्श करने के लिए बालिका मंच को स्थापित किया गया है।

सितम्बर, अक्टूबर और नवंबर, 2015 के प्रत्येक तीसरे शनिवार को "मन की बात" के तीन सत्र आयोजित किये गए।

- एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट और गाइड छात्रों को स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान करने में और उन्हें स्कूलों में दोबारा दाखिल होने के लिए प्रेरित किया गया। जो छात्राएं 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं कर पायी थीं उन्हें स्कूलों में पुनः दाखिल होने के लिए प्रेरित किया गया तथा 12,900 लड़कियों को 10वीं में और 4,790 लड़कियों को 12वीं कक्षा में पुनः प्रवेश करवाया गया।

पढ़े भारत बढ़े भारत

8.28 वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए भारत सरकार ने 2.50 लाख रूपये प्रति जिला की दर से बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित किये तथा परिषद् द्वारा 6,134 प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में जहां तीन या इससे अधिक शिक्षक उपलब्ध हैं वहां पर बरखा श्रृंखला के दो सेट उपलब्ध करवाए जा चुके है। स्कूलों को 2–3 महीने की अवधि के लिए इन किताबों का उपयोग करने के लिए कहा गया और उसके बाद परिषद् द्वारा बच्चों में पढ़ने और लिखने के प्रति दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए दूसरी और तीसरी कक्षा के बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन का प्रस्ताव किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत हरियाणा एक खोज कार्यक्रम

8.29 2 लाख रूपये प्रति जिला की दर से 42 लाख रूपये का बजट स्कूल स्तर, ब्लॉक स्तर व जिला स्तर पर छठी से आठवीं तक की कक्षाओं के लिए मुखर संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला और क्ले मॉडलिंग प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कला उत्सव

8.30 राष्ट्रीय स्तर पर कला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए 10 लाख रूपये अनुमोदित किए गए है। इस कार्यक्रम में चार मुख्य कलाओं नृत्य, संगीत, रंगमंच और दृश्य कला में स्कूल, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 8 से 10 दिसंबर, 2015 को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओ ंका राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली में आयोजन किया गया तथा हरियाणा ने रंगमंच में प्रथम पुरस्कार और दृश्य कला वर्ग में दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया।

माध्यमिक शिक्षा

ई–गवर्नेन्स

8.31 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय राज्य शिक्षा एवम् अनुसंधान परिषद्, जिला प्राथमिक शिक्षा संस्थान, राजकीय प्राथमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान इत्यादि में ई–गर्वनेन्स में कम्पूयटरीकरण, स्वचालन, जुड़ाव और नेटवर्क शामिल है। इसलिए आज के युग में ई–गर्वनेन्स कुशल प्रशासन का एक आवश्यक घटक बन चुका है। वर्ष 2015–16 में ई–गर्वनेन्स के शीर्ष हेतू 400 लाख

रूपये का बजट प्रावधान किया गया। वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग में सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगाए गए हैं।

सूचना एवं सम्पर्क प्रोद्यौगिकी

8.32 यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें केन्द्र व राज्य का 75:25 का अनुपात है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2,617 स्कूलों में कम्प्यूटर लैब तथा प्रत्येक स्कूल में लैब सहायक लगाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2015–16 में 31–12–2015 तक 68,22,21,095 रूपये खर्च किए गए।

माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों के लिए समावेशित शिक्षा

8.33 वित्त वर्ष 2009–10 में, एकीकृत निःशक्त शिक्षा परियोजना के स्थान पर भारत सरकार के द्वारा माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों के लिए समावेशित शिक्षा योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर (कक्षा नौंवी से बारहवीं तक) के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रणाली के तहत समावेशी एवं अनुकूल वातावरण में शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना को पूर्ण करना है। चालू वित्त वर्ष में भारत सरकार के द्वारा इस योजना के लिए 1,089.94 लाख रूपये के कार्य प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं।

एजुसैट

8.34 एजुसैट योजना मानव संसाधन विकास और इसरो, बैंगलुरू के सहयोग से उपग्रह के माध्यम से गुणवत्ता युक्त उपलब्ध करवाने के लिए शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा वर्ष, 2005 में प्रारम्भ की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक सीमाओं को पार करते हुए, शिक्षा के समग्र गुणवत्ता में उन्नयन प्रदान करना है। सैटेलाईट हब पंचकूला में स्थापित है और सैटेलाईट इंटरएक्टिव टर्मिनल के साथ–साथ डी.टी.एच./आर.आर.टी. पूरे राज्य के विभिन्न शिक्षा संस्थानों में स्थापित किया गया है। अब तक 10,935 टर्मिनलस स्थापित किये गये हैं।

साक्षरता मिशन

8.35 प्रौढ़ शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना ''साक्षर भारत'' हरियाणा के दस जिलों– भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, महेन्द्रगढ़ व सिरसा में चल रही है। इस योजना का लक्ष्य निरक्षरों को साक्षर बनाना, विशेषकर अनुसुचित जाति की महिलाओं, अल्पसंख्यकों व उपेक्षित श्रेणी के 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों को जिनका कभी स्कूल में दाखिला न हुआ हो, उनको साक्षर करना है। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, हरियाणा ने वर्ष 2015–16 में 2 लाख निरक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य तय किया था। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान व राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23–8–2015 को हरियाणा के साक्षर भारत जिलों में आयोजित परीक्षा में 1,10,426 नव साक्षरों ने भाग लिया।

स्वच्छ विद्यालय अभियान के अन्तर्गत शौचालय की सुविधा

8.36 सत्र 2015–16 के दौरान माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा ने 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय विद्यालयों में 4,122 नए शौचालयों का निर्माण विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत करवाया है। इसमें से 383 शौचालय अलग से लड़कियों के लिए बनवाए गए हैं जिसके लिए नाबार्ड ने राशि उपलब्ध करवाई। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की जरूरत के अनुसार 2,136 शौचालयों का निर्माण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किया गया और 1,603 नए शौचालयों का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि के अन्तर्गत किया गया। इसके अतिरिक्त 4,034 शौचालयों की मरम्मत करवाई गई।

8.37 प्रत्येक राजकीय विद्यालय में लड़कें तथा लड़कियों के लिए एक–एक शौचालय बनवाया गया है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्यानुसार शौचालयों के निर्माण के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा जहां अतिरिक्त शौचालय बनाए जाने हैं या मरम्मत की जानी है, की सूची तैयार की जा रही है जिसके लिए विकास व पंचायत विभाग द्वारा "हरियाणा स्वच्छ कोष" योजना के अन्तर्गत शौचालय के रखरखाव व स्वच्छता के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

मेवात और मोरनी क्षेत्र में कन्या शिक्षा हेतू विद्यालयों की स्तरोन्नति

8.38 राज्य सरकार कन्याओं के लिए माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मेवात और मोरनी क्षेत्र के 36 राजकीय माध्यमिक और उच्च विद्यालयों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर स्तरोन्नति प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है ताकि इन क्षेत्रों की कन्याओं को शिक्षा की सुविधा उनके घर पर उपलब्ध करवाई जा सके।

नाबार्ड प्रोजेक्ट

8.39 इसके साथ–साथ नाबार्ड की सहायता से लड़कियों के लिये अलग शौचालयों का निर्माण एवं हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 2,910 राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में हैंड पम्प लगाये जाने का कार्य प्रगति पर है। पिछले वित्त वर्ष 2014–15, में परियोजना के लिए 2,723 लाख रूपये का अलग से प्रावधान किया गया था जिसमें से वित्त विभाग द्वारा 2,042 लाख रूपये की राशि जारी की गई।

मुख्यमन्त्री स्कूल सौन्दर्यकरण प्रेरणादायक योजना

8.40 मुख्यमन्त्री स्कूल सौन्दर्यकरण योजना वर्ष 2011 में राज्य के सभी स्कूलों में लागू की गई थी। इस योजना के तहत दो स्कूलों (एक उच्च और एक वरिष्ठ माध्यमिक) को खण्ड स्तर, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर हर वर्ष 26 जनवरी को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालयों को खंड स्तर (एक उच्च और एक माध्यमिक) पर 50,000 रूपये जिला स्तर (एक उच्च और एक माध्यमिक) पर 1,00,000 रूपये तथा राज्य स्तर (एक उच्च और एक माध्यमिक) पर 5,00,000 रूपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। इस योजना के तहत वर्ष

2014–15 के दौरान सभी जिलों में 161 लाख रूपये की राशि आबंटित की गई थी तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 171 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

8.41 माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की मुख्य प्रोत्साहन योजनाओं और लाभार्थियों की संख्या और जो खर्च हुआ है उसे **तालिका 8.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 8.3– वर्ष 2014–15 में योजना अनुसार लाभार्थियों की संख्या तथा माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों पर किया गया खर्च।

(लाख रूपये)

योजना	2014–15	
	लाभार्थियों की संख्या	खर्च
राजीव गांधी छात्रवृति योजना	30848	267.55
हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृति योजना	1232	25.09
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए नगद पुरस्कार योजना	242985	32.61
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मासिक छात्रवृति योजना	242985	8,387
राष्ट्रीय प्रतीभा खोज छात्रवृति योजना	101	12.75
राष्ट्रीय मीन्स–कम–मेरिट छात्रवृति योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	2149	3.84
गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों के लिए मासिक छात्रवृति योजना	37114	8.23
पिछड़ा वर्ग ए छात्रों के लिए मासिक छात्रवृति योजना	174334	43.80
अनुसूचित जाति के छात्रों (लड़के/लड़कियों) को मुफ्त में साईकिल उपलब्ध करवाना	27433	698.00

स्त्रोतः शिक्षा विभाग, हरियाणा।

अध्यापक शिक्षा

8.42 शिक्षक नवीनीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 से केन्द्रीय प्रायोजित अध्यापक शिक्षा योजना के तहत चार जिलों मेवात, फतेहाबाद, पलवल व झज्जर में एक–एक (जिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा संस्थान) ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त 2 खण्ड शिक्षक शिक्षा संस्थान मेवात व फतेहाबाद में अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतू कार्यान्वित किये गये हैं। क्योंकि भारत सरकार द्वारा इन जिलों की पहचान अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य की गई है। इन संस्थानों के भवन निर्माण आदि कार्यो हेतू 1,498.76 लाख रूपये का खर्च का अनुमान है जिसमें से 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और शेष भारत सरकार उपलब्ध करायेगी। इन डी.आई.ई.टी. व बी.आई.टी.ई. के निर्माण कार्य को अन्तिम रूप से पूर्ण कराने हेतू स्कूल विभाग द्वारा 870.87 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जा रहा है। यह राशि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की सिविल इंजिनियरिंग शाखा को निर्माण कार्य हेतू दी जाएगी।

आरोही सैल

8.43 भारत सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर वित्त वर्ष 2011–12 में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े ब्लॉकों में आरोही मॉडल स्कूलों को खोलने की योजना शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े हुए ब्लॉक के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है। यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा 75:25 के अनुपात में चलाई जा रही थी, परन्तु वित्त वर्ष 2015–16 में इस योजना से भारत सरकार के सम्बन्धरहित होने के कारण राज्य सरकार के राज्य योजना द्वारा चलाई जा रही है। इस वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के द्वारा 34 करोड़ रूपये का बजट उपलब्ध करवाया गया है। जिसमें से 14.50 करोड़ रूपये की राशि दिसम्बर, 2015 तक खर्च की जा चुकी है।

उच्चतर शिक्षा

8.44 हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को गुणवत्ता युक्त उच्चतर शिक्षा के साथ–साथ रोजगार उपलब्ध करवाना है। पिछले कुछ वर्षो से राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रभावी विकास देखने में आया है और यह आगामी वित्त वर्ष में भी जारी रहने की सम्भावना है। उच्चतर शिक्षा–विभाग ने उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने व क्षमता बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए हैं। उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता, समानता, स्थिरता एवं सभी के लिए उपलब्धता हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता है। राज्य सरकार का यह लक्ष्य है कि उच्चतर शिक्षा समाज के सभी वर्गो तक समान रूप से पहुॅचे विशेषतः वंचित वर्गो तक अनिवार्य रूप से ये आवश्यक है कि उच्चतर शिक्षा के अवसर सभी योग्य विशेषतः समाज के कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को समान रूप से उपलब्ध हों।

8.45 इस वर्ष पॉच नये महाविद्यालय खोले गये हैं। कुल 110 महाविद्यालयों में से केवल 32 कन्या–महाविद्यालय हैं। निजी प्रबंधन (परंतु सरकार द्वारा अनुदानित) 97 महाविद्यालयों में से 35 कन्या –महाविद्यालय हैं। कन्याओं को उच्चतर शिक्षा उनके नजदीक क्षेत्रों में उपलब्ध करवाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। इसलिए अधिक से अधिक, अलग से छात्रा–महाविद्यालय खोलने के प्रयास जारी हैं। प्रदेश के महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों में लैंगिक–जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए भी सरकार कार्य कर रही है।

8.46 राज्य सरकार ने राजकीय व निजी क्षेत्र (सरकार द्वारा अनुदानित) के महाविद्यालयों में ढांचागत सुविधाओं के लिए समुचित संसाधन निवेश किए है। इसके साथ–साथ निजी क्षेत्र के लिए भी शैक्षणिक साझेदारों को तैयार किया गया है ताकि हर नागरिक तक उच्चतर शिक्षा उपलब्ध हो। वर्ष 2015–16 में बहादुरगढ़ में पी.डी.एम. विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए हरियाणा विधान सभा में विधेयक पारित किया गया है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में स्व–वित्त पोषित श्रेणी में 3 लॉ कॉलेज व 23 डिग्री कॉलेज खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है।

8.47 2015–16 के दौरान सभी महाविद्यालयों में ऑन–लाईन दाखिलों की शुरूआत करना राज्य सरकार की मुख्य उपलब्धि है। इसमें 2.47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने सरकारी कॉलेजों में

ऑन–लाईन दाखिलों के लिये आवेदन किया था जिसमें से लगभग 1.72 लाख विद्यार्थियों ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर की शिक्षा हेतू निःशुल्क प्रक्रिया द्वारा दाखिला लिया गया है। सत्र 2016–17 में भी दाखिले हेतू ऑन–लाईन प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 1,647 रिक्त पदो ंके लिए सहायक प्रोफेसर का प्रस्ताव हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा है।

8.48 मानव–संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की विशेष योजना 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' के तहत (योजना की शेष अवधि के लिए) कार्यान्वयन के लिए 132.54 करोड़ रूपये स्वीकृत हुए हैं। इसमें संसाधन अनुदान योजना के तहत 5 विश्वविद्यालयों के लिए, एक कॉलेज के मॉडल डिग्री कॉलेज स्तरोन्नित में 17 सरकारी महाविद्यालय, दो कन्या छात्रावास (इक्विटी इनिशिएटिव के तहत) व एक मानव संसाधन विकास केन्द्र, गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार हेतू संकाय सुधार इत्यादि शामिल है।

तकनीकी शिक्षा

तालिका 8.4– वर्ष 2015–16 में तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश क्षमता तथा प्रवेश का विवरण

कोर्स	संस्थानों की संख्या			प्रवेश क्षमता			प्रवेश		
	सरकारी सहायता प्राप्त	निजी	कुल	सरकारी सहायता प्राप्त	निजी	कुल	सरकारी सहायता प्राप्त	निजी	कुल
डिप्लोमा (इन्जीनियर एच.एम. और फार्मेसी)	29	175	204	12055	52085	64140	9350	23920	32270
बी. आरकिटैक्टचर	2	18	20	120	970	1090	109	559	668
बी. टैक	10	138	148	2985	57164	60149	2000	16583	18583
एम.बी.ए.	12	140	152	885	10505	11390	104	4732	4836
एम.सी.ए.	9	43	52	540	2670	3210	368	257	625
बी.फार्मा	5	26	31	300	1600	1900	विभाग द्वारा प्रवेश नहीं करवाये जाते		
बी.एच.एम.सी.टी.	0	6	6	0	360	360	–सम–		
कुल	**67**	**546**	**613**	**16885**	**125411**	**142296**	**11931**	**46051**	**56982**

स्त्रोतः तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा।

8.49 वर्ष 1966 में हरियाणा के अलग राज्य के रूप में गठन के समय राज्य में केवल 6 बहुतकनीकी संस्थाऐं, जिनमें 4 राजकीय एवं 2 सरकारी सहायता प्राप्त थे एवं एकमात्र क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्मलित उपक्रम) कुरूक्षेत्र में था, जिसमें 1,341 छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता थी। तकनीकी शिक्षण संस्थाओं एवं चार तकनीकी विश्वविद्यालयों में

तब से अब तक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। शैक्षणिक सत्र 2015–16 में तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश क्षमता तथा प्रवेश का विवरण **तालिका 8.4** में दिया गया है।

8.50 विभाग डिप्लोमा संस्थानों (बहुतकनीकी) के लिए आवश्यकतानुसार कोर्स/कार्यक्रम तैयार करता है और पर्याप्त मानव संसाधन और निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सुविधाएं सुनिश्चित् करता है। यह डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोतर संस्थानों के माध्यम से इंजीनियरिंग व प्रौद्योगीकी, वास्तुकला और शहरी योजना, प्रबंधन, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, ललित कला, एप्लाईड कला व शिल्प तथा डिजाइन के क्षेत्र में उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है। तकनीकी शिक्षा विभाग समाज में सुविधओं से वंचित समाज़ जैसे अनुसूचित जातियों, महिलाओं और शारीरिक रूप से निःशक्तों, ग्रामीण आबादी और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ी श्रेणी की शैक्षिक आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। विभाग छात्रों को लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए कैरियर परामर्श प्रदान करता है। पोस्ट–मैट्रिक स्कॉलरशीप योजना तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा उन कोर्सेज हेतू संचालित की जा रही है जो कोर्सेज भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदित है। इस योजना के तहत ट्यूशन फीस और भत्ते जैसे विद्यार्थी फंड परीक्षा फीस एवं डिवैल्पमैंट फंडस की प्रतिपूर्ति की जाती है जिनके माता–पिता की सालाना आमदनी 2.5 लाख तक है।

8.51 राज्य में निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जा रहे हैः–

i) भारतीय सूचना प्रोद्यौगिकी संस्थान

भारतीय सूचना प्रोद्यौगिकी संस्थान की स्थापना गांव किलोड़ जिला सोनीपत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के तहत किया जा रहा है जिसके लिए ग्राम पंचायत ने 50 एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध करवाई। परियोजना के लिए एच.एस.आई.आई.डी.सी. एवं हारट्रोन इस संस्था के औद्योगिक भागीदार है। वर्ष 2014–15 से अतिथि कक्षाएं एन.आई.टी., कुरूक्षेत्र में शुरू हो गई हैं।

ii) भारतीय प्रबन्धन संस्थान, रोहतक

भारतीय प्रबन्धन संस्थान, रोहतक की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रोहतक में 200 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में की जा रही है। राज्य सरकार ने इस संस्था हेतू निःशुल्क जमीन उपलब्ध करवाई है। वर्तमान में भारतीय प्रबन्धन संस्थान, रोहतक कों महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर में चलाया जा रहा है। भारतीय प्रबन्धन संस्थान, रोहतक के परिसर का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा यह भारतीय प्रबन्धन संस्थान समिति, रोहतक के संरक्षण में हो रहा है।

iii) राष्टीय डिजाईन सस्ंथान

राष्ट्रीय डिजाईन सस्ंथान की स्थापना उमरी (राष्ट्रीय राज मार्ग 1 पर) जिला कुरूक्षेत्र में की जा रही है। ग्राम पंचायत, उमरी द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की स्थापना हेतू 20.5 एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध करवाई है। राज्य सरकार का शैक्षणिक स्तर 2016–17 से अतिथि कक्षाएं एन.आई.डी., कुरूक्षेत्र में आरम्भ करने का प्रस्ताव है। जिसके लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएँ एन.आई.डी., अहमदाबाद के परामर्श अनुसार संवर्धन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूरी की जा रही है।

iv) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना वस्त्र मन्त्रालय, भारत सरकार के सहयोग से सेक्टर–23 पंचकूला में की जा रही है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान परियोजना के लिये 10.45 एकड भूमि प्रदान की है। राज्य सरकार

इमारत के बूनियादी ढांचे, मशीनी उपकरणो की खरीद के साथ–साथ राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान परियोजना को पहले 4 वर्ष के लिये व्यवहार्यता गैप फंडिंग के लिये 99.71 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान परियोजना का निर्माण कार्य हरियाणा पुलिस हाउसिंग कोर्पोरेशन को सौंपा गया है तथा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर के निर्माण के ड्राईंग का नक्शा मुख्य शिल्पकार, हरियाणा द्वारा तैयार हुआ है, जिसका राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है।

v) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली का परिसर विस्तार (फैकल्टी डेवलपमेंट)

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के विस्तार परिसर (फैकल्टी डेवलपमेंट) की स्थापना राजीव गॉधी एजुकेशन सिटी, कुडंली, जिला सोनीपत में की जा रही है। इस उद्देश्य हेतू 50 एकड़ जमीन हुडड़ा द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को निःशुल्क आवंटित की गई है। परिसर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क, उच्च निष्पादन कम्प्यूटिंग सुविधा और संकाय विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के माध्यम से परिसर निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा यह निर्माण कार्य भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के निरीक्षण में किया जा रहा है।

vi) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली का परिसर विस्तार (अनुसंधान एव विकास)

एक अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर विस्तार (अनुसंधान एव विकास) का गांव बाड़सा जिला झज्जर में निर्माण किया जा रहा है जिसके लिए 50 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत बाड़सा जिला झज्जर से 15 करोड़ की कुल लागत पर खरीदी गई है। परिसर में कौशल विकास केन्द्र एवं जैव विज्ञान अनुसंधान पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है। आगे की रूपात्मकता पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली कार्य कर रहा है।

राजकीय इजीनियरिगं व प्रौद्योगिकी संस्थान

8.52 श्री रणबीर सिंह राजकीय इजीनियरिगं व प्रौद्योगिकी कालेज तथा राव विरेन्द्र सिंह राजकीय ईजीनियरिंग कालेज की स्थापना गांव सिलानी केशो जिला झज्जर तथा गांव जैनाबाद, जिला रिवाड़ी में की जा रही है। संस्थान की अनुमानित निर्माण लागत लगभग 80 करोड़ रूपये (40 करोड़ रूपये प्रत्येक) है। राजकीय बहुतकनीकी, नीलोखेडी जिला करनाल के परिसर में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

राजकीय बहुतकनीकी

8.53 7 नये राजकीय बहुतकनीकी, नीमका (फरीदाबाद), शेरगड़ (कैथल), इंद्री (मेवात), मन्डकोला (पलवल), मलाब (मेवात), छप्पार (भिवानी) और जमालपुर शेखां (फतेहाबाद) निर्माणाधीन हैं। राजकीय बहुतकनीकी निमका, शेरगढ़, इन्द्री, मलाब का निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है और इन संस्थानों के शैक्षणिक सत्र 2016–17 से शुरू होने की सम्भावना है। सैक्टर–26, पंचकूला और गांव दामलावास जिला रिवाड़ी में राजकीय बहुतकनीकी–कम–मल्टीस्कील डवैलप्मैन्ट सैन्टर के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित बहुतकनीकी

8.54 भारत सरकार ने अल्पसेवित जिलो में 7 बहुतकनीकी संस्थाओं की स्वीकृति प्रदान की है जिसके लिए प्रत्येक को 12.30 करोड़ रूपये की धनराशि मानव संसाधन व विकास मत्रांलय, भारत

सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। शेष पांच राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हथनी कुंड (यमुनानगर), उमरी (कुरूक्षेत्र), जाट्टल (पानीपत), ढांगर (फतेहाबाद) और नानकपुर (पचंकूला) का निर्माण कार्य समापन स्तर पर है और इन संस्थानों का सत्र 2016–17 के दौरान प्रारम्भ होने की सम्भावना है। अल्पसंख्यक अधिकार मंत्रालय, भारत सरकार के बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत एक नया राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सढ़ौरा, जिला यमुनानगर में निर्माणाधिन है। जिसकी पहली किस्त 250 लाख रूपये जारी की जा चुकी है।

8.55 राज्य में कौशल विकास करने की नई पहल निम्नलिखित हैः–

i) एकत्रित कौशल विकास योजना

वस्त्र मन्त्रालय, भारत सरकार की एकत्रित कौशल विकास योजना के तहत तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा 20,000 व्यक्तियों को टैक्सटाईल क्षेत्र जैसाकि टैक्सटाईल डिजाईन, बुनाई, वस्त्र, रंगाई, छपाई, कढ़ाई, हथकरघा/कालीन इत्यादि में प्रशिक्षित करने हेतू 7 जिलों पानीपत, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, गुड़गावं, अम्बाला व रोहतक में प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे।

ii) हरियाणा कौशल विकास मिशन

हरियाणा कौशल विकास मिशन मई, 2015 में सोसायटी मोड में स्थापित किया गया। यह मिशन विभिन्न कौशल विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। मिशन सरकार के भीतर सम्पर्क तैयार करने और विभिन्न कौशल विकास योजनाओं/परियोजनाओं निरूपण करने का एक बिन्दु होगा और विभागों में कौशल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आवश्यक तालमेल, निरीक्षण और प्रभावी समन्वय लाएगा। मिशन की निगरानी और समन्वय राज्य में चल रही योजनाओं कौशल और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में लगे हुए राज्य और केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के संगठनों के प्रयासों को समन्वित करना और उपलब्ध रोजगार उन्मुख और प्लेसमैन्ट से जोड़ने के साथ व्यवसायिक कौशल में प्रशिक्षण, जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों, कैदियों, विकलांग व्यक्तियों एवं असंगठित क्षेत्र में मौसमी मजदूरी करने वालों तथा राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को लाभ दिया जाएगा।

औद्योगिक प्रशिक्षण

8.56 औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में 147 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (114 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), 190 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान, 7 राजकीय अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, 2 निजी अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, के माध्यम से (राजकीय–50363+निजी–28622) 78,985 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान कर रहा है। औद्योगिक शिक्षण संस्थाएं न केवल कुशल कारीगरों की पूर्ति को दूर करती है बल्कि स्वयं रोजगार के लिए मार्गदर्शन भी करती है।

8.57 वर्ष 2015–16 में 147 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 55,484 सीटों की क्षमता के साथ चल रहे हैं। जिनमें से 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं के लिए तथा शेष संस्थानों में सहशिक्षा है। इसमें 30 प्रतिशत सीटे सभी व्यवसायों में लड़कियों के लिए आरक्षित है। अम्बाला शहर, रोहतक, जीन्द, भिवानी, नारनौल, सिरसा तथा फरीदाबाद में 7 राजकीय अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं जिनकी कुल सीटों की क्षमता 280 है इन अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्रों में महिलाओं सम्बन्धी

व्यवसाय भी शामिल है। 2 निजी अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र जिनकी कुल सीटों की क्षमता 40 प्रत्येक है तथा 190 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान है जिन में 28,622 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता है भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला प्रशिक्षणार्थियों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है।

8.58 प्रशिक्षार्णिथियों के लिये प्रशिक्षण कार्यो को अधिक उपयोगी बनवाने के लिये 64 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षणों में से 32 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने हेतू अंगीकृत किया गया है। संचालन, वित्तीय एवं प्रबन्धन में स्वायत्ता प्रदान करने के लिये 71 सोसायटियों का गठन किया गया जिसमें 78 राजकीय संस्थान कवर किये गये है।

8.59 महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्किल डिवलैपमैन्ट इनीशियेटिव योजना के अर्न्तगत 230 रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा विभिन्न माडयूलस में उन छात्रों को जिन्होने स्कूल छोड़ दिया है तथा जो लोग अव्यवस्थित क्षेत्र में काम कर रहे है, प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना से अब तक कुल 62,549 अभ्यार्थी प्रशिक्षण ले चुके है।

8.60 वर्ष 2013 में भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से समैस्टर प्रणाली पर आधारित कला अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कोर्स कराने हेतू रोहतक में प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। इस संस्थान ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है व सितम्बर, 2015 में इस संस्थान में दाखिले हुए। इस संस्थान की कुल क्षमता 120 छात्र प्रति स्मैस्टर है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी

8.61 हरियाणा राज्य ने डिजिटल भारत कार्यक्रम के तीन क्षेत्रों पर फोक्स किया है जो प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता, मांग पर अभिशासन तथा सेवाएं तथा नागरिकों के डिजिटल सशक्तीकरण के रूप में डिजिटल अवसंरचना है।

8.62 डिजिटल बुनियादी सुविधाये और सेवाएं

i) हरियाणा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क

इस नेटवर्क के अन्तर्गत सभी जिला मुख्यालयों, ब्लॉक मंडल उपमंडल कार्यालय, हरियाणा सिविल सचिवालय भवन नई दिल्ली को राज्य मुख्यालय के साथ जोड़ा ताकि वाइस् ओवर डेटा प्रोटोकॉल वीडियो तथा आंतरिक एवं अंतर डेटा हस्तांतरण को सुगम बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के 1,239 कार्यालयों को सीधे तौर पर जोड़ा गया है।

ii) स्टेट डेटा सेंटर

विभिन्न विभागों, संस्थानों एवं ई–जिला परियोजना से संबंधित 34 आवेदन पत्र डेटा सेंटर पर प्रायोजित किये गए हैं। अतिरिक्त स्पेस तथा कंप्यूटिंग की समस्या से निजात पाने के लिए क्लाउड कांसेप्ट भी आरम्भ किया गया है। आई.वी.आई.एस. एप्लीकेशन के साथ हरियाणा क्लाउड जुलाई, 2014 को प्रसारित किया गया। विभिन्न विभागों की 30 आभासी मशीनों का प्रावधान भी किया गया।

iii) राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भारत नेट

इस परियोजना के तहत सरकार से नागरिक (जी 2 सी) तथा नागरिक से सरकार (सी 2 जी) के बेहतर सेवा प्रबंधन के लिए सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और नागरिक सेवा केंद्र पूरे राज्य में स्थापित किये जा रहे हैं। अभी तक 2,956 ग्राम पंचायतो में पीएलबी पाइप डक्ट बिछाई जा चुकी हैं तथा 2,561 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल

फाइबर केबल भी बिछाई जा चुकी है। हम आशा करते हैं की 31 मार्च, 2016 तक 691 गाँव इंटरनेट से जुड़ चुके होंगे। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा प्रदान किये गए उच्च बैंडविड्थ के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल को स्कूल एवं ग्राम सचिवालय में समाप्त किया गया है। नागरिकों की सुविधा के लिए ग्राम सचिवालय में सामान्य सेवा केंद्र भी स्थापित किये जा रहे है। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा जिला फरीदाबाद के 70 गांवों में कार्यान्वित किया गया है और उम्मीद है कि राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क फरीदाबाद, रिवाड़ी व सोनीपत के 691 गांवों में 31–3–2016 तक कार्यान्वित हो जाएगी।

iv) सामान्य सेवा केंद्र

2,153 सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किये जा चुके है। राष्ट्रीय इन्फार्मेटिक्स सेंटर तथा राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त प्रयासों के कारण 2–5–2015 को हरियाणा ने 22 ई–गवर्नेस सेवाओं का आरम्भ सामान्य सेवा केन्द्रो के जरिये किया है। इन सेवाओं में मुख्यतः राजस्व विभाग, स्थानीय शहरी निकाय, सेहत सेवाओं सम्बधित प्रमाण पात्र, जन्म मृत्यु प्रमाण आदि है। 105 (जी 2 सी) तथा 100 से अधिक उत्पादक से उपभोगता सेवाएं सामान्य सेवा केंद्र के जरिये प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2016–17 के तहत 6,198 सामान्य सेवा केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है जिसका मतलब है प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सामान्य सेवा केंद्र।

v) स्थायी नामांकन केंद्र

वर्ष 2011 में प्रसारित जनगणना आंकड़ों के अनुसार 100 प्रतिशत आधार नामांकन हो चुका है। वर्ष 2015 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार 95.05 प्रतिशत राज्य नागरिक आधार के लिए नामांकित किये जा चुके है। राज्य में स्थापित 375 स्थायी नामांकन केंद्र जिला सूचना प्रोद्योगिकी संस्थानों द्वारा चलाये जा रहे हैं।

vi) ई–जिला परियोजनायें

राजस्व विभाग की 11 व जन्म मृत्यु की 9 सेवाएं, सी.एस.सी. द्वारा प्रदान की जा रही है। अब राज्य में सी.एस.सी./स्टेट प्रोर्टल/विभाग की स्वयं सेवाओं की आन–लाईन पोर्टल प्रणाली के माध्यम से 17 विभागों में 75 अतिरिक्त ई–सेवाएं प्रदान करने हेतू तैयार है। इन सेवाओं में चुनाव विभाग, बिजली के बिल, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, राजस्व मुकदमा, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास, वन विभाग, उद्यानकृषि, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस विभाग, खाद्य आपूर्ति, सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग, मत्स्य पालन, खेल व योगा समारोह, वित्त विभाग, स्कूल शिक्षा बोर्ड, आबकारी व करारोपण विभाग, को प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल है।

vii) स्टेट पोर्टल एवं सर्विस डिलीवरी गेटवे

इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों की 35 इलेक्ट्रॉनिक सेवाओ को परिचालित करने की योजना है।

viii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण डाटा सैंटर

एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को 5 एकड़ का प्लाट, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण डाटा सैंटर की स्थापना हेतू आई.एम.पी.टी. मानेसर, गुड़गांव में आंबटित किया गया है जिसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण डाटा सैंटर की स्थापना हो चुकी है और अब यह पूर्णतः कार्यशील है।

ix) ई–गवर्नेन्स एप्लीकेशन

पिछले कुछ समय में राज्य में बहुत से नयी सेवाओं संबंधी कम्प्यूटरीकृत एप्लिकेशन्स शुरू की गई है। इन में मुख्यतः सी.एम. विंडो, सी.एम. ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, सी.एम. अनाउंसमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, रैवेन्यू कोर्ट केस मॉनिटरिंग, ई–स्टाम्पिंग, ई–रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑनलाइन जमाबंदी, आधार नामांकित जीवन प्रमाण पत्र, विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन जैसे की सी.एम. विंडो हरियाणा स्टेट पोर्टल, ई टिकट, हरियाणा सी.एम. वेब पोर्टल सिगमा, हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा पोर्टल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सी.एम. इंगेजमैंट मैनेजमेंट सिस्टम, ई–पी.एम.एस., आदि सेवाएं कार्यरत है। गौरतलब है की राज्य ई–पेमेंट, ई–पेंशन, ई–सैलरी, ई–दिशा एवं जन्म मृत्यु प्रमाण सेवाओं के लिए सम्मान प्राप्त कर चुका है।

8.63 अन्य पहल

i) संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना के तहत ब्राउन फील्ड क्लस्टर

इस परियोजना के तहत जिला गुड़गांव तहसील बावल, उपमंडल धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, जिला पंचकूला (ब्लॉक बरवाला एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्र) जिला फरीदाबाद, जिला पलवल, जिला अम्बाला, यमुनानगर, झज्जर, सोनीपत (कुंडली औद्योगिक क्षेत्र राज्य सरकार स्थानीय निकाय द्वारा मानित राई क्षेत्र) आदि इलैक्टॉनिक उत्पादक समूह के लिए नामांकित किये गए है।

ii) सूचना एवं प्रौद्योगिकी पार्क

सूचना एवं प्रोद्यौगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम द्वारा 4 जगह जो की पंचकूला, आई.एम.टी. मानेसर, कुंडली तथा राई, सोनीपत में बुनियादी ढांचा विकसित कर लिया गया है।

iii) निजी सूचना एवं प्रौद्योगिकी पार्कस/विशेष आर्थिक क्षेंत्र

सरकार द्वारा 11,400 करोड़ रूपये निवेश से 387 एकड़ में बनने वाले 46 प्रस्तावों को राज्य में विभिन्न स्थानों पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं इस से सम्बंधित इकाईयों की स्थापना हेतू मंजूरी प्रदान की है। इसके इलावा राज्य में विभिन्न स्थानो पर 6 सेज कार्यरत हैं।

iv) भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना

भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना गुड़गांव में उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है। आने वाले समय में सूचना प्रौद्योगिकी विस्तार की सम्भावनाओं को देखते हुए सरकार के सुचना प्रौद्योगिकी विभाग ने पंचकूला एवं रोहतक में सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क बनाने की योजना तैयार की है। इस सन्दर्भ में पंचकूला में बनने वाले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए शुरुवाती कदम उठाये जा चुके हैं।

v) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी

सोनीपत जिले के किल्होड़ गॉव में आई.आई.टी. की स्थापना की जा रही है जिसकी अनुमानित लागत 128 करोड़ आंकी गयी है जोकि 50:35:15 के अनुपात में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा औद्योगिक हिस्सेदारों (क्रमशः हारट्रोन तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम) द्वारा अनुमोदित होगी। इस सन्दर्भ में हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

vi) ई–शिक्षा केंद्र

हारट्रोन अपने मुख्य कॉर्पोरेट ऑफिस तथा राज्य में स्थित 80 शिक्षण संस्थानों के जरिये, हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगम के अधिकारियों विशेष रूप से किए गए प्रशंसनीय पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अब तक हारट्रोन द्वारा 90,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा 35,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

vii) अधिकारिक शिक्षण संस्थान

अभी तक हरियाणा सरकार के हरियाणा नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड ने 205 मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान स्थापित किये हैं तथा वर्ष 2016–17 के लिए 500 अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

viii) नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण

डिजिकल भारत के सपने को साकार करने हेतू डिजिटल सशक्तिकरण के लक्ष्य निर्धारण के तहत 18 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के सभी नागरिकों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दक्षता प्रदान करते हुए सशक्त बनाना है। यह कार्य सामान्य सेवा केन्द्रों एवं प्रख्यात संस्थानों जैसे की सामान्य सेवा केंद्र–सरकारी, हरियाणा नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड, हारट्रोन वर्क स्टेशन के जरिये पूरा किया जाएगा। अगले 5 वर्षो में 50 लाख नागरिकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इनमें से 10 लाख नागरिकों को वर्ष 2016–17 में प्रशिक्षण देना है जिसके लिए बजट में 10 लाख रूपये का प्रावधान किया गया।

ix) जिला स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रोयगशाला

जिला स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला स्थापित करने की परियोजना है। यह प्रोगशालाएं विशेषतया डिजिटल डेटा तैयार करने, उसे कंप्यूटरीकृत करने, बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण, जी2सी सेवाएं, वी.एल.ई./यू.एल.ई. प्रशिक्षण, आंगनवाड़ी/आशा/आर.डी. के लिए राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन प्रोग्राम बनाने के लिए कार्यरत होंगी। इसके अतिरिक्त ये प्रयोगशालाएं हारट्रोन तकनीकी एवं शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए भी मददगार होगी।

x) विशेषीकृत प्रयोगशलाएं

ज्यादा से ज्यादा रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए कौशल उन्नयन प्रोग्राम के तहत राज्य भर में इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाईन एवं मैन्युफैक्चरिंग योजना के तहत कम से कम चार विशेषीकृत प्रयोगशालाएं स्थापित करने पर जोर दिया गया है। यह प्रयोगशालाएं फाइबर ऑप्टिक्स, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर काम करेंगी।

8.64 विशेष पहल

i) इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसार तकनीक अकादमी

हरियाणा के कॉलेज संस्थानों में कार्यरत संकाय की कार्यदक्षता उन्नयन के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र में एक इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसार तकनीक अकादमी स्थापित करने की योजना है। निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र इस सन्दर्भ में विस्तृत योजना तैयार कर अनुमोदनार्थ सरकार के समक्ष रखेंगे।

ii) डिजिटल भारत के लिए इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं उत्पादकता में कौशल विकास

यह योजना इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के रूप में शुरू की गयी है। इसके तहत 31 मार्च, 2016 तक सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक एवं टेलीकॉम क्षेत्र के 64 के करीब शैक्षणिक पाठ्यक्रम में 3,000 व्यक्तियों को ट्रेनिंग प्रदान की जानी थी। 1,205 प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का लक्ष्य साथी एजेंसी को दिया गया है। राज्य में इस कार्य के लिए हारट्रोन को राज्य स्तरीय एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया।

iii) राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन

डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि प्रत्येक घर के एक व्यक्ति को सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता प्रदान की जा सके। हरियाणा में अब तक 1,32,371 नागरिकों ने इस प्रोग्राम के तहत नामांकन किया है।

iv) स्टार्टअप वेयरहाउस

सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संघ के सहयोग से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग गुड़गांव में एक नवाचार परिसर स्थापित करने जा रहा है। इस सन्दर्भ में युवा उद्यमियों को हारट्रोन गुड़गांव में प्रोजैक्ट शुरू करने में सहायता करने के लिए सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संघ के साथ 29–7–2015 को एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये है।

v) राज्य निवासी डेटा बेस

इस परियोजना का आंशिक कार्य शुरू कर दिया गया है और तकरीबन 1.58 करोड़ लोगों का रिकार्ड आधार से प्राप्त किया है। राजस्व, शहरी स्थानीय निकाय और स्वास्थ्य विभाग की तकरीबन 20 ई.–सर्विसिज को इस डेटा बेस से जोड़ा गया है।

vi) राज्य निवासी डेटा हब

इसी दौरान राज्य निवासी डेटा हब विकसित की गयी है। वर्तमान में राज्य निवासी डेटा हब में 1.44 करोड़ रिकॉर्ड है तथा जुलाई, 2015 तक राज्य निवासी डेटा रिकॉर्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ सम्पूर्ण है। यह डेटा विभिन विभागों (चुनाव, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं खाद्य आपूर्ति विभाग) के लिए प्रमुख खुराक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य आपूर्ति विभाग के लिए एक वेब आधारित लुक–अप तैयार किया गया है जिसमे भारतीय विशिष्ट पहचान नंबर के साथ व्यक्तिगत पहचान चित्र देखने की भी सुविधा है।

vii) सूचना सुरक्षा प्रबंधन

पूरे राज्य के लिए एक व्यापक सूचना सुरक्षा नीति गठन किया जा रहा है। जिसके तहत सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय स्थापित किया जा चुका है। सूचना सुरक्षा विशेषज्ञों की समर्पित टीम राज्य भर के 30 परिसम्पत्तियों के सुरक्षा छिद्र विश्लेषण तथा प्रवेश परिक्षण में लगातार कार्यरत्त है। एक साल के अंदर राज्य भर के सभी आईटी परिसम्पतियों को इसके तहत कवर करने की योजना है। सुरक्षा गतिविधियों के वास्तविक समय सीमा की निगरानी तथा खुफिया खतरों के रोकथाम एवं उपचारात्मक दृष्टिकोण के मद्देनजर एक सुरक्षा केंद्र स्थापित करने की योजना है।

viii) ऊष्मायन केंद्र

प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक ऊष्मायन केंद्र स्थापित करने की योजना है जिसके तहत 7 विश्वविद्यालयों में 30 लाख रूपये की लागत वाला एक ऊष्मायन केंद्र स्थापित किया जाएगा।

ix) मोबाइल एप्लीकेशन विकास केंद्र

(इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया) के सहयोग से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकास एवं कौशल दक्षता केंद्र स्थापित करने की परियोजना पहले से ही कार्यशील है तथा इसके एम.ओ.यू. पर जल्द ही हस्ताक्षर होने की संभावना है।

x) आई.टी. कैडर

नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सामान्य सेवाओं में पारदर्शिता, दक्षता लाने के लिए राज्य सभी सरकारी दफ्तरों, बोर्डो, संस्थाओं एवं संस्थानों में ई–गवर्नेन्स परियोजना तथा आई.टी. एप्लीकेशन के इस्तेमाल के बढ़ावे पर जोर दे रही है। इस सन्दर्भ में ई–गवर्नेन्स गतिविधियों के सुनियोजित चलन एवं कार्यान्वयन के लिए राज्य में एक आई.टी. कैडर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

xi) आई.टी. नीति

इलैक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रसार एवं प्रचार के लिए एक नीति बनाने का कार्य किया जा रहा है।

xii) स्वर्ण जयंती वर्ष

नवंबर 2015 से नवंबर 2016 तक कार्यान्वयन के लिए सूचना तकनिकी विभाग ने 5 उच्च स्तरीय परियोजना/योजना/प्रोग्राम का चुनाव किया है। यह परियोजना है डिजिटल साक्षरता राज्य निवासी डेटा बेस, एन.ओ.एफ.एन., सी.एस.सी., ई–ऑफिस, ई–गवर्नेस/सेवा और नई आई.टी. नीति।

सॉफ्टवेयर निर्यात

8.65 सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संघ के अनुसार वर्ष 2012–13 में देश के कुल 4,10,999 करोड़ के सॉफ्टवेयर निर्यात में से अनुमानित 6 प्रतिशत हरियाणा से था। वर्ष 2013–14 में हरियाणा से यह निर्यात 6 प्रतिशत के लगभग था। इस तरह हरियाणा का अंशदान साफ्टवेयर निर्यात में अनुमानित 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार

8.66 देश भर में आई.टी. क्षेत्र में 6.8 प्रतिशत रोजगार हरियाणा द्वारा प्रदान किया जाता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

8.67 राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 1983 में स्थापित होने के बाद से ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उत्थान में मुख्य भूमिका निभाता आ रहा है। इसके संरक्षण में दो संस्थाएं काम कर रही है, हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् तथा हरियाणा अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसैक), हिसार। हरियाणा में अधिक से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मूल विज्ञान विषय लेने के लिए

आकर्षित करने तथा इसे अपना कैरियर बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कई प्रोत्साहनों की पहल की है। मुख्य योजनांए इस प्रकार हैः–

- **विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने बारे छात्रवृति योजना**
  इस योजना अंतर्गत विभाग विज्ञान स्नातक के विद्यार्थियों को 4,000 रूपये प्रतिमाह व विज्ञान स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए 6,000 रूपये प्रतिमाह की आकृषक छात्रवृति 100 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को उपरोक्त छात्रवृति प्रदान करने के लिए उनकी मैरिट के आधार पर चुनकर दी जाती है। यह योजना विज्ञान स्नातक आनर्स के छात्रों के लिए थी परन्तु 2013–14 से योजना में बदलाव करके इसको विज्ञान स्नातक (मैडिकल व नान मैडिकल) के लिए लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2009–10 से आज तक 1,099 विद्यार्थियों को लगभग 11.87 करोड़ रूपये की छात्रवृतियां दी गई है।
- **हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज योजना**
  इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज–1 परीक्षा में 10वी कक्षा के छात्रों के नम्बरों के आधार पर उच्च्तम 1,000 छात्रों (500 छात्र हरियाणा शिक्षा बोर्ड के तथा 500 छात्र सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. बोर्डों के) को छात्रवृति देने का प्रावधान किया है। 11वीं व 12वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों को 1,500 रूपये प्रति माह की छात्रवृतियां दी जाएगी। हाल ही में इस योजना में बदलाव किया गया है तथा यह अगले वर्ष से शुरू की जाएगी।
- **पी.एच.डी. छात्रों के लिए फैलोशिप योजना**
  सी.एस.आई.आर. द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा में मेरिट के आधार पर यह छात्रवृति दी जानी है। विज्ञान विषयों के अनुसंधान अध्येता को 12,000 रूपये प्रतिमाह पहले दो साल तथा 14,000 रूपये तीसरे वर्ष के बाद दिये जाते है जिसकी अधिकतम अवधि 5 साल तक होती है साथ ही 20,000 रूपये वार्षिक एक मुश्त राशि दी जाती है। यह योजना 2009–10 में शुरू हुई थी। इस योजना के अन्तर्गत 90 विद्यार्थियों को फैलोशिप दी जा चुकी है।

8.68 राज्य में खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एंव इसकी जानकारी बढ़ाने हेतू विभाग ने स्वर्गीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में करूक्षेत्र में 6.50 करोड़ रूपये की लागत से एक तारामण्डल की स्थापना की है। वर्ष 2015–16 के दौरान इस केन्द्र में 1.15 लाख रूपये के लगभग दर्शक आए तथा 25.71 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

8.69 पादप जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र की प्रयोगशालाएँ प्लान्ट टिशू कल्चर का कार्य करने के लिए परिपूर्ण हैं। इस जैव प्रोद्योगिकी अनुसंधान में टिशू कल्चर के माध्यम से कई संभ्रांत फसलों का गुणन किया जाता है। केन्द्र में अमरुद, गवारपाठा, सर्पगन्धा, मीठी तुलसी, केला, ग्लेडियोलस, बांस, नीलगिरी, सफेदमूसली, डहलिया, आलू, जोजोबा, स्ट्राबेरी, मेंहदी, गन्ना और अन्य पौधों के जर्मप्लाज्मा को गुणा किया जाता है। वर्ष 2015–16 के दौरान सी़.पी.बी., हिसार ने अपनी गतिविधि के सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। भारत सरकार की परियोजनाएँ समय के अनुसार चल रही हैं और एक नए शोध परियोजना के लिए केन्द्र को मंजूरी दी गई है। टिशू कल्चर का काम आदेश के अनुसार चल रहा है।

इस केन्द्र की मुख्य गतिविधियां निम्न हैः–

- "फिनोटिपिक, किमोटिपिक और जीनोटिपिक" विशेषताओं का अध्ययन करना और औषधीय पौधे (राओलफिया सर्पेन्टिना, ग्लेसिराइजा गलाबरा और कालमेघ) का मल्टीप्लीकेशन करना।
- 34 बायोटैक्नोलॉजी के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र प्लांट टिशू कल्चर और जैव प्रौद्योगिकी में सी. पी.बी. से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।
- विभागों की आवश्यकता के अनुसार केन्द्र ने गन्ना, केला, बांस और मीठी तुलसी जैसे पौधों को इन विट्रो विधि द्वारा तैयार करके बेचें।
- प्रशिक्षण छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- सी.पी.बी. हिसार द्वारा प्लान्ट टिशू कल्चर तकनीक के प्रदर्शन पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- बायोटैक्नोलॉजी के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रो, किसानों, कृषि विभागों, वन अधिकारियों और उधमियों द्वारा प्लान्ट टिशू कल्चर और मॉलिकुलर बायोलोजी तकनीक के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए समय–समय पर सी.पी.बी. का दौरा किया गया।

8.70 हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन (हरसैक) वर्ष 1986 में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा के तहत एक स्वायत्त के रूप में स्थापित किया गया है। हरसैक का उद्देश्य राज्य के विकास की योजना बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन करना है। अपनी स्थापना के बाद से ही यह केन्द्र प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और राज्य में बुनियादी सुविधाओं के मानचित्रण, निगरानी और प्रबंधन में कार्यरत है। इस केन्द्र को रिमोट सेंसिंग, जी.आई.एस. और राज्य में जी.पी.एस. से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक नोडल संस्था के रूप में अधिसूचित किया गया है। आज तक यहाँ पर 135 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है और 25 परियोजनाओं पर वर्तमान में कार्य चल रहा हैं। वर्तमान में हरसैक में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैः–

(i) उपग्रह, मौसम के आंकड़े व जमीनी आधार पर एकत्र किए आंकड़ों का उपयोग कर फसलों के उत्पादन का पूर्वानुमान तथा राष्ट्रीय कृषि सूखा संभाल तंत्र (फसल और नादम्स)

(ii) हरियाणा के दस मुख्य धान उत्पादक जिलों में धान पुवाल जलाने वाले क्षेत्रफल का अनुमान

(iii) उपग्रह, कृषि मौसम विज्ञान व जमीनी आधार पर एकत्र किए आंकड़ों का उपयोग द्वारा फसलों के उत्पादन का पूर्वानुमान

(iv) अंतरिक्ष आधारित जानकारी का समर्थन (एस.आई.एस.–डी.पी.)

(v) हरियाणा के लिए टिकाऊ भूमि (संस्टैनेबल) उपयोग योजना का विकास।

(vi) हरियाणा में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण परियोजना (एन.एल.आर.एम.पी.) के अन्तर्गत भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण।

(vii) गुड़गांव कस्बे की एम.सी. सीमा में सभी कॉलोनियों के लिए भू–कर मानचित्रण करना

(viii) सोहना के लिए उड़ान परियोजना

(ix) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रत्येक भाग लेने के लिए राज्य द्वारा प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एन.सी.जेड.) का चित्रण

(x) रोहतक नगर निगम सीमा से सभी कॉलोनियों की भू–कर मानचित्र

(xi) मरूस्थलीकरण क्षेत्रों की मैपिंग (चरण–II)

- मानचित्रण 1:500,000 पैमाने पर (पूरे राज्य)
- मानचित्रण 1:50,000 पैमाने पर (भिवानी और सिरसा जिले)

(xii) हरियाणा में वन और वन क्षेत्रों के भू–मानचित्रण

(xiii) राष्ट्रीय भू–उपयोग/भूमि कवर विषलेषण–दूसरा चक्र

(xiv) हरियाणा स्थानिक डेटा मूल संरचना का विकास

- इसरो, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय व सी.बी.एस.ई. से संबधित स्कूल के भूगोल के अध्यापकों के लिए दो सप्ताह का सुदूर संदेवन व भू–सूचना तकनीकी पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किया गया।

(xv) गुरू जम्भेष्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, हिसार के सहयोग से भौगोलिक सूचना प्रणाली में एम.टेक. कोर्स

***

9

स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास

हरियाणा सरकार सभी नागरिकों को गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य विभाग में लगातार बुनियादी ढ़ाचे, मानव संसाधन, उपकरण, दवाओं आदि के मामले में खुद का उन्नयन किया गया है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग शिशुओं, बच्चों, किशोरों, माताओं, पात्र दंपतियों सहित अपनी जनता की सभी श्रेणियों की स्वास्थ्य जरूरतों के साथ–2 बुजुर्ग बीमार और मानसिक आघात के शिकार लोगों के लिए उत्तरदायी है। विभाग इसके अलावा संचारी और गैर संचारी रोगों की जांच और रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग और नियोजन के सिस्टम को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

स्वास्थ्य अवसंरचना

9.2 वर्तमान में स्वास्थ्य सेवा 58 अस्पताल, 119 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 485 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2,630 उपकेन्द्रों, 7 ट्रामा केन्द्र, 37 शहरी और ग्रामीण औषधालयों, 107 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के एक नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, 11 पोलिक्लीनिक, 4 औषधालय और 11 शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों का परिचालन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

9.3 यह कार्यक्रम 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के नाम से शुरू किया गया था, इस समय यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पहला चरण (2005–12) 31 मार्च, 2012 को समाप्त हो गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का दूसरा चरण (2012–17) 1 अप्रैल, 2012 को शुरू किया गया था। साझा पैटर्न 2014–15 तक (क्रमशः भारत सरकार और राज्य सरकार) 75:25 के अनुपात में है और साझा पैर्टन 2015–16 से (क्रमशः भारत सरकार और राज्य सरकार) 60:40 के अनुपात में है। राज्य ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पहले चरण के दौरान महत्वूपर्ण प्रगति की है। हरियाणा की मातृ मृत्यु दर 2004–06 में 186 थी जो कम होकर 127 (एस.आर.एस. 2013) हो गई है। शिशु मृत्यु दर जो 61/1000 (एस.आर.एस. 2002) थी कम होकर अब 41/1000 (एस.आर.एस. 2013) हो गई है। टी.एफ.आर. कम होकर (एस.आर.एस. 2014) में 2.1 हो गया है, जो (एस.आर.एस. 2002) में 3.0 था। संस्थागत प्रसव जो 2004 में 23 प्रतिशत थी, 2014 तक बढ़कर

84.2 प्रतिशत (सी.आर.एस. 2013–14) हो गई हैं। वर्तमान स्तर और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य **तालिका 9.1** में दर्शाया गए हैं।

तालिकाः 9.1– 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतू लक्ष्य एवं अब तक हुई प्रगति

सूचक	2005	2014	2017 (लक्ष्य)
शिशु मृत्यु दर	60 (एस.आर.एस. 2005)	41 (एस.आर.एस. 2013)	28
एन.एम.आर.	35 (एस.आर.एस. 2005)	28 (एस.आर.एस. 2012)	23
मातृ मृत्यु दर	186 (एस.आर.एस. 2004–06)	127 (एस.आर.एस. 2011–13)	80
लिंग अनुपात	795 (एस.आर.एस. 2004–06)	876 (सी.आर.एस. दिसंबर, 2015)	950
संस्थागत प्रसव	32 प्रतिशत	89.1 प्रतिशत	100
कुल प्रजनन दर	2.8 (एस.आर.एस. 2005)	2.1 (एस.आर.एस. 2014)	2.0

स्त्रोतः स्वास्थ्य विभाग हरियाणा।

बाल स्वास्थ्य और टीकाकरण

9.4 राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए बच्चों के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने पर ध्यान दिया जा रहा है। शिशु मृत्यु दर हरियाणा में 61 (एस.आर.एस. 2005) से कम होकर एस. आर.एस. 2013 के अनुसार 41 हो गई है। नवजात शिशुओं में होने वाली मौतों को 2015 में 30 तक कम करने के लिए उठाये गये महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैंः–

- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम**
  जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में पैदा हुए बीमार नवजात शिशु के लिए बिना खर्च उपचार करने के लिए राष्ट्रीय पहल है, जिसमें मुफ्त परिवहन, निःशुल्क दवाओं, मुफ्त उपभोज्य, निःशुल्क निदान और मुफ्त खून उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।
- **सुविधा आधार नवजात देखभाल**
  राज्य में 22 विशेष नवजात देखभाल इकाईयों को स्थापित करने के लिए योजना बनाई गई जिसमें से 20 विभिन्न जिलों के जिला अस्पताल में स्थापित किये गये हैं। 66 नवजात स्थिर इकाईयों और 318 नवजात देखभाल कोर्नस विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्थापित किये गये हैं।
- **गृह आधारित प्रसवोत्तर देखभाल**
  आशा इस योजना के तहत मां और नवजात शिशु की देखभाल के लिए प्रसव के बाद घर का दौरा करती है और तुरन्त यदि आवश्यक हो, स्वास्थ्य सुविधा के लिए बीमार मां/नवजात को रैफर करती है। इस के लिए राज्य में एच.बी.पी.एन.सी. ऑनलाइन सॉफटवेयर का शुभारंभ किया गया है। सभी प्रशिक्षित आशा को आशा दवा किट और एच.बी.पी.एन.सी. किट की उपलब्धता सुनिश्चित् की गई है। वर्ष 2015–16 (अप्रैल से नवम्बर, 2015 तक) में आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने घरों के कुल 1,61,457 दौरे किए। इन दौरों के समय खतरे के संकेतों वाले 7,729 नवजात शिशुओं व 3,551 माताओं की पहचान करके और उन्हें एच.बी.पी.एन.सी. कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को रैफर किया गया।
- **टीकाकरण**
  विश्व स्वास्थ्य संगठन के मूल्याकंन अनुसार, हरियाणा राज्य में पूरी तरह से प्रतिरक्षित बच्चों का मूल्याकंन किया है जो डी.एल.एच.एस. IV के अनुसार 52 प्रतिशत है। हालांकि

पी.जी.आई. द्वारा समवर्ती मूल्यांकन के अनुसार पूरी तरह से प्रतिरक्षित कवरेज 74 प्रतिशत है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की निगरानी विवरण के अनुसार यह नवम्बर, 2014 तक 72 प्रतिशत है। यूनिसेफ के "रैपिड सर्वे ऑन चिल्ड्रेन" (2013–14) के अनुसार हरियाणा राज्य में पूर्णतः प्रतिरक्षित बच्चे 70.7 प्रतिशत हैं।

मातृ स्वास्थ्य

9.5 हरियाणा में मातृ मृत्यु दर में विगत वर्षों में कमी आई है और हरियाणा का मातृ मृत्यु दर पूरे भारत की तुलना में एस.आर.एस. के अनुसार **तालिका 9.2** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 9.2– मातृ मृत्यु दर व एस.आर.एस.

वर्ष	हरियाणा	भारत
1999–01	176	327
2001–03	162	301
2004–06	186	254
2007–09	153	212
2010–12	146	178
2011–13	127	167

स्त्रोतः स्वास्थ्य विभाग हरियाणा।

- **24X7 प्रसव बिन्दु की संख्या में बढौतरी**
  आर.सी.एच.–II/एन.आर.एच.एम. ने क्रियाशील प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं (उप केन्द्रों) इत्यादि जैसे 24X7 पर अतिरिक्त प्रशिक्षित कर्मचारियों और अन्य प्रसव के प्रावधानों के द्वारा अवधारणा कल्पित की है, ताकि मरीजों के लिए प्रसूति सुविधाएं उनके अड़ोस–पड़ोस में सुलभ हो जाये।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम**
  जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मुफ्त सुविधाएं (प्रसव, सिजेरियन, जांच इत्यादि) प्रदान की जाती है।
- **जननी सुरक्षा योजना (भारत सरकार)**
  जननी सुरक्षा योजना एक सशर्त नकदी हस्तांतरण योजना है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली माताओं को प्रसव पर भुगतान किया जाता है। कुल 700 रूपये का भुगतान लाभार्थी को ग्रामीण संस्था में प्रसव के लिए दिया जाता है और शहरी संस्था में प्रसव हेतू यह राशि 600 रूपये तथा घर पर प्रसव के लिए यह 500 रूपये है।
- **जननी सुरक्षा योजना (राज्य)**
  इस योजना की शुरूआत अप्रैल, 2008 में राज्य योजना के अंतर्गत की गई थी। इस योजना के अधीन 1,500 रूपये की सहायता अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार की प्रत्येक गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव हेतू दी जाती है, चाहे व सरकारी हो अथवा निजी क्षेत्र का अस्पताल। गर्भवती महिला को प्रसव हेतू भुगतान एकमुश्त 1,500 रूपये दी जाती है। यहां तक कि अनुसूचित जाति/जनजाति महिला जो बिना किसी प्रसूति पूर्व जांच के सीधे संस्था में प्रसव हेतू है, उसे पूरे 1,500 रूपये का भुगतान किया जाता है।

मुख्यमंत्री मुफ्त ईलाज योजना

9.6 यह परियोजना जनवरी, 2014 में आम आदमी को बुनयादी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए प्रांरभ की गई थी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैः–

- हरियाणा निवासियों के लिए सरकारी अस्पतालों एवं सरकारी मैडिकल कॉलेज में द्वितीय स्तर तक निःशुल्क सर्जरी का प्रावधान किया गया है।
- हरियाणा निवासियों के लिए लगभग 231 विभिन्न प्रकार की सर्जरी निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। हरियाणा में निवास न करने वाले लोगों के लिए सर्जरी पैकेज कार्यक्रम जारी रहेगा।
- सभी रोगियों (ओ.पी.डी./आई.पी.डी./इमरजेन्सी) को सभी आवश्यक मुफ्त दवाईयों की सुविधा।
- सभी रोगियों को 69 प्रकार के विभिन्न प्रयोगशाला जांच मुफ्त प्रदान करवाई जा रही हैं। इनमें से 30 प्रयोगशाला जांच हर जिला अस्पताल में निःशुल्क तौर पर प्रदान करवाई जा रही हैं।
- सभी रोगियों को एक्स–रे, अल्ट्रासांउड और ई.सी.जी. सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
- सभी को निःशुल्क रेफरल परिवहन एंव एम्बुलेंस सेवा।
- मरिजों के लिए इंडोर सेवाएं भी निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
- 21 प्रकार की दंत प्रक्रियाएं सभी मरीजों को निःशुल्क प्रदान की जा रही है। जिनमें से 18 प्रक्रियाएं जिला अस्पतालों एवं पी.जी.आई.डी.एस. रोहतक में निःशुल्क निश्चित् तौर पर प्रदान की जा रही है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

9.7 परिवार कल्याण कार्यक्रम जन समुदाय की आवश्यकता तथा मांग के अनुसार और सेवाओं की गुणवत्ता प्रदान करने के लिए चलाया गया है। इस कार्यक्रम को जनता का कार्यक्रम बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे है। यह कार्यक्रम प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रित करने में सफल रहा है जिसके फलस्वरूप जो जन्म दर वर्ष 1971 में 42.1/1000 थी घटकर 21.8/1000 (एस.आर.एस. 2011) हो गई है। हरियाणा की दस वार्षिक वृद्धि दर वर्तमान जनगणना के अनुसार 19.9 है।

कुल प्रजनन दर

9.8 एस.आर.एस. 2014 के अनुसार हरियाणा में कुल प्रजनन दर 2.1 है। कुल प्रजनन दर नसबंदी और परिवार नियोजन तकनीक, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा एवं जागरूकता आदि कारकों पर निर्भर करता है ओर स्वीकृति की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। यदि पति पत्नी दो बच्चों तक गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करते है तो इसका कुल प्रजनन दर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में इस समूह द्वारा गर्भनिरोधक उपायों के रूप में नसबंदी सम्बन्धी करवाने में प्रगतिशील वृद्धि हुई है।

एड्स

9.9 एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 99 एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र, 89 सुविधा एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र, 30 मनोनीत एस.टी.आई./आर.टी.आई./क्लीनिकों, 80 रक्त बैंकों, 17 एल.ए.सी.एस. और 1 ए.आर.टी. केन्द्रों के माध्यम से सभी जिला और उप जिला स्तर पर एच.आई.वी. पीड़ितों की देखभाल और उपचार उपलब्ध सेवाओं के वितरण की सुविधा के लिए हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा ठोस और सतत् प्रयास किए जा रहे है।

पी.एन.डी.टी./लिंग अनुपात

9.10 हरियाणा राज्य में अति प्राचीनकाल से बिगड़ता लिंग अनुपात हमेशा स्वास्थ्य विभाग की चिंता का विषय रहा है। यद्यपि हरियाणा में आधारभूत ढ़ाचे, तकनीकी, शिक्षा तथा हाऊसिंग इत्यादि में जबरदस्त सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी लिंगानुपात में सुधार करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। यह न केवल स्वास्थ्य समस्या है बल्कि एक सामाजिक समस्या भी है। स्वास्थ्य विभाग ने अवैध क्लीनिकों/डाक्टरों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए पूरे हरियाणा में अभियान चलाया हुआ हैं, जो लिंग चयन से जुड़े हुए है। दिसंबर 2015 तक 23,043 पंजीकृत केन्द्रों का निरीक्षण किया गया है, 533 गैर कानूनी केन्द्रों के पंजीकरण रद्ध/निलंबित किये गये हैं, 357 केन्द्रों को सील किया गया है। सीमावर्ती जिलों के उपयुक्त प्राधीकारियों के द्वारा अंर्तराज्यीय छापों में भारी वृद्धि के कारण पिछले एक वर्ष में पंजाब (3), उत्तर प्रदेश (4), दिल्ली (4) में छापे मारे गये हैं, इसके साथ ही पिछले एक वर्ष में (6) जिले के अन्दर छापे तथा (23) जिलों के बाहरी मारे गये छापो के कारण पिछले 9 महीनों (अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015) में 38 एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं तथा 29 कोर्ट केस दायर किये गये हैं। इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप जन्म के समय लिंग अनुपात में 5 प्वाईंट का सुधार होकर यह 871 (दिसबर, 2014) से बढ़कर 876 (दिसंबर, 2015) हो गया है। जबकि दिसंबर, 2015 में सी.आर.एस. के अनुसार 4 जिलों में लिंग अनुपात 900 से ज्यादा हो गया है, 15 जिलों में लिंग अनुपात 850–900 के बीच में है और दो जिलों (महेन्द्रगढ 818, रिवाडी 824) में यह 850 के नीचे है।

आयुष

9.11 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) चिकित्सा जैसी पुरानी पद्धतियों को भारत में रूप में विभिन्न समुदायों ने स्वीकार किया है। इनका समय के साथ परीक्षण किया गया और हजारों वर्षो का उपयोग प्रमाणित करता है कि इन्होंने रोगों की रोकथाम तथा निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयुष औषधिय प्रणाली ने जीवन शैली से सम्बन्धित पुराने रोगों की रोकथाम तथा प्रबंधन मे आवश्यक भूमिका निभाई है जिनमें आधुनिक औषधियॉ इतनी सफल नही रही हैं। जीवन शैली मे बढ़ते विकारों की संख्या से आयुष पद्धति का देश व विदेश स्तर पर पुनरुत्थान हुआ है।

9.12 आयुष विभाग का मिशन, हरियाणा का मिशन भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं अनुसंधान, संस्थान पंचकूला, 3 आयुर्वेदिक हस्पताल, 1 युनानी हस्पताल, 6 आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा

458 आयुर्वेदिक औषधालयों, 18 युनानी औषधालयों एंव 19 होम्योपैथिक औषधालयों के माध्यम से राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना तथा आयुर्वेदिक कालेजों के माध्यम से आयुर्वेद शिक्षा प्रदान करना।

9.13 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 21 जिला हस्पतालों में आयुष विंग (पंचकर्मा/आयुर्वेद/होम्योपैथी/योगा द्वारा उपचार), 92 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (72 आयुर्वेद, 24 होम्योपैथिक व 4 युनानी) पर 232 आयुष चिकित्सा अधिकारियों (88 आयुर्वेद, 124 होम्योपैथिक, 16 योगा व 4 युनानी), 185 पैरामैडिकल स्टाफ एवं 66 अन्य स्टाफ द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

9.14 आयुष की मुख्य गतिविधि/उपलब्धियॉ

- 21 जून, 2015 को राज्य में अर्न्तराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। करनाल में राज्य स्तरीय समारोह मनाया गया जहॉ पर माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर पंतजलि योग पीठ से आचार्य बालकृष्ण, स्वामी ज्ञानानन्द व अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। राज्य स्तरीय समारोह में लगभग 30,000 लोगों ने हिस्सा लिया। जिला व ब्लॉक स्तर पर भी अर्न्तराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया।
- राज्य में योग एवं आयुर्वेद को बढावा देने हेतू योगऋषि स्वामी रामदेव को प्रदेश के लिये ब्रान्ड ऐम्बेसेडर मनोनीत किए गए। दिनांक 21–4–2015 को राई स्पोर्टस स्कूल, सोनीपत में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी को योग एवं आयुर्वेद के ब्रान्ड ऐम्बेसेडर बनाये जाने के उपलक्ष्य में अभिनन्दन समारोह का आयोजन किया गया और पंतजलि योग पीठ, हरिद्वार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- लोगों को आयुष पद्धति के प्रति जागरुक करने तथा विभाग की उपलब्धियों/गतिविधियों को दर्शाने हेतू दिनांक 20 फरवरी, 2015 से 23 फरवरी, 2015 तक चार दिनों के लिये एक राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन किया गया था।
- श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, कुरूक्षेत्र के परिसर में ड्रग टैस्टिंग लैबोरेटरी एवं राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण

9.15 कर्मचारी राज्य बीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण विभाग, हरियाणा के ई.एस.आई. एक्ट, 1948 के तहत राज्य के 20 जिलों में स्थित 15.60 लाख बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को राज्य के कुल 7 हस्पताल (4 ई.एस.आई.एस. हस्पताल, 3 ई.एस.आई. कार्पोशन के हस्पताल) तथा 3 आयुर्वेदिक ईकाईयों सहित 75 ई.एस.आई. डिस्पैंसरियों व 1 गतिशील औषधालय द्वारा विस्तृत चिकित्सा सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान कर रहा है। राज्य सरकार बीमाकृतों एवं उनके परिवारों को प्राथमिक व द्वितीय स्तर की चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। ई.एस.आई. हैल्थ केयर, हरियाणा द्वारा अति विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधा भी गैर सरकारी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सूचीबद्ध) हस्पतालों के माध्यम से दी जा रही हैं।

9.16 वर्ष 2015–16 की मुख्य उपलब्धियां निम्न प्रकार हैः–

- शाहाबाद (कुरूक्षेत्र) व चरखी दादरी (भिवानी) में बीमाकृतों एवं उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतू आई.एम.पी. सिस्टम लागू कर दिया गया है एवं उन्हें चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
- सरकार द्वारा ई.एस.आई. डिस्पैंसरियों तथा हस्पतालों में कार्यरत नर्सिंग अमले का वर्दी/धुलाई भत्ता 700 रूपये से बढ़ाकर दिनांक 3–7–2015 से 1,150 रूपये प्रति माह के हिसाब से देना आरम्भ कर दिया है।
- अम्बाला क्षेत्र के बीमाकृतों को द्वितीय स्तर की सी.जी.एच.एस. भाव दर पर धनरहित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिये दो निजी/धर्मार्थ हस्पताल सूचिबद्ध कर लिये गये हैं तथा बीमाकृतों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करनी आरम्भ कर दी गई है।
- बीमाकृतों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान हेतू रिवोलविंग फंड, जो ई.एस.आई. कारपोरेशन द्वारा नियंत्रित था, बंद कर दिया गया है। विभाग में ई.एस.आई. योजना के तहत दिनांक 1–6–2015 से हरियाणा के बीमाकृतों के द्वितीय चिकित्सा सरक्षण बिलों का, वांछित स्वीकृति उपरान्त, डिस्पैंसरी इन्चार्ज–कम–डी.डी.ओ. स्तर पर बीमाकृतों को भुगतान किया जा रहा है, जिससे समय की बहुत बचत होती है।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान

9.17 चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय को स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वास्थ्य विभाग से अलग एक निदेशालय के रूप में 8 जनवरी, 2009 को स्थापित किया गया। बाद में, अलग से चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को सरकार के अधीन अधिसूचना दिनांक 4–9–2014 के अनुसार स्थापना, अपगेडसन, विस्तार और चिकित्सा शिक्षा के नियमन और अनुसंधान के लिए गठन किया गया था। विभाग के मुख्य कार्य इस प्रकार हैः–

- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा से सम्बंधित सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वतंत्र व निजी क्षेत्रों के सभी स्कूलो, कॉलेजों व विश्वविद्यालय को नियमित करना।
- चिकित्सा शिक्षा की गुणवता को बनाये रखने के लिए नीतियों का निर्माण करना।
- स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा से सम्बंधित सभी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित व नियंत्रित करना।
- हरियाणा में कार्यरत सभी निजी, सरकारी, अर्धसरकारी, सरकारी अनुदान प्राप्त और स्वतंत्र संस्थानों के प्रवेश, फीस मुद्दो और परीक्षाओं को नियन्त्रित करना।
- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान की प्रगति के लिए पैसों का प्रबंध करना और सार्वजनिक–निजी सांझेदारी द्वारा निवेश को बढ़ावा देना।
- भारत सरकार/दाता संस्थायों से पैसे को इक्कठा करना।
- चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में मानव अनुसंधान की जरूरतों का पता लगाना।
- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान में विद्यार्थियों व संकाय के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं को आरम्भ करना।
- लैटर ऑफ इन्टेंट को जारी/नवीनीकरण/रद्द करना और केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अर्ध सरकारी/स्वतंत्र संगठनों व निजी क्षेत्रों के अधीन चिकित्सा शिक्षा विभागों की स्थापना के लिए अनापत्ति/आवश्यक प्रमाण पत्र देना।
- चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में राज्य के अंदर व राज्य के बाहर समन्वय करना।

9.18 राज्य में क्रियाशील संस्थानों का विवरण को **तालिका 9.3** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 9.3– राज्य में क्रियाशील मैडिकल संस्थान

संस्थान	सरकारी	गैर सरकारी	कुल	कुल सीटें
चिकित्सा कॉलेज	4 (1 ई.एस.आई.सी. चिकित्सा कालेज भारत सरकार के अधीन)	4 (1 सरकारी सहायता प्राप्त)	8	एम.बी.बी.एस. 850 पोस्ट ग्रेजुएट 221
डेंटल कॉलेज	1	10	11	बी.डी.एस. 960 एम.डी.एस. 252
आयुर्वेद कॉलेज	2	7	9	बी.ए.एम.एस. 510
होमापैथी कॉलेज	–	1	1	बी.एच.एम.एस. 100
फिजियोथेरेपी कॉलेजों	2	9	11	बी.पी.टी. 575 एम.पी.टी. 189
नर्सिंग कॉलेज ए.एन.एम. जी.एन.एम.	 8 3	 81 79	 89 82	 2703 3210
बी.एस.सी. एम.एस.सी.	1 1	30 5	31 6	1455 133
एम.पी.एच.डब्लयू. (एम.)	2	17	19	1140

स्त्रोतः स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा।

बी.पी.एस. सरकारी चिकित्सा महिला कॉलेज, खानपुर कला, सोनीपत

9.19 इस मैडिकल व नर्सिगं कॉलेज की कुल लागत लगभग 584 करोड़ रूपये है। पहले चरण में गांव खानपुर कला, सोनीपत में 100 सीट का मैडिकल कॉलेज महिलाओं के लिए तथा 500 बैड़ का अस्पताल बनाया गया। यह अस्पताल पूर्णतः कार्यरत है तथा यह मैडिकल क्षेत्र में सभी विशेषताएं सेवाएं निष्पक्षता से प्रदान कर रहा है। भारतीय चिकित्सा परिषद् ने इस कॉलेज को सन् 2012–13 में 100 विद्यार्थियों के प्रवेश की आज्ञा दी थी तथा सन् 2015–16 में चोथे बैच का प्रवेश किया गया। दूसरे चरण में एक नर्सिग कॉलेज दूसरी इमारतों जैसे कि कर्मचारियों के रहने के लिए आवास, अस्पताल, होस्टल का हिस्सा इत्यादि के साथ में निर्माण होगा।

शहीद हसन खान मेवाती सरकारी चिकित्सा कॉलेज, नल्हर, मेवात

9.20 राज्य सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य मापदन्डों को सुधारने व उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाऍं प्रदान करने के लिए मेवात जिले के दूरदाज क्षेत्र में एक मैडिकल कॉलेज खोला। मैडिकल कॉलेज व अस्पताल और दंत चिकित्सा कॉलेज तथा नर्सिगं कॉलेज लगभग 507 करोड़ रूपये की लागत से बना। पहले चरण में 100 सीटों का मैडिकल कॉलेज व 500 बिस्तरों का हस्पताल लगभग 389 करोड़ रूपये की लागत से बनाया गया। यह अस्पताल आधुनिक मशीनों व उपकरणों सहित आंतरिक व बाहरी दोनों सुविधाऍं प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम है। भारतीय चिकित्सा परिषद् ने सन् 2013–14 के लिए 100 विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति दी थी और इस वर्ष एम.बी.बी.एस. के तीसरे

बैच को प्रवेश दिया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए इस संस्थान का कुल बजट 88 करोड़ रूपये है।

कल्पना चावला चिकित्सा कॉलेज–करनाल

9.21 राज्य सरकार विख्यात खगोलशास्त्री कल्पना चावला की याद में 100 सीट के चिकित्सा कालेज की स्थापना की गई। यह चिकित्सा कालेज नवीनतम तकनीक से पूर्ण 100 एम.बी.बी.एस. सीटें व 500 बिस्तर का अस्पताल होगा। दिनांक 25–9–2012 को सलाहकारी संस्था के रूप में हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड, नॉएडा जो भारत सरकार की संस्था है, को चुना गया है। इसका निर्माण कार्य जोरों–शोरों पर चल रहा है। इसकी स्थापना की कुल लागत 645.77 करोड़ रूपये है एवं चालू वितीय वर्ष 2015–16 में 37 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान है।

कल्पना चावला स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, गांव कुटेल–करनाल

9.22 राज्य सरकार ने 100 एकड़ की जमीन पर जो कि कुटेल गॉव में ग्राम पंचायत ने मुफ्त में प्रदान की है, उस जमीन पर उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में एक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस उत्कृष्ट केन्द्र में सब विशेषज्ञ विभाग व अन्य सुपर विशेषज्ञ विभागों सहित स्नातक, स्नातोकतर व पोस्ट डॉक्टरेट आदि पाठ्यक्रम चलाये जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में कई ऐसी संस्थाए होगी जो स्नातक व स्नातोकतर स्तर पर अनुसंधान कार्यो सहित पैरा मैडिकल व नर्सिग कोर्स करवाएगी। इस विश्वविद्यालय के मैडिकल कॉलेज में 200 एम.बी.बी.एस. सीट व 750 बिस्तरों का आधुनिक साधनों व सुविधाओं वाला अस्पताल होगा।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का (द्वितीय चरण में गांव बाड़सा, जिला झज्जर) का विस्तार

9.23 राज्य सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के विस्तार के लिए 300 एकड़ की जमीन आबंटित की है। दिनांक 24–11–2012 से दूरस्थ बाह्य रोगी विभाग, एम्स–2 पर कार्यरत है। 600 बिस्तर की राष्ट्रीय कैंसर संस्था भी बनाई जानी प्रस्तावित है। अन्य विशेष तरह के केन्द्रों/संस्थान बनाये जाने का भी प्रस्तावित है।

जिला भिवानी में नया राजकीय मैडिकल कॉलेज बनाना

9.24 राज्य सरकार केन्द्र अनुकरण योजना "जिला अस्पतालों का मैडिकल कॉलेज में स्तरोन्नति" के अंतर्गत भिवानी जिले में मैडिकल कॉलेज की स्थापना कर रही है। जिसके तहत 75 प्रतिशत लागत केन्द्र सरकार व 25 प्रतिशत लागत राज्य सरकार वहन करेगी। इसके लिए गॉव प्रेम नगर, भिवानी हांसी रोड़ पर पंचायत (शामलात) की 79 बीगा 12 बिस्वा जमीन का चयन किया गया है। राज्य सरकार ने एक हस्ताक्षरित ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा है। स्वास्थ्य विभाग ने वर्तमान जिला हस्पताल को प्रस्तावित मैडिकल कॉलेज से जोड़ने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया है।

जींद जिले में नये मैडिकल कॉलेज खोलने की स्थापना

9.25 राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की मदद से, जिसमें 75 प्रतिशत लागत केन्द्र सरकार व 25 प्रतिशत लागत राज्य सरकार के वहन से जिला जींद में नया मैडिकल कॉलेज खोलने की योजना प्रस्तावित की है। उपायुक्त जींद ने सूचित किया है कि इस उद्देश्य के लिए 20 एकड़ जमीन का चुनाव कर लिया गया है तथा उस जमीन की वैद्यता की जॉच कर अग्रिम कार्यो हेतू रिपोर्ट जमा करने के लिए समिति का गठन कर लिया गया हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना

9.26 स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 2 नयी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का प्रयोजन है। हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को हरियाणा प्रदेश में भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने के लिए निवेदन किया है। राज्य सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने के लिए 200 एकड़ जमीन को गांव मानेठी, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में चयन किया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन

9.27 खाध एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में ऐसे हानिकारक हुक्का बारों, जोकि युवाओं को निकोटिन युक्त तम्बाकु सीरा परोस्ते है, इनके विरुद्ध कार्यावाही करते हुए औषधि और कास्मैटिक धारा, 1940 के अनुसार 34 कानूनी मुकदमें दायर किये गये जोकि प्रदेश के विभिन्न न्यायालय में चल रहे हैं।

9.28 विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा राज्य भर में विभिन्न दुकानों पर मारे गये छापों में ऐसी श्डयूल–एच दवाईयां पाई गई जिनमें नारकोटिक्स तथा साइक्रोटोपिक पदार्थ होते हैं और जिनका दुरुपयोग आमतौर पर नशे के लिये युवाओं द्वारा किया जाता है। विभिन्न संयुक्त टीमों द्वारा लगभग 165 छापे मारे गये तथा लगभग 599 कैमिस्टों की दुकानों के लाईसेंस रद्द व निलम्बित किये गये और 49 से अधिक मुकद्में दायर किये गये। 30 से अधिक मामलों में नारकोटिक्स तथा साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के अंतगर्त एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है।

9.29 खाध एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा ने खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के तहत राज्य में खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण की जिला सत्र न्यायालय अम्बाला एवं गुड़गांव में स्थापना की गई। हरियाणा सरकार ने दिनांक 15–8–2014 को गुटका और तम्बाकु/निकोटिन युक्त पान मसाला जैसे गटकों के निर्माण पर प्रभावशाली तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य में बहुत बड़ी मात्रा में तम्बाकु/निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे–हानिकारक गटकों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए विभाग द्वारा जपत किए गये थे।

9.30 हरियाणा उत्तरी भारत में आनलाईन लाईसैंस जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया। निमार्ण ईकाइयों तथा दुकानों की निरंतर निगरानी के लिये जांच हेतू नमूने लेने व निरीक्षण का कार्य किया गया (कुल 9,848 दुकानों के निरीक्षण, 422 निमार्ण ईकाइयों के निरीक्षण तथा 2,271 दवाओं के

नमूने जांच हेतू लिये गए) इनसे घटिया और अवैध दवाओं की घटनाओं को कम करने व नगण्य करने में सहायता की है। हरियाण राज्य भर में औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत 49 मुकदमें इस वर्ष दायर किये गये। हरियाणा राज्य में इस वर्ष 38 निर्णायक केसो में से 24 मुकदमों में दोषियों को सजा हुई।

जन स्वास्थ्य

9.31 हरियाणा राज्य में 31 मार्च, 1992 तक सभी गांवों में कम से कम एक सुरक्षित स्त्रोत द्वारा पेयजल सुविधाएं प्रदान कर दी गई थी। उसके पश्चात् गांवों में पेयजल वितरण के लिए बनाए गए इन्फ्रास्ट्रक्चर की बढ़ौतरी पर ध्यान केन्द्रित किया गया। अब गांवों में पेयजल स्तर जनसंख्या की कवरेज के हिसाब से आंका जाता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 248 चुने हुए गांवों में जनवरी, 2016 तक जल आपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई।

9.32 वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य योजना/केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए 1,058.24 करोड़ रूपये प्रदान किए गए हैं जिनमें 13वां वित्त आयोग (81.89 करोड़ रूपये) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम (170 करोड़ रूपये) तथा राष्ट्रीय नदी सरंक्षण कार्यक्रम केन्द्रीय हिस्सा (67 करोड़ रूपये) तथा इक्नोमिक स्टीमुलस पैकेज के अन्तर्गत (77 करोड़ रूपये) सम्मिलित हैं। इस पर 31–1–2016 तक 733.71 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

9.33 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की बढ़ौतरी के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य 2000–01 से विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत नाबार्ड से धनराशि प्राप्त कर रहा है। इस समय 456.40 करोड़ रूपये की लागत से आर.आई.डी.एफ.–XV, XVI, XVII, XVIII व XIX के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा अनुमोदित की गई 55 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इनमें जिला महेन्द्रगढ़ के सूखाग्रस्त क्षेत्र में स्थायी पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए नाबार्ड द्वारा 220.14 करोड़ रूपये (भूमि की कीमत 68.81 करोड़ रूपये छोड़ कर) की लागत के दो प्रमुख अनुमोदित परियोजनाओं जिनमें 118 गांव और 34 ढ़ाणियां शामिल हैं का कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त जिला रिवाड़ी के 42 गांवों की जल आपूर्ति में बढ़ौतरी के लिए 100.47 करोड़ रूपये लागत की एक परियोजना नाबार्ड द्वारा अनुमोदित की गई है और इस परियोजना पर भी कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड द्वारा तीन परियोजनाएं, नामतः हिसार जिला के 21 गांवों की जल आपूर्ति में बढ़ोतरी के लिए 20.14 करोड़ रूपये की परियोजना, सिरसा जिला के 12 गांवों की जल आपूर्ति में बढ़ोतरी के लिए 18.39 करोड़ रूपये की परियोजना तथा जिला भिवानी के लोहारु निर्वाचन क्षेत्र के 41 गांवों की जल आपूर्ति में बढ़ोतरी के लिए 77.35 करोड़ रूपये की परियोजना भी अनुमोदित की गई हैं तथा कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान नाबार्ड योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 60 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है तथा 31–1–2016 तक 39.91 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

9.34 स्पेशल कैम्पोनेंट सब–प्लान के तहत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना, अतिरिक्त नलकूपों की खुदवाई करवाना, नहर आधारित जल में वृद्धि करवाना,

नहर आधारित नये वाटर बॉक्स की स्थापना करवाना, बुस्टिंग स्टेशन का निर्माण करवाना, वर्तमान वितरण प्रणाली को सुदृड़ करवाना, मल निकासी सुविधा शहरी (क्षेत्र) इत्यादि इसके साथ–साथ इन्दिरा गांधी पेयजल अपूर्ति योजना के तहत पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इस कार्यक्रम हेतू वर्ष 2015–16 में 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 31–1–2016 तक इस योजना के अन्तर्गत 34.89 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके है।

9.35 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी 80 शहरों में पाईपों द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति के सुधार के साथ–साथ अनुमोदित हुई कालोनियों में जल वितरण व्यवस्था के लिये राज्य योजना के अन्तर्गत 171.26 करोड़ रूपये और स्पेशल कंपोनैंट सब प्लान के अन्तर्गत 5 करोड़ रूपये का प्रावधान है। 31–1–2016 तक 87.20 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

9.36 राज्य में मल निकास सम्बन्धित सुविधाएं 70 शहरों के मुख्य भागों में प्रदान की जा चुकी है, जबकि 5 शहरों में मल निकासी सुविधाओं का कार्य प्रगति पर है तथा 5 हाल ही में अधिसूचित शहरों में अभी कार्य शुरु किया जाना है। चालू वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान मल निकास सुविधाओं में बढ़ौतरी के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत 168.74 करोड़ रूपये और स्पेशल कंपोनैंट सब प्लान के अन्तर्गत 9 करोड़ रूपये का प्रावधान है। इस प्रावधान से मल शुद्धिकरण संयत्र लगाने के साथ–साथ विभिन्न शहरों में बिना मल निकासी सुविधा वाले क्षेत्रों में मल निकासी सुविधाएं प्रदान करने के कार्य किए जा रहे हैं। 31–1–2016 तक 105.41 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

9.37 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूदा जल आपूर्ति एवं मल निकासी व्यवस्था में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड वित्तिय सहायता प्रदान कर रहा है। इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले 4 शहरों, नामतः सोहना, नूंह, पटौदी, फारुख नगर में जल आपूर्ति योजनाओं और 3 शहरों, नामतः पटौदी, पुन्हाना व हथीन में मल निकासी सुविधाओं में 309.69 करोड़ रूपये की लागत से सुधार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड द्वारा सोनीपत शहर के बरसाती पानी की निकासी के लिए 21.72 करोड़ रूपये की भी एक परियोजना अनुमोदित की है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2015–16 के दौरान 70 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई है तथा 31–1–2016 तक 59.58 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

9.38 यमुना एक्शन प्लान चरण–2 के अन्तर्गत 2004 से 2010 के दौरान 62.50 करोड़ रूपये की लागत से कार्य क्रियान्वित किए गए। यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और गुड़गांव में वर्ष 2,040 तक की जनसंख्या के लिए मल निकासी सुविधाओं की बढ़ौतरी के साथ साथ मल शुद्धिकरण सयंत्र लगाने के लिए मास्टर प्लान, फिजीबिलिटी स्टडीज रिपोर्ट और डिटेलड प्रोजैक्ट रिपोर्टस सलाहाकारों के माध्यम से तैयार की जा चुकी हैं और इसे यमुना एक्शन प्लान चरण–III के अन्तर्गत अनुमोदन और वित्तीय सहायता के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है। इन 8 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएं सोनीपत और पानीपत

शहरों में सीवरेज सुविधाओं की बढ़ौतरी/सुधार के लिए और मल शुद्धिकरण सयंत्र लगाने के लिए क्रमशः 88.36 करोड़ रूपये और 129.51 करोड़ रूपये की दो परियोजनाएं राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जुलाई, 2012 में अनुमोदित की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं की लागत भारत सरकार और हरियाणा राज्य द्वारा 70:30 अनुपात में वहन की जाएगी। वर्ष 2015–16 के दौरान भारत सरकार के हिस्से और राज्य सरकार के हिस्से के अन्तर्गत क्रमशः 67 करोड़ रूपये और 10.70 करोड़ स्वीकृत किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 31–1–2016 तक 37.22 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

9.39 वर्ष 2010 से 2013 के दौरान 14 शहरों, नामतः अम्बाला, असंध, भिवानी, चरखी दादरी, ऐलनाबाद, फतेहाबाद, हांसी, कैथल, कलायत, महेन्द्रगढ़, नारनौल, सिरसा, टोहाना और उचाना में शत् प्रतिशत जल आपूर्ति और मल निकासी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1,493.59 करोड़ रूपये की लागत से कार्य चरण–I व चरण– II के अन्तर्गत किए गए कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014–15 के दौरान अम्बाला शहर, फतेहाबाद, हांसी, टोहाना और सिरसा में जल आपूर्ति और मल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए 238.71 करोड़ रूपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित हो चुकी हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान 77 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई है तथा 31–1–2016 तक 51.86 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

9.40 13वें वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 के दौरान शिवालिक क्षेत्र और दक्षिणी हरियाणा में जल आपूर्ति के सुधार के लिए 75.91 करोड़ रूपये तथा मेवात क्षेत्र की जल आपूर्ति में सुधार के लिए 5.98 करोड़ रूपये पहले से अतिरिक्त दोबारा अनुमोदित किए गए हैं तथा 31–1–2016 तक 38.01 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग

9.41 महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा महिलाओं एवं बच्चों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रहा है। सरकार महिलाओ को आर्थिक तथा समाजिक सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है ताकि वे सुरक्षित तथा संरक्षित वातावरण में अपना बराबरी का योगदान दे सकें। राज्य सरकार महिलाओ तथा किशोर बालिकाओ के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण को विभिन्न नीतियॉ तथा कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दे रही है, महिलाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरूकता तथा उनमें सीखने की क्षमता तथा बच्चों (0–6 वर्ष) तथा गर्भवति एवं दूध पिलाने वाली माताओं को उनके पूर्ण विकास के लिए पोषाहार प्रदान किया जा सके। वर्ष 2015–16 में विभाग के बजट में 1,19,573.29 लाख रूपये की राशि प्रवाधान किया गया है। जिसमें से दिसम्बर, 2015 तक 49,296.68 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

9.42 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पानीपत में 22 जनवरी, 2015 को बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरूआत भ्रुण हत्या की रोकथाम करना, जीवन सुनिश्चित् करना, शिक्षा तथा

बालिका बच्चों की भागीदारी के उद्देश्य के साथ की गई। जिसके तहत अति अंसतुलित लिंगानुपात वाले 12 जिलों नामतः करनाल, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, कुरूक्षेत्र, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, अम्बाला, कैथल, रोहतक, यमुनानगर तथा पानीपत पर विशेष ध्यान देते हुये लागू किया गया। इस कार्यक्रम को 8 अन्य जिलों नामतः जीन्द, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल व पंचकूला में भी लागू किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से तथा सफलतापूर्वक लागू करने हेतू समाज के हर वर्ग के नागरिकों ने शहर तथा गांव स्तर पर यात्रा निकालकर बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान में योगदान देने का संकल्प लिया। जनवरी माह में मनाई जाने वाली 'लोहड़ी' का पर्व–मानसिक बदलाव लाने हेतू बेटी की लोहड़ी के रूप में मनाया गया। ऐसा करने से हर गांव, नगर तथा शहर में बेटी के जन्म पर सकारात्मक विचार एवं रीति–रिवाज बदलने की शुरूआत की गई। अब तक 25,350 जागरूकता रैली निकाली गई जिसमें 4,36,280 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया, 3,93,510 बेटियों की लोहड़ी मनाई गई, 2,271 नुक्कड़ नाटक आयोजित किये जिसमें 2,44,625 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया, 15,204 गुडडा–गुडडी बोर्ड लगाये गये जिनमें मास के दौरान हुये जन्म का पंजीकरण तथा गांव में लिंग अनुपात को दर्शाया गया, 1,989 फिल्में दिखाई गई जिसमें 1,68,840 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया, 16,867 प्रभात फेरी निकाली गई जिसमें 2,07,785 प्रतिभागियों, 1,260 परेड शो जिसमें 51,058 प्रतिभागी, 51,179 हैल्थ कैंप/बेबी शो जिसमें 3,66,125 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लोगों के साथ सांझी प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। 81 सम्मानित व्यक्तियों द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद तथा शिक्षण क्षेत्र में अत्यधिक कुशलता का प्रर्दशन करके समाज में अपना नाम स्थापित किया है की पहचान की गई। इस योजना को लागू करने पर 208.12 लाख रूपये खर्च किये गये।

हरियाणा कन्या कोष

9.43 हरियाणा राज्य में 8–3–2015 अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा कन्या कोष की शुरूआत की गई। यह कोष हरियाणा में बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास व उन्नति के लिये गठित किया गया है। यह कोष महिला एवं बाल विकास, विभाग द्वारा व्यवस्थित होगा। बैंक आफ इंडिया में हरियाणा कन्या कोष के बैंक खाते में 56 लाख रूपये की राशि जमा हो चुकी है। हरियाणा कन्या कोष एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हो चुका है।

आपकी बेटी–हमारी बेटी

9.44 घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के लिए आपकी बेटी–हमारी बेटी योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रूपये तथा सभी परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रूपये की राशि दी जाएगी। यह राशि बालिका को 18 वर्ष की आयु होने पर लगभग 1 लाख रूपये हो जाएगी और यह बालिका के व्यस्क होने पर उसके उपयोग के लिए उपलब्ध करवा दी

जायेगी। योजना के तहत अब तक 19,975 बालिकाओं का पंजीकरण किया जा चुका है जिनमें से 5,146 बालिकाओं को लाभ दिया जा चुका है।

सुकन्या समृद्धि खाता योजना

9.45 भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी, 2015 को पानीपत में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम के शुभारम्भ के अवसर पर सुकन्या समुद्धि खाता योजना असंतुलित लिगांनुपात की समस्या से निपटने तथा बेटी के जन्म के प्रति लोगो की सोच में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य के साथ की गई। योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक खाता खोला जा सकता है। बालिका, जिसकी आयु अधिसूचना जारी होने के 1 वर्ष पूर्व ही 10 वर्ष हो चुकी है, वह भी योग्य होगी। हरियाणा में अब तक कुल 2.40 लाख रूपये खाते खोले जा चुके है।

महिलाओं के लिये वन स्टॉप केन्द्र की स्थापना

9.46 हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से एक छत के नीचे सभी सुविधायें जैसे कि चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मानसिक एवं सामाजिक काउंसलिंग, अस्थाई आवासीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टॉप केन्द्र की स्थापना की गई है। वन स्टॉप केन्द्र, करनाल में अनुचित व्यवहार के 40 केस दर्ज किए गए है।

समेकित बाल विकास सेवाएं योजना

9.47 समेकित बाल विकास सेवाएं योजना सरकार की प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य 0–6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मनौवैज्ञानिक व सामाजिक विकास में सुधार करना तथा मृत्युदर, कुपोषण एवं स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करना है। इस योजना के अन्तर्गत 6 सेवाएं (i) पूरक पोषाहार (ii) रोग प्रतिरक्षण (iii) स्वास्थ्य देखरेख (iv) संदर्भित सेवाएं (vi) अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा (vii) स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा 6 वर्ष से छोटे बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं तथा 15 से 45 वर्ष की अन्य महिलाओं को समेकित रूप से प्रदान की जाती हैं। यह योजना 148 खण्डों सहित 21 शहरी परियोजनाओं में 25,962 आंगनवाड़ी केन्द्रों जिनमें 512 मिनि आंगनवाड़ी केन्द्र भी शामिल हैं, के माध्यम से चलाई जा रही हैं।

समेकित बाल विकास सेवाएं योजना को सदृढ़ तथा पुर्नगठन करना

9.48 समेकित बाल विकास सेवाएं योजना को चरणबद्ध तरीके से जिसमें विभिन्न कार्यक्रम प्रबन्धन तथा संस्थागत सुधार, मानदण्ड में बदलाव तथा 12वीं पंचवर्षीय में समेकित बाल विकास सेवाएं योजना को मिशन मोड में लागू करना शामिल है। समेकित बाल विकास सेवाएं के पुर्नगठन के अन्तर्गत सरकार द्वारा पूरक पोषहार की संशोधित दरें 6 रूपये प्रति बच्चा प्रतिदिन, 7 रूपये प्रतिदिन गर्भवती या दूध पिलाने वाली माताओं को तथा 9 रूपये प्रति बच्चा प्रतिदिन अत्यधिक कुपोषित बच्चों के लिए अनुमोदित की है।

पूरक पौषाहार कार्यक्रम

9.49 राज्य सरकार की प्राथमिकता समेकित बाल विकास सेवाएं लाभपात्रों को गुणात्मक पौषाहार प्रदान कर पौषाहार स्तर को सुधारना है। इस योजना के अन्तर्गत 6 मास से 6 वर्ष आयु तक के 10.33 लाख बच्चों तथा 2.99 लाख गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पौषाहार व अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। पूरक पौषाहार कार्यक्रम को लागू करने के लिए भारत सरकार से गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम के तहत अनाज की खरीद सस्ती दरों पर की जा रही है। यह अनाज आंगनवाडी केन्द्रों मे कन्फैड तथा हैफेड के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है। नई व आकर्षक रैस्पीज जैसे की आलू पूरी, भरवां परांठा, मीठे चावल, दलिया, पंजीरी तथा गुलगले लाभपात्रों को दिये जा रहे हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिन में दो बार सुबह नाश्ता एवं नियमित रूप से गर्म पकाया गया भोजन दिया जा रहा है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को घर ले जाने हेतू भोजन दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सभी आंगनवाडी केन्द्रों मे खाना बनाने के साथ–साथ खाना वितरित करने के बर्तन उपलब्ध करवाऐ गए हैं।

आंगनवाड़ी भवन निर्माण

9.50 राज्य में बच्चों को स्वच्छ एवं साफ–सुथरा वातावरण प्रदान करने और समेकित बाल विकास सेवाएं के महिला लाभपात्रों तथा अन्य ग्राम स्तर पर सम्बन्धित योजनाओं एवं उनके लिए एक परिसम्पति सृजित करने हेतू आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की योजना चलाई जा रही है। आंगनवाड़ी भवन गांव में एक ऐसा स्थान है जहां पर गांव की महिलाएं स्वतंत्र तौर पर बैठकर विचार–विर्मश कर सकती हैं। वर्ष 2015–16 में 1,064 आंगनवाडी भवनों के निर्माण हेतू 105.87 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है इस समय 5,181 आंगनवाड़ी केन्द्र अपने भवनों में चल रहे हैं।

समेकित बाल संरक्षण योजना

9.51 इस योजना के तहत जरुरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को कवर किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हरियाणा राज्य संरक्षण समिति तथा राज्य सहायता परियोजना इकाई के माध्यम से चलाया जा रहा है। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता मे जिला बाल संरक्षण समिति तथा जिला बाल संरक्षण कमेटी का गठन किया गया है। जरुरतमंद बच्चों को उनकी देखरेख, सुरक्षा, विकास तथा पुनर्वास के लिए 85 बाल देखरेख संस्थायें सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है। ये बाल गृह पुरे राज्य में सभी 21 जिलों व 47 ब्लाक में सर्वत्र स्थापित है तथा लगभग 4,000 बच्चों को आश्रय प्रदान करते है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2015–16 के बजट में 1,200 लाख रूपये की राशि का प्रावधान रखा गया है। जिसमें से मास दिसम्बर, 2015 तक 490.15 लाख रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हरियाणा राज्य आयोग

9.52 हरियाणा राज्य आयोग भी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए राज्य में क्रियाशील है जिसका मुख्यालय पंचकूला में स्थित है। इस आयोग द्वारा सभी बच्चों की देखभाल करने वाले संस्थानों की नियमित निरीक्षण या देखरेख की जा रही है।

ई.–बालसंरक्षण तथा जिला जरूरत आंकलन सर्वेक्षण

9.53 ई.–बालसंरक्षण तथा जिला नीड अस्समैंट सर्वे हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर, निरीक्षक, सी.पी.डी.ओ., आंकड़ा विश्लेषक, सामाजिक कार्यकर्ता, डी.सी.पी.ओ., संरक्षण अधिकारी तथा राज्य मुख्यालय के अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाता है। यह सर्वेक्षण पूरे राज्य में लगभग 1.5 लाख परिवार व 2.3 लाख अनाथ और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से एक ही हो उनका किया जाता है। सर्वे को अंकीय रूप देने और अनाथ व ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से एक ही हो की देखरेख के लिए साफ्टवेयर आधारित "ई.–बालसंरक्षण सिस्टम" विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष शर्तो के आधार पर जरूरतमंद बच्चों की पहचान करना और राज्य की फोस्टर केयर और स्पोन्सरशिप योजना के अन्तर्गत उपलब्ध राशि को बेहतर ढ़ग से उपयोग करना है।

ऑप्रेशन मुस्कान

9.54 महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा तथा हरियाणा पुलिस के संयुक्त प्रयासों द्वारा राज्य में गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतू ऑप्रेशन मुस्कान–ा की शुरूआत की गई है। पुलिस अधिकारियों तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारियों का दल बनाया गया है जो गुमशुदा बच्चे सार्वजनिक स्थलों पर जैसे बाल देखभाल संस्थान, शरण गृह व बाल गृह में रहते हैं की पहचान करते है। निर्देश दिए गए हैं कि गुमशुदा बच्चे जो कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, बाजार, अस्पताल, ढ़ाबे, भटठों, धार्मिक स्थानों तथा सड़को आदि पर रहते है की पहचान करने के लिए दिन रात किसी भी समय छापा मार सकते है। छापे के दौरान जिला बाल संरक्षण अधिकारी, सलाहकार तथा एक सामाजिक कार्यकर्ता दल के साथ–साथ रहते है जो असुरक्षित बच्चे को मानसिक सहारा देगें। फिर बच्चे को बाल देखभाल संस्थान में पुनः रहने के लिए भेज देते है जब तक की उसे उसके माँ–बाप या संरक्षक को सौंपा जा सके। राज्य में अब तक 4,314 गुमशुदा बच्चों की पहचान की जा चुकी है जिसमें से 3,840 बच्चों को उनके माँ–बाप या संरक्षक को सौंपा जा चुका है। 1 जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2016 तक ऑप्रेशन मुस्कान–ाा जारी है जिसके तहत पुनः गुमशुदा बच्चों की तलाश की जा रही है।

किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)

9.55 राज्य सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) 6 जिलों अम्बाला, हिसार, रिवाडी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल मे चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को अपने विकास तथा सशक्तिकरण, जीवन निपुणता तथा व्यवसायिक निपुणता को बढ़ाने, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार, प्रजनन स्वास्थ्य बाल देख–रेख के प्रति जानकारी मे सक्ष्म करना तथा स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को ओपचारिक/अनौपचारिक

शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना हेतू वर्ष 2015–16 के बजट में 2,300 लाख रूपये का प्रावधान किया गया, जिसमें से 606.08 लाख रूपये खर्च हो चुके हैं।

पौषाहार कम्पोनैंट

9.56 11–14 वर्ष की (स्कूल न जाने वाली बालिकाओं) तथा 14–18 वर्ष की (स्कूल जाने वाली व न जाने वाली बालिकाओं) 1,90,078 बालिकाओं को 5 रूपये प्रति लाभपात्र वर्ष में 300 दिन के लिए पौषाहार दिया जा रहा है। इस योजना में किशोरियों के लिए पूरक पौषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाना बनवाना या तैयार खाने योग्य भोजन उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है।

नॉन पौषाहार कम्पोनैंट

9.57 इस योजना के अन्तर्गत 3,42,660 बालिकाओं को लक्षित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत आई.एफ.ए. पूरक आहार, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, परिवार कल्याण हेतू सलाह व मार्गदर्शन, बाल देखभाल अभ्यास, जीवन दर्शन शिक्षा, सार्वजनिक सेवाएं लेने हेतू र्मादर्शन, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

9.58 भारत सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत संशोधित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को 6,000 रूपये की राशि दो किस्तों में दी जाती है। माताओं/महिलाओं को पहली किस्त (तीन मास के दौरान) व दूसरी किस्त (प्रसव के छः मास उपरान्त) माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ शर्तो को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम

9.59 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम, 2006 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर 21 संरक्षण–सह–बाल विवाह उन्मूलन अधिकारी नियुक्त किए गए है। वर्ष 2015–16 के दौरान घरेलू हिंसा से संबंधित 5,836 शिकायतें प्राप्त हुई और इनमें से 1,840 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है। इसी प्रकार दिसम्बर, 2015 तक बाल विवाह से संबंधित 242 शिकायतें प्राप्त हुई और इनमें से 153 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है। वर्ष 2015–16 के बजट में 150 लाख रूपये का प्रावधान किया गया जिसमें से 81.28 लाख रूपये व्यय हो चुके हैं।

***

10

पंचायती राज तथा ग्रामीण एवं शहरी विकास

विकास एंव पंचायत विभाग मुख्यतः हरियाणा के विभिन्न विकास योजनाओं की निगरानी तथा पंचायती राज संस्थाओं के क्रियाकलापों का नियमन तथा तालमेल के लिए उत्तरदायी है।

10.2 हरियाणा राज्य स्वच्छ भारत मिशन, सोसाईटी, "स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण" को राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सफल क्रियावयन के अर्न्तगत विकास एवं पंचायत विभाग में पंजीकृत किया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा निधीकरण अनुपात 60:40 किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य साफ–सफाई, स्वच्छता में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों मे जीवन के सामान्य गुणवत्ता में सुधार करना है। स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के तहत पात्र लाभार्थियों जिसमें (सभी बी.पी.एल., ए.पी.एल. सभी अनुसूचित जातियों, छोटे/सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों, निःशक्तों और महिला मुखिया घरों) को प्रत्येक परिवार में शौचालय के निर्माण व प्रयोग हेतू 12,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। 2 लाख रूपये की राशि सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए दी जा रही है। तरल एव ठोस कचरा प्रबन्धन योजना के तहत ग्राम पंचायतों को 150, 300, 500 तक तथा इससे ज्यादा संख्या वाले परिवारो को 7 लाख, 12 लाख, 15 लाख तथा 20 लाख रूपये की राशि दी जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के तहत अस्थायी रूप से कुल राशि 1,977.89 करोड़ रूपये जिसमें (केन्द्र और राज्य सरकार) दिए जा चुके हैं। 435.59 करोड़ रूपये की राशि (केन्द्रीय हिस्सा 277.92 + राज्य हिस्सा 105.13 + लाभार्थियों का हिस्सा 52.54 करोड़ रूपये) परियोजना की स्थापना के बाद दी गई है। इस वार्षिक योजना के कार्यान्वयन हेतू मंत्रालय द्वारा 473.22 करोड़ रूपये की राशि अनुमोदित की गई है जिसमें से 39.37 करोड़ रूपये की राशि पहले ही प्राप्त की जा चूकी है।

हरियाणा में ग्राम सचिवालयों की स्थापना

10.3 प्लान योजना के तहत खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारियों तथा जिला परिषद के कार्यालय भवनों का निर्माण करवाया जाता है। इसी योजना के तहत खण्ड कार्यालय भवनों तथा जिला परिषद् के भवनों के निर्माण किए गए थे। इसी योजना के तहत इस वर्ष से ग्राम पंचायत कार्यालय (ग्राम सचिवालय) स्थापित करने का कार्य शुरू किया गया है। हरियाणा राज्य में 2,294 कलर्स्टस है।

विभाग द्वारा 31–3–2019 तक ग्राम सचिवालय की स्थापना के सभी कलस्टर्स बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय क्रियाकलाप ग्राम सचिवालय भवन में ग्राम पंचायत के क्रियाकलापों के साथ ही राजस्व विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग तथा बिजली बोर्ड के ग्राम स्तर के कर्मचारी भी बैठकर कर सकेगें। इन भवनों में नागरिक सेवा केन्द्र भी खोले जाएगें। यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि किसी न किसी बैंक का एक विस्तार पटल ग्राम सचिवालय में खुल जाए। ऐसा हो जाने पर ग्राम सचिवालय बहुत सी गतिविधियों का केन्द्र बन जाएगा। अब तक स्थापित किए गये ग्राम सचिवालयों मे से अधिकतर राजीव गॉधी सेवा केन्द्र नामक भवनों में है। विभाग द्वारा 31–3–2016 तक 600 ग्राम सचिवालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिनमे से फरवरी, 2016 तक 420 ग्राम सचिवालय स्थापित किए जा चुके है।

10.4 महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, पिछड़े श्रेणी (ए) एंव गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक पात्र परिवार को 100 वर्ग गज के आवासीय प्लाट मुफ्त आंबटित किए जा रहे हैं। जिस भूमि पर प्लाट आंबटित किये जाने है वहां जीवन की मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पीने का पानी एंव पक्की गलियां एंव नालियां विकसित की जाएंगी। इस योजना के तहत चिन्हित किये गए 5.60 लाख रूपये से अधिक परिवार लाभान्वित होगे। जिन ग्राम पंचायतों में शामलात भूमि उपलब्ध है। उनमें से 31–12–2015 तक 3.83 लाख रूपये परिवारों को प्लाट आंबटित किये जा चुके है। इस योजना के अन्तर्गत बस्ती की अन्दरूनी गलियां एंव नालियों का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किया जाएगा। इन बस्तियों के विकास के लिए 47.21 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है। वर्ष 2014–15 मे 28 करोड़ रूपये की राशि उन ग्राम पंचायतों मे जारी की गई है जिन्होंने प्लाटों के लिए भूमि उपलब्ध करवाई है। वर्ष 2015–16 के लिए 5,500 लाख रूपये की बजट व्यवस्था है जिसमें से 31–12–2015 तक 3,600 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।

10.5 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति निर्मल बस्ती योजना का मुख्य उद्देश्य उन गांवों में जहां अनुसूचित जाति है वहां पर नालियों को पक्का करवाने, पीने के पानी के लिए पाईप लाईन बिछाना, चौपाल, सामुदायिक केन्द्र का निर्माण एंव शमशान घाट की चारदीवारी जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कराना है। वर्ष 2008–09 से वर्ष 2014–15 तक 38,818.97 लाख रूपये की राशि 3,094 गांवों के लिए जारी की गई। वर्ष 2015–16 में 5,400 लाख रूपये की राशी अनुमोदित है जिसमें से 1,570.64 लाख रूपये 118 गांव के लिये 31–12–2015 तक जारी किये गये हैं।

10.6 गांवों की स्वच्छता में सुधार लाने हेतू ग्राम पंचायतों द्वारा 10,300 से अधिक सफाई कर्मी लगाए थे। सरकार ग्राम पंचायत को सफाई कर्मचारियों के पारिश्रमिक के भुगतान के खर्च के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकार द्वारा दिनांक 1–1–2014 से सफाई कर्मियों को दिये जाने वाले मानदेय की दर 4,848 रूपये से बढ़ाकर 8,100 रूपये प्रतिमाह किया गया है। वर्ष 2014–15 के लिए 10,000 लाख रूपये की राशि अनुमोदित थी जिसमे से 9,449.28 लाख रूपये की राशि

31–3–2015 तक जारी कर दी गई है। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2015–16 के लिए 10,000 लाख रूपये की राशि अनुमोदित है जिसमे से अब तक 9,885.49 लाख रूपये की राशि 31–12–2015 तक जारी की गई है।

10.7 गलियों को पक्का करने संबंधी योजना के अन्तर्गत सरकार का राज्य के सभी 6,764 गांवों को 10 लाख रूपये प्रति गांव को प्रदान करके गांव की सभी मुख्य गलियों को पक्का करने का विचार है। गावों की गलियां इन्टरलोकिंग पेवर ब्लाक से बनाई जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर पाइप लाईनों की मुरम्मत हेतू टाईलों को आसानी से हटाया जा सके और मुरम्मत उपरान्त पुनः बिछाया जा सके। सभी गांव इस योजना के तहत शामिल किए जा चुके है और मार्च, 2015 तक 10,784.81 लाख रूपये की राशि जारी की गई है। कुछ गांव मे छोटी गलियों को पक्का करने हेतू 2 से 3 बार राशी प्रदान की गई है। वर्ष 2015–16 के दौरान 2,000 लाख रूपये की राशि अनुमोदित है।

10.8 राज्य सरकार ने समाज के गरीब वर्ग के लिए एक घर मालिक का सपना पूरा करने के लिए राज्य मे 8–6–2014 से 'इन्दिरा आवास योजना' (प्रियादर्शिनी आवास योजना) की तर्ज पर एक नई महत्वकांक्षी सस्ती ग्रामीण योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना के तहत घर और शौचालय की सुविधा के निर्माण के लिए 93,000 रूपये की राशि हर गरीब परिवार को दी जा रही है। लगभग 2 लाख रूपये गरीब ग्रामीण परिवारों को 2 वर्ष (2013–14 और 2014–15) की परियोजना अवधि में कवर किए जाने पर विचार किया है व परियोजना पर 1,350 करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं। वर्ष 2013–14 के राज्य सरकार ने 350 करोड़ रूपये और वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य सरकार ने 205 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है और अगले वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान सरकार द्वारा 94.75 करोड़ रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव है। योजना के अर्न्तगत वित्तीय सहायता के लिए 1,46,033 (इन्दिरा आवास योजना के तहत 63,092 सहित) लाभार्थियों की पहचान कर पंजीकृत किया गया है और 1,24,609 पात्र लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की गई है, 95,891 लाभार्थियों को दूसरी किस्त और 66,834 लाभार्थियों को तीसरी किस्त जारी कर दी गई है।

ग्रामीण विकास

10.9 हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के तहत किया गया था। इस अधिनियम की धारा 5(1) के तहत मण्डियों में लाई जाने वाली कृषि उपज की खरीद व बेच पर 2 प्रतिशत विकास फीस ली जाती है। वसूल की गई राशि ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यो, गांवों की सड़कों के विकास, चिकित्सालयों की स्थापना, जलपूर्ति, स्वच्छता और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए प्रबन्ध करने, खेती मजदूरों के कल्याण, इस अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों को उनमें तकनीकी जानकारी का उपयोग करके और अन्य आवश्यक सुधार लाकर आदर्श मण्डी क्षेत्रों में परिवर्तित करके, ब्रिकी/खरीद के लिए मण्डी क्षेत्र में लाई गई कृषि उपज के लिए गोदामों तथा भण्डार करने के लिए अन्य स्थानों के निर्माण तथा मंडी क्षेत्र के आने वाले व्यक्तियों (विक्रताओं तथा खरीदारों दोनों)

के ठहरने को सुखद बनाने के लिए ओर किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो बोर्ड द्वारा फीस का भुगतान करने वाले व्यक्ति के हित में तथा उसके फायदे के लिए समझा जाये। निगम इस राशि को प्रशासनिक कार्यो के लिए भी प्रयोग कर सकता है। राज्य में वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान 20,593 लाख़ रूपये की राशि ग्रामीण विकास कार्यो के लिए जारी की जा चुकी है। वर्ष 2015–16 में 20,000 लाख रूपये की राशि विभिन्न कार्यों के लिए जारी की गई है, जिसमें से 110.48 करोड़ रूपये की राशि 31–12–2015 तक स्वीकृत की जा चुकी है।

10.10 ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतू भिन्न–भिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या तथा किया गया खर्च **तालिका 10.1** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 10.1– ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में लाभर्थियों की संख्या तथा किया गया खर्च

(करोड़ रूपये)

क्र0 स0	योजना का नाम	2014–15		2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक)	
		लाभार्थियों की संख्या/किए गए कार्यो की संख्या	किया गया खर्च	लाभार्थियों की संख्या/ किए गए कार्यो की संख्या	किया गया खर्च
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	61.65 लाख व्यक्ति दिवस/14018 कार्य पूर्ण किए	216.50	38.29 लाख व्यक्ति दिवस/5207 कार्य पूर्ण किए	131.02
2	इन्दिरा आवास योजना	6098 मकान पूर्ण किए	126.57	10159 मकान पूर्ण किए	62.15
3	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	258 कार्य पूर्ण किए	19.10	263 कार्य पूर्ण किए	0.17
4	समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम	10782 किसान	9.85	13568 किसान	18.32
5	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	2166 स्वयं सहायता समूह बनाए गए	17.32	1300 स्वयं सहायता समूह बनाए गए	10.14
6	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	1192 कार्य पूर्ण किए	33.91	315 कार्य पूर्ण किए	20.85
7	सांसद आदर्श ग्राम योजना	राज्य के आदरणीय सांसदों द्वारा 15 गांव चयनित किए गए तथा गांवों के विकास की योजना को अन्तिम रूप दिया		211 कार्य पूर्ण किए तथा 257 प्रगति पर है	

स्त्रोतः ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

10.11 यह योजना राज्य के समस्त जिलों में 1 अप्रैल, 2008 से ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवारों के व्यस्क सदस्यों, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का अकुशल रोजगार उपलब्ध करवाने हेतू लागू की जा रही है ताकि उनकी आजिविका सुरक्षित हो सके। कुल रोजगार का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस योजना के अर्न्तगत दिनांक 1–4–2015 से कार्य कर रहे श्रमिकों को 251 रूपये प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है जो देश में सर्वाधिक है। इस कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने हेतू अन्य विभागों जैसे वन, कृषि, सिंचाई, स्कूल शिक्षा, महिला व बाल,

विकास व पंचायत, मत्स्य, जन स्वास्थ्य, विपणन निगम तथा भवन एवं सड़के निर्माण, इत्यादि से तालमेल करके गांवो में उपयोगी परिसम्पितियों का निर्माण करवाना सुनिश्चित् करना है। वित्तीय वर्ष के दौरान जनवरी, 2016 तक 136.90 करोड़ रूपये की उपलब्ध राशि मे से 131.02 रूपये (96 प्रतिशत) करोड़ की राशि व्यय करके 38.29 (46 प्रतिशत) लाख व्यक्ति दिवस का सृजन किया जा चुका है। जिनमें से 19 (50 प्रतिशत) लाख व्यक्ति दिवस अनुसूचित जातियों के लिए व 17.27 (45 प्रतिशत) लाख व्यक्ति दिवस महिलाओं के लिए सृजित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान 12,409 विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में आरम्भ किए गए जिनमें से 5,207 कार्य पूर्ण किये गए।

इन्दिरा आवास योजना

10.12 यह योजना ग्रामीण गरीबों को आश्रय प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये धन राशि खर्च की जानी निर्धारित है। वर्ष 2014–15 से मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रूपये की राशि और पहाड़ी/कठिन क्षेत्रों के लिए 75,000 रूपये की राशि लाभार्थियों को दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त तौर पर 11,000 रूपये व 12,000 रूपये की राशि स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतू देने का निश्चिय किया है व 90 दिनो का रोजगार मनरेगा के तहत लाभार्थी को उपलब्ध करवाये जायेगें। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत, 29,314 मकानों के निर्माण हेतू निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध, 10,159 मकानों का निर्माण किया जा चुका है तथा जनवरी, 2016 तक 26,522 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं जिनमें से 63,49 (62 प्रतिशत) मकान अनुसूचित जातियों के लिए है। इस अवधि में 62.15 करोड़ रूपये व्यय किये जाने हैं।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

10.13 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना राज्य के दो जिलो महेन्द्रगढ़ व सिरसा में कार्यान्वित की जा रही है। मंत्रालय ने इस योजना का निधिकरण तरीका 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना से 50:50 अनुपात (केन्द्र व राज्य अंश) में बदल दिया है। इस योजना के अंतगर्त जनवरी, 2016 तक 0.17 करोड़ रूपये व्यय करके 263 कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय निकाय द्वारा पहचान किए गए निर्णायक आधारभूत ढांचे के अन्तर को पूरा करना है।

समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम

10.14 समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल सरंक्षण, भूजल रिचार्ज करना, उत्पादन में वृद्धि तथा आजीविका के अवसर उत्पन्न करना है। वर्ष 2014–15 के लिए राज्यस्तरीय नोडल ऐजेन्सी ने 13 परियोजनाओ के लिए कुल 6 जिलों क्रमशः अम्बाला, यमुनानगर, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़ एवं रिवाड़ी के लिए 59,275 हेक्टेयर क्षेत्रफल की स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई है। वर्ष 2015–16 में (जनवरी, 2016 तक) 18.32 करोड़ रूपये की राशि समेकित वाटरशैड परियोजनाओं की विभिन्न गतिविधियों पर खर्च की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

10.15 एक नई योजना नामतः प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राज्य के जल संरक्षण तथा फसल कार्यों हेतू अधिक मात्रा में भूमिगत जल का दोहन होने पर उन खण्ड को दोबारा चालू करने हेतू लागू की गई। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने 22 खण्ड अधिसूचित किए है जो राज्य के 11 जिले करनाल, कुरूक्षेत्र, पानीपत, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद व गुड़गांव में स्थित है। इस योजना में केन्द्र तथा राज्य के बीच राशि का अनुपात 60:40 है। यह योजना लागू करने के लिए 21.22 करोड़ रूपये (केन्द्र का अंश 12.73 करोड़ रूपये और राज्य का अंश 8.49 करोड़ रूपये) की राशि की पहली किस्त जारी की जा चुकी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

10.16 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 1–4–2013 से लागू किया गया है तथा इस मिशन को लागू करने के लिए भारत सरकार ने 27.04 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की है। इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2016 तक 1,300 नये स्वयं सहायता समूह बनाये गए हैं और 553 स्वयं सहायता समूहों को परिभ्रमण राशि दी गई है तथा 10.14 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

10.17 यह योजना भारत सरकार द्वारा 23 दिसम्बर, 1993 में लागू की गई। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक लोक सभा, राज्य सभा तथा मनोनित सदस्य को एक वर्ष में 5 करोड़ रूपये की राशि प्रगति कार्यो के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2016 तक 20.85 करोड रूपये व्यय करके 315 कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है तथा 358 कार्य प्रगति पर हैं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

10.18 सांसद आदर्श ग्राम योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्तूबर, 2014 से आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या 3,000–5,000 तक है का चयन करना है तथा उस गांव का विकास करके वर्ष, 2016 तक आदर्श ग्राम बनाना है व उसके उपरान्त वर्ष, 2019 तक और 2 गांवों को आदर्श ग्राम बनाना है। इन ग्राम पंचायतो का विकास केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं का उपयोग आदर्श ग्राम बनाने के लिए किया जायेगा जिससे आस पास के गांवों की ग्राम पंचायतों को सीखने की प्रेरणा मिल सके। माननीय लोक सभा व राज्य सभा के 15 सदस्यों द्वारा इस योजना को लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों की ग्राम विकास योजना तैयार करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में (जनवरी, 2016 तक) 211 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं व 257 कार्य प्रगति पर हैं।

विधायक आदर्श ग्राम योजना

10.19 सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर विधायक आदर्श ग्राम योजना तैयार की गई है। अब तक राज्य के 55 विधायको ने एक–एक गांव का चयन कर लिया है। यह योजना एक समयबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।

स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना

10.20 सांसद आर्दश ग्राम योजना से प्रेरित होकर स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना आरम्भ की है जिसके अंतर्गत स्वार्थनिहित व्यक्ति, उद्योगपति, गैर सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड तथा निगम कई गांवों को गोद लेकर सभी गांवों का विकास करवाकर आदर्श ग्राम बना सकते हैं।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

10.21 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को भारत सरकार, सामाजिक न्यायालय एंव अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2014–15 में शुरु किया है जिसमें राज्य के फरीदाबाद तथा पलवल जिलों के 12 गांवों के लिए 1.20 करोड़ रूपये की राशि जारी की। इस योजना का उद्देश्य 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले चयनित गांवों का सम्पूर्ण विकास "आदर्श ग्राम" की तरह करना सुनिश्चित करना है।

शहरी बुनयादि ढ़ाचागत विकास

10.22 शहरी क्रांति के प्रबन्धन में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की निर्णायक भूमिका है और हरियाणा के शहरी क्षेत्रों मे संगठित और सुनियोजित विकास को सुनिश्चित् करने के लिए विभाग प्रतिबद्ध हैं और इस प्रकार हरियाणा एक विकसित राज्य बन गया । इसके अलावा सभी शहरी योजनाओं, भूमि उपयोग के प्रस्ताव और भवनों के निर्माण, जलापूर्ति, सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, शहरी वानिकी, गरीबी उन्मूलन शहरी सुविधाओं जैसे पार्कों, खेल के मैदान, गलियों की लाईटे, शहरी यातायात सार्वजनिक साधन और संस्कृति के उत्थान, शैक्षणिक और सौंदर्य पहलुओं की उन्नति विभाग के कार्य क्षेत्र में हैं। वर्तमान में राज्य की लगभग 35 प्रतिशत आबादी (2011 की जनगणना अनुसार) शहरी क्षेत्रों में रहती है। राज्य में 80 शहरी स्थानीय निकाय हैं जिनमें 10 नगर निगम, 18 नगरपरिषदें तथा 52 नगरपालिकाएं हैं।

स्वच्छ भारत अभियान

10.23 भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय ने 2–10–2019 तक देश को स्वच्छ बनाने के लक्ष्य के साथ दिनांक 2–10–.2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारम्भ किया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1–11–2014 को स्वच्छ हरियाणा–स्वच्छ भारत अभियान प्रारम्भ किया गया। दिनांक 1 से 7–11–2014 तक पूरे राज्य में स्वच्छ सप्ताह आयोजित किया गया। राज्य बजट के चालू वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान बजट में 149.96 करोड़ (केन्द्रीय हिस्सा– 59.60 + राज्य हिस्सा–90.36 करोड़ रूपये) रूपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से 23.41 करोड़ रूपये की राशि नगर पालिका को व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतू जारी कर दी गई है। व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के लिये अब 34,953 पात्र लाभार्थियों को

स्वीकृति पत्र जारी किये गये है और 7,188 व्यक्तिगत शौचालयों का कार्य प्रगति पर है। सामुदायिक/जन शौचालयों के निर्माण/नवीनीकरण के लिए लगभग 2,527 शौचालय सीटों के लिए पहचान कर ली गई है जिसमें से 1,052 शौचालयों सीटों का निर्माण/नवीनीकरण कर लिया गया है। कुल 1,439 पालिका वार्डों में से 318 वार्डों में घर–घर से ठोस कूड़ा कर्कट इकट्ठा करने का कार्य शुरू किया गया। वर्तमान में दो ठोस कूड़ा प्रबन्धन प्लांट करनाल व सिरसा में कार्य कर रहे हैं तथा रोहतक में पूर्ण होने को है। राज्य सरकार द्वारा क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर 80 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 15 आम उपचार व निपटान सुविधाएं प्रस्तावित की गई है। ये सुविधाएं निजी भाग्यदारी के अन्तर्गत स्थापित की जानी प्रस्तावित है। राज्य की सभी पालिकाओं में ठोस कूड़ा प्रबन्धन संकेतिक दृष्टिकोण अपनाया जाना है। यह दृष्टिकोण ठोस कूड़ा प्रबन्धन के सभी घटकों नामतः संग्रहण, परिवहन, घरों से एकत्रित किये गये ठोस कूड़े का प्रसंस्करण एवं निपटान को समेकित करेगा। यह सुविधाएं निजी भाग्यदारी के आधार पर स्थापित की जायेगी।

स्मार्ट सिटी

10.24 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 25–6–2015 को स्मार्ट सिटी योजना पर मिशन वक्तव्य व दिशानिर्देश जारी किए गए। वर्ष 2015–20 के दौरान इस मिशन के अर्न्तगत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 100 शहर शामिल किए जाने हैं। 100 शहरों में से हरियाणा को दो शहर आबंटित किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा दो शहरों नामतः करनाल और फरीदाबाद को चुना गया है। नगर निगम, फरीदाबाद में करनाल द्वारा स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव तैयार करके शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार को दिनांक 15–12–2015 अनुसार भेज दी गई है। स्मार्ट सिटी प्रस्ताव का शहरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा द्वितीय चरण में अध्ययन किया जायेगा, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चयनित शहर अपने शहरों को स्मार्ट बनाने हेतू कार्यवाही आरम्भ करेंगे तथा जिनका चयन नहीं होगा वे अपने अगले चरण में चयन हेतू अपनी योग्यता को उन्नत करेंगे। राज्य सरकार द्वारा गुड़गांव को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है तथा इस परियोजना का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

समेकित आवास मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम

10.25 समेकित आवास मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत भारत सरकार के अनुमोदन से विभाग द्वारा 22.66 करोड की लागत के रदद किये हुये/कम किये हुये प्रोजैक्ट हिसार अम्बाला व यमुनानगर में स्थित इस कार्यक्रम में जरूरतमंद ईकाईयों को परिवर्तित किये गये हैं । वर्तमान वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 31–12–2015 तक 212 आवासीय ईकाईयों पूर्ण की गई हैं एवं 518 आवासीय ईकाईयों का कार्य प्रगति पर है। इन मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधायें प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है । वर्तमान वित्त वर्ष 2015–16 में इस योजना के अर्न्तगत कोई बजट व्यवस्था नहीं है ।

राजीव आवास योजना

10.26 भारत सरकार द्वारा 278.82 करोड़ रूपये की 4 परियोजनाओं जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 206.93 करोड़ (अम्बाला, यमुनानगर, रोहतक, हिसार) का लगातार बनाये रखने का अनुमोदन किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में 108.94 करोड़ रूपये जारी किये गये और इस में राज्य सरकार द्वारा अपना अनुपातिक हिस्सा मिलाकर 127.11 करोड़ रूपये की राशि सम्बन्धित एजैन्सियों को परियोजनाओं को क्रियाविन्त करने हेतू जारी कर दी गई। चालू वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान दिनांक 31–12–2015 तक 304 आवासीय इकाईयां पूर्ण कर ली गई है तथा 1,050 प्रगति पर है। मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है। गरीबी उन्मूलन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजना को बन्द करते हुए इस योजना को नई योजना सभी के लिए आवास (शहरी) में सम्मिलित कर लिया गया

सभी के लिये आवास/प्रधानमन्त्री आवास योजना

10.27 भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 25–6–2015 की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कम आय श्रेणी के लाभार्थियों को नये मकान के निर्माण/मकान खरीद एवं मौजूदा मकान के उन्नयन हेतू एक नई योजना सभी के लिए आवास/प्रधान मंत्री आवास योजना का शुभारम्भ किया गया। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के सिफारिश पर प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण में 9 शहरों (फरीदाबाद, करनाल, हिसार, यमुनानगर, रोहतक, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत) के कवरेज की स्वीकृति दी गई। राज्य द्वारा अधिसूचना दिनांक 9–7–2015 द्वारा शहरी विकास प्राधिकरण हरियाणा को निगरानी हेतू नोडल एजैन्सी और राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं संचालन समिति अधिसूचना दिनांक 9–7–2015 द्वारा गठित की गई। भारत सरकार द्वारा सभी चयनित/अनुमोदित 9 नगरों में प्रारम्भिक कार्य शुरू करने हेतू प्रथम किस्त के रूप में 110.25 लाख रूपये स्वीकृत किये गये व 82.69 लाख की प्रथम किस्त जारी की गई इसके बाद चालू वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 84.28 करोड़ रूपये आबंटित किये गये है, तदानुसार योजना के बजट को 95 करोड़ रूपये बढ़ाने का प्रस्ताव योजना विभाग को प्रस्तुत किया जा चुका है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

10.28 राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के निम्न मुख्य घटक हैः–

- O सामाजिक एक जुटता और संस्थागत विकास
- O कौशल एवं प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार
- O स्वरोजगार कार्यक्रम
- O शहरी गलियों में सामान (रेहड़ी–फड़ी) विक्रेताओं को समर्थन
- O शहरी बेघरों को आश्रय
- O क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

10.29 12वीं पंचवर्षीय योजना में जनगणना 2011 के आधार पर राष्ट्रीय आजिविका मिशन योजना जिला मुख्यालयों सहित ऐसे सभी शहरों में लागू की जायेगी जिनकी जनसंख्या 1 लाख या

अधिक हो। इस योजना में केवल 22 नगर (21 जिला मुख्यालय और बहादुरगढ़ एक लाख से अधिक की आबादी के हैं) कवर होंगे। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व शहर मिशन प्रबन्ध ईकाई को राज्य एवं राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन कस्बों में लागू करने हेतू प्रभावशाली कदम उठाये है।

राजीव गांधी शहरी विकास मिशन

10.30 राजीव गाँधी शहरी विकास मिशन हरियाणा के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2014–15 के लिए 717.52 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई थी और समस्त राशि नगरपालिकाओं को जारी की जा चुकी है, जिसमें से 338.64 करोड़ रूपये की राशि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जारी की गई है। चालू वित्त वर्ष 2015–16 के लिये 826.47 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया जिसमें से 559.92 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न नगरपालिकाओं को जारी की जा चुकी है। इस प्रकार वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान इस योजना के अर्न्तगत 898.56 करोड़ रूपये की राशि विभिन्न नगरपालिकाओं को जारी की जा चुकी है।

अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन

10.31 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जून, 2015 में एक नई योजना अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य हर घर को पानी की आपूर्ति, सिवरेज कनैक्शन की सुविधाओं में वृद्धि सुनिश्चित् करने, हरियाली, खुले स्थानों को (पार्को) बनाये रखकर, सार्वजनिक वाहनों को बन्द कर, गैर मोटर चालित वाहनों (पैदल और साईकलिंग) की सुविधाएं में वृद्धि कर प्रदूषण को घटाने से है। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अर्न्तगत एक लाख से अधिक आबादी वाली अधिसूचित नगरपालिकाओं के सभी शहरो व नगरों जिसमें छावनी बोर्ड (नागरिक क्षेत्र) शामिल होगें। इस योजना के अर्न्तगत हरियाणा के 18 शहरी स्थानीय निकाय, 20 शहर, (गुड़गांव, पंचकूला, अम्बाला शहर, अम्बाला सदर, यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, पानीपत, कैथल, रिवाड़ी, भिवानी, थानेसर, सोनीपत, बहादुरगढ़, पलवल, सिरसा और जीन्द) शामिल किए जायेंगे। दिनांक 23–7–2015 द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकायों, जन स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग से अनुरोध किया गया कि योजना के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतू प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

अनुसूचित जाति बस्तियों के विकास के लिए योजना

10.32 इस योजना का उद्देश्य, नगरपालिका वार्डों के विकास की योजना जहां 50 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है, के अतिरिक्त अनुसूचित जाति बस्तियों को लाभ देने से है। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान, योजना के अन्तर्गत, 38.50 करोड़ रुपये की राशि नगर नगरपालिकाओं को जारी गई हैं। वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान बजट में 50 करोड़ रुपये की राशि नगरपालिकाओं को जारी की गई। वर्तमान वित्त वर्ष 2015–16 के लिए 55 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है और 38.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

चौपाल/सामुदायिक केन्द्रों के उन्नयन के लिए योजना

10.33 राज्य सरकार द्वारा राज्य की नगरपालिकाओं में चौपालों/सामुदायिक केन्द्रों के उत्थान हेतू योजना शुरू की गई हैं। नगरपालिकाओं में चौपालें/सामुदायिक केन्द्र सार्वजनिक स्थान जहां एक समुदाय के सदस्य सामाजिक सहायता, सार्वजनिक सूचना और अन्य उद्देश्य के लिए इकट्ठा होते है वे कुछ समय पूरे समुदाय के लिए खुले रहते है या बड़े समुदाय में एक विशेष ग्रुप के सदस्यों के लिए खुला रह सकता है। छोटे और मध्य आकार के शहरों में पर्याप्त क्षमता और संसाधनों की कमी के कारण मौजूदा चौपालों/सामुदायिक केंद्रों को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार यह महसूस किया गया है कि चौपालों/सामुदायिक केंद्रों के निर्माण एवं उत्थान के लिए नगरपालिकाओं को सहायता की आवश्यकता है। वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 30 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है और स्मस्त राशि नगर पालिकाओं को जारी कर दी गई। वर्तमान वित्त वर्ष 2015–16 के लिए 97 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

छोटे दुकान मालिक, रेहडी व फड़ी वाले और खोखा/कियोस्क मालिकों को आग, बिजली के खतरों, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से क्षति की भरपाई करने के लिए योजना

10.34 यह पाया गया है कि छोटे दुकान मालिकों, रेहड़ी वालों, फड़ी वालों और खोखा/कियोस्क मालिकों को आग, बिजली, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति के बाद अपना व्यापार पुनः आरंभ करने के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं है। वे प्रायः ब्याज या वित्तीय संसाधनों की कमी, अज्ञानता की वजह से बीमा नहीं करवाते। जिस कारण आजीविका में आग, बिजली, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण वाणिज्यिक संपत्ति की क्षति के कारण जरूरतमंद और पात्र व्यक्तियों को सहायता देना प्रस्तावित किया गया है। तदानुसार राज्य सरकार द्वारा छोटे दुकान मालिकों, रेहड़ी वालों, फड़ी वालों और खोखा/कियोस्क मालिकों को आग, बिजली, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण वाणिज्यिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए एक नई योजना शुरू की गई। वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है और 2.12 करोड़ रुपये की राशि नगरपालिकाओं को जारी कर दी गई। वर्तमान वित्त वर्ष 2015–16 के लिए 7.05 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है और 1.07 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

राज्य शहरी विकास प्राधिकरण

10.35 राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा 3 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं नामतः एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम, राजीव आवास योजना (अब इस योजना को नई लागू की गई सभी के लिए आवास मिशन (शहरी) में समायोजित कर दिया है), स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर नई योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका 1–4–2014 से लागू की गई है।

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम

10.36 इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना एवं मलिन बस्ती के निवासियों के लिए घर बनाना है। इस योजना में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 80:20 के अनुपात में राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम की 23 परियोजनाएं जिनकी कुल राशि 242.77 करोड़ रूपये स्वीकृत की गई है जिसमें से केन्द्रीय अंश 189.07 करोड़ रूपये का होगा। इस परियोजना के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 10,327 आवासीय इकाईयों के निर्माण का प्रावधान रखा है। इस कार्य हेतू सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों को 232.04 करोड़ रूपये की राशि जारी की है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 9,809 आवासीय इकाईयों के निर्माण पर 189.65 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं एवं दिनांक 31–12–2015 तक 518 आवासीय ईकाईयों का निर्माण तथा मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का कार्य भी प्रगति पर था। भारत सरकार ने एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम की शर्तो को दिनांक 31–3–2017 तक बढ़ा दिया गया।

राजीव आवास योजना

10.37 आवास एवं शहरी गरीबी उन्नमूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 278.82 करोड़ रूपये की राशि की चार परियोजनायें (अम्बाला, यमुनानगर, रोहतक और हिसार) स्वीकृत की जिसमें भारत सरकार का अंश 206.93 करोड़ रूपये है। भारत सरकार ने 108.94 करोड़ रूपये राशि की पहली किस्त जारी कर दी है तथा राज्य सरकार ने अपना अनुपातिक अंश जोड़कर 130.73 करोड़ रूपये की राशि राजीव आवास योजना के क्रियान्वन से सम्बन्धित एजैंसियों को जारी कर दी है। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 31–12–2015 तक 304 आवासीय इकाईयों का निमार्ण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 1,050 आवासीय इकाईयों का निमार्ण कार्य प्रगति पर है। मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का कार्य भी प्रगति पर है। भारत सरकार ने राजीव आवास योजना को बन्द कर दिया है तथा इस योजना को नई योजना "सभी के लिए आवास (शहरी)" में समायोजित कर दिया गया है।

सभी के लिए आवास मिशन (शहरी)/प्रधान मन्त्री आवास योजना

10.38 भारत सरकार ने दिनांक 26–5–2015 आर्थिक कमजोर वर्ग तथा कम आय वर्ग के लाभार्थियों को नये मकानों का निर्माण खरीद एवं मौजूदा घरों को उनके अपने उपयोग अनुसार अपग्रेडेशन करने के लिए सभी के लिए आवास योजना का शुभांरभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना/सभी के लिए आवास मिशन योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार, 500 प्रथम श्रेणी के शहरों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ–साथ सभी 4,041 संवैधानिक (जनगणना–2011) कस्बों को तीन चरणों में शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार की सिफारिश पर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य के नौ शहरों (फरीदाबाद, करनाल, हिसार, यमुनानगर, सिरसा, गुड़गावं, सोनीपत, रोहतक तथा पानीपत) को शामिल किया गया। राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 9–7–2015 द्वारा इस योजना के क्रियान्वन के लिए राज्य शहरी विकास प्राधिकरण को राज्य स्तरीय

नोडल एजेंसी नामित किया है। आवास एवं शहरी गरीबी उन्नमूलन मंत्रालय, भारत सरकार ने 110.25 लाख रूपये की राशि स्वीकृत कर, 82.69 लाख रूपये की राशि की पहली किस्त सभी चयनित/अनुमोदित 9 शहरों में आरम्भिक कार्य करने के लिए जारी कर दी है। इसके अलावा आवास एवं शहरी गरीबी उन्नमूलन मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2015–16 के लिए 84.28 करोड़ रूपये की राशि आंबटित की गई। सभी नौ नगर–निगमों के आयुक्तों को प्रारम्भिक अनुमान तैयार करने हेतू एवं मिशन के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतू परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

10.39 भारत सरकार ने पुरानी योजना ''स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना'' के स्थान पर एक नई योजना ''राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन की घोषणा की। शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन का मुख्य उद्देश्य अतिसंवेदनशील शहरी गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार प्राप्त करने में सक्षम करना और कुशल मजदूरी रोजगार अवसरों का उपयोग कर उनकी गरीबी कम करना है। मिशन के लिए चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर परिवारों को आश्रय उपलब्ध करवाना है। विभाग ने चालू वित्त वर्ष 2015–16 में 12,000 शहरी गरीब लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए तकनिकी विभाग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विभाग, परिधान वस्त्र डिजाईन केन्द्र तथा हारट्रोन से समझोते का ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। एम.ई.पी.एम.ए. (आन्ध्र प्रदेश सरकार का उपक्रम) हैदराबाद के राष्ट्रीय आजीवीका मिशन के सामाजिक एकता एवं संस्थागत विकास घटक के तहत स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए संसाधन संगठन के रूप में हरियाणा का साथ देने के लिए सहमत हो गया है। दिसम्बर, 2015 तक इस योजना के अन्तर्गत, 3,053 व्यक्तियों के तथा 29 ग्रुपों के ऋण मामले बैंकों को प्रेषित किये हैं तथा 31–12–2015 तक 255 एकल लाभार्थियों को अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों ने ऋण प्रदान किया है। वित्त विभाग ने इस योजना हेतू वर्तमान वित्त वर्ष 2015–16 में 21.43 करोड़ रूपये की राशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

आवास

10.40 आवास बोर्ड़, हरियाणा द्वारा स्थापना वर्ष 1971 से लेकर 15–12–2015 तक 80,748 विभिन्न श्रेणी के मकानों का निर्माण कार्य किया गया है जिसमें से 58,036 मकानों का निर्माण कार्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लिये किया गया है। अब 19,400 विभिन्न श्रेणी के मकानों का निर्माण कार्य विभिन्न स्थानों पर प्रगति पर हैं। जिसमें से 1,500 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 16,700 मकान गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के लोगों के लिए तथा 1,200 अन्य वर्ग के लिए हैं। दिनांक 1–4–2015 से लेकर 15–12–2015 तक 4,575 मकानों का निर्माण कार्य सम्पन्न किया गया है। जिसमें से 4,461 मकान गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिये, 114 अन्य वर्ग के लिए हैं। मकानों के निर्माण कार्य पर दिनांक 1–4–2015 से 30–11–2015 तक कुल 174 करोड़ रूपये खर्च किए गए। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 194.94 एकड़ भूमि सितम्बर, 2013 से सितम्बर, 2014 तक

हिसार, फतेहाबाद, अग्रोहा, करनाल, चीका, चरखी दादरी, जगाधरी, सफीदों, सिरसा, गोहाना, झज्जर एव कैथल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दूसरे वर्ग के निर्माण के लिए आबंटित की है।

10.41 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 50.945 एकड़ भूमि मई, 2014 से सितम्बर, 2014 तक फरीदाबाद, झज्जर, महेन्द्रगढ, रोहतक, पंचकूला, पिंजौर, पलवल व रिवाड़ी में सेवारत, व भूतपूर्व सैनिको एवं अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये मकान बनाने के लिए आबंटित की है।

10.42 हरियाणा शहरी निकाय विभाग द्वारा 27.24 एकड़ भूमि फरवरी, 2014 से जुलाई, 2014 तक करनाल, चीका, चरखी दादरी तथा जुलाना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दूसरे वर्ग के निर्माण के लिए आबंटित की है और 35.70 एकड़ भूमि जुलाई, 2014 से नवम्बर, 2014 तक विभिन्न स्थानों पर सेवारत, व भूतपूर्व सैनिको एवं अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये मकान बनाने के लिए आबंटित की है, जिसमें से 3.52 एकड़ भूमि सैक्टर–106, 6.83 एकड़ भूमि सैक्टर–76 और 8.48 एकड़ भूमि सैक्टर–102 ए, गुडंगाव, 5.40 एकड़ पलवल व 11.47 एकड़ सांपला में है।

10.43 हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिये रियायत दर पर मकान बनाने के लिये एक नीति बनाई है जिसके तहत 20 प्रतिशत 60 गज के प्लाट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निजी पंजीकृत बस्तियों में आवास बोर्ड को 500 रूपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से देंगे। अब तक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा ने 10,484 प्लाटों का कब्जा बोर्ड को दे चुका हैं। आवास बोर्ड हरियाणा इन पलाटों पर गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिये तीन मंजिला फ्लैटस बनाएगा। 10,962 मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 16,700 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मकान गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिये निर्माणाधीन हैं।

10.44 आवास बोर्ड हरियाणा यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल, पानीपत, रतिया, फरीदाबाद एवं धारूहेड़ा में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिये लगभग 300 वर्ग फुट के 2,117 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फ्लैटस का निर्माण कार्य शुरू करेगा, जिसकी औसतन अनुमानित कीमत 4.60 लाख रूपये प्रति फ्लैट होगी। आवास बोर्ड हरियाणा करनाल, हिसार एवं चरखी दादरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये लगभग 425 वर्ग फुट के 2,510 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फ्लैटस का निर्माण शुरू करेगा, जिसकी औसतन अनुमानित कीमत 10.80 लाख रूपये प्रति फ्लैट होगी। आवास बोर्ड हरियाणा पंचकूला, पिजौंर, झज्जर, रोहतक, सांपला, फरीदाबाद, पलवल, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़ व गुडगांव में सेवारत, व भूतपूर्व सैनिको एवं अर्ध सैनिक बलों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये लगभग 650 व 550 वर्ग फुट के 4,782 टाईप–ए तथा टाईप–बी के फ्लैटस का निर्माण शुरू करेगा, जिसकी औसतन अनुमानित कीमत 20.75 लाख रूपये तथा 17.35 लाख प्रति फ्लैट होगी।

***

11

समाजिक क्षेत्र

मानव विकास, सामाजिक कल्याण में वृद्धि एवं जनता की भलाई ही योजना विकास का मुख्य उद्देश्य है। किसी भी विकासशील एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा

11.2 हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये पूर्णतः वचनबद्ध है तथा इनके सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास हेतू विभिन्न योजनाएं लागू की जा रहीं है। अनुसूचित जाति समुदाय के हितों की सुरक्षा व गतिविधियॉ व सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम की समीक्षा तथा इन जातियों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास के मापदण्ड एवं सुझाव हेतू एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है।

11.3 इस विभाग द्वारा 'इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना' के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/समाज के सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के अवसर पर 31,000 रूपये तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को उनकी लड़की की शादी के अवसर पर 11,000 रूपये तथा 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि या 1 लाख रूपये से कम वार्षिक आय वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को भी 10,000 रूपये की राशि प्रदान की जाती थी। वर्तमान सरकार द्वारा इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन कर दिया गया है तथा इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि 31,000 रूपये से बढ़ाकर 41,000 रूपये तथा 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि या 1 लाख रूपये से कम वार्षिक आय वाले सभी परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि 10,000 रूपये से बढ़ाकर 11,000 रूपये कर दी गई है। लड़कियों के सामुहिक विवाह करने पर 11,000 रूपये प्रति विवाह के हिसाब से अनुदान देने व सभी योग्य महिला खिलाड़ियों को उनकी शादी के अवसर पर 31,000 रूपये की राशि देने का निर्णय भी लिया गया है। इस उद्देश्य हेतू वर्ष 2015–16 के दौरान 8,984.41 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा दिसम्बर, 2015 तक 4,198.93 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। अगले वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान विभाग इस योजना को आन लाईन विधि से क्रियान्वित करने जा रहा है ।

11.4 अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा डा.बी.आर. अम्बेडकर आवास योजना लागू की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के व्यक्तियों को मकान निर्माण हेतू 50,000 रूपये का अनुदान तथा मरम्मत हेतू 10,000 रूपये का अनुदान दिया जाता है। इस उद्देश्य हेतू वर्ष 2015–16 के दौरान 4,000 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा दिसम्बर, 2015 तक 6,55.20 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। यह विभाग डुप्लिकेशी को रोकने एवं वास्तव में जरूरतमंदों के लिए राशि का प्रयोग करने हेतू विकास एवं पंचायत विभाग के साथ विचार–विमर्श करके बदलाव कर रहा है।

11.5 अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं/लड़कियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा 'अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं/लड़कियों को सिलाई प्रशिक्षण' नामक योजना कार्यान्वित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा 73 प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहें हैं एवं प्रत्येक केन्द्र में 20 अनुसूचित जाति व 5 पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश दिया गया है। इस विभाग द्वारा चलाये जा रहे निकटतम कल्याण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 100 रूपये प्रतिमास छात्रवृति तथा 150 रूपये प्रतिमास प्रशिक्षण सामग्री हेतू प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को एक सिलाई मशीन मुफ्त प्रदान की जाती है ताकि वह अपनी आजीविका कमा सके। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 1,825 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतू 110 लाख रूपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

11.6 अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गो के मेधावी छात्रों हेतू वर्ष 2005–06 से 'डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना' आरम्भ की गई थी। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए इस योजना का दायरा बढ़ाकर स्नातकोत्तर कक्षाओं तक कर दिया गया है। 8वीं, 10वीं, 12वीं, तथा स्नातक कक्षाओं के परीक्षा परिणाम के आधार पर 9वीं, 11वीं, स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्रों को छात्रवृति 8,000 से 12,000 रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस उद्देश्य हेतू वर्ष 2015–16 के दौरान 2,000 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा दिसम्बर, 2015 तक 1,446.60 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2016–17 से यह योजना आन लाईन परिचालित की जाएगी।

11.7 जातिवाद को कम करने हेतू यदि हरियाणा राज्य में रहने वाला अनुसूचित जाति का लड़का या लड़की गैर अनुसूचित जाति की लड़की या लड़के से विवाह करता है तो अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उन्हें 50,000 रूपये प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं। अब यह राशि 50,000 रूपये से बढ़ाकर 1,01,000 रूपये कर दी गई है तथा इस योजना का नाम अर्न्तजातिय विवाह प्रोत्साहन योजना से बदलकर मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अर्न्तजातीय विवाह शगुन योजना कर दिया

गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान इस उद्देश्य हेतू 200 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है। दिसम्बर, 2015 तक 246 विवाहित जोड़ों को 123 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई है।

11.8 भारत सरकार की अनुसूचित जाति के छात्रों हेतू मैट्रिक उपरान्त छात्रवृति योजना के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 230 रूपये प्रतिमास से 1,200 रूपये प्रतिमास छात्रवृति के अतिरिक्त वापिस न की जाने वाली अनिवार्य फीसें प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रूपये है। दिसम्बर, 2015 तक 8,498.87 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2015–16 के दौरान इस उद्देश्य हेतू प्लान के तहत 15,000 लाख रूपये एवं नान प्लान के तहत 10,962.20 लाख रूपये की राशि की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2015–16 से इस योजना के अन्तर्गत आन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे है।

11.9 इसी प्रकार भारत सरकार की अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों हेतू मैट्रिक उपरान्त छात्रवृति योजना के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को 160 रूपये से 750 रूपये प्रतिमास विभिन्न कक्षाओं में प्रति छात्र को छात्रवृति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा एक लाख रूपये है। दिसम्बर, 2015 तक 598.53 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वर्ष 2015–16 के दौरान इस उद्देश्य हेतू योजना के तहत 628.49 लाख रूपये तथा नान–प्लान के तहत 736 लाख रूपये की राशि की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2015–16 से इस योजना के अन्तर्गत आन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे है।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

11.10 हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सामाजिक तथा आर्थिक स्तर ऊॅचा उठाना है। निगम इस समय तीन प्रकार की योजनाओं का परिचालन बैंकों के सहयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से कर रहा है। भारत सरकार की हिदायतानुसार, निगम अनुसूचित जाति के उन परिवारों को जिनकी वर्तमान में वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 20,000 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 27,500 रूपये तक हो, को विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं जैसें भैंस पालन, भेड़ पालन, सूअर पालन, करियाना की दुकान, पशु चालित गाड़ियां, चमड़ा तथा चमड़े से बना सामान, चाय की दुकान, चूड़ियों की दुकान आदि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 55,000 रूपये है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम योजनाओं के अंतर्गत कोई आय सीमा नहीं है, पात्रता के लिए केवल व्यवसाय ही आधार है।

बैंकों के सहयोग से परिचालित योजनाएं

11.12 निगम बैकों के सहयोग से योजना के अन्तर्गत चलाई जा रही आय उर्पाजन योजनाओं जिनकी योजना लागत 1,50,000 रूपये तक हो, के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रूपये है तथा 10 प्रतिशत सीमान्त धन तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही योजनाएं

11.13 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही योजना के अंतर्गत निगम विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है। इन योजनाओं के अंतर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत निगम योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध करवाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000 रूपये है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जा रही योजनाएं

11.14 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जाने वाली योजना के अंतर्गत निगम स्वीकृत योजना इकाई लागत का अनुसरण करता है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा लाभार्थी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वीकृत योजना के अनुपात में अपना अंशदान करते है। इन योजनाओं के अंतर्गत निगम का हिस्सा अनुमोदित इकाई लागत का 10 प्रतिशत तक का होता है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम से सम्बन्धित योजना के अंतर्गत अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है।

11.15 निगम ने वर्ष 2015–16 (मास दिसम्बर, 2015 तक) में 5,554 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतू 35.15 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें 3.79 करोड़ रूपये की अनुदान राशि शामिल है।

हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम

11.16 हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और विकलांग लोगों के आर्थिक उत्थान हेतू कार्य कर रहा है। निगम द्वारा वर्ष 2015–16 में 2,500 पिछड़े वर्ग के लोगों को 12.50 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं जिसके विरुद्ध 31 दिसम्बर, 2015 तक 902 पिछड़े वर्ग के लोगों को 483.80 लाख रूपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2015–16 में 2,000 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 10 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं परन्तु निगम पूर्व वितरित

ऋण मामलों में 31 दिसम्बर, 2015 तक केवल 1.29 लाख रूपये की अदायगी कर सका। वर्ष 2015–16 में 1,300 निःशक्त लोगों को 6.56 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं जिसके विरुद्ध 31 दिसम्बर, 2015 तक 434 निःशक्त लोगों को 378.90 लाख रूपये वितरित किए गए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

11.17 राज्य में प्रचलित बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना आर्थिक मानक पर आधारित है तथा इसके लिए योग्यता आयु 60 वर्ष या इससे अधिक रखी गई है, ताकि इसका लाभ वास्तव में गरीब तथा जरूरत मंद लोगों को पहुंच सके। इस योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति, जिनकी पति/पत्नी की सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक न हो, को 1,200 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर से पात्र/वरिष्ठ नागरिकों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2015 तक 14,19,737 पात्र वरिष्ठ नागरिकों को लाभ दिया गया है। जिनमें 6,80,109 महिला लाभपात्र हैं। इस योजना के अन्तर्गत भत्ता की दर जनवरी, 2016 (फरवरी, 2016 में वितरित) से 1,200 रूपये से 1,400 रूपये प्रतिमास कर दी गई है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इस भत्ता योजना का वितरण विभिन्न बैंकों, डाकघरों सर्व सेवा केन्द्रों, वोडाफोन इत्यादि के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।

11.18 विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता एवं सुरक्षा देने हेतू विधवा पैंशन योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य में रह रही 18 वर्ष या इससे ऊपर आयु की विधवा तथा निराश्रित महिला को जिनकी सभी साधनों से वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक न हो, को 1,200 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर से पैंशन दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2015 तक 6,09,515 विधवा तथा निराश्रित महिलाओं को लाभ दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत भत्ते की दर जनवरी, 2016 (फरवरी, 2016 में वितरित) से 1,200 रूपये से 1,400 रूपये प्रतिमास कर दी गई है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इस भत्ता योजना का वितरण विभिन्न बैंकों, डाकघरों, सर्व सेवा केन्द्रों, वोडाफोन इत्यादि के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।

11.19 राज्य में अन्धे, बहरे, निःशक्त तथा मानसिक रूप से विकृत लोगों के पुर्नवास के लिए कई कदम उठाए गए हैं । इस योजना के अन्तर्गत राज्य में रह रहे 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के निःशक्त व्यक्तियों को, जिनकी सभी साधनों से मासिक आय श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित अकुशल मजदूर की न्यूनतम आय से अधिक न हो, को 1,200 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र की दर से पैंशन दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2015 तक 1,41,336 निःशक्त व्यक्तियों को लाभ दिया गया है जिनमें 40,506 महिला लाभपात्र हैं। इस योजना के अन्तर्गत भत्ता की दर जनवरी, 2016 (फरवरी, 2016 में वितरित) से 1,200 रूपये से 1,400 रूपये प्रतिमास कर दी गई है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इस भत्ता योजना का वितरण विभिन्न बैंकों, डाकघरों, सर्व सेवा केन्द्रों, वोडाफोन इत्यादि के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। निःशक्त छात्रों को 400 रूपये से 1,000 रूपये तक

प्रतिमास छात्रवृति दी जा रही है। शिक्षित निःशक्त व्यक्तियों (70 प्रतिशत) को प्रतिमास 500 रूपये से 1,000 रूपये तक बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है तथा 100 प्रतिशत निःशक्त व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता 1,000 रूपये प्रतिमास 10वीं व 8वीं पास डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रूपये प्रतिमास स्नातक/10वीं पास डिप्लोमा होल्डर तथा 2,000 रूपये स्नातकोत्तर/स्नातक डिप्लोमा होल्डर को प्रदान किया जा रहा है।

11.20 उन माता–पिताओं जिनकी केवल बेटियॉ ही हैं, के मन से आर्थिक असुरक्षा की भावना समाप्त करने के लिए 1 जनवरी, 2006 से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना लागू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत भत्ता दर 1,200 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र है तथा यह भत्ता उन परिवारों को जिनमें माता–पिता को उनके 45वें जन्मदिवस से 60वें जन्मदिवस तक जो कोई दोनों में अधिक आयु का है उसे 15 वर्ष तक भत्ता दिया जाता रहेगा। इसके उपरान्त वे बुढ़ापा सम्मान भत्ता के लिए पात्र हो जाते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2015 तक 27,959 लाभपात्रों को कवर किया गया है जिनमें से 10,443 महिला लाभपात्र हैं। इस योजना के अन्तर्गत भत्ता की दर जनवरी, 2016 (फरवरी, 2016 में वितरित) से 1,200 रूपये से 1,400 रूपये प्रतिमास कर दी गई है। वर्तमान में राज्य सरकार

तालिकाः 11.1– लाभार्थियों की संख्या एवं सामाजिक सुरक्षा योजना का खर्च

(लाख रूपये)

क्रम सं0	**योजना का नाम**	**2014–15**		**2015–16**	
		लाभार्थियों की संख्या	**किया गया खर्च**	**लाभार्थियों की संख्या**	**किया गया खर्च**
1.	बुढ़ापा सम्मान भत्ता	1399122	170351.24	1419737	149287.13
2.	विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता	599662	72774.78	609515	63381.83
3.	अन्धे, बहरे, निःशक्त तथा मानसिक रूप से विकृत लोगों का पुर्नवास (i) निःशक्त व्यक्तियों को पैंशन (ii) निःशक्त छात्रों को छात्रवृति (iii) शिक्षित निःशक्त व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता (iv) स्कूल न जाने वाले निःशक्त बच्चों को वित्तीय सहायता	 140420 4260 1700 5582	 17136.41 234.04 23.82 408.82	 141336	 14788.32 43.36 355.71
4.	लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता	26847	3120.36	27959	2892.67
5.	अन्यः (i) असहाय बच्चों को वित्तीय सहायता (ii) आम आदमी बीमा योजना/ जनश्री बीमा योजना (iii) परिवार लाभ योजना	 179573 12000 (परिवार) 3933	 10143.61 1200 777		 7371.08 – 173.01

स्त्रोतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।

द्वारा इस भत्ता योजना का वितरण विभिन्न बैंकों, डाकघरों, सर्व सेवा केन्द्रों, वोडाफोन इत्यादि के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। लाभार्थियों की संख्या एवं सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत हुए खर्च का विवरण **तालिका 11.1** में दर्शाया गया है।

स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण

11.21 हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सैनानियों/उनकी विधवाओं को दी जाने वाली राज्य सम्मान पैंशन 1–4–2014 से 20,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमास (750 रूपये प्रतिमास नियत चिकित्सा भत्ता सहित) कर दी गई है। स्वतन्त्रता सैनानियों तथा उनकी पत्नियों की मृत्यु के बाद उनको मिलने वाली राज्य सम्मान पैंशन उनकी बेरोजगार अविवाहित लड़कियों तथा 75 प्रतिशत विकलांग अविवाहित बेरोजगार लड़कों को प्रदान की जाएगी। अगर उनके एक से अधिक योग्य बच्चे हैं तो वे सभी पैंशन में बराबर के हकदार होंगे। सम्मान पैंशन के अतिरिक्त विभिन्न अन्य योजनाएं/सुविधाएं भी राज्य में स्वतन्त्रता सैनानियों/उनके आश्रितों की भलाई के लिए चल रही है जो निम्न प्रकार से हैः–

- राज्य के स्वतन्त्रता सैनानी की मृत्यु पर दाह संस्कार के खर्च के लिए वित्तीय सहायता 13–7–2009 से 1,500 रूपये से बढ़ाकर 5,000 रूपये कर दी गई है।
- हरियाणा राज्य के स्वतन्त्रता सैनानी/आई.एन.ए. कार्मिकों तथा उनकी विधवाओं को उनकी पुत्री, पोती तथा आश्रित बहनों की शादी हेतू दी जाने वाली वित्तीय सहायता 20–8–2009 से 21,000 रूपये से बढाकर 51,000 रूपये प्रत्येक शादी के लिए कर दी गई है चाहे एक वर्ष में एक से अधिक शादी क्यों न हो।

राज्य सैनिक बोर्ड

11.22 यह बड़े गौरव की बात है कि देश का प्रत्येक 10वॉ सैनिक हरियाणा राज्य से सम्बन्धित है। राज्य सरकार देश के सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गई देश सेवा और उनके परिवारों द्वारा दिए गए सर्वोतम बलिदान के ऐवज़ में इनके कल्याण के लिए वचनबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा शौर्य पुरस्कार विजेताओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को जो नकद राशि (युद्ध के दौरान और शान्ति के समय) उपलब्ध करवाई जा रही है उसे **तालिका 11.2** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 11.2– शौर्य पुरस्कार एवं विजेताओं को प्राप्त होने वाली एक मुश्त नकद पुरस्कार की राशि

(राशि रूपये)

क्र0स0	**युद्ध के समय शौर्य पुरस्कार**	**एक मुश्त नकद पुरस्कार**
1	परमवीर चक्र	20000000
2	महावीर चक्र	10000000
3	वीर चक्र	5000000
4	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	2100000
5	मन्शन– इन डिस्पैच (शौर्य)	1000000
	शान्ति के समय शौर्य पुरस्कार	
1	अशोक चक्र	10000000
2	कीर्ति चक्र	5100000
3	शौर्य चक्र	3100000
4	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	1000000
5	मैन्शन–इन डिस्पैच (शौर्य)	750000

स्त्रोतः राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा।

11.23 राज्य सरकार दिनांक 5–10–2007 से पूर्व के वीरता पुरस्कार विजेताओं को प्रतिवर्ष शौर्य पुरस्कार राशि उपलब्ध करवाती है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि **तालिका 11.3** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 11.3–शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली वार्षिक पुरस्कार राशि

(राशि रूपये)

क्र0स0	शौर्य पुरस्कार	वार्षिक पुरस्कार राशि
1	परमवीर चक्र	300000
2	अशोक चक्र	250000
3	महावीर चक्र	225000
4	कीर्ति चक्र	175000
5	वीर चक्र	125000
6	शोर्य चक्र	100000
7	सेना/नौसेना/वायु सेना मैडल (शौर्य)	50000
8	मैन्शन–इन डिस्पैच (शौर्य)	30000

स्त्रोतः राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा।

11.24 राज्य सरकार द्वारा सभी सैनिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को **तालिका 11.4** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 11.4– सैनिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता

(राशि रूपये)

क्र0 स0	वित्तीय सहायता	राशि
1	भूतपूर्व सैनिक की विधवाओं को और 60 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध के सेवानिवृत सैनिकों को और उनकी विधवाओं को (22–9–2015 से 3000 रूपये से बढ़ाकर 4500 रूपये प्रतिमाह कर दी) वित्तीय सहायता	2000 4500
2	पैरा/टेट्रा होम प्लेजिक भूतपूर्व सैनिक	1500
3	भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता	2000
4	अयोग्य भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता	1500
5	अन्धे हुए भूतपूर्व सैनिको को वित्तीय सहायता	1500
6	आर.आई.एम.सी. को सहायता अनुदान व कैडेट/अगंरक्षक जिन्होंने एन.डी.ए./ओ.टी.ए./आई.एम.ए. नवल तथा वायु सेना अकादमी या अन्य राष्ट्रीय स्तर की रक्षा अकादमी से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उन्हें वित्तीय सहायता	35000 100000
7	युद्ध में मारे गये सेना के सैनिकों की विधवाओं के आश्रितों को पारिवारिक पैंशन जो केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर रहे है।	2000

स्त्रोतः राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा।

11.25 राज्य सरकार द्वारा युद्ध सेवा पदक/असाधारण सेवा पुरस्कार विजेताओं को राशि एक मुश्त नकद पुरस्कार के रूप में दी जाती है उसे **तालिका 11.5** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 11.5– युद्ध सेवा पदक विजेता को प्रदान की जाने वाली एक मुश्त नकद पुरस्कार राशि

(राशि रूपये)

क्र0स0	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार
1	सर्वोतम युद्ध सेवा मैडल	700000
2	उत्तम युद्ध सेवा मैडल	400000
3	युद्ध सेवा मैडल	200000
4	परम विशिष्ट सेवा मैडल	650000
5	अति विशिष्ट सेवा मैडल	325000
6	विशिष्ट सेवा मैडल	125000

स्त्रोतः राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा।

11.26 हरियाणा सरकार रक्षा सेना सैनिकों को सेना मैडल, असाधारण सेवा/निष्ठा से कार्य करने वाले रक्षा सैनिकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है जिसे **तालिका 11.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 11.6 –सेना मैडल विजेता एवं उनके आश्रितों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन पुरस्कार राशि

(राशि रूपये)

क्र0स0	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त नकद पुरस्कार	वर्षिक पुरस्कार राशि
1	सेना मैडल, असाधारण सेवा/काम के प्रति निष्ठा को जो पुरस्कार 31–3–2008 के बाद और 19–2–2014 से पहले दिया गया।	34000	3500
2	सेना मैडल, असाधारण सेवा/ निष्ठा से काम करने पर पुरस्कार जो 19–2–2014 के बाद दिया गया।	175000	

स्त्रोतः राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा।

11.27 आजादी से पूर्व वीरता पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को राज्य सरकार द्वारा मौद्रिक अनुदान/पैंशन, दिया जाता है जो **तालिका 11.7** में दर्शाया गया है।

तालिकाः 11.7– आजादी से पूर्व वीरता पुरस्कार विजेताओं और उनकी विधवाओं को मौद्रिक अनुदान/ पैंशन

(राशि रूपये)

क्र0स0	पुरस्कार का नाम	राशि
1	विक्टोरिया क्रॉस	15000
2	मिलीटरी क्रॉस	10000
3	मिलीटरी मैडल	5000
4	इंडियन आर्डर आफ मैरिट	3000
5	भारतीय असाधारण सेवा मैडल	2000
6	मैंशन इन डिस्पैच (केवल आजादी से पूर्व शौर्य पुरस्कार)	2000

स्त्रोतः राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा।

11.28 राज्य सरकार अनुगृह आधार पर रक्षा बलों के शहीदों के आश्रित को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सरकारी सेवा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार उन शहीदों के आश्रितों को अनुग्रह राशि भी प्रदान करती है जो अपनी सरकारी सेवा के दौरान कार्यवाही क्षेत्र/युद्ध क्षेत्र/आंतकवादी या उग्रवादी हमला/सीमा पर मुठभेड़ एवं हवाई दुर्घटना, बारूदी सुरंग का फटना,

समुन्द्री दुर्घटना, हृदयगति रूकना व प्राकृतिक आपदा इत्यादि के दौरान शान्ति बनाए रखने हेतू संयुक्त कार्यवाही में शहीद होते हैं। यह अनुदान राशि सरकारी हिदायतोंनुसार उन सभी "युद्ध में घायल" मामलों में प्रदान की जाती है जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एवं रक्षा प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी कार्यवाही या किसी विशेष क्षेत्र में कार्यवाही के दौरान घटित हुई है। यह अनुगृह राशि 20 लाख रूपये है। इसके अतिरिक्त 20 लाख रूपये उन मृतकों के आश्रितों को प्रदान की जाती है जिनकी मृत्यु आई.ई.डी. विस्फोट में हो जाती है व 5 लाख रूपये से 15 लाख रूपये तक की अनुगृह राशि उन निःशक्तों को उनकी निःशक्त प्रतिशता के आधार पर प्रदान की जाती है जो युद्ध, उग्रवादी, आई.ई.डी. विस्फोट व कार्यवाही एवं विशेष कार्यवाही के दौरान युद्ध में घायल को भारत सरकार की अधिसूचना अनुसार प्रदान की जाती है। यह राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगी।

रोजगार

11.29 रोजगार विभाग प्रार्थियों का पंजीकरण, अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्ध सम्प्रेषण, काम ढूंढने वालो को व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा संगठित संस्थापनाओं से रोजगार के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य करता है। विभाग द्वारा बेरोजगारों को प्रदान की जा रही सभी सुविधायें विभाग की वैब साईट www.hrex.org पर आॅन लाईन उपलब्ध करवाई जाती है। रोजगार के इच्छुक 7,59,941 प्रार्थियों ने विभाग की वेबसाईट के माध्यम से विभाग में अपना पंजीकरण करवाया है। नई सेवा नियोक्ता आनलाईन पंजीकरण मे नियोजक स्वयं वेबसाइट में पंजीकरण करवा सकते हैं तथा वे सीधे अपनी आवश्यकता अनुसार योग्य प्रार्थियों के ब्यौरे की जांच कर सकते है। राज्य के संगठित क्षेत्र में रोजगार से सम्बन्धित सूचना और बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या व रोजगार कार्यालय से नौकरी चाहने वाले पंजीकृत योग्य व्यक्तियों की संख्या **तालिका 11.8 से 11.10** तक में दी गई है।

तालिकाः 11.8– राज्य के संगठित क्षेत्रों में रोजगार

(31 दिसम्बर, 2015 तक)

स्थापना का प्रकार	नियुक्त व्यक्तियों की संख्या	
	2014	2015 (अ)
सार्वजनिक क्षेत्र		
(i) केन्द्र सरकार	19314	19272
(ii) राज्य सरकार	238679	238984
(iii) अर्धसरकारी (केन्द्र / राज्य)	95659	94,197
(iv) स्थानीय निकाय	20248	12897
उप–योग	373903 (46.10)	365350 (43.58)
निजि क्षेत्र	437106 (53.90)	472949 (56.42)
कुल योग	811009 (100.00)	838299 (100.00)

अः अन्नतिम
स्रोतः रोजगार विभाग, हरियाणा।

तालिकाः 11.9– रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

(31 दिसम्बर, 2015 तक)

शैक्षिणिक योग्यता	पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या	
	2014	2015 (अ)
अशिक्षित		
मैट्रिक से नीचे/अनपढ़ व अन्य	105000 (13.35)	128257 (16.26)
शिक्षित		
(i) मैट्रिक	205142	182411
(ii) वरिष्ठ माध्यमिक (10+2 तक)	302790	315909
(iii) स्नातक	140203	127702
(iv) स्नातकोत्तर/एम.फील./पी.एच.डी.	33621	34,376
उप–योग	**681756 (86.65)**	**660398 (83.74)**
कुल योग	**786756 (100.00)**	**788655 (100.00)**

अः अन्नतिम स्रोतः रोजगार विभाग, हरियाणा।

तालिकाः 11.10– रोजगार कार्यालय से पंजीकृत काम ढुढ़ने वाले योग्य व्यक्तियों का विवरण

(31 दिसम्बर, 2015 तक)

वर्ग	काम ढुढ़ने वालों की संख्या	
	2014	2015 (अ)
I इंजीनियर		
(i) स्नातक इंजीनियर	4534	5,075
(ii) डिप्लोमा इंजीनियर	9687	10,271
(iii) आई.आई.टी. प्रशिक्षित	25586	25,492
योग– I	**39807 (39.89)**	**40,838 (39.70)**
II मेडिकल तथा पैरा मेडिकल		
(i) एलोपैथिक डाक्टर (एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस.)	124	150
(ii) आयुर्वैदिक तथा युनानी डाक्टर	171	145
(iii) दन्त चिकित्सक	72	63
(iv) होमोपैथिक में स्नातक	13	20
(v) पैरा मेडिकल	4458	6,611
योग–II	**4838 (4.85)**	**4989 (4.85)**
III कृषि तथा पशु चिकित्सक		
(i) कृषि स्नातक/स्नातकोत्तर	256	212
(ii) पशु चिकित्सक स्नातक/ स्नातकोत्तर	15	15
योग– III	**271 (0.27)**	**227 (0.22)**
कुल योग I-III (तकनीकी)	**44916 (45.01)**	**46,054 (44.77)**
IV शिक्षा		
(i) जे.बी.टी. अध्यापक	8590	9,655
(ii) आर्ट एण्ड क्राफ्ट अध्यापक	–	–
(iii) बी.एड./एम.एड. अध्यापक (विज्ञान, गणित, सामाजिक तथा अन्य)	40726	42,203
(iv) पी.टी.आई./डी.पी.एड./एम.पी.एड. अध्यापक	3539	3,121
(v) भाषा अध्यापक	2,012	1,843
योग IV	**54867 (54.99)**	**56,822 (55.23)**
कुल योग I-IV (गैर–तकनीकी)	**99783 (100.00)**	**1,02,876 (100.00)**

11.30 बेरोजगार युवकों के कल्याण हेतू रोजगार विभाग की विभिन्न योजनाएं निम्नलिखित है:–

- **बेरोजगार युवकों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना**
  बेरोजगारी भत्ता योजना के अर्न्तगत विभाग द्वारा दिनांक 1–4–2015 से 31–12–2015 तक 32,361 प्रार्थियों को 21.82 करोड़ रूपये की राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में वितरित की गई है। शेष राशि 31.94 करोड़ रूपये 31–3–2016 तक खर्च कर ली जाएगी।
- **विदेश रोजगार ब्यूरो**
  विभाग की सोसायटी हरियाणा विदेश रोजगार ब्यूरो द्वारा इच्छुक प्रार्थियों को विदेशी रोजगार सेवाएं भी उपलब्ध करवाई गई है। यह सस्ंथा विदेशी रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए पंजीकृत है। होपास द्वारा 3,594 आवेदकों को कानूनी और सुरक्षित प्रवास के लिए पंजीकृत किया गया है। 104 प्रार्थियों को विदेश में नौकरी की व्यवस्था करके भेजा जा चुका है तथा अब तक 103 प्रार्थियों को अध्ययन वीजा के लिए विदेश में भेजा गया है।
- **व्यावसायिक मार्गदर्शन**
  व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा छात्रों एवं बेरोजगार युवकों व्यावसायिक सूचना, समूह, व्यावसायिक प्रवचनों तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप 1–4–2015 से 31–12–2015 तक अवधि में 11,810 प्रार्थी लाभान्वित हुए।
- **स्व–रोजगार स्कीमों की जानकारी प्रदान करने हेतू जागृति कैम्पों का आयोजन**
  रोजगार अधिकारियों द्वारा जिलों में 52 जागृति कैम्पों का आयोजन दिनांक 1–4–2015 से 31–12–2015 तक किया गया जिसमें 8,095 प्रार्थियों को विभिन्न सरकारी विभागों में चल रही स्व–रोजगार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
- **कैरियर सेवा केन्द्र**
  भारत सरकार देश में 956 रोजगार कार्यालयों में मौजूदा सुधार के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्रों की स्थापना पर काम कर रहा है। ये केन्द्र सूचना एवं प्रोद्योगिकी के गहन माडल होगें जो बेरोजगार और नियोक्ता की विभिन्न मांगों को पूरा करने में सक्षम होगें। यह सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिक्षा, इंटर्रशिप, कौशल विकास पाठ्यक्रम कैरियर काउंसिलिंग और मार्गदर्शन से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेगा। पहले चरण में 8 जिलों के अपने पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हिसार को राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए देश में 8 जिलों में से एक के रूप में चुना गया है। तदानुसार हरियाणा राज्य के लिए पहली किस्त के रूप में 25.11 लाख रूपये की धनराशि जारी की है।

श्रम कल्याण

131 श्रम विभाग, हरियाणा का मुख्य कार्य राज्य में औद्योगिक शान्ति एवं सामंजस्य बनाए रखना तथा कार्य स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करना है। श्रम विभाग एक श्रमिक की आर्थिक आवश्यकताओ के लिए पूर्णतया जागरुक है। इस सन्दर्भ में न्यूनतम वेतन की दरें समय–2 पर नियत तथा सशोंधित की जाती है। सरकार द्वारा इस दर को पुनः निर्धारित करते हुये दिनांक 1–11–2015 से अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 7,600 रूपये प्रतिमाह तथा 292.31 रूपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है और ऐसा ही अन्य श्रेणियों के श्रमिकों के लिये भी पुनः निर्धारण कर दिया गया है।

11.32 राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी हेतू सूचना प्रौद्योगिकी एवं इसके सम्बन्धित उद्योगों को पंजाब दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य पर लगाने की छूट प्रदान की गई है। यह छूट इस शर्त के साथ दी जाती है कि नियोक्ता महिला श्रमिकों को कार्य घंटों के दौरान पूर्ण सूरक्षा एवं यातायात के साधन की पूर्ण जिम्मेवारी लेगा। इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत 1–1–2015 से 31–12–2015 तक कुल 155 संस्थाओं में छूट प्रदान की गई जिससे 30,788 महिला श्रमिक लाभान्वित हुईं।

11.33 बेसहारा एवं प्रवासी बच्चों के लिये जिला पानीपत, फरीदाबाद तथा यमुनानगर में पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना की गई जिनमें मुफ्त रहने, शिक्षा एवं खाने पीने की सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 1.20 करोड़ रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

11.34 हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजना जैसें कन्यादान, छात्रवृति, चश्में, दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता, विधवा/आश्रित को वित्तीय सहायता, साईकिल, प्रसूति, दाह संस्कार, वर्दी, दन्त सुरक्षा, कृत्रिम अंग, श्रवण मशीन, ट्राई–साईकिल, सिलाई मशीन, एल.टी.सी., खेल–कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम व श्रमिकों के निःशक्त, मंदबुद्धि व अन्धेपन होने पर उनके बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इत्यादि चलाई गई हैं। इन योजनाओं के तहत (31–12–2015 तक) लगभग 18,555 औद्योगिक श्रमिकों पर लगभग 1,566 लाख रूपये की राशि खर्च की गई है। बोर्ड के कार्य का विकेन्द्रीकरण पंचकूला स्थित मुख्यालय से श्रमिकों से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध करवाने हेतू दिनांक 16–6–2015 से कर दिया गया है। जिसके अर्न्तगत यमुनानगर, फरीदाबाद, गुड़गॉव, रोहतक, पानीपत तथा हिसार में श्रम कल्याण अधिकारियों के कार्यालय खोल दिये गये हैं जिनमें श्रमिकों के केस तीव्रता से स्वीकृत किये जा रहे हैं तथा श्रमिकों को शीघ्र लाभ उपलब्ध होने प्रारम्भ हो गये हैं।

11.35 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के रूप में राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की दो बेटियों से बढ़ाकर हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड तथा हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई गई कल्याण की सुविधाओं का विस्तार केवल दो बच्चों के स्थान पर तीन बेटियों तक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड द्वारा महिला श्रमिकों को दी जाने वाली प्रसूति सहायता, छात्रवृति सहायता व कन्यादान सहायता का लाभ तीन लड़कियों तक दिया गया है।

11.36 इसी प्रकार हरियाणा भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं जैसे कन्यादान, मातृत्व, शिक्षा छात्रवृति, पैंशन, निःशक्ता पैंशन, उपककरणें की खरीद, अतिंम संस्कार सहायता का भुगतान, मौत योजना, चिकित्सा सहायता, धार्मिक/ऐतिहासिक स्थानों के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा, शादी के लिए वित्तीय सहायकता, मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान, बरसाती/छाता, साईकिल, सिलाई मशीन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, बोर्ड के लाभार्थियों के शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंद बच्चों को वित्तीय सहायता इत्यादि।

इन पर 6,348.03 लाख रूपये की राशि 31–12–2015 तक 53,787 लाभार्थियों को लाभ देने के लिए खर्च की गई है।

खेल तथा युवा कार्यक्रम

11.37 हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अन्तर्राष्ट्रीय खेल जगत में देश का गौरव बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की है। हरियाणा ने देश के खेल क्षेत्र में लगातार अहम भूमिका अदा की है। 17वें एशियन खेल 19 सितम्बर से 4 अक्तूबर, 2014 तक ईचोन (दक्षिणी कोरिया) में आयोजित हुए थे जिसमें भारत द्वारा 57 मैडल (11 स्वर्ण, 10 रजत तथा 36 कांस्य) जीते गए थे। जिसमें से 21 मैडल (6 स्वर्ण, 2 रजत तथा 13 कास्य) हरियाणा द्वारा जीते गए थे। इसके अतिरिक्त, पैरा एशियन खेलों में, 11 मैडल (1 स्वर्ण, 5 रजत तथा 5 कांस्य) हरियाणा द्वारा जीते गए थे। दिनांक 11–8–2015 को चण्डीगढ़ में 89 मैडल विजेताओं तथा एशियन खेलों/पैरा एशियन खेलों में भागेदारी के लिए 5,065 लाख रूपये के नकद पुरस्कार बांटे गए थे। इसके अतिरिक्त 71 अन्तर्राष्ट्रीय मैडल विजेताओं को 232.50 लाख रूपये के नकद पुरस्कार भी उसी दिन बांटे गए थे।

11.38 खेल पॉलिसी, 2015 के अनुसार 869 लाख रूपये के नकद पुरस्कार इन्द्रधनुष आडिटोरियम, सैक्टर–5, पंचकूला में दिनांक 21–12–2015 को विभाग द्वारा केरल में हुए 35वें राष्ट्रीय खेलों के 236 मैडल विजेताओं को दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा 22 अन्तर्राष्ट्रीय मैडल विजेताओं को 81.50 लाख रूपये के नकद पुरस्कार भी उसी दिन बांटे गए थे।

11.39 राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रीय मैडल विजेता खिलाड़ियों को हरियाणा लोक सेवा आयोग में नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा, 489 कनिष्ठ कोचों तथा 44 कनिष्ठ योगकोचों की भर्ती के लिए मांग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है।

संरचना

11.40 राज्य सरकार ने अपने साधनों में से अन्तर्राष्ट्रीय मानक की कुछ मुख्य खेल संरचना सुविधाएं आरम्भ की है। विभाग द्वारा कुछ मुख्य खेल संरचना विकसित की जानी है जिसके लिए वर्ष 2015–16 में 1,344 लाख रूपये ताऊ देवीलाल खेल कॉम्पलैक्स, सैक्टर–3, पंचकूला में खेल संस्थान परिसर के निर्माण के लिए जारी किए गए हैं।

खेल उपकरण

11.41 चालू वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान प्रशिक्षण केन्द्रों, नर्सरियों, अकादमियों तथा कुश्ती अखाड़ों इत्यादि में ये खेल सामान मुहैया कराने के लिए खेल सामान की खरीद हेतू आपूर्ति तथा निपटान विभाग को 990 लाख रूपये की मांग भेजी गई है। इसके अतिरिक्त इस वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति उपयोजना स्कीम के तहत 1 करोड़ रूपये के खेल सामान भी आपूर्ति तथा निपटान विभाग, हरियाणा के माध्यम से खरीदे जा रहे है।

योगा

11.42 6,500 गांवों में योगा व्यायामशाला की स्थापना के लिए घोषणा की गई है। प्रथम चरण में 1,000 योगा व्यायामशालाएं खोली जाएगी। ये योगा व्यायामशालाएं प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के दस गांवों में स्थापित की जाएगी। अनुबन्ध आधार पर 7 योगा प्रशिक्षक तथा 1,000 योगा अनुदेशकों की मांग के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। दिनांक 15 से 16 जून, 2015 तक पंचकूला में राज्य सरकार तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक योगा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 28 से 29 अगस्त, 2015 तक योगा प्रतियोगिता, 16 से 20 नवम्बर, 2015 तक तथा 30 नवम्बर से 4 दिसम्बर, 2015 तक सभी जिलों में सभी प्रशिक्षकों, युवा सांस्कृतिक संयोजक तथा लिपिकीय अमले के लिए योगा प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था जिला स्तर पर आयोजित की गई थी। 28 से 30 दिसम्बर, 2015 तक राज्य स्तरीय योगा प्रतियोगिता करनाल में आयोजित की गई।

स्पीड परीक्षा

11.43 स्पीड परीक्षा–2015 आयोजित की गई, जिसमें 10 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया तथा 5,000 खिलाड़ी चयनित किए गए। इन खिलाड़ियों को राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार की खेल नर्सरियों में प्रवेश करवाएगी। अब तक 117 खेल नर्सरियां 1–12–2015 से शुरू की गई है।

11.44 राजीव गांधी खेल अभियान योजना भारत सरकार द्वारा 1–4–2014 से शुरू की गई है। इस योजना के अधीन 50:50 के अनुपात में एक मुश्त प्रारम्भिक पूंजी अनुदान भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदान कराया जाएगा। इस योजना में व्यवस्था की गई है कि 1.60 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से खण्ड स्तरीय खेल स्टेडियम खण्ड मुख्यालय से राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा यथा प्रस्तावित अनुसार 2–3 किलोमीटर के घेरे में निर्मित किया जाएगा। स्टेडियम का बाहरी क्षेत्र 80 लाख रूपये की अनुमानित लागत से मनरेगा योजना के अधीन निर्मित किया जाएगा। इन्डोर स्टेडियम योजना के अधीन खण्ड, जिला तथा राज्य स्तरीय, ग्रामीण खेल प्रतियोगिता (16 वर्ष से कम के लड़के तथा लड़कियां) तथा जिला व राज्य महिला खेल प्रतियोगिताएं (25 वर्ष से कम) भी विभाग द्वारा आयोजित की गई है जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता ग्रुप–IV भी राई (सोनीपत) में दिनांक 5–1–2016 से 8–1–2016 तक आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता युवा कार्यक्रम मंत्रालय तथा खेल निदेशक, खेल मिशन रगका, नई दिल्ली द्वारा प्रयोजित की गई थी।

11.45 वर्ष 2015–16 के दौरान हैण्डबाल के लिए एक आवासीय अकादमी जिसमें नरवाना, जिला जीन्द में 50 खिलाड़ी फायदा उठा रहे हैं। तथा चण्डीगढ़ लान टैनिस अकादमी विभाग द्वारा चलाई जा रही है जिसमें 15 खिलाड़ी लाभ उठा रहे हैं।

11.46 वर्ष 2015–16 में, विभाग में विभिन्न युवा कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप आयोजित किए हैं। यह साहसिक खेल जैसे कि प्रारम्भिक जल खेल का पाठ्यक्रम क्षेत्रीय जल खेल केन्द्र, पोंग डैम (हिमाचल प्रदेश), उच्च स्तरीय ट्रेकिंग कैम्प नारकंडा (हिमाचल प्रदेश), साहसिक प्रोगाम भारत स्काउट

तथा गाईड राष्ट्रीय साहसिक संस्था, पंचमढ़ी (मध्य प्रदेश) में हुए है। सभी जिलों में जिला स्तरीय नृत्य, ड्रामा, सांस्कृतिक कार्यशाला, राष्ट्रीय एकता शिविर तथा संस्कृति का आदान–प्रदान प्रोग्राम कुरूक्षेत्र में आयोजित किए गए है, हरियाणा के इतिहास तथा संस्कृति के विषय पर जिला स्तरीय सामान्य जागरूकता/जानकारी परीक्षा 9 से 10 अगस्त, 2015 तक हुई तथा राज्य स्तरीय युवा क्लब सम्मेलन 28 से 30 सितम्बर, 2015 तक अम्बाला में आयोजित किया गया है। विभाग ने 25 से 27 नवम्बर, 2015 तक लोगों में जागरूकता लाने के लिए सभी जिलों में जिला युवा उत्सव एवं राज्य स्तरीय युवा उत्सव आयोजित किए गए।

11.47 वर्ष 2014–15 के दौरान खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग का 203.88 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान था तथा वित्त वर्ष 2015–16 में 295.20 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

हरियाणा पर्यटन

11.48 पर्यटन विभाग की मुख्य गतिविधि पर्यटन अवस्थापना का विकास करना तथा राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में पर्यटन को उन्नत करना है। विकास की गतिविधियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने योजना बजट में से राशि प्रदान की जाती है। इस समय हरियाणा पर्यटन निगम के पास 42 पर्यटक स्थल केन्द्र जिसमे 838 कमरे, 15 डौरमेटरी, 42 रैस्टोरैंट, 36 बार, 54 सम्मेलन केन्द्र/बैंकट हाल/समारोह/बहुउद्धेशीय हॉल, 5 फास्ट फूड, एक गोल्फ कोर्स और 14 पैट्रोल पम्प का तन्त्र है। इसके पास कुरूक्षेत्र, पानीपत, फरीदाबाद, यमुनानगर और रोहतक में पॉच होटल प्रबन्धन संस्थान है। विभाग द्वारा निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करने से पर्यटन क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास तथा रोजगार उत्पन्न करने के उत्प्रेरक के रूप में प्रमुख ईंजन बन चुका है। सार्वजनिक–निजी भागीदारी में स्थापित होने वाली पर्यटन/होटल परियोजनाओं के विकास हेतू एक विस्तृत पट्टा नीति बनाई गई है जिसके अर्न्तगत सरकारी भूमि अल्पावधि (11 वर्ष तक) दीर्घावधि (33 वर्ष तक) के लिए पट्टे पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इस समय ललित सुरी सत्कार स्कूल को बड़खल मे नया होटल प्रबन्धन संस्थान खोलने के लिऐ 8–10–2009 से 33 वर्ष के लिऐ 5 एकड़ भूमि पटटे पर दी गई है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत परियोजनाऐं

11.49 हरियाणा सरकार ने विभिन्न पर्यटन/होटल परियोजनाओं की सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत एक विशेष पहल की है। ललित सूरी सत्कार स्कूल, बडखल (फरीदाबाद) मे 33 वर्ष की लम्बी अवधी के पट्टे पर मैसर्ज भारत होटल्स लि. नई दिल्ली को प्रदान किया गया है। इस संस्थान ने वर्ष 2013 मे 3 वर्षीय उपाधि कोर्स प्रारम्भ किया है। मनोरंजन उद्यान तिलयार झील रोहतक, प्रकृति पार्क सुरजकुण्ड, शिविर वास दमदमा, कजियाना वेलनस रिजोर्ट और गॉव मल्लाह मे एक स्पा बनाने के लिऐ राज्य सरकार के विचाराधीन है जिससे रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उत्पन्न होगें और हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मे विकास होगा।

हुनर से रोज़गार योजना

11.50 विभाग का दीर्धकालिन उद्देश्य पर्यटन समृद्धि द्वारा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। पर्यटन मन्त्रालय द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जिसे "हुनर से रोज़गार तक" कहा जाता है, रोज़गार हुनर को बढ़ावा देने हेतू कम से कम आठवीं पास 18–28 वर्ष के इच्छुक युवकों को रोज़गार योग्य बनने के लिऐ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को अपने होटल प्रबन्धन संस्थान, और अन्य निजी संस्थान और आई.टी.डी.सी. के साथ सहयोग से भी कार्यान्वित किया गया है। दिसम्बर, 2015 तक कुल 859 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हरियाणा पर्यटन निगम ने वर्ष 2013 में विश्व पर्यटन दिवस (27 सितम्बर, 2013) पर पहली बार हुनर से रोज़गार योजना अपने विभिन्न पर्यटक स्थलों पर लागू की। वर्ष 2015–16 में 1,014 व्यक्तियों को फूड प्रोडक्शन (8 सप्ताह) प्रशिक्षण दिया गया। उन्हे टूलकिट, वर्दी और स्टाईफण्ड राशि 2,000 रूपये दी गई।

मेले और त्यौहार

11.51 हरियाणा पर्यटन प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय सूरजकुण्ड शिल्प मेला तथा पिंजौर का पारम्परिक त्यौहार जिसमें भारत की सम्पदा से सम्पन्न सांस्कृतिक धरोहर को लाखों देशी व विदेशी दर्शकों के लिए आयोजित करता है। 30वॉ अन्तर्राष्ट्रीय सूरजकुण्ड शिल्प मेला 1 से 15 फरवरी, 2016 तक आयोजित किया गया । इस मेले का थीम राज्य तेलगाना था। मेले में देश के अलग–अलग राज्यों और 20 देशों ने भाग लिया। इसी प्रकार पिंजौर में 4 से 5 जुलाई 2015 तक 24वां आमों का प्रसिद्ध मेला आयोजित किया गया जिसमें समस्त उत्तर भारत के आमों की आवक और आमों के उत्पादन दर्शाये गये। इस मेले में 3,419 रिकार्ड आमों की किस्मों को शामिल किया गया जोकि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तरप्रदेश, चण्डीगढ़ से आए थे। लगभग 250 आमों की किस्में और 326 आमों से बनाई गए उत्पाद दर्शाए गए। पहली बार इस मेले में दर्शको के लिए विशेषज्ञों द्वारा योगा सैशन का आयोजन किया गया। आम मेला अधिक लोकप्रिय हुआ है तथा पिछले वर्ष मेले में कुल 28,000 दर्शकों का आगमन हुआ था। जबकि इस वर्ष बढ़कर 28,500 दर्शको का आगमन हुआ है।

पर्यावरण विभाग

11.52 पर्यावरण विभाग, हरियाणा, राज्य पर्यावरण आंकलन प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को प्रशासनिक रूप से देखता है और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व राज्य सरकार के बीच नोडल कार्यालय है। मौसम परिवर्तन की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति के द्वारा मौसम परिवर्तन की राज्य स्तरीय कार्य योजना में विभिन्न सम्बंधित विभागों की मांग के आधार पर 5 वर्ष के लिए 4,204.87 करोड़ रूपये की राशि का अनुमोदन किया गया। विभिन्न वर्गों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए लगभग 80,013,500 रूपये का एक प्लाट आई.एम.टी. मानेसर गुड़गांव में खरीदा है।

11..53 विभाग राज्य में पर्यावरणीय प्रदूषण समस्याओं का मुकाबला करने के लिए विभिन्न अनियमितायों अर्थात् जल तथा वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण तथा जल तथा वायु की स्वास्थ्यवर्धकता को बनाए रखने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 व 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों को प्रभावशाली रूप से लागू कर रहा है। लागूकरण अभिकरण हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड है तथा पर्यावरण विभाग के कार्यों पर प्रशासकीय नियन्त्रण का प्रयोग करता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान उपलब्धियां

11.54 हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने औद्योगिक इकाईयों तथा अन्य परियोजनाओं को उनकी प्रदूषण संभावना पर आधारित केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के निर्देशों पर लाल, नारंगी तथा हरे प्रवर्ग के अधीन प्रवर्गीकृत किया है। तथापि, बोर्ड ने हरे प्रवर्ग को सहमति प्रबन्धन से कम प्रदूषण उद्योग के रूप में छूट दी है। संचालन की सहमति की अवधि उद्योगों/परियोजनाओं के लाल प्रवर्ग के लिए 2 वर्ष से 5 वर्ष तक तथा नांरगी प्रवर्ग के लिए 3 वर्ष से 10 वर्ष तक बढ़ाया है। बोर्ड ने उद्योगों/परियोजनाओं के प्रत्येक लाल/नारंगी प्रवर्ग द्वारा अपेक्षित स्थापना सहमति, संचालन सहमति के लिए आवेदनों की आनलाईन प्रक्रिया शुरू की है। जल (प्रदूषण तथा निवारण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 के उपबन्धों के अधीन जनवरी, 2013 से खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, निपटान तथा सीमा से परे संचालन) नियम, 2008 के अधीन सेवाओं का अनुमोदन किया है। इन आवेदनों को 1–4–2013 से केवल ऑन लाईन सहमति प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से बोर्ड द्वारा तैयार किया जाता है।

11.55 भुगतान मुख्यद्वार के लिए प्रणाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा पहले ही विकसित तथा लागू की गई है। उद्योग बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा करने की बजाए ई–भुगतान गेटवे के माध्यम से स्थापना सहमति तथा संचालन सहमति प्राप्त करने के लिए भुगतान कर सकते हैं। पूर्वोक्त अधिनियमों/नियमों के उपबन्धों के अनुसार 120 दिन की समय सीमा सी.टी.ई./सी.टी.ओ./प्राधिकार आवेदनों का निर्णय करने के लिए सम्बन्धित अधिनियमों/नियमों में निर्धारित की गई है। तथापि, हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन पालिसी, 2015 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बोर्ड ने साधारण परिस्थितियों में, यदि मामला पूर्ण है तथा क्षेत्रीय कार्यालय को वापस नहीं भेजा गया है, 55 दिन में तथा यदि इसे पूरा करने के लिए जो 60 दिन के समीप है, क्षेत्रीय कार्यालय को वापस भेजा गया है तो 65 दिन में सी.टी.ई. के समाशोधन के लिए आदेश दिनांक 20–10–2015 द्वारा हिदायतें पहले ही जारी की है।

11.56 वर्तमान में आनलाईन मोनीट्ररिंग प्रणाली की स्थापना महंगी है जिसके कारण छोटी इकाईयॉ लगाने की स्थिति में नहीं हो सकती। इस लिए आनॅलाईन मोनीट्ररिंग प्रणाली लगाने की प्रक्रिया को प्रथम चरण में बहिःस्राव तथा वायु उत्सर्जन गुण की मोनीट्ररिंग के लिए उच्चतम प्रदूषण वाले उद्योगों में प्रारम्भ की गई है। प्रथम चरण में प्रकृति में उच्चतम प्रदूषण के 101 बड़े तथा मध्यम

लघु उद्योगों/परियोजनाओं को ऑनलाईन मोनीट्ररिंग प्रणाली की स्थापना के लिए शामिल किया गया है जिसमें से 67 ऐसी इकाईयों में उसे लगा लिया है। अन्य उद्योगों में भी इसे चरणबद्ध ढंग से धीर–धीरे लगाया जाएगा। ऑनलाईन मोनीट्ररिंग प्रणाली की व्यवस्था उद्योगों की हस्त जांच को कम करेगी।

11.57 बोर्ड ने वर्ष 2015–16 के दौरान इसकी अपनी चार प्रयोगशालाओं के अलावा सहमति प्रयोजनों के लिए बहिःस्राव/वायु उत्सर्जन के उद्योगों के अपने नमूनों के विश्लेषण को सूगम बनाने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन निजी क्षेत्र की 12 प्रयोगशालाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की 2 प्रयोगशालाओं को मान्यता दी है। पानीपत के आवासीय क्षेत्रों में चलाई जा रही रंगाई इकाईयों को नए रूप से विकसित औद्योगिक सम्पदा सैक्टर–29, भाग–।। में पुनः स्थापित किया जा रहा है ताकि प्रदूषित बहिःस्राव को सामूहिक बहिःस्राव उपचार सयन्त्र के माध्यम से प्रभावी रूप से उपचारित तथा मानीटर किया जा सके तथा भू–जल के पर्यावरणीय प्रदूषण से बचा जा सके। इस प्रयोजन के लिए 498 प्लाट विभिन्न रंगाई इकाईयों को आवंटित किए गए हैं। आवंटित 498 प्लाटों में से, 494 प्लाटों का कब्जा दिया गया है तथा 357 इकाईयों को सैक्टर–29, भाग–।। में बदला गया है। इन इकाईयों के बहिःस्राव के उपचार के लिए 21 एम.एल.डी. की क्षमता का सामूहिक बहिःस्राव उपचार संयन्त्र केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्रचालन में है तथा सन्तोषजनक रूप से चल रहा है।

11.58 गुजरात पर्यावरण संरक्षण तथा अवसंरचना लिमिटेड पाली, फरीदाबाद में सामूहिक खतरनाक अपशिष्ट उपचार तथा निपटान सुविधा का संचालन कर रहा है। इस सुविधा की 12 से 14 टन प्रतिदिन की भस्मीकरण क्षमता है। भू–भराव स्थल का अनुमानित जीवन 30 वर्ष है। खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा निपटान तथा सीमा से परे संचालन) नियम, 2008 में आने वाली औद्योगिक इकाईयां तथा परियोजनाएं अपने खतरनाक अपशिष्ट के प्रबन्धन तथा निपटान के लिए इस सुविधा का प्रयोग कर रही है।

11.59 फरीदाबाद में गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट आनॅलाईन स्टैक मॉनीट्ररिंग सुविधा के लिए लगाया गया है तथा इसे केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के नेटवर्क से जोड़ा गया है। यह दूरवर्ती स्थान से प्रदूषण स्तरों की प्रभावी तथा सतत् मॉनीट्ररिंग सुनिश्चित् करता है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने गुडगांव, फरीदाबाद, रोहतक तथा पंचकूला में चार सतत् परिवेशी वायु गुण मोनीट्ररिंग केन्द्र स्थापित किए हैं। परिवेशी वायु गुण के सतत आंकडों (डाटा) की मुख्य सरवर (सेवक) के माध्यम से मानीटर किया जा रहा है तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को भी आंकड़ें दिए जा रहे हैं। इससे वायु गुण के बेहतर प्रबन्धन को सतत् आधार पर परिवेशी वायु गुण आंकड़ों की उत्पति को सुगम बनाया है। दिल्ली क्षेत्र में प्रवेश से पहले गांव पल्ला में यमुना नदी के जल में जीव रसायन आक्सीजन मांग स्तर 3 एमजी/लीटर है जो कि नियन्त्रण में है।

11.60 राज्य के जैविक साधनों के परीक्षण के उद्धेश्य से, हरियाणा जैव–विविधता बोर्ड जैव –विविधता अधिनियम, 2002 के अनुसरण में गठित किया गया है। बोर्ड राज्य के जैविक साधनों के

प्रलेखन तथा परीक्षण में सहायता करेगा। यह पणधारियों में हरियाणा के जैविक साधनों के बारे में जानकारी की हिस्सेदारी को भी सुगम बनाएगा। जलवायु परिवर्तन पर हरियाणा राज्य कार्य योजना विभिन्न सरकारी विभागों के साथ परामर्श की बाद तैयार की गई है। राज्य कार्य योजना का अनुमोदन जलवायु परिवर्तन पर राज्य संचालन समिति द्वारा किया गया था। अनुमोदित योजना को आगे मंजूरी के लिए पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है।

प्रस्तावित नई परियोजनाएं

11.61 विभाग की पर्यावरण से सम्बन्धित विषयों के बारे में विभिन्न पणधारियों के क्षमता स्तर को बढ़ाने के लिए आई.एम.टी., मानेसर में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना है। बायोंमैडिकल अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 1998 के अधीन प्राधिकार तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अधीन निर्धारण के लिए सॉफ्टवेयर मॉडयूल तैयार किया गया है। खतरनाक अपशिष्ट तथा ई–वेस्ट की प्रयोगशालाओं, रिसाईकलरों/रिप्रोसैसरों के लिए साफ्टवेयर माड्यूल भी तैयार किया गया है। यह बोर्ड तथा उद्योग का कीमती समय बचाएगा। आनॅलाईन प्रणाली समयबद्ध रीति में समाशोधनों को शीध्र सम्पादित करेगी तथा सहमति प्रणाली में दक्षता तथा पारदर्शिता लाएगी।

शून्य तरल बहाव के लागूकरण के लिए जारी हिदायतें

11.62 राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के अधीन व्यापक तथा समयबद्ध रीति में गंगा नदी के प्रदूषण के विषय को सम्बोधित करने का निर्णय किया गया है। 6–1–2015 को राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के कार्यकलापों में माननीय प्रधानमन्त्री कार्यालय द्वारा किए गए पुनः निरीक्षण में शून्य तरल बहाव को सुनिश्चित् करने सहित थ्रस्ट ऐरिया को पहचाना गया है। तदानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने अश्वनियों, गूदा तथा कागज मिल, चीनी मिल तथा वस्त्र उद्योगों तथा समूहों से शून्य तरल बहाव के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) के अधीन निर्देश जारी किए थे। यह नदी प्रणाली में प्रदूषण भार को भरपूर रूप से कम करेगा। बोर्ड ने कार्य योजना के लागूकरण के लिए सभी सम्बन्धित पणधारियों को निर्देश जारी किए थे तथा निर्देशों की अनुपालना का अवलोकन करेगा।

3 अन्य सत्त परिवेशी वायु गुण मॉनीट्ररिंग केन्द्रों की स्थापना

11.63 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा राज्य के नौ जिलों अर्थात् गुडगांव, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, मेवात, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक तथा पानीपत को शामिल किया गया है इनमें पंचकूला से अलग 9 शहरों में से केवल 3 केन्द्र फरीदाबाद, गुड़गांव तथा रोहतक में पहले ही लगाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों में वायु प्रदूषण स्तर हाल में विगत से बढ़ गया है जिसे अधिक परिवेशी वायु गुण मॉनीट्ररिंग केन्द्र लगाते हुए मानीटर किए जाने की आवश्यकता है। माननीय पर्यावरण मन्त्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में 13–4–2015 को हुई पर्यावरण मन्त्री की बैठक के दौरान हरियाणा राज्य तीन और सत्त परिवेशी वायु गुण मॉनीट्ररिंग केन्द्र लगाने का आश्वासन दिया था। तदानुसार बोर्ड ने

पानीपत, सोनीपत तथा धारूहेड़ा (रेवाड़ी) शहरों में (प्रत्येक में एक) तीन और परिवेशी वायु गुण मॉनीट्ररिंग केन्द्र लगाने का निर्णय किया। इन केन्द्रों के डाटा सम्बन्धित शहरों के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे तथा जनता को सुग्राही बनाने के लिए वायु गुण की स्थिति के प्रचार को स्वीकृत किया जाएगा।

सहकारिता

11.64 हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बहुमुखी विकास में सहकारी संस्थाओं का उल्लेखनीय योगदान रहा है। सहकारिताओं द्वारा लोगों को वित्तीय साधन जुटाने के साथ–साथ अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश की 29,000 से अधिक विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों द्वारा अपने 54 लाख से अधिक सदस्यों के लिये लाभकारी योजनाएं बना कर उनका आर्थिक व सामाजिक विकास किया जा रहा है।

11.65 सरकार द्वारा पिराई वर्ष 2015–16 में अगेती किस्म के गन्ने का भाव 310 रूपये प्रति क्विंटल, मध्यम किस्म 305 रूपये प्रति क्विंटल, पिछेती किस्म 300 रूपये प्रति क्विंटल किया गया है, जोकि देश में सर्वाधिक है। वर्ष 2015–16 में गन्ना विकास योजना के लिये 42.16 करोड़ रूपये की योजना तैयार की गई है जिसमें से 5.70 करोड़ रूपये की राशि मिलों द्वारा अनुदान के रूप में वहन की जाएगी और 36.46 करोड़ रूपये की बकाया राशि ब्याज रहित ऋण के रूप में किसानों को बीज, खाद्, दवाईयॉ आदि के लिए उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है।

11.66 सहकारी शुगर मिलों को गन्ने के भुगतान हेतू कर्ज उपलब्ध करवाया जाता है। चालू वित्त वर्ष में इस कार्य हेतू 290 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया जोकि पिछले साल के बकाया गन्ने के भुगतान के लिए खर्च किया गया। चालू वित्त वर्ष के दौरान ये निर्देश जारी किए गए है कि सहकारी चीनी मिलों की भांति निजी चीनी मिलों को भी इस कार्य हेतू कर्ज उपलब्ध करवाया जायें। इस योजना हेतू कृषि विभाग द्वारा 187 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान करवाया गया है।

11.67 इस वर्ष के दौरान जनवरी से नवम्बर, 2015 तक 19 नई सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों का 209 शिक्षित बेरोजगार युवक जिसमें अधिकतर इन्जीनियर्स व टैक्नीशियन इत्यादि है, गठन किया गया तथा पहले 11 महिनों में प्राथमिक सहकारी श्रम व निर्माण समिति द्वारा 142.08 करोड़ रूपये के कार्य किए गए जबकि पिछले वर्ष श्रम तथा निर्माण समिति द्वारा 178.98 करोड़ रूपये के कार्य किए गए थे। अब प्राथमिक सहकारी श्रम तथा निर्माण समिति की प्रगति दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इस घट रही प्रगति के कारण हरियाणा सरकार द्वारा नये पी.डब्ल्यू.डी. कोड लागू किए गए है लेकिन अब श्रम तथा निर्माण समिति के सदस्य व राज्य के लोगों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हरियाणा सरकारस ने गजट नोटिफिकेशन नं0 407–सी.–7–2012/4487 दिनांक 19–4–2012 द्वारा प्राथमिक सहकारी श्रम व निर्माण समितियों को प्राप्त रियायतों की अवधि 31–3–2017 तक बढ़ा दी है।

11.68 हरियाणा में सहकारी दुग्ध समितियों द्वारा 1–4–2015 से 31–12–2015 तक 3.71 लाख लीटर प्रतिदिन दूध की खरीद की गई।

हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ

11.69 हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ (हैफेड) हरियाणा की एक सबसे बड़ी सहकारी पंजीकृत प्रसंघ है तथा 1 नवंबर, 1966 को अलग हरियाणा राज्य बनने के साथ ही अस्तित्व में आई है। तब से लेकर हरियाणा के किसानों के साथ–साथ भारत व विदेशी उपभोक्ताओं की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा हैं। हैफेड के मुख्य उद्देश्य निम्न हैः–

- कृषि एवं सहबद्ध उत्पादों की खरीद, विपणन तथा प्रसंस्करण का प्रबंध करना।
- कृषि आदानों जैसे कि उर्वरक, बीज तथा कीटनाशकों की आपूर्ति का प्रबंध करना।
- सहबद्ध सहकारी समितियों के कार्य संचालन में सुविधा एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

11.70 रबी 2015 के दौरान हैफेड ने 29.55 लाख टन गेहूं की खरीद की जो कि प्रदेश की सभी एजेन्सियों द्वारा की जाने वाले कुल खरीद का लगभग 44 प्रतिशत है। खरीफ 2015 के दौरान हैफेड ने 15.15 लाख टन धान की खरीद की जो कि प्रदेश की सभी एजेन्सियों द्वारा की जाने वाले कुल खरीद का लगभग 36 प्रतिशत है। जबकि हैफेड का आबंटित हिस्सा 35 प्रतिशत है। हैफेड ने खरीफ, 2014 में 9.85 लाख टन धान की खरीद की थी। चालू खरीफ, 2015 में सभी एजेन्सियो द्वारा किए जाने वाली बाजरा की कुल खरीद 5,094 लाख टन में से हैफेड ने 4,352 लाख टन बाजरें की खरीद की है। जो कि प्रदेश की कुल खरीद का लगभग 86 प्रतिशत है। राज्य में सूरजमूखी के बीज उत्पादकों का समर्थन करने के लिए हैफेड ने न्यून्तम समर्थन मूल्य 3,750 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जून–जुलाई 2015 में बाजार में प्रवेश किया। जबकि उस समय सूरजमूखी का बाजार मूल्य लगभग 3,000 रुपये प्रति क्विंटल था। तथा हैफेड ने 4,164 लाख टन सूरजमुखी खरीदी। जिस से किसानों को लगभग 3 करोड़ रुपये का लाभ हुआ।

उर्वरक

11.71 हैफेड ने राज्य में यूरिया और डी.ए.पी. की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित् करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हैफेड ने (1–4–2015 से 31–12–2015) तक 3.52 लाख टन यूरिया तथा 1.15 लाख टन डी.ए.पी. की बिक्री की है। 31–12–2015 को हैफेड के पास लगभग 0.97 लाख टन यूरिया और 0.65 लाख टन डी.ए.पी. उपलब्ध थी।

हैफड चीनी मिल, असन्ध

11.72 पिराई सत्र वर्ष 2014–15 के दौरान हैफेड चीनी मिल असन्ध में 30.88 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की है तथा मिल में चीनी की रिकवरी का प्रतिशत 10.19 रहा। हैफेड चीनी मिल असन्ध द्वारा पिराई सत्र, 2014–15 मे किसानों को गन्ने की खरीद का 100 प्रतिशत भुगतान समय पर किया। वर्ष 2015–16 के दौरान मिल नें 32 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई तथा 10.50 प्रतिशत चीनी रिकवरी का लक्ष्य रखा है।

उपभोगता उत्पादको का विपणन

11.73 हैफेड ने 1–4–2015 से 31–12–2015 तक 55.80 करोड़ रुपये का उपभोक्ता उत्पादको का विक्रय किया है।

ई–खरीद

11.74 हैफेड ने निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित् करने के लिए अपनी ई.टेंडरिंग गतिविधियों को राज्य सरकार के नये पोर्टल (http.//haryanaeprocurement.gov.in) पर स्थानान्तरित कर दिया है। तथा सिविल एवं अन्य गतिविधियों की ई.टेंडरिंग प्रक्रिया इस नए पोर्टल पर आरंम्भ कर दी है।

बीस–सूत्रीय कार्यक्रम

11.75 20–सूत्रीय कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रम शामिल है जोकि लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। 20–सूत्रीय कार्यक्रम की आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग राज्य में समीक्षा करता है। 20–सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत लक्ष्य और उपलब्धियॉ **तालिकाः 11.11** में दिये गये हैं।

11.76 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कोई भी ग्रामीण परिवार जो कि अकुशल काम की तलाश में है अपने परिवार को ग्राम पंचायत के साथ पंजीकृत करवाकर जॉब कार्ड प्राप्त कर सकता है। ग्राम पंचायत आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर कम से कम 100 दिन का काम उपलब्ध कराने के लिए कानूनी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य में दिसम्बर, 2015 तक इस योजना के तहत 35.21 लाख श्रम दिवस उत्पन्न किए गए। इन्दिरा आवास योजना के तहत वर्ष 2015–16 के लिए 34,771 घरों के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में मास दिसम्बर, 2015 तक 5,700 घरों का निर्माण किया गया। मास दिसम्बर, 2015 तक ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. शहरी क्षेत्र आवास योजना के अर्न्तगत 5,307 घरों का निर्माण किया जा चुका हैं, इससे अलग विभाग द्वारा निर्धारित 353 घरों के लक्ष्य को सूचित किया गया।

11.77 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के अर्न्तगत (आंशिक रूप से संतृप्त व फिर से निचले स्तर पर पहुॅची) बसावटों के लिए वर्ष 2015–16 में 495 बसावटों का लक्ष्य निर्धारण किया गया व मास दिसम्बर, 2015 तक 246 बसावटें प्राप्त की जा चुकी हैं।

11.78 विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए अनुसूचित जाति के परिवारों को एस.सी.ए. से एस.सी. एस.पी. व एन.एस.एफ.डी.सी. के अर्न्तगत सहायता देने का लक्ष्य 8,000 निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतू दिसम्बर, 2015 तक 5,554 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। संस्थागत प्रसव योजना के तहत 2,91,891 लाख महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है। राज्य में दिसम्बर, 2015 तक 148 आई.सी.डी.एस. खण्ड और 25,962 आंगनवाड़ी संचालित है। वृक्षारोपण के तहत 27,679.19 हैक्टयेर क्षेत्र कवर किया जा चुका है 215.60 लाख पौधों को रोपित कर दिये गए है। दिसम्बर, 2015 तक 9,549 पम्प सैटों के लक्ष्य के विरूद्ध 5,275 पम्पसैट क्रियाशील किए जा चुके हैं।

तालिकाः 11.11– बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत लक्ष्य और उपलब्धियां

बिन्दू/मद		ईकाई	2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक)	
			लक्ष्य	उपलब्धियां
01ए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम	लाख कार्य दिवस	लक्ष्य नहीं	35.21
06ए	इन्दिरा आवास योजना	संख्या	34771	5700
06बी	शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न वर्ग को आवास	संख्या	353	5307
07ए03	आंशिक रुप से संतृष्त व फिर से निचले स्तर पर पहुची बसावटें	संख्या	495	246
08ई	सांस्थानिक प्रसव	लाख संख्या	लक्ष्य नहीं	291891
10ए02	अनुसूचित जाति के परिवारों को एस.सी. ए. से एस.सी.एस.पी. व एन.एस.एफ. डी.सी. के अर्न्तगत सहायता देना	संख्या	8000	5554
10ए03	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के अर्न्तगत सहायता प्रदान करना	संख्या	लक्ष्य नहीं	21357
12ए0	स्मेकित बाल विकास परियोजना खण्ड	संचयी संख्या	148	148
12बी0	क्रियाशील आंगनबाडिया	संचयी संख्या	25962	25962
15ए01	वृक्षारोपण के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र–सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	37855.4	27679.19
15ए02	सार्वजनिक एवं वन भूमि पर रोपित पौधों की संख्या	संख्या लाख	274.30	215.60
18डी	पम्पसैटों को सक्रिय करना	संख्या	9549	5275

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

***

12

योजना नीति एवं समीक्षा

योजना विभाग ने 24,870.87 करोड़ रूपये का राज्य योजना बजट 2015–16 तैयार किया जिसमें 5,106.21 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की सम्मिलित है। इस बजट में संशोधित योजना परिव्यय 2014–15 से 16 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए 2,166.77 करोड़ रूपये की प्रथम अनुपूरक राशि भी स्वीकृत की है। प्रथम अनुपूरक राशि के बाद राज्य का योजना परिव्यय 27,442.92 करोड़ रूपये है और इसके विरूद्ध फरवरी, 2016 तक 15,961.24 करोड़ रूपये (57.5%) खर्च हुए हैं। इसके अतिरिक्त, ऑफ बजट परिव्यय में 7467.50 करोड़ रूपये राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों व 798.39 करोड़ रूपये स्थानीय निकायों द्वारा राज्य की विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में खर्च किए जाएगें।

12.2 राज्य के योजना परिव्यय को विभिन्न क्षेत्रों में आबंटित करते समय सामाजिक सेवा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। दूसरी उच्च प्राथमिकता सिंचाई, बिजली, सड़क व सड़क परिवहन के आधारभूत ढांचे के विकास तथा विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को दी गई है।

सामाजिक सेवाएं

12.3 सामाजिक सेवाओं के लिए 15,183.71 करोड़ रूपये (61.05%) का प्रस्ताव रखा गया है। सामाजिक सेवाओं में वृद्धों, निःशक्तजनों, विधवाओं के लिए पैंशन को उच्च प्राथमिकता दी गई है क्योंकि ये बेसहारा के रूप में समाज के सबसे कमजोर वर्ग हैं तथा राज्य का इनके प्रति स्वयं एक नैतिक उत्तरदायित्व बनता है। तदानुसार सामाजिक न्याय व अधिकारिता के लिए 3,597.06 करोड़ रूपये (14.46%) प्रस्तावित किए गए हैं। महिलाओं व बच्चों को एक अन्य कमजोर वर्ग होने के कारण राज्य को इनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों जिसमें न्यूट्रिशन भी शामिल है, के लिए 785.80 करोड़ रूपये (3.15%) का प्रावधान अलग से रखा गया है। शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 4,862.07 करोड़ रूपये (19.54%) का परिव्यय रखा गया है। वार्षिक योजना में स्वास्थ्य सेवाएं जिसमें चिकित्सा शिक्षा भी सम्मिलित है, को 1,122.35 करोड़ रूपये (4.51%) का परिव्यय निर्धारित करके उच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार ने पहले से ही राज्य के सभी गांवों में पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया है। फिर भी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाने पर जोर दिया गया है, तदानुसार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने तथा स्वच्छता में सुधार लाने के लिए 1,150 करोड़ रूपये (4.62%) का प्रावधान रखा गया है। आवास, जिसमें पुलिस आवास एवं उनका आधुनिकीकरण शामिल हैं, के लिए 143.80 करोड़ रूपये (0.57%) की राशि का आंबटन किया

गया है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 200 करोड़ रूपये (0.80%) का प्रावधान किया गया है। शहरी विकास के लिए 2,006.78 करोड़ रूपये (8.06%) का प्रावधान रखा गया है।राज्य में विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियों के लिए 159.70 (0.68%) का प्रावधान रखा गया है। युवाओं में ज्ञान व कौशल को बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को 248.06 करोड़ रूपए (0.99%) परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

आधारभूत ढांचे का विकास

12.4 सिंचाई, बिजली, सड़क व सड़क परिवहन के आधारभूत ढांचे को विकसित एवं विस्तृत करने के लिए 4,441.50 करोड़ रूपये का परिव्यय आबंटित किया गया जो कुल प्रस्तावित योजना परिव्यय 24,870.80 करोड़ रूपये का 17.85 प्रतिशत है। सिंचाई क्षेत्र के लिए 957.50 करोड़ रूपये (3.84 %) का प्रावधान रखा गया है। ऊर्जा क्षेत्र में बिजली के उत्पादन, हस्तांतरण एवं वितरण के लिए 917.50 करोड़ रूपये रखे गये जो कुल योजना परिव्यय का 3.68 प्रतिशत है। सड़क व सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए 2,066.50 करोड़ रूपये (8.30%) का परिव्यय रखा गया है। विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के लिए 1,025 करोड़ रूपये (4.12%) का प्रावधान बनाया गया है।

कृषि व सहबद्ध क्षेत्र

12.5 कृषि व सहबद्ध क्षेत्र को भी उचित प्राथमिकता दी गई है इस क्षेत्र के लिए 1,795.30 करोड़ रूपये (7.21%) आबंटित किए गए हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्य रणनीति में प्रमाणित बीजों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता, उर्वरक के संतुलित उपयोग, पौध सरंक्षण के उपाय, भूमि सुधार तथा अन्य भूमि विकास कार्यक्रमों जैसे विभिन्न सहायक कार्यक्रमों के सुदृढ़िकरण शामिल हैं। गेहूं, चावल, तिलहन, कपास और गन्ना जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में पर्याप्त राशि का प्रावधान रखा गया है।

12.6 वर्ष 2015–16 के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को उनकी गतिविधियों को पूरा करने के लिए 210 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

12.7 पशुधन मालिकों को अपने घर के नजदीक प्रभावी और कुशल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य में पशु चिकित्सा संस्थानों के नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के लिए पशुपालन व डेयरी विभाग को अपनी गतिविधियों के विस्तार हेतु 187.50 करोड़ रूपये आबंटित किये गये हैं। राज्य में परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, पर्यावरण को बेहतर बनाने व लकड़ी से बनने वाली वस्तुएं व ईंधन के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने हेतू वनों के विस्तार के लिए 226.75 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। राज्य में सहकारी संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए 471.50 करोड़ रूपये का अलग से प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण विकास

12.8 राज्य वित्त आयोग पुरस्कार एवं सामुदायिक विकास के अन्तर्गत ग्रामीण विकास क्षेत्र को जिसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता के लिए 2014.16 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया है। लोगों को ईंधन/ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने तथा ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और पशुओं व कृषि के व्यर्थ हुई चीज़ों से उत्पादित ऊर्जा, के उपयोग को बढ़ावा देने हेतू समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए 2.20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सामुदायिक विकास तथा पंचायत के लिए 1,276.96 करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है।

विशेष क्षेत्र विकास

12.9 पिछड़े मेवात क्षेत्र जहां मुख्यतः मुस्लिम समुदाय बसा हुआ है, के विकास हेतू मेवात विकास बोर्ड पहले से ही अस्तित्व में है। इस क्षेत्र के विकास में तीव्रता लाने हेतु मेवात विकास बोर्ड के लिए 29 करोड़ रूपये का प्रावधान अलग से किया गया है। इसी प्रकार अम्बाला, पंचकूला व यमुनानगर जिले के पर्वतीय एवं अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु शिवालिक विकास बोर्ड भी बनाया हुआ है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए 16 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। यह दोनों राशियां इन दोनों क्षेत्रों के विभिन्न विभागों में होने वाली विकास की सामान्य गतिविधियों के अतिरिक्त है।

सिंचाई

12.10 कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई एक अति महत्वपूर्ण निवेश है। राज्य के पास नहर के साथ–साथ भूमिगत पानी जैसे सीमित जल संसाधन हैं। इसलिए इस संसाधन के अनावश्यक अपव्यय को कम करके इसके सही उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के लिए इस क्षेत्र का परिव्यय 957.50 करोड़ रूपये आंका गया है।

12.11 बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 702.50 करोड़ रूपये रखे गये हैं। बाढ़ नियन्त्रण उपायों के लिए 160 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य और केन्द्र सरकार के बीच हिस्सेदारी आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2014–15 में इसके लिए 95 करोड़ रूपये (राज्य का हिस्सा) रखा गया है।

ऊर्जा

12.12 अर्थ–व्यवस्था के समग्र विकास के लिए बिजली एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निवेश है। यह भी लोगों के जीवन की गुणवत्ता के लिए अनिवार्य है। यह लोगों के जीवनस्तर को बढ़ाने के लिए भी अनिवार्य है। लोगों को बिजली का उत्पादन/उपलब्धता को बेहतर बनाने हेतू वार्षिक योजना 2015–16 में, इस क्षेत्र के लिए 917.50 करोड़ रूपये रखे गये हैं। उपरोक्त में से 17.50 करोड़ रूपये ऊर्जा के अक्षय स्त्रोतों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

उद्योग

12.13 हरियाणा राज्य अपनी मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था के कारण उद्योगों के लिए पसंदीदा निवेश स्थान बनता जा रहा है। हरियाणा राज्य औद्योगिक और ढांचागत विकास निगम संयुक्त क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भागीदारी/सहायता जारी रखेगा। उद्योग विभाग ने प्रक्रिया का सरलीकरण, कम से कम प्रतिक्षा अवधि, कारोबारी माहौल मे सुधार, शासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रोद्योगिकी की शुरूआत के माध्यम से 'व्यापार करने में आसानी' लाने के लिए प्रमुख पहल की है।

12.14 राज्य सरकार ने पहले से ही सूचना क्रांति के युग में राज्य को एक अग्रणी धावक बनाने और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए उदार प्रोत्साहन प्रदान करने के क्रम में एक महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) नीति एवं कार्य योजना तैयार की है। हारट्रोन को राज्य सरकार के सभी विभागों में सूचना प्राद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक सेवाऐं प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य में उपरोक्त आई.टी. गतिविधियों के लिए वार्षिक योजना 2015–16 में 53.03 करोड़ रूपये ईयरमार्क किए गए हैं।

12.15 वर्ष 2015–16 में उद्योग क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों के लिए 172.15 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

सड़क और परिवहन

12.16 वार्षिक योजना 2015–16 में राज्य ने सड़क नेटवर्क तथा परिवहन सुविधाओं के विकास हेतू 2066.50 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये हैं। इसमें से 1,850 करोड़ रूपये सड़क और पुलों के निर्माण के लिए रखे गए हैं। पुरानी बसों के प्रतिस्थापन, बस अड्डो/आश्रयों के निर्माण, कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण आदि के लिए 211.15 करोड़ रूपये रखे गये हैं। नागरिक उड्डयन के लिए 5.35 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन

12.17 मौजूदा पर्यटन स्थलों विशेषकर जिला/उप–प्रभागीय मुख्यालयों पर मुख्य राजमार्गों के साथ लगे पर्यटन सैरगाहों पर पर्यटन सुविधाओं के विस्तार हेतु 31.90 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

जिला योजना

12.18 राज्य में जिला योजना के लिए 372.50 करोड़ रूपये रखे गये हैं जोकि स्थानीय विकास कार्यों पर उपयोग किए जाएंगे।

सामान्य सेवाएं

12.19 सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 260.70 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है जिससे मिनी सचिवालय और उससे सम्बन्धित ईमारतें, जेल, न्यायिक, आबकारी एवं कराधान (गैर आवासीय भवनों),

लोक निर्माण विभाग (बी.–आर.) की इमारतें रैस्ट हाऊसिज़, होलीडे होम्ज़, खजाना एवं लेखा की ईमारतें तथा आतिथ्य की ईमारतें जैसी अत्यावश्यक प्रशासनिक ईमारतों के निर्माण पर उपयोग किया जाएगा।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

12.20 विद्युत विभाग की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 600 करोड़ रूपये रखे गये हैं।

आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज

12.21 वर्ष 2015–16 में ढांचागत विकास फण्ड के लिए 1,025 करोड़ रूपये का एक विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज रखा गया है जोकि फास्ट ट्रैक के आधार पर ली जाने वाली परियोजनाओं जैसे जिला अस्पतालों को बढ़ाने, नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाओं में सुधार, समाज के वंचित वर्ग के लिए विशेष देखभाल संस्थानों की स्थापना, पानी खालों की मरम्मत, औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवासीय भवन तथा मेवात व पलवल जिलों के कार्यालयों तथा आवासीय भवनों के निर्माण पर उपयोग किया जाएगा।

12.22 आरम्भ से राज्य की योजनाओं का आकार व व्यय **अनुलग्नक 9.1** में दर्शाया गया है।

***

अनुलग्नक 2.1–हरियाणा सरकार की प्राप्तियां

(करोड़ रूपये)

मदें	2012–13	2013–14	2014–15 (स.अ.)	2015–16 (ब.अ.)
1	3	3	4	5
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	**33633.53**	**38012.08**	**45419.14**	**52312.10**
क) राज्य के अपने स्त्रौत (अ+आ)	**28232.15**	**30541.66**	**35280.20**	**40134.79**
अ) राज्य का अपना कर राजस्व (i से viii)	**23559.00**	**25566.60**	**29602.75**	**33249.40**
i) भू –राजस्व	12.97	12.42	15.50	16.50
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	3236.47	3697.34	4350.00	4567.50
iii) बिक्री कर	15376.58	16774.33	19930.00	22821.40
iv) मोटर वाहनों पर कर	887.29	1094.86	1175.00	1316.00
v) स्टाम्प तथा रजिट्रेशन	3326.25	3202.48	3300.00	3600.00
vi) माल तथा यात्रियों पर कर	470.76	497.45	520.00	600.00
vii) बिजली पर कर तथा शुल्क	191.97	219.19	232.25	240.00
viii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	56.71	68.53	80.00	88.00
आ) राज्य का अपना कर– भिन्न राजस्व (i से v)	**4673.15**	**4975.06**	**5677.45**	**6885.39**
i) ब्याज प्राप्तियां	1058.21	1090.72	1234.29	1281.41
ii) लाभांश तथा लाभ	7.05	6.49	7.34	7.40
iii) सामान्य सेवाएं	535.15	585.50	445.14	434.48
iv) सामाजिक सेवाएं	1591.20	1687.65	2173.45	2242.00
v) आर्थिक सेवाएं	1481.54	1604.70	1817.23	2920.10
ख) केन्द्रीय स्त्रोत (इ+ई)	**5401.38**	**7470.42**	**10138.94**	**12177.31**
इ) केन्द्रीय करों का भाग*	3062.13	3343.24	3800.00	5680.00
ई) केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	2339.25	4127.18	6338.94	6497.31
2. पूंजीगत प्राप्तियां (i से iii)	**9622.37**	**9907.43**	**10688.92**	**16673.77**
i) कर्जे की प्राप्तियां	349.39	261.85	389.40	392.11
ii) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	10.81	9.89	12.36	12.50
iii) लोक ऋण (निवल)	9262.17	9635.69	10287.16	16269.16
कुल प्राप्तियां (1+2)	**43255.90**	**47919.51**	**56108.06**	**68985.87**

स.अ.: संशोधित अनुमान

ब.अ.: बजट अनुमान

* केन्द्र द्वारा राज्य को समनुदेशित निवल का भाग जो **"**वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क**"** शीर्ष में दिया गया है वह राज्य के अपने कर राजस्व के बजाय केन्द्रीय करों के भाग में सम्मिलित है।

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.2–हरियाणा सरकार का व्यय

(करोड़ रूपयें)

मदें	2012–13	2013–14	2014–15 (स.अ.)	2015–16 (ब.अ.)
1	3	2	4	5
1. राजस्व व्यय (क+ख़+ग)	**38071.72**	**41887.10**	**54919.10**	**61869.62**
क) विकासात्मक (i+ii)	26073.08	28153.60	36544.31	41564.02
i) सामाजिक सेवाएं	14516.35	15413.41	21814.65	25014.89
ii) आर्थिक सेवाएं	11556.73	12740.19	14729.66	16549.13
ख) गैर–विकासात्मक (i से v)	11896.75	13597.32	18128.21	20092.45
i) राज्य की विधाएं	498.48	560.78	880.85	779.15
ii)वित्तीय सेवाएं	270.57	287.06	374.61	424.63
iii) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवाएं	4955.32	5849.77	7895.13	9088.75
iv) प्रशासनिक सेवाएं	2530.69	2729.45	3523.54	3868.80
v) पैन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं	3641.69	4170.26	5454.08	5931.12
ग) अन्य*	101.89	136.18	246.58	213.15
2. पूंजीगत व्यय (घ+ड.)	**6283.84**	**4710.21**	**6530.72**	**7270.67**
घ) विकासात्मक (i से ii)	5924.96	4307.33	6001.55	6683.90
i) सामाजिक सेवाएं	1575.50	1985.48	2592.63	3065.88
ii) आर्थिक सेवाएं	4349.46	2321.85	3408.92	3618.02
ड़) गैरविकासात्मक (i से ii)	358.88	402.88	529.17	586.77
i) सामान्य सेवाएं	250.60	282.16	322.05	354.66
ii) सरकारी कर्मचारी के आवास को छोडकर कर्जे	108.28	120.72	207.12	232.11
3. कुल व्यय (1+2=4+5+6)	**44355.56**	**46597.31**	**61449.82**	**69140.29**
4. कुल विकासात्मक व्यय (क+घं)	**31998.04**	**32460.93**	**42545.86**	**48247.92**
5. कुल गैर–विकासात्मक व्यय (ख +ड़)	**12255.63**	**14000.20**	**18657.38**	**20679.22**
6. अन्य* (ग)	**101.89**	**136.18**	**246.58**	**213.15**

स.अ.: संशोधित अनुमान

ब.अ.: बजट अनुमान

* स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.3–हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति

(करोड़ रूपयें)

मदें	2012–13	2013–14	2014–15 (स.अ.)	2015–16 (ब.अ.)
1	3	2	4	5
1. अर्थ शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क) महालेखाकार	(-)49.46	164.97	(-)652.31	(-)202.48
ख) भारतीय रिर्जव बैंक	(-)39.96	170.78	(-)616.92	(-)167.09
2. राजस्व लेखा				
क) प्राप्तियां	33633.53	38012.08	45419.14	52312.10
ख) खर्च	38071.72	41887.10	54919.10	61869.62
ग) अधिशेष/घाटा	(-)4438.19	(-)3875.02	(-)9499.96	(-)9557.52
3. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	10.81	9.89	12.36	12.50
4. पूंजीगत परिव्यय	5761.84	3934.60		
5. लोक ऋण				
क) लिया गया ऋण	15560.31	17712.95	20933.64	26304.67
ख) पुनः अदायगी	6298.14	8077.26	10646.48	10035.51
ग) निवल	(+)9262.17	9635.69	10287.16	16269.16
6. कर्जे और पेशगियां				
क) पेशगियां (अग्रिम)	521.99	775.61	962.15	1366.77
ख) वसूलियां	349.39	261.85	389.40	392.11
ग) निवल	(-)172.60	(-)513.76	(-)572.75	(-)974.66
7. अर्न्तराज्य समायोजन	-	-	-	-
8. आकस्मिक निधि का वनियोजन	-	-	-	-
9. आकस्मिक निधि (निवल)	-	-	-	-
10. लघु बचतें, भविष्य निधि आदि (निवल)	457.96	720.99	655.00	662.00
11. जमा तथा पेशगियां आरक्षित निधि और उचत तथा विविध (निवल)	(+)928.72	(-)2860.23	5063.59	(-)577.36
12. प्रेषण (निवल)	(-)72.60	(-)0.24	73.00	50.00
13. निवल (वर्ष के दौरान लेन–देन)	(+)214.43	(-)817.28	449.83	(-)19.78
14. वर्ष का इति शेष				
पुस्तकों के अनुसार				
क. महालेखाकार	(+)164.97	(-)652.31	(-)202.48	(-)222.26
ख. भारतीय रिर्जव बैंक	(+)170.78	(-)616.92	(-)167.09	(-)186.87

स.अ. : संशोधित अनुमान
ब.अ. : बजट अनुमान
प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस।

अनुलग्नक 2.4–आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा सरकार का बजट व्यय

(करोड़ रूपयें)

मदें	2012–13	2013–14	2014–15 (स.अ.)	2015–16 (ब.अ.)
1	3	2	4	5
I प्रशासकीय विभाग (1 से 7)	**40132.73**	**42418.79**	**55952.36**	**64399.03**
1. उपभोग व्यय (i+ii)	15615.85	17010.98	22171.26	26305.08
i) कर्मचारियों का प्रतिभार	14015.17	14964.83	19399.83	22860.32
ii) वस्तुओं तथा सेवाओं की निवल खरीद रख–रखाव सम्मिलित है	1600.68	1828.24	2300.45	2947.10
iii) स्थानांतरण के प्रकार	-	217.91	470.98	497.66
2. चालू हस्तांतरण*	17134.73	19082.29	24871.65	27916.68
3. सकल पूंजी निर्माण	4308.88	2649.23	4305.14	4801.23
4. पूंजीगत हस्तांतरण	2283.29	2657.80	3106.44	3633.48
5. वित्तीय परिसम्पतियों की निवल खरीद	258.30	138.03	471.96	347.62
6. कर्ज तथा अग्रिम	522.00	775.61	962.15	1366.77
7. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	9.68	104.85	63.76	28.17
II. विभागीय वाणिज्यक उपक्रम (1 से 6)	**3531.24**	**3770.37**	**4601.45**	**4985.99**
1. वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद जिसमें रख–रखाव सम्मिलित है	695.18	1124.58	1408.24	1460.70
2. कर्मचारियों का प्रतिभार	1458.43	1192.55	1996.50	2256.18
3. स्थिर पूंजी का क्षय (अवमूल्यन)	33.95	33.94	39.91	42.92
4. ब्याज	483.33	525.05	436.62	439.12
5. सकल पूंजी निर्माण	853.01	876.66	699.68	764.57
6. भौतिक परिसम्पतियों की निवल खरीद	7.34	17.59	20.50	22.50
कुल व्यय (I+II)	**43663.97**	**46189.16**	**60553.81**	**69385.02**

स.अ.: संशोधित अनुमान,

ब.अ.: बजट अनुमान

*चालू हस्तातरण में अनुदान एवं ब्याज भी सम्मिलित है।

प्राप्ति स्थानः स्टेट बजट डॉकूमेंन्टस/अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 5.1–वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05=100)

समुह	विवरण	भार	सूचकांक		
			2012-13	2013-14	2014-15(अ)
1	2	3	4	5	6
15	खाद्यान्न पदार्थ तथा पेय पदार्थ	54.98	163.4	187.4	173.5
16	तम्बाकू उत्पाद	0.55	95.3	96.3	73.7
17	वस्त्र	38.77	70.4	84.1	102.7
18	पहनने के कपड़े,डेसिंग व फर की डाईंग	47.59	158.5	173.5	164.3
19	चमड़े की टेनिंग व डेसिंग, लगेज हैंडबैगज, सैडलरी, हारनैस व फुटवियर विनिर्माण	6.25	97.5	88.8	99.3
20	लकड़ी के उत्पाद व लकडी तथा कार्क, सिवाय फर्नीचर, भूसे के पदार्थ तथा प्लेटिंग सामग्री	3.11	167.1	170.0	181.6
21	कागज तथा कागज उत्पाद	9.67	119.4	123.9	124.4
22	रिकार्डिड मीडिया का पुर्नउत्पादन, प्रकाशन तथा मुद्रण	2.72	87.6	106.7	118.7
23	कोक, शुद्ध पैटोलियम उत्पाद तथा न्यूक्लियर ईधन	0.25	155.4	174.6	185.4
24	रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	36.73	159.8	167.9	115.0
25	रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	31.07	138.9	161.5	171.6
26	अन्य गैर धात्विक खनिज उत्पाद	14.70	150.6	228.3	280.4
27	आधारभूत धातुएं	109.70	197.6	194.6	207.7
28	फेबरिकेटिड धातु उत्पाद, सिवाय मशीनरी व उपकरण	24.55	221.7	237.8	270.5
29	अन्यत्र अवर्गित मशीनरी तथा उपकरण	63.15	254.1	401.2	482.7
30	कार्यालय, लेखा व कम्यूटिंग मशीनरी	4.12	234.2	175.5	201.9
31	अन्यत्र अवर्गित विद्युत मशीनरी व साधित्र	22.81	147.8	176.3	218.4
32	रेडियो, टेलीविजन व संचार उपकरण व साधित्र	7.44	200.4	203.7	219.5
33	चिकित्सा, सूक्ष्म व चश्मों से सम्बन्धित यन्त्र घड़िया व क्लॉक्स	17.10	131.0	179.3	166.1
34	मोटर गाड़ियां, टेलर व अर्ध–टेलर	233.94	180.5	138.7	158.8
35	अन्य परिवहन उपकरण	173.52	175.5	165.9	150.1
36	फर्नीचर, अन्यत्र अवर्गित विनिर्माण	15.50	78.7	75.6	69.3
	विनिर्माण	**918.22**	**173.6**	**177.8**	**187.6**
	विद्युत	**81.78**	**243.5**	**252.7**	**275.4**
	सामान्य सूचकांक	**1000.00**	**179.3**	**184.0**	**194.8**

अः अनन्तिम

प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 5.2–औद्योगिक उत्पाद वर्गो में वृद्धि (दो अंक स्तर पर)
(औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2004–05=100)

उद्योग समूह	भार	2012-13	2013-14	2014-15
विनिर्माण	918.22	4.6	2.4	5.5
वर्ष 2014–15 के दौरान 10 % से अधिक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
17. वस्त्र	38.77	-10.7	19.5	22.1
19. चमड़े की टेनिंग व र्डेसिंग, लगेज हैंडबैगज, सैडलरी, हारनैस व फुटवियर विनिर्माण	6.25	-9.4	-8.9	11.8
22. रिकार्डिड मीडिया का पुर्नउत्पादन, प्रकाशन तथा मुद्रण	2.72	1.3	21.8	11.2
26. अन्य गैर धात्विक खनिज उत्पाद	14.70	10.4	51.6	22.8
28. फेबरिकेटिड धातु उत्पाद, सिवाय मशीनरी व उपकरण	24.55	7.8	7.3	13.8
29. अन्यत्र अवर्गित मीनरी तथा उपकरण	63.15	23.5	57.9	20.3
30. कार्यालय, लेखा व कम्यूटिंग मशीनरी	4.12	8.3	-25.1	15.0
31. अन्यत्र अवर्गित विद्युत मशीनरी व साधित्र	22.81	12.6	19.3	23.9
34. मोटर गाड़ियां, टेलर व अर्ध–टेलर	233.94	-6.8	-23.1	14.5
वर्ष 2014–15 के दौरान 5 % से 10 % वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
20. लकड़ी के उत्पाद व लकडी तथा कार्क, सिवाय फर्नीचर, भूसे के पदार्थ तथा प्लेटिंग सामग्री	3.11	6.1	1.7	6.8
23. कोक, शुद्ध पैटोलियम उत्पाद तथा न्यूक्लियर ईधन	0.25	7.6	12.4	6.2
25. रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	31.07	13.0	16.2	6.3
27. आधारभूत धातुएं	109.70	24.6	-1.5	6.7
32. रेडियो, टेलीविजन व संचार उपकरण व साधित्र	7.44	5.4	1.6	7.8
वर्ष 2014–15 के दौरान 5 % से कम वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
21. कागज तथा कागज उत्पाद	9.67	6.5	3.7	0.4
वर्ष 2014–15 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर वाले औद्योगिक वर्ग				
15 खाद्यान्न पदार्थ तथा पेय पदार्थ	54.98	6.9	14.7	-7.4
16. तम्बाकू उत्पाद	0.55	0.9	1.0	-23.5
18. पहनने के कपड़े,डेसिंग व फर की डाईंग	47.59	10.9	9.5	-5.3
24. रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	36.73	2.1	5.0	-31.5
33- चिकित्सा, सूक्ष्म व चश्मों से सम्बन्धित यन्त्र घड़िया व क्लॉक्स	17.10	3.2	36.8	-7.4
35. अन्य परिवहन उपकरण	173.52	-0.5	-5.4	-9.5
36. फर्नीचर, अन्यत्र अवर्गित विनिर्माण	15.50	8.7	-3.9	-8.3

अः अनन्तिम

प्राप्ति स्थानः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

अनुलग्नक 9.1–हरियाणा में योजनाओं के अधीन परिव्यय/व्यय

(करोड़ रूपये)

योजना अवधि		अनुमोदित परिव्यय	व्यय
1	2	3	4
वार्षिक योजनाएं	1966–69	77.11	94.14
चौथी योजना	1969–74	225.00	358.26
पांचवी योजना	1974–79	601.35	677.34
वार्षिक योजना	1979–80	219.76	202.96
छठी योजना	1980–85	1800.00	1595.47
सातवीं योजना	1985–90	2900.00	2510.64
वार्षिक योजना	1990–91	700.00	615.02
वार्षिक योजना	1991–92	765.00	699.39
आठवीं योजना	1992–97	5700.00	4899.19
नौंवीं योजना	1997–02	11600.00	7986.12
दसवीं योजना	2002–07	12000.00	12979.64
ग्यारवीं योजना	2007–12	35000.00	43161.22
बाहरवीं योजना प्रायोजित परिव्यय	**2012–17**	90000.00	
वार्षिक योजना	**2012–13**		
(i) अनुमोदित परिव्यय		14500.00	
(ii) संशोधित परिव्यय		14424.17	12520.87
वार्षिक योजना	**2013–14**		
(i) अनुमोदित परिव्यय		18000.00	
(ii) संशोधित परिव्यय		17235.13	13929.96
वार्षिक योजना	**2014–15**		
(i) अनुमोदित परिव्यय		21520.15	
(ii) संशोधित परिव्यय		21327.66	17801.40
वार्षिक योजना अनुमोदित परिव्यय	**2015–16**	24870.87	15961.24 (फरवरी, 2016 तक)

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

***

अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा
योजना भवन, बेज़ नं. 21–28, सैक्टर–4, पंचकूला
Ph.: 0172-2560139 E-mail : esa@hry.nic.in web.: www.esaharyana.gov.in